दशम माला, खण्ड 35, अंक 22

बुधवार, 24 अगस्त, 1994
2 भाद्र, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
53
24.1.96

सत्यमेव जयते

(खंड 35 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

माला, खण्ड 35 *ग्यारहवां सत्र, 1994 / 1916 (शक)*

अंक 2 **बुधवार, 24 अगस्त, 1994 / भाद्र 2, 1916 (शक)**

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*** तारांकित प्रश्न संख्या :**	421-425	1-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*** तारांकित प्रश्न संख्या :**	426-440	27-76
अतारांकित प्रश्न संख्या :	4131-4287, 4289-4323	76-299
राष्ट्रीय नवीकरण निधि से महाराष्ट्र को दी गई राशि के संबंध में 3 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1521 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		299-302
(एक) पाकिस्तान के पास परमाणु बाम होने के समाचार को ध्यान में रखते हुए भारत की सुरक्षा को खतरा		302-312
श्री चन्द्रजीत यादव		302
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		304
श्री शरद यादव		305
श्री सैफुद्दीन चौधरी		306
श्री इन्द्रजीत गुप्त		307
श्री पी.जी. नारायणन		308
श्री चन्द्र शेखर		309
श्री रमेश चैन्नित्तला		310

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री पी.सी. चाक्को 310

श्री विद्याचरण शुक्ल 311

(दो) विभिन्न राज्यों द्वारा आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का कथित दुरुपयोग 312-322

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी 312

श्री राम विलास पासवान 313

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 314

श्री सोमनाथ चटर्जी 315

श्री शरद यादव 316

श्री भोगेन्द्र झा 317

श्री ई. अहमद 318

श्री याइमा सिंह युमनाम 318

डा. मुमताज अंसारी 319

श्री डी. वेंकटेश्वर राव 320

श्री हरि किशोर सिंह 320

श्री चित्त बसु 320

श्री विद्या चरण शुक्ल 321

सभा पटल पर रखे गए पत्र 322-326

राज्य सभा से संदेश 326, 363

याचिका समिति

सोलहवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत 326

परिवहन तथा पर्यटन संबंधी स्थाई समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन - सभा पटल पर रखा गया 327

नियम 377 के अधीन मामले 327-331

(एक) केरल में पाथयाकड में शीघ्र एक नया डाकधर खोलने की आवश्यकता 327

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन

(दो) केरल में वनचिनाड एक्सप्रेस को चंगनचेरी, तिरुवल्ला, चंगन्नूर, मवेलीकारा, कायमकुलम और वरकला रेलवे स्टेशनों पर रोके जाने की आवश्यकता 327

प्रो. पी.जे. कुरियन

(तीन) केरल में पश्चिम तटीय जलमार्गों को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता 328

श्री पाला के.एम. मैथ्यू

(चार) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को रिआयत दिये जाने की आवश्यकता 328

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री

(पांच) शाहजहां (उत्तर प्रदेश) के काशीनाथ सेठ बैंक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय करने की आवश्यकता 329

श्री चिन्मयानन्द स्वामी

(छः) कानपुर देहात जिले के घाटमपुर में भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता 330

श्री केशरी लाल

(सात) इंदिरा-मुजीब समझौता (1974) के अन्तर्गत बंगलादेश और भारत के बीच अंतः क्षेत्रों का आदान-प्रदान शीघ्र किए जाने की आवश्यकता 330

श्री चित्त बसु

(आठ) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले रोहनात गांव के लोगों को मुआवजा देने के लिए हरियाणा सरकार को सहायता राशि प्रदान करने की आवश्यकता 331

श्री जगबीर सिंह

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पांचवे, छठे, सातवें तथा आठवें प्रतिवेदनों पर विचार से संबंधित प्रस्ताव 332-353, 354-391

श्री अनादि चरण दास 332

श्री जी.एम.सी. बालयोगी 342

श्री छेदी पासवान 349, 354

श्री प्रेम चन्द राम 355

कुमारी सुशीला तिरिया 359

श्री रतिलाल वर्मा 364

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 371

प्रो. पी.जे. कुरियन 373

श्री रूप चन्द मुरमु 378

श्री मंजय लाल 381

श्री दत्तात्रेय बंडारू 383

श्री बी.राज रविवर्मा 388

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मणिपुर में भूमिगत उग्रवादियों द्वारा असम राइफल्स की एक टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया जाना 353

श्री पी.एम. सईद

कुछ व्यक्तियों द्वारा दर्शक दीर्घा से सदन की अवमानना के संबंध में प्रस्ताव-स्वीकृत संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक 391-392

श्री गुलाम नबी आजाद

राज्य सभा द्वारा यथापारित - सभा पटल पर रखा गया। 364

लोक सभा

बुधवार, 24 अगस्त, 1994/ 2 भाद्र 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

उर्वरकों का आयात/निर्यात

*421. **श्री छेदी + पासवान :**

श्री ए.अशोक राज :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का आयात तथा निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो आयात और निर्यात किए जा रहे उर्वरकों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इनका आयात किन-किन देशों से तथा निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है ; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई तथा इनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

[अनुवाद]

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और मूरीऐट आफ पोटाश (एमओपी) मुख्य उर्वरक हैं जिनका देश में आयात किया जाता है। आयात के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं : -

यूरिया	:	सीआईएस, सऊदी अरब, कतार, आबूधाबी, कुवैत, लिबिया, इंडोनेशिया, रोमानिया एवं बंगलादेश।
डीएपी	:	यूएसए, जार्डन, मैक्सिको एवं सीआईएस।
एमओपी	:	सीआईएस, जर्मन, जार्डन, कनाडा एवं इजरायल

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान आयातित उर्वरकों की कुल मात्रा और आयात पर विदेशी मुद्रा के निर्गमन (निजी खाते पर आयातों को छोड़कर) नीचे दिये गये हैं : -

(मात्रा लाख टनों में)

(विदेशी मुद्रा निर्गमन रुपये करोड़ों में)

वर्ष	यूरिया		डीएपी		एमओपी	
	मात्रा	सरकारी खाते पर विदेशी मुद्रा निर्गमन	मात्रा	सरकारी खाते पर विदेशी मुद्रा निर्गमन	मात्रा	सरकारी खाते पर विदेशी मुद्रा निर्गमन
1992-93	18.57	665.64	15.57	654.50	17.61	488.19
1993-94	28.40	930.63	15.69	-	14.28	166.57

सामान्यतः भारत रासायनिक उर्वरकों का निर्यात नहीं करता है। तथापि, थोड़ी सी मात्रायें भूटान, नेपाल और बंगलादेश को निर्यात की जाती हैं।

1992-93 और 1993-94 वर्षों के दौरान निर्यातित उर्वरकों की मात्राएं (भूटान, को भेजी गयी मात्रा से भिन्न) और अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है : -

वर्ष	निर्यातित मात्रा	किस देश को निर्यात किया गया	निर्यातित मात्रा (टनों में)	विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपये में)
1992-93	यूरिया	नेपाल	15,000	6.44
1993-94	एसएसपी	बंगलादेश	29,000	7.10

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां ज्यादातर लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर है। उर्वरक क्षेत्र सरकारी रवैये के कारण बड़ा उपेक्षित रहा है। प्लांटों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और प्लांटों के मेनटेनस के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी पैसे का दुरूपयोग होता रहा है। विभाग के तुगलकी मिजाज की वजह से हमें उर्वरक के क्षेत्र में खपत को पूरा करने हेतु आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उर्वरक के कारखाने बंद पड़े हुए हैं, इसका कारण यह है कि या तो फिर अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस दिशा में सरकारी न ही कोई दीर्घकालीन नीति है और न ही कोई निर्धारित लक्ष्य है।

अतः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो हमारे पास उर्वरक कारखाने हैं यदि उनकी पूरी निर्धारित उत्पादन क्षमता का उपयोग होता तो कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होती और जो हमारे देश में खाद की मांग है और उत्पादन है, इन दोनों के बीच में जो एक खाई बनी हुई है उसको दूर करने के लिए और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार के पास कौन सी योजना है ? इसी का खंड (ख) है कि जो विदेशों से उर्वरक के पदार्थों का आयात और निर्यात होता है। उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, मैं माननीय सदस्य तथा सदन के समक्ष सभी तथ्य रखना चाहता हूं। वर्ष 1950 अर्थात् लगभग स्वतंत्रता मिलने के समय से अब तक देश में उर्वरकों के उत्पादन हेतु स्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन सौ गुने से भी अधिक हो गया है। यह सबसे महत्त्वपूर्ण है।

दूसरे, माननीय सदस्य को स्थापित क्षमता के बारे में कुछ गलतफहमी है। मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, संयंत्रों की स्थापित क्षमता का लगभग 84 प्रतिशत तक का उपयोग हो रहा है। जहां तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है अर्थात् कृभको और इफको में, सौ प्रतिशत से भी अधिक का उपयोग हो रहा है। अर्थात् लगभग 108 प्रतिशत है।

जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, वहां भी यह सौ प्रतिशत से अधिक का उपयोग हो रहा है अर्थात् 104 प्रतिशत है। तो इस प्रकार स्थिति है। वे सभी उस समूह में हैं जिसके बारे में मैंने बताया है। मोटे तौर पर यही स्थिति है।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, कि इन सब उपलब्धियों के बावजूद हम आयात क्यों कर रहे हैं। इसका कारण पहले भी सदन में बताया जा चुका है। मैं इसे दुहराता हूं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पास उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मुख्यतः जहां तक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का संबंध हैं, हमारे पास अपेक्षित मात्रा में गैस नहीं है।

जहां तक फास्फेटयुक्त उर्वरक का संबंध हैं, हमारे पास खनिज फास्फेट नहीं है। हमारे पास यह केवल पांच प्रतिशत उपलब्ध है और वह भी बहुत घटिया किस्म का है। यह मुख्यतः राजस्थान तथा इस राज्य के आसपास है। जहां तक पोटाश का संबंध है, हमारे पास यह एक प्रतिशत भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात् स्थिति शून्य है, और यही वस्तुस्थिति है। यही कारण है कि हमारी नीति दोहरी है।

हमारी नीति दोहरी है। पहला विशेषकर यूरिया क्षेत्र में, संयंत्रों का आधुनिकीकरण उन्नयन एवं नए संयंत्रों की स्थापना करना, दूसरे मध्यपूर्व जैसे क्षेत्रों में, जहां गैस अधिक सस्ती है, वहां संयुक्त उपक्रम लगाना।

हम जोर्डन में निजी क्षेत्र में एक संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। हमें सेनेगल में संयुक्त क्षेत्र में एक संयंत्र लगाने का बहुत अच्छा अनुभव है। हमने हाल ही में ईरान एवं ओमान में समझौते ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया है। हम कतर तथा अन्य खाड़ी के देशों में और खाड़ी से बाहर के क्षेत्रों में भी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। यही हमारी नीति है, ये हमारी उपलब्धियां हैं और ये हमारी समस्याएं हैं।

|हिन्दी|

श्री छेदी पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से सॉयल की पोषक क्षमता घट रही है, यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ? बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जैसे गोरखपुर, बनारस में निजी और सहकारी उर्वरक प्लांट बन्द हैं या मरणासन्न हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

|अनुवाद|

श्री एडुआर्डो फैलीरो : माननीय सदस्य ठीक ही कहते हैं कि गोरखपुर संयंत्र तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर और भारतीय उर्वरक निगम के मामले में गंभीर समस्या है। जैसाकि हमने पहले कहा है, इसका कारण यह है कि ये अधिकांश संयंत्र बेमेल प्रोद्योगिकी आदि के कारण आरम्भ से ही कठिनाई में चल रहे हैं। हम विभिन्न स्रोतों से प्रोद्योगिकी प्राप्त कर रहे थे। वह अति उत्साह का जमाना था। हम अर्थव्यवस्था की सर्वोत्तम स्थिति को बनाये रखना चाहते थे। हम इस दिशा में आगे बढ़े और हमें काफी सफलता मिली ; परन्तु इस प्रक्रिया में अनुभव के अभाव में ये प्रारम्भिक कठिनाइयां भी पैदा हुई। ये कठिनाइयां अभी तक हमारे सामने हैं। अब हम बी.आई.एफ.आर. का थोड़े समय के लिये संपूर्ण पर्यवेक्षण कर रहे हैं। क्योंकि दोनों कम्पनियों के ये मामले बी.आई.एफ.आर. के समक्ष हैं। हम इन्हें पुनर्जीवित करने और कुछ करने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी होंगी - एक, आर्थिक सक्षमता और दूसरा, सामाजिक पहलू।

|हिन्दी|

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : जैसाकि माननीय राज्य मंत्री ने बतला

दिया है, मैं उसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं कि जो बी.आई.एफ.आर. में भेजे गए हैं . . . .

[अनुवाद]

11.07 म.पू.

इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ नारे सुनाई पड़े और दर्शक दीर्घा से एक दर्शक ने सभा में छलांग लगा दी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे जारी मत रखिए। कृपया बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही में व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव : अभी हाल के महीनों में हम लोगों ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। उसने बरौनी फैक्ट्री, बंगाल में दुर्गापुर की फैक्ट्री, असम की दो फैक्ट्रीज, इन चारों को देखा है। देखकर यह कहा है कि इन पर 270 करोड़ रुपये लगा दिये जायें तो ये कारखाने पुनः चालू हो सकते हैं और अच्छे ढंग से चलाये जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जब हम करोड़ों रुपया लोगों को बैठाकर मजदूरी को दे रहे हैं तो 270 करोड़ रुपये लगाना मुश्किल बात नहीं है। इस सम्बन्ध में हम सम्बन्धित विभागों जैसे वित्त विभाग से बात कर रहे हैं। हम इनको चलाने की दिशा की ओर कार्य कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : हमारे देश में खाद की कमी है। उसको पूरा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, यह मंत्रीजी ने बताया है। जब खाद की कमी है तो 44 हजार टन खाद हम निर्यात कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है ? और क्या प्रशासन इस निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा ताकि 44 हजार टन खाद यहां पर रह सके और जो कमी बन रही है, वह न हो,

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मात्रा के संदर्भ में यह निर्यात बहुत कम है और इसका उद्देश्य बहुत अच्छा अर्थात् अपने पड़ौसी देश, भूटान और नेपाल से बहुत अच्छे संबंध रखना है। अतः, यह एक अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया है। यह यूरिया के सम्बंध में है। हम कुछ एस.एस.पी. बंगलादेश को भी निर्यात कर रहे हैं। उपर्युक्त उल्लिखित कारण के अतिरिक्त इस निर्यात से कतिपय ऐसी इकाइयों को भी सहायता मिल रही है जो नियंत्रण समाप्त होने के पश्चात् कठिनाई में हैं क्योंकि वे अपनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं कर सकीं। इन निर्यातों से उन्हें अपनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने में सहायता मिल

रही है। संयोगवश, विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने इसके लिए कहा था और यह वास्तव में उनकी बड़ी बुद्धिमता है और हमने उनका सुझाव मान लिया है। एस.एस.पी. के निर्यात से निर्माण इकाइयों को सहायता मिल रही है और उस संदर्भ में, हमारी कार्रवाई आर्थिक दृष्टि से सही है और राजनैतिक दृष्टि से भी बहुत उचित है।

|हिन्दी|

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो तस्वीर हमें मुहैय्या की गई है, उसके अनुसार वर्ष 1992-93 और 1993-94 में क्रमशः 665 करोड़ रुपए और 930 करोड़ रुपए की यूरिया खाद आयात की गई और फिर 488 करोड़ रुपये एवं 166 करोड़ रुपए की गई। इस प्रकार करीब 1600 करोड़ रुपए की रकम होती है। माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इनके जितने भी कारखाने हैं, स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि हमारे देश को जितनी खाद की आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति हम अपने संसाधनों अथवा अपनी स्थापित क्षमता से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि गोरखपुर का खाद कारखाना पिछले चार साल से बंद है। हल्दिया का कारखाना अभी कमीशंड नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जितना धन और शक्ति हम बाहर से खाद मंगाने में खर्च कर रहे हैं, क्या उसी धन और शक्ति से हम अपने देश में खाद की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये प्रयास करेंगे ? सरकार द्वारा यह कहा गया है, कि बाहर से मंगाई गई खाद यहां पर पैदा होने वाली खादों से सस्ती पड़ती है, इसलिये उनकी बिक्री हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है तो मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या हम आयातित खाद पर रोक नहीं लगा सकते हैं ? इस दृष्टिकोण से हमारे उत्पादन की कास्ट है, उसको कम करने के सिलसिले में सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपने बड़ी कुशलता से इसका उत्तर उत्तर दिया था।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जब स्थापित क्षमता के मामले में अपनी उपलब्धियों के बारे में बोला था तो मैं सामान्य तौर पर बोल रहा था। अब दो अपवाद हैं अर्थात् एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई.। ये दो रुग्ण इकाइयां हैं और उनका क्षमता उपयोग औसतन 30 रु. प्रतिशत से अधिक नहीं है।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : माननीय महोदय, जैसाकि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, रसायन और उर्वरक का उत्पादन करने वाली कम्पनियां कठिनाई का सामना कर रही हैं। गत कुछ दशकों से हम खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स, सल्फेट्स आदि जैसे रासायनिक कीटनाशकों

और उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते रहे हैं। अपने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम आयातित उर्वरकों को रियायती दरों पर देते रहे हैं। अब तो यह एक पुरानी समस्या बन गई है। इस मद में व्यय में सदैव वृद्धि होती रही है। इन सब चीजों का आयात करने के लिए हमें राज सहायता के रूप में करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे किसानों को अधिक से अधिक जैव खाद का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर पूरे मामले पर पुनर्विचार करने और पुनर्गठन करने का विचार है। यह इसलिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रदूषण और अनेक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए, क्या मंत्रालय जैव खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किसी विस्तृत योजना पर विचार कर रही है ? मेरा सुझाव है कि इस प्रयोजनार्थ स्वदेशी इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाए। अब जैव खाद में पशु खाद भी शामिल है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, पहला मुद्दा यह है कि उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के अनेक कार्यक्रम हैं। सरकार की नीति इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की है। ये कार्यक्रम कृषि मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं।

तथापि, दूसरा मुद्दा यह है कि जैव उर्वरक वर्तमान परिस्थितियों में रासायनिक उर्वरकों के केवल सम्पूरक के रूप में हो सकता है। देश के आकार, उत्पादन और खपत की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए जैव उर्वरक इसका विकल्प नहीं बन सकता है, रासायनिक उर्वरकों का केवल सम्पूरक हो सकता है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, दिए गए उत्तर में डीएपी की राशि का कोई उल्लेख नहीं है। मात्रा तो बताई गई है परन्तु राशि नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में डी.ए.पी. की कुल स्थापित क्षमता क्या है और क्या भारतीय बाजार में विदेशी उर्वरकों के प्रवेश की अनुमति दिए जाने से डी ए पी का उत्पादन प्रभावित हुआ है ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या जिन डी ए पी इकाइयों को कारोबार पैकेज दिया गया है, सभी मामलों में स्वीकार कर लिया गया है और उसके अनुसार यदि विभिन्न डीएपी इकाइयों को पैकेज दिया जाता है तो कितनी क्षमता का उपयोग हो सकता है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, हमने उत्तर में जो आंकड़े दिए हैं वह सरकारी लेखे में हुआ व्यय है। अब, डीएपी से नियंत्रण हटाने के बाद सरकार इसका आयात नहीं कर रही है और निजी व्यापारी इसका आयात कर रहे हैं तथा इसका आयात करने वाले निजी व्यापारियों की संख्या की कोई सीमा नहीं हैं।

दूसरे, वाणिज्यिक लेनदेन में कोई भी व्यक्ति मूल्य नहीं बताता है क्योंकि इतने तरह की छूट, कटौतियां और सौदे होते हैं कि कोई भी मूल्यों की जानकारी नहीं देता। इसलिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जहाँ तक डी.ए.पी. के उत्पादन का प्रश्न है इसमें कुछ परेशानियां हैं और यह इसलिये उभरीं क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति ने उर्वरकों की कीमतों को विनियंत्रित करने की सिफारिश की थी। विनियंत्रण से उर्वरकों की कीमते बढ़ गई हैं। कीमतों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई उसके परिणामस्वरूप किसान एक खास किस्म के उर्वरक की उतनी मात्रा में खरीददारी नहीं कर पा रहे हैं जितने वे उस पर राजसहायता मिलने पर करते थे।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय . . . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। ऐसे और भी है, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। मंत्री महोदय आप इसका जवाब नहीं देंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, हालांकि आज़ादी के पश्चात उर्वरकों के उत्पादन तथा खपत दोनों में ही काफी वृद्धि हुई है, फिर भी भारत में प्रति हैक्टेयर खाद की खपत करीब-करीब सबसे कम है। भारत में यह 72 किलोग्राम है जबकि बांग्लादेश तथा चीन में क्रमशः लगभग 101 किलो तथा 202 किलो है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वर्तमान दर से हिसाब लगाया जाए तो क्या इस शताब्दी के अंत तक यानि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यूरिया का लगभग 8 मिलियन टन तक का अभाव रहेगा। इस मामले में स्थिति और भी बदतर होगी क्योंकि चाहे हम जितना भी ज्यादा धन लेकर बाजार में जायेंगे फिर भी इतनी यूरिया अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशेषज्ञों ने भावी स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया है ? खाद्यान्न के 240 मिलियन टन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी यह बहुत जरूरी है। इस लक्ष्य को इस शताब्दी के अन्त तक प्राप्त किया जाना है। इसको प्राप्त करने के लिये बड़े पैमाने पर कार्यवाही जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या सरकार ने कोई रूपरेखा तैयार की है जिससे यह अनुमान लगाना सम्भव हो कि नए संयंत्र की स्थापना करने से कितना उत्पादन हो पाएगा, कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा तथा इस चुनौती पूर्ण कार्य को सम्पन्न करने के लिए विद्यमान सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार से उत्पादन में कितनी वृद्धि हो सकती है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, उत्पादन तथा जरूरत के बीच जो अन्तर है उसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि दोनों में अन्तर अवश्य है और वह रहेगा ही। जैसाकि मैंने बताया है कि हमारी नीतियां दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पहला, वर्तमान कारखानों के उत्पादन स्तर को बढ़ाना तथा नए कारखाने स्थापित करना और दूसरा कच्चे माल की कमी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि कहीं और संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जाएं। हमारी नीति व्यापक है तथा हम इस पर कार्य कर रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इससे हमको काफी सफलता हासिल हुई है।

श्री एस.बी. सिदनाल : कुछ समय से इस्तेमाल किये गए उर्वरक उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं तथा

मिट्टी की उर्वरकता समाप्त कर रहे हैं। हालांकि, स्वदेशी उर्वरक काफी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सरकार गोबर गैस संयंत्रों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिये। एक बैलगाड़ी गोबर से सात बैलगाड़ी खाद का उत्पादन किया जा सकता है तथा जिसको लगातार तीन वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है जबकि कृत्रिम उर्वरक सिर्फ एक वर्ष इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम उर्वरक के दस वर्ष तक लगातार प्रयोग से भूमि अपनी उर्वरकता खो देती है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न श्रीमती अर्स द्वारा पहले ही पूछा जा चुका है।

श्री एस.बी. सिदनाल : महोदय, सरकार ने क्या उर्वरकों के लगातार प्रयोग के भूमि पर हो रहे प्रभावों की जाँच कराई है। सबसे पहली बार बायो-गैस संयंत्र मेरे जिले में ही लगाए गए थे तथा इससे काफी फायदा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई योजना है जिससे अतिरिक्त उत्पादन . . .

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न बायो-गैस से संबंधित है। मंत्री महोदय, इसका जवाब नहीं देंगे।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, कुछ फर्टिलाइजन ऐसे हैं जिनकी कमी के कारण हमें उनका इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ इनफोर्मेशन हमारे पास हैं जिस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चाहे वह निजी कारखाने हों या सरकारी कारखाने हों, जो इंपोर्ट करने की प्रक्रिया है उसमें मिडल एजेन्सी है।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई मिडिल एजेन्सी है जिसके द्वारा सरकार या निजी कारखाने उर्वरकों का आयात कर सकें।

[हिन्दी]

जो बीच वाली एजेन्सी है उसी के माध्यम से आयात किया जाता है या सरकार और निजी कारखाने वाले सीधे आयात करते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जहां तक यूरिया का प्रश्न है आयातित उर्वरक का केन्द्रीय अभिकरण के माध्यम से वितरण किया जाता था और यह कार्य वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एम.एम.टी.सी. द्वारा किया जाता है। जहां तक दूसरे उर्वरकों का सम्बंध है। उनका केन्द्रीय अभिकरण के माध्यम से अब वितरण नहीं किया जाता तथा उन पर से नियंत्रण भी हटा लिया गया है। जर्मनी तथा कनाडा से द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत केन्द्रीय अभिकरण द्वारा केवल पोटाश का ही बहुत थोड़ी मात्रा में आयात किया जाता है।

बायोगैस कार्यक्रम

***422. श्री जगमीत सिंह बरार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का बायो-गैस कार्यक्रम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अनुसंधान और विकास कार्य में किन्हीं वित्तीय अनियमितताओं का भी पता चला है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत, इसके शुरू करने के वर्ष 1981-82 से लेकर 31 मार्च, 1994 तक, लगभग 16.72 लाख पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों के निर्धारित कुल लक्ष्य की तुलना में देश में 19.88 लाख से अधिक पारिवारिक बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं।

(ग) बायोगैस कार्यक्रम के अनुसंधान एवं विकास कार्य में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं देखने में नहीं आई हैं। तथापि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने निम्नलिखित मामलों में वर्ष 1994 की अपनी रिपोर्ट सं. 6 के पैरा 7.1.1 में बायोगैस अनुसंधान एवं विकास पर चार टिप्पणियां की हैं : -

(1) पांच मामलों में अंतिम रिपोर्टों को प्रस्तुत न किया जाना।

(2) पांच मामलों में अंतिम रिपोर्टों का मूल्यांकन न करना।

(3) एक मामले में मंजूर किए गए आठ उपस्करों की तुलना में केवल तीन उपस्करों की खरीद ; और

(4) बायोगैस संयंत्रों के तीन नए मॉडलों के विकास पर फिजूलखर्ची।

(घ) उपरोक्त (ग) में की गई टीका-टिप्पणियों पर इस मंत्रालय की प्रतिक्रिया इस प्रकार है : -

(1) ऐसा मुख्यता प्रधान अन्वेषणकर्त्ता के सेवा निवृत हो जाने अथवा स्थानान्तरण हो जाने के कारण हुआ ; (2) ऐसा विशेषज्ञ समिति की बैठक समय सूची के अनुसार आयोजन न होने के कारण हुआ ; (3) संबंधित संस्था ने अब यह सूचित किया है कि-सात उपस्कर खरीदे गए और एक अन्य मंजूर

किये गये उपस्कर को धनराशि की कमी के कारण नहीं खरीदा जा सकता ; और (4) इस मंत्रालय ने इन तीन मॉडलों के मात्र फील्ड परीक्षण पर धनराशि खर्च की, न कि उनके विकास पर।

(ङ) इस मंत्रालय ने 31 मई, 1994 से एक नई अनुसंधान एवं विकास की कार्यनीति को अनुमोदित किया है जिसमें बायोगैस सहित अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक सख्ती से चुनी गई और लक्ष्य उन्मुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए सहायता और सभी परियोजनाओं की सख्ती से मानीटरिंग करने का प्रावधान है।

श्री जगमीत सिंह बरार : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक ने बायो-गैस और अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के बारे में चार टिप्पणियां की हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दूसरी टिप्पणी की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि ''पांच मामलों में अंतिम रिपोर्टों का मूल्यांकन न करना, '' उन्होंने इसका कारण भी बताया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित न होने के कारण ऐसा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि विशेषज्ञ समिति की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित न किये जाने का कारण क्या था ?

श्री एस.कृष्ण कुमार : महोदय, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के बाद सरकार ने कार्यवाही पूरी कर दी है, राज्य और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ समिति की बैठक आयोजित करने में जो विलम्ब हुआ था। आमतौर पर उतना विलम्ब हो ही जाता है उसके बाद समितियों की बैठकें आयोजित की गई हैं और परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है।

श्री जगमीत सिंह बरार : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि विगत 14 वर्षों में 19.88 लाख पारिवारिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि 31 मई 1994 से एक नई अनुसंधान और विकास नीति तथा लक्ष्योन्मुख अनुसंधान और विकास परियोजनायें प्रारम्भ किए गए हैं। देश की जनसंख्या 80 करोड़ से अधिक होने के कारण विगत 14 साल में लक्ष्य प्राप्ति काफी कम रही है अर्थात् मात्र 19.88 लाख पारिवारिक बायो-गैस संयंत्र स्थापित किये गए हैं।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बायो-गैस के अनुसंधान और विकास हेतु बड़े परिश्रम से तय की गई इस नई नीति से विगत तीन महीनों में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, यह मंत्रालय मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास प्रदर्शन सम्बंधी परियोजना का मंत्रालय ही है, हमने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है और उस समिति ने विभिन्न सिफारिशें की हैं। प्रयोजन यही है कि परिणामोन्मुखी अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित किया जाय और अनुसंधान में औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठनों और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित किया जाए। वर्ष 1981-82 से योजना आयोग

द्वारा बायो-गैस कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं। चूंकि यह राज सहायता के आधार पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है इसीलिए लक्ष्य भी राज सहायता के लिए प्राप्त धनराशि के अनुरूप सीमित हो जाते हैं। अनुसंधान और विकास को परिणामोन्मुंखी अनुसंधान परक बनाने पर साथ-साथ सरकार ने राज सहायता में भी 20 प्रतिशत की कमी है, पिछले वर्ष हमारा अनुभव यह रहा कि . . . . ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बड़ा सीधा-सा है कि विगत तीन महीनों के दौरान उपलब्धि क्या रही हैं।

श्री एस.कृष्ण कुमार : महोदय, विगत तीन महीनों के दौरान उपलब्धि कुल लक्ष्य का लगभग 80 प्रतिशत रही है। सामान्यतया साल के पहले तीन माह में लक्ष्य की प्राप्ति कम होती है किन्तु हम निरन्तर लक्ष्य को पार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आपने लक्ष्य से अधिक कार्य किया है, 16 लाख के लक्ष्य के स्थान पर 19 लाख बायोगैस संयंत्र लगाये है लेकिन क्या आपने कोई सर्वेक्षण भी कराया है कि वर्तमान समय में कितने बायोगैस संयंत्र कार्यरत हैं क्योंकि मेरी रिपोर्ट के अनुसार 71 प्रतिशत बायोगैस संयंत्र लगने के बाद कार्य नहीं करते और उसका कारण आपका विभाग आज तर्क तय नहीं कर पाया कि किस पद्धति का संयंत्र लगाकर उसे काम में लिया जाये। हमारे राजस्थान में पहले गाँव साइज के संयंत्र लगते थे लेकिन अब छोटे साइज के लगने लगे हैं। आपकी स्वयं की रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन बायोगैस संयंत्र के मॉडलों पर फिजूलखर्ची हुई है, पैसा व्यर्थ व्यय कर दिया गया है। इसलिये कृपा कर आप यह स्पष्ट बतायें कि क्या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण कराया गया था कि वर्तमान में कौन सा मॉडल सर्वश्रेष्ठ है और क्या सारे भरत में उसको ही एकमत के अनुसार चलाया जा रहा है ?

[अनुवाद]

श्री एस.कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य कुछ सीमा तक सही है कि राष्ट्रीय बायो-गैस विकास कार्यक्रम को प्रभावित करने वाली एक समस्या संयंत्र के एक हिस्से का कार्य न करना है। किंतु सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि यद्यपि यह एक केन्द्रीय सरकार की योजना है तथापि ग्राम, स्तर, सामुदायिक विकास खंड स्तर पर काम हो रहा है जिसे राज्य की प्रमुख एजेन्सियां सम्पन्न कर रहीं हैं। एक वर्ष में लगभग दो लाभ संयंत्र स्थापित किये गये हैं, एन.सी.ए.ई.आर. के अनुसार तीन वर्ष पूर्व 77 प्रतिशत संयंत्र कार्य कर रहे थे। पिछले डेढ़ वर्ष में हमने संयंत्रों के परिचालन में 10 प्रतिशत सुधार किया है।

यह भी प्रश्न का एक भाग है कि संयंत्रों के सात डिजाईन हैं, ये स्वीकृत डिजाईन है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित दीनबंधु फिक्सड डोम माडल है, दूसरा प्रचलित माडल जनता फिक्स्ड डोम मॉडल और तीसरा खादी ग्रामोद्योग निगम का संयंत्र है। उपभोक्ता या लाभ प्राप्त करने वाला अपनी पसंद का मॉडल चुन सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 423, डा. रामकृष्ण कुसमरिया।

(व्यवधान)

कृपया आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैंने पूछा था कि क्या सरकार की तरफ से कोई सर्वेक्षण कराया गया था कि वर्तमान में कितने संयंत्र चालू हैं क्योंकि आज गेहूं भरने के काम में उन्हें लाया जाता है . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या तरीका है कि जब आपके मन में आया, उठेंगे और जब चाहा बोलेंगे।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड

***423. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड (सी आई एल) को देयराशि की, की जा रही कटौती का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कदम से कोल इंडिया लिमिटेड के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) भारत सरकार ने 31.5.1990 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड सहित केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टर उपक्रमों को देय बकाया राशियां राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता में से 1990-91 से चार वार्षिक किस्तों में वसूल करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, कोयला मंत्रालय ने आगे बकाया राशियों की समस्या दूर करने के लिए 1 अक्तूबर, 1991 से भुगतान करो और ले जाओ" स्कीम (कैश एण्ड कैरी) शुरू की है।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड की आज जो हालत

है, वह बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। कोल इंडिया लिमिटेड पूरे भारत में ऊर्जा का एक बड़ा भारी स्रोत है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विभिन्न प्रदेशों में जो बिजली बोर्ड हैं, उन बिजली बोर्डों के ऊपर कितनी राशि भुगतान करने के लिए देय है, तथा केन्द्रीय योजना सहायता से जो वसूली की योजना बनाई गयी है उसमें अभी तक कितनी-कितनी राशि किन-किन प्रदेशों से वसूल की जा चुकी है।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, कुल बकाया राशि 1093.42 करोड़ रुपए थी जो 1990-91 से वर्ष-वार वसूल की गई और लगभग सारी राशि वसूल कर ली गई है। मेरे पास राज्यवार सूची नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बाद में सूची दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड को अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम को चलाने के लिए लगभग साढ़े 6 लाख तथा कर्मचारियों को प्रति प्रतिमाह वेतन का भुगतान करने के लिए 353 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कर्ज लेना पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कोल इंडिया लिमिटेड को अपना कार्य चलाने के लिए काफी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कोल इंडिया लिमिटेड को इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए, सरकार के द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, केवल वेतन का ही भुगतान नहीं किया जाना है परन्तु कोल इंडिया की बकाया राशि जो 1990-91 में 1000 करोड़ रुपए थी, 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार, बढ़कर 3216.39 करोड़ रुपए हो गई। जहां तक उठाए गए कदमों का सम्बंध है "भुगतान करो और ले जाओ योजना" (कैश एंड कैरी स्कीम) शुरू की गई थी परन्तु उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही। इसलिए उन्होंने ये बातें अग्रिम अदायगी के रूप में या बाद में राज्य विद्युत बोर्डों से आवधिक चर्चा करने के लिए शुरू की थी। मेरे विचार से वसूली की जाएगी।

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड का एक प्रस्ताव जिस पर सार्वजनिक सेवा परिषद द्वारा विचार किया गया था, यह था कि 105 प्रतिशत अग्रिम अदायगी पर कोल इंडिया लिमिटेड राज्य विद्युत बोर्डों और केन्द्रीय तथा राज्य विद्युत सेवाओं के माध्यम से कोयले की आपूर्ति कर सकेगा। परन्तु इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया।

दूसरा प्रस्ताव यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड को 70 प्रतिशत राशि का भुगतान अग्रिम धन के रूप में किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच एक प्रस्ताव है जिसके फलस्वरूप अनेक विद्युत स्टेशन बंद हो गए हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि कोयला मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की नियमित सप्लाई हो सके। और 70 प्रतिशत राशि के भुगतान का प्रस्ताव स्वीकार हो सके, क्योंकि 105 प्रतिशत के परिणामस्वरूप विद्युत सेवा के पास भार और गुणवत्ता के सम्बंध में किसी भी प्रकार की कटौती करने का कोई मौका या गुंजाइश नहीं रह जायेगी। इसलिए, इस मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, यह प्रश्न ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें एक साथ लाएंगे।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, उनमें समन्वय है परन्तु मुद्दा यह है कि माननीय सदस्य ने जो भी जानकारी मांगी है उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपना प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

*** 424 श्री एन. जे. राठवा :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **योजना और कार्यक्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से, आदिवासी क्षेत्रों में, राज्यवार अनुमानतः कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं ;

(ख) क्या उकने बनाए गए गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इनसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ;

(घ) सरकार द्वारा इन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए हैं ?

[अनुवाद]

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन के 1987-88 के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के राज्यवार नवीनतम अनुमान अनुबंध में दिए गए हैं। तथापि, देश के विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) चार प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं : (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), (2) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) ; (3) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) ; और (4) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई)। आई आर डी पी, जे आर वाई और ई ए एस ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं जबकि एन आर वाई शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इन सभी चार कार्यक्रमों में जनजातीय क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। गरीबी उन्मूलन के इन कार्यक्रमों की केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

(ग) आई आर डी पी के तहत 1980-81 से और 1993-94 तक कुल 447.78 लाख परिवारों को सहायता दी गई है। वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक जे आर वाई के तहत 4345.93 मिलियन मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है। 2.10.1993 को आरंभ की गई ई ए एस के तहत 31.3.1994 तक 49.17 मिलियन मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है। एन आर वाई की 3 उप-स्कीमें हैं ; (1) शहरी माइक्रो उद्यमों की स्कीम (एस यू एम ई) ; (2) शहरी दिहाड़ी रोजगार स्कीम (एस यू डब्ल्यू ई) ; और (3) आवास और बसेरा उन्नयन स्कीम (एस एच ए एस यू)। एस यू एम ई के तहत माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए 1990-91 से 31.7.1994 तक 5.89 लाख शहरी गरीबों को सहायता दी गई है। एस यू डब्ल्यू ई और एस एच एस यू के तहत कार्य के 499.91 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। बहरहाल, विशिष्ट रूप से जनजातीय क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या से संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) ऊपर उल्लिखित कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास कर रही है। असुरक्षित समूहों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आई आर डी पी एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। जिसके तहत 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को शामिल करना सुनिश्चित है। जे आर वाई जो एक दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम है के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वरीयता दी जाती है। जे आर वाई की दो उप स्कीमें हैं नामतः इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई) और मिलियन वैल स्कीम (एम डब्ल्यू एस) जिसके तहत निधियों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष निर्धारण किया गया है। ई ए एस भी एक दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम है, जो ग्रामीण गरीबों जिनको रोजगार की आवश्यकता है और इसकी तलाश में है, को कम कृषि के मौसम के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित

रोजगार उपलब्ध कराता है। ई ए एस देश के 1778 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें से 1075 ब्लॉक जनजातीय क्षेत्रों में है। एन आर वाई के तहत शहरी गरीबी को सहायता दी जाती है जिनमें से काफी संख्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।

अनुबंध

1987-88 के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (ग्रामीण और शहरी-मिश्रित) की संख्या का राज्यवार अनुमान (सरकारी तौर पर जारी अनुमान)।

क्र.सं.	राज्य	संख्या (लाख)
1.	आन्ध्र प्रदेश	195.7
2.	असम	52.9
3.	बिहार	336.4
4.	गुजरात	73.3
5.	हरियाणा	18.2
6.	हिमाचल प्रदेश	4.5
7.	जम्मू व कश्मीर	9.8
8.	कर्नाटक	136.5
9.	केरल	49.0
10.	मध्यप्रदेश	224.9
11.	महाराष्ट्र	214.1
12.	उड़ीसा	135.1
13.	पंजाब	13.9
14.	राजस्थान	99.5
15.	तमिलनाडु	176.9
16.	उत्तर प्रदेश	448.3
17.	पश्चिम बंगाल	173.5
18.	छोटे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	14.2
	अखिल भारत	2376.7

[हिन्दी]

श्री एन. जे राठवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के पहले खंड में पूछा है कि विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में अनुमानतः कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1980-81 से 1994 तक जिन परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाई गई है, उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं ?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में पूरे भारत के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने जनजातीय क्षेत्रों का खासतौर से कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे बाद में भेज सकते हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैंने जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के कुल प्रतिशत को दर्शाते हैं।

माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात पूछी है वह जनजातीय लोगों को मिलने वाले लाभ से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : सम्भव है आपके पास पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हों क्योंकि यह सम्पूर्ण देश से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री एन.जे. राठवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विशेषतः गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए स्थायी रूप से रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु उक्त क्षेत्रों में प्राथमिकता देकर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुछ उद्योगों की स्थापना का प्रयोजन है ?

(श्री गिरिधर गोमांगो) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बिलो पावर्टी लाइन के बारे में है। उद्योगपति बिलो पावर्टी लाइन को कवर करते हैं लेकिन यह इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अन्तर्गत आता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में राज्य सरकार ही निर्णय ले सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने यह जानकारी मांगी थी कि आदिवासी क्षेत्रों में

अनुमानतः कितने व्यक्ति रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। मंत्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया है। अभी आंकड़े दिए गए हैं कि 1980-81 से 1993-94 में 447.78 लाख परिवारों को सहायता दी गई है। इसी तरह से 1994 तक का जो आंकड़ा दिया गया है, वह बहुत पहले का है और ठीक नहीं है। आई.आर. डी.पी. और एन.आर.ई.पी. के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात होती है लेकिन इसमें काफी गोलमाल है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीबी रेखा के संबंध में कितने अन्तराल के बाद समीक्षा करवाई जाती है और अन्तिम समीक्षा में जो भ्रष्टाचार पाया जाता है, जो दोषी पाए जाते हैं, उनमें से आज तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है और . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे आंकड़े मंत्री के पास भी उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि यह योजना राज्य सरकारों द्वारा ही लागू की जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : तो मैं यही आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो आंकड़ा हर राज्य में इस योजना से लाभान्वित लोगों का मांगा गया है, इसकी सूची हमको कब तक देंगे ?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : वर्ष 1987-88 के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 29.9 प्रतिशत थी। वर्ष 1983 में यह 37.4 प्रतिशत थी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनजातीय लोगों की कुल प्रतिशतता 49.9 थी। ये आंकड़े एन.एस.ओ. द्वारा तैयार किए गये हैं। मेरे पास राज्यवार आंकड़े नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूंगा कि यह गरीबी की रेखा से नीचे का और वह भी आदिवासियों का मामला है और इस प्रश्न का जवाब इतने हल्के ढंग से दिया जा रहा है कि कभी-कभी हम लोगों को आश्चर्य लगता है . . .

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, इसके लिए टाइम नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : इस प्रश्न के दो भाग हैं। एक प्रश्न में पूछा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, जिसका सरकार ने जवाब ही नहीं दिया है। दूसरा यह है कि ऐट प्रेजेण्ट कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं तो उसमें 1987-88 का आंकड़ा दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपने नियम 32 से लेकर 54 तक मैम्बर्स के प्रश्न पूछने के लिए तो कोड

आफ कण्डक्ट रखा है लेकिन मंत्री को जवाब देने के लिए कोई कोड आफ कण्डक्ट नहीं है। कहीं नहीं है, तो मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा का मतलब क्या है, कितनी मासिक आय पर आप गरीबी की रेखा तय करते हैं ? दूसरा, क्या जिन लोगों को लाभान्वित किया गया है, उनको सरकार यह मानकर चलती है कि वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गये हैं या गरीबी की रेखा से ऊपर उठना और लाभान्वित होना, यह दोनों ही चीजें हैं ?

श्री गिरिधर गोमांगो : अध्यक्ष जी, मैंने तो पहले जवाब दिया कि . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह उठता है कि गरीबी रेखा तय करने के लिए मानदंड क्या हैं ?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : हम लोगों द्वारा अपनाये गए मानदंडों के अनुसार प्रतिवर्ष 11,000 रुपये से कम आय अर्जित करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता है। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ सभी योजनाओं के लिए हमने यह मानदंड अपनाया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि मानदंड क्या है।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं मानदंड का उल्लेख कर चुका हूं। इसके साथ-साथ . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उसे छोड़ें। प्रश्न यह नहीं है। हमने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरा एक मिनट रुकिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया इसे गंभीरता से लें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, एक तो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 11,000 रुपये सालाना इन्कम का क्राइटीरिया है, जो मैं समझता हूं। दूसरी चीज मैंने पूछी थी कि लाभान्वित होना और गरीबी की रेखा से ऊपर उठना दोनों एक ही चीजें है या नहीं। इन्होंने जवाब दिया है कि कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं तो क्या जो परिवार लाभान्वित हुए हैं, वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है।

श्री गिरिधर गोमांगो : समय-समय पर हम न केवल सहायता कर रहे हैं, अपितु हम पुनरीक्षण भी कर रहे हैं। हम योजनाओं का पुनरीक्षण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ परिवारों को सहायता प्रदान की है। क्या वे गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं ?

श्री गिरिधर गोमांगो : हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है तथा हम उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कहीं हम यह पाते हैं कि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए पुनः सहायता देने की आवश्यकता है, वहां हम इसकी पुनरीक्षा करते हैं। इसमें पुनरीक्षण का प्रावधान है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि ट्राइबल ऐरिया में चार प्रमुख गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं एकीकृत ग्रामीण योजना, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना एवं आई.आर.डी.जी. योजना। ऐसी कई योजनाएं हैं जो 1980 से चल रही हैं। इन्होंने जो फीगर दिया है उससे ऐसा लगता है कि इस फीगर से हमारा जो आदिवासी, ट्राइबल एरिया है उनकी गरीबी दूर हो गई। इतना रुपया खर्च करने के बाद जब हम गांवों में देखते हैं तो हमें दूसरा ही पहलू नजर आता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने इन योजनाओं के बारे में कोई इवेल्यूएशन कराया ? जैसे पासवान जी ने कहा कि आपने एक बार उनको एक डोस दे दिया तो क्या वे गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। इस तरह की योजनाओं से कितना लाभ हुआ ? हमारे देश में जो बातें आई हैं कि उनको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना उनको नहीं मिला वह दूसरे लोगों की जेब में चला गया। . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उनको समझ में आ गया है। आपका कहना यही है कि इवेल्यूएशन किया है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : हम न केवल आई.टी.डी.पी. और आई.आर.डी.पी. योजनाओं के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय से धन दे रहे हैं, अपितु ग्रामीण विकास विभाग की भी योजनाएं हैं। ये सभी योजनायें आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं तथा आदिवासी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही इन सभी योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि 49.9 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे है। चूंकि आदिवासी क्षेत्रों में निर्धनता सबसे अधिक है, हमने हाल ही में कुछ योजनाएं प्रारम्भ की हैं जिनमें अनन्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों पर ही जोर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुल 78 समुदायों में से 1075 समुदाय आदिवासी क्षेत्रों में हैं। इस प्रकार सरकार आदिवासी क्षेत्रों पर जोर दे रही है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए धन जारी करने के पश्चात् हम इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि धन किस प्रकार खर्च किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहार वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस बात का हिसाब रखती है कि कितने लोग, कितने परिवार गरीबी की रेखा के ऊपर चले गए ? क्या सरकार इस बात का भी हिसाब रखती है कि कितने परिवार, कितने लोग इस बीच में गरीबी की रेखा के नीचे चले गए ? अगर परिवार में बेरोजगारी है और अन्य किन्हीं कारणों से परिवार की स्थिति खराब है तो वे गरीबी की रेखा से नीचे जाते हैं। पिछले तीन साल में कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे गए हैं, क्या इसका हिसाब सरकार के पास है ?

[अनुवाद]

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं वर्ष 1991 से 1994 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता के वर्ष-वार आंकड़े दे सकता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करूँगा।

श्री गिरिधर गोमांगो : गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पता, इसका गहन अध्ययन अथवा विशिष्ट मूल्यांकन करने के बाद ही लग सकता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया इसे थोड़ी गंभीरता से लें। मुख्य प्रश्न यह नहीं है। कि क्या आपने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि कितने लोग निर्धनता की रेखा से नीचे हैं तथा क्या आपने उन्हें निर्धनता की रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया है अपितु यह है कि कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से ऊपर थे परन्तु अब गरीबी की रेखा से नीचे आ गए हैं ? क्या आपके पास इसके बारे में आंकड़े हैं ?

श्री गिरिधर गोमांगो : मैंने उन परिवारों की कुल संख्या बताई है जो निर्धनता की रेखा से नीचे हैं। उन परिवारों की सही संख्या, जो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, का पता इसके गहन अध्ययन के उपरान्त ही लग सकता है। मैं सही संख्या का पता करके माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि उनके पास इस समय यह सूचना नहीं है।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं परिवारों को दी गयी सहायता के आंकड़े दे सकता हूँ।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : मैं सरकार का ध्यान कतिपय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के भ्रष्टाचार की संभावना की ओर दिलाना चाहता हूँ। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत दो योजनाएं हैं - इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुएं खोदने की योजना।

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में कानिगिरी क्षेत्र में 100 गांवों में लाखों कुएं खोदने की मंजूरी दी गई थी। जब इस बात की जांच प्रारम्भ की गई यह कार्य क्यों क्रियान्वित नहीं हो पाया है तो पाया गया

कि इसमें राजनीतिज्ञ एवं अधिकारी दोनों ही लिप्त हैं। राज्य सरकार ने उन अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

क्या सरकार के पास ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसमें वे ऐसी बातों की पुनर्समीक्षा की जा सके तथा लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके ताकि केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए धन का उचित उपयोग हो सके।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं माननीय सदस्य को इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर सूचित कर दूंगा।

[हिन्दी]

उर्वरकों की उत्पादन लागत

*425. **श्री नीतीश कुमार :**

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 की तुलना में 1993-94 के दौरान उर्वरकों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज सहायता दिये जाने के बावजूद भारी संख्या में उर्वरक उत्पाद एकक रुग्ण होते जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) उर्वरकों के उत्पादन की लागत संयंत्र दर संयंत्र प्रयोग किए गये फीडस्टाक, संयंत्र के स्वास्थ्य तथा पुरानेपन, क्षमता उपयोगिता ऊर्जा खपत आदि के आधार पर अलग-अलग होती है। मात्र यूरिया के मामले में उत्पादन लागत (जैसा कि भारत औसत प्रतिधारण मूल्य से स्पष्ट है) मुख्यतः

निवेशों और नये एककों की उच्चतर पूंजी लागत के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण 1991-92 में 4140 रुपये प्रतिटन से 1993-94 में 4888 रुपये प्रति टन बढ़ी।

(ग) और (घ) यूरिया का उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. को औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्निर्माण बोर्ड ने रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया है। ये कम्पनियां मुख्य रूप से इसलिए रुग्ण हो गई हैं क्योंकि उनके एककों में यूरिया की उत्पादन लागत सरकार द्वारा निर्धारित उनके प्रतिधारण मूल्य की तुलना में अधिक है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय जो मैंने सवाल पूछा था उसको आप गौर से देखें, मंत्री जी ने उसका आश्चर्यजनक उत्तर दिया है। मैंने यह पूछा था कि क्या उर्वरकों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। उसका जवाब है कि सिर्फ यूरिया का कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ा है और फास्फेटिक तथा पोटेसिक फर्टिलाईजर का कास्ट आफ प्रोडक्शन का जिक्र नहीं है। वह कितना इंडीजिनस यूनिट्स में घटा है, यह हम जानना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

मेरा प्रश्न है कि क्या उर्वरकों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : प्रश्न का उत्तर ठीक है क्योंकि प्रश्नकर्त्ता ने वर्ष 1993-94 की स्थिति जानना चाही थी। सिर्फ यूरिया कारखानों की उत्पादन लागत में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ोत्तरी हुई है।

जहां तक डी.ए.पी. तथा फास्फेटिक उर्वरकों का प्रश्न है इनकी उत्पादन लागत में कमी आई है क्योंकि आयातित कच्चे माल की उस वर्ष विशेष में कीमत कम हुई है। तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि अप्रैल, 1994 से आज तक इनकी कीमतें फिर बढ़ती रही हैं तथा फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के आयात की लागत भी बढ़ गई है। इस क्षेत्र विशेष में कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है। जबकि हम पोटाश का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, असली चीज सामने आ गई है। अभी इन्होंने 1994-95 की स्थिति बता दी है। इस स्थिति में पोटेसिक और फास्फेटिक फर्टिलाइजर का कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका रा-मैटीरियल बाहर से आता है जो मंत्री जी ने स्वीकार किया है। पिछले साल हजार रुपया प्रति टन फर्टिलाजर पर सबसिडी दी जा रही थी, उस सबसिडी को समाप्त कर दिया गया है। अब कास्ट

आफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और सरकार द्वारा इसको बढ़ाने का एलान नहीं हुआ है। पिछले प्रश्न के उत्तर में सदस्यों ने चिंता जाहिर की है कि पोटेसिक और फास्फेटिक फर्टिलाइजर की कमी और उसका दाम बढ़ना और सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल इसके चलते हो रहा है। नाईट्रोजन्स, फास्फेटिक और पोटेसिक फर्टिलाइजर का रेश्यो 4-2-1 का होना चाहिए था, वह आज हमारे देश में 15-4-1 का रेश्यो है। यह भयानक स्थिति है। इससे पूरी मिट्टी खराब हो जाएगी और उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि बढ़ते हुए कास्ट आफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर सबसिडी बढ़ाने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

|अनुवाद|

श्री एडुआर्डो फैलीरो : फास्फेटिक उर्वरकों पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1000 रुपये की राज सहायता दी जा रही है।

स्वदेशी उद्योगों को फास्फोरिक एसिड तथा पूंजीगत सामान दोनों के आयात पर माल भाड़ा राजसहायता तथा सीमा शुल्क में छूट के रुपये तथा अन्य कई प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। यहाँ माननीय सदस्य महोदय विशेष राज सहायता वापसी के बारे में कह रहे थे उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि इस समय ऐसा कुछ नहीं है बल्कि यह विशेष राज सहायता जारी है।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य महोदय ने उर्वरकों के इस्तेमाल में असंतुलन पर चिंता व्यक्त की है। उनकी चिन्ता उचित है। उनकी बात पर ध्यान दिया जायेगा। इसका उत्पादन लागत से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध फास्फेट उर्वरकों के विनियंत्रण से है जिसकी सिफारिश संयुक्त संसदीय समिति ने की थी तथा जिसकी वजह से फास्फेटिक उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई है। हमें इन सब स्थितियों का सामना करना होता है। हमने किसानों को शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम बनाये हैं ताकि उनको पूरा लाभ हो सके। इसके लिए खरीद मूल्य तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा खर्च को संतुलित करने के लिए कदम उठाये गये हैं जिससे किसानों की मदद ही होगी और उनके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

|हिन्दी|

डा. महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरा 'ग' प्रश्न यह था कि क्या सरकार द्वारा राज सहायता दिये जाने के बावजूद भारी संख्या में उर्वरक उत्पादन एकक रुग्ण होते जा रहे हैं ? मंत्री जी ने जवाब दिया है कि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. रुग्ण पड़े हुए हैं। उन्होंने इसका कारण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस शर्त पर सरकार यूरिया चाहती थी ये उससे अधिक लागत में पैदा करते थे। इसलिए इसको बंद कर दिया है। मंत्री जी ने जवाब देकर इसे भुलावे में डालने का काम

किया है। मंत्री जी कृपया बतायें कि 1992-93 और 1993-94 में राज सहायता कितनी प्रस्तावित थी, कितनी देना चाहते थे। और इन दो वर्षों में कितनी राज सहायता दी गई है ? इसके साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपर्याप्त थी, यदि हां तो उसे पूरा करने के लिए क्या किया ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, प्रश्न प्रस्तावित सहायता के बारे में हैं और मेरे विचार से यह यहाँ प्रासंगिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी तरह से उत्तर दे सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सरकार लगभग 5,000 रुपये की राज सहायता दे रही है जो सबसे ज्यादा है। उर्वरकों पर खाद्यान्न के मुकाबले ज्यादा राज सहायता दी जा रही है। विश्व में कोई भी अन्य देश उर्वरकों पर इतनी अधिक राज सहायता नहीं देता है। इसके कई कारण हैं।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : महोदय, कुछ समय पहले हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के अधीन आसाम में नामरूप फर्टिलाइजर इकाई को रुग्ण माना जाता था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है और क्या सरकार का इसे बंद करने का विचार तथा क्या सरकार इस सूरत में वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सामान्य से विशिष्ट पर आ रहे हैं। अगर आपके पास जानकारी हो तो उपलब्ध करायें वर्ना उन्हें बाद में भेज दें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं उन्हें जानकारी दे दूंगा।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, कारखानों में उप-उत्पादों के समुचित प्रयोग द्वारा उर्वरक कारखानों की उत्पादन लागत में कमी लाई जा सकती है। मै विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि उर्वरक कारखानों के पास काफी मात्रा में ऐसे उप-उत्पादों का भण्डार होता है जिनका समुचित प्रयोग किया जा सकता है। केरल के फर्टीलाइजर और केमिकल्स लिमिटेड के कारखाने में जिप्सम उप-उत्पाद के बड़े-बड़े ढेर लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उर्वरक कारखानों के के उप-उत्पादों के समुचित प्रयोग हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम बनाने जा रही है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम माननीय सदस्य महोदय के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, उर्वरकों के उत्पादन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी काफी महत्वपूर्ण होती है। दूसरे सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 'कोयला' प्रौद्योगिकी काफी पुरानी है। यह भी बताया गया है कि चीन तथा जापान में कोयला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी कार्य किया जा रहा है। जबकि भारत

में कहा जा रहा है कि यह प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है। इसके मद्देनजर उन्होंने पहले ही रामागुंडम तथा तलचोर उर्वरक इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस प्रोद्योगिकी के मामले में, जो कि सस्ती है, पुनः विचार करेंगे ? पूरा विश्व कोयला प्रोद्योगिकी को प्रयोग करने की तरफ बढ़ रहा है जबकि भारत में इसको पुरानी तथा बेकार प्रोद्योगिकी कहकर उसे बन्द किया जा रहा है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय नहीं। मैं सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि उनकी जानकारी ठीक नहीं है। 'कोल' प्रोद्योगिकी सर्वश्रेष्ठ नहीं है चाहे वह गैस के रूप में हो या किसी और रूप में हो। मूल बात है कि देश में उस क्षेत्र में उपलब्ध 'कोल' की गुणवत्ता बिल्कुल भी लागत-प्रभावी नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : माननीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य के बारे में क्या कहना है कि प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हां, यह ठीक है। विश्व में सिर्फ एक या दो ऐसे कारखाने हैं। चीन के अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा है, लेकिन यह धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा विशेषतः, देश में उपलब्ध 'कोयला' परतदार किस्म तथा अलग तरह का है तथा इसके इस्तेमाल के लिये कोई भी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार

***426. श्री गुमान मल लोढा :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपने विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ;

(ख) अब तक राज्यवार रोजगार के कितने अवसर पैदा किये गये हैं ; और

(ग) इन योजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन का निर्धारित लक्ष्य 13.02 लाख व्यक्ति है। राज्यवार ब्यौरे वार्षिक रूप से कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ बजट चर्चा के समय तैयार किये जाते हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान सृजित रोजगार इस प्रकार था : -

वर्ष	लाख व्यक्ति
1992-93	2.77
1993-94	3.00
(अनंतिम)	

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए समेकित आधार पर राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) सरकार ने के.वी.आई.सी. को इसके क्षेत्राधिकार के अधीन भिन्न भिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित राशि जारी की थी :

वर्ष	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)
1992	193
1993-94	208
1994-95 (बजट अनुमान)	214

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योगों में राज्यवार रोजगार

(लाख व्यक्ति)

क्र.सं.	राज्य	रोजगार 1992-93	रोजगार 1993-94
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5.34	3.57
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-

1	2	3	4
3.	असम	1.02	1.08
4.	बिहार	3.59	3.70
5.	गोआ	0.05	0.07
6.	गुजरात	0.91	0.93
7.	हरियाणा	0.84	0.87
8.	हिमाचल प्रदेश	0.60	0.64
9.	जम्मू और कश्मीर	0.82	0.84
10.	कर्नाटक	1.74	1.82
11.	केरल	1.98	2.11
12.	मध्यप्रदेश	0.92	0.97
13.	महाराष्ट्र	4.62	4.98
14.	मणिपुर	0.38	0.40
15.	मेघालय	0.10	0.12
16.	मिजोरम	0.06	0.08
17.	नागालैंड	0.05	0.07
18.	उड़ीसा	1.63	1.75
19.	पंजाब	1.53	1.59
20.	राजस्थान	3.91	4.09
21.	सिक्किम	0.06	0.08
22.	तमिलनाडु	9.98	10.68
23.	त्रिपुरा	0.41	0.44
24.	उत्तर प्रदेश	10.73	11.15
25.	पश्चिम बंगाल	2.95	3.13
	कुल	52.22	55.20

1	2	3	4
	2. संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-
2.	चंडीगढ़	0.01	0.03
3.	दादर और नगर हवेली	-	-
4.	दिल्ली	0.18	0.21
5.	दमन और दीव	-	-
6.	लक्ष्यद्वीप	-	-
7.	पांडिचेरी	0.04	0.06
		0.23	0.30
	राज्यों और संघशासित क्षेत्रों का कुल योग	52.50*	55.50*

* गोबर गैस के संबंध में राज्य सरकार के अधीन 0.05 शामिल हैं।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

***427. श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में विद्युत के उत्पादन में भारी कमी पाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या समय विद्युत उत्पादन के भी निर्धारित योजना-लक्ष्यों से कम रहने की सम्भावना है ;

(घ) यदि हां, तो यह कमी कितनी होगी ; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/ किए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग में आठवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधिक मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है। आठवीं

पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष में ऊर्जा उत्पादन और योजना लक्ष्यों में संभावित कमी का, यदि कोई हो तो पता, कार्य पूरा हो जाने के बाद ही चलेगा।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योग विकास संगठन

*** 428. डा. मुमताज अंसारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा अपने विभिन्न नेटवर्कों के माध्यम से विभिन्न लघु एककों को क्या सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप लघु एककों को मिले लाभों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा अब तक स्थापित किये गये सब-कन्ट्रक्टिंग एक्सचेंजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन सब-कन्ट्रक्टिंग एक्सचेंजों के प्रमुख कार्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) एक शीर्ष निकाय है जो नीतियां बनाने और लघु उद्योगों और इनके सतत् विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तर पर संस्थागत कार्यकलापों का समन्वय करने से संबंधित हैं।

सीडो 28 लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस आई एस आई) 30 शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थानों, 4 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों (आर टी सी), 13 फील्ड परीक्षण केन्द्रों (एफ टी एस), 2 केन्द्रीय फुटवियर परीक्षण केन्द्रों (सी एफ टी सी), 3 विस्तार केन्द्रों, 2 उत्पादन केन्द्रों और एक लघु उद्यमी संवर्धन तथा प्रशिक्षण संस्थान के नेटवर्क के माध्यम से लघु क्षेत्र को व्यापक किस्म की विस्तार सेवाएं भी उपलब्ध कराता है जिनमें तकनीकी-आर्थिक प्रबन्धकीय पक्षों में परामर्श, ई डी पी (उद्यमिता विकास कार्यक्रम) सहित प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, परीक्षण तथा टूलिंग जैसी सामान्य सुविधा सेवाओं, विपणन सहायता इत्यादि शामिल है। सीडो के अधीन औजार कक्ष तथा उत्पाद और प्रक्रिया विकास केन्द्र (पीपीडीसी), राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएसआईईटी), राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआई ई एस बी यू डी), कांच उद्योग सुधार केन्द्र (सी आई जी आई), और वैद्युत मापन औजार डिजाइन संस्थान (आई डी ई एम आई) जैसी विशिष्ट संस्थाएं भी है जो लघु उद्योगों को विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण, परामर्श तथा तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। सीडो प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और इसकी निगरानी भी करता है।

(ख) 1993-94 के दौरान सीडो की सेवाओं से लघु एककों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त लाभों के विस्तृत ब्यौरे निम्न प्रकार है : -

(1) सीडो के क्षेत्रीय केन्द्रों अर्थात् एस आई एस/शाखा एस आई एस आई ने 4/6 सप्ताह की अवधि के 70 ई डी पी, एक सप्ताह की अवधि के 168 ई डी पी और 121 प्रबन्ध विकास कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें कुल 10036 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था। इन क्षेत्रीय केन्द्रों ने लघु औद्योगिक एककों के 1646 श्रमिकों के लिए विभिन्न तकनीकी विषयों में 208 कौशल उन्यन कार्यक्रम भी आयोजित किये। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण - I में दिये गये हैं।

(2) एस आई एस आई/शाखा एस आई एस आई की सामान्य सुविधा कार्यशाला ने 12083 कार्य किये जिनसे 6859 लघु एककों को लाभ पहुंचा। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(3) 71070 मौजूदा तथा नये उद्यमियों को तकनीकी, आर्थिक और प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

(ग) सीडो ने प्रमुख लघु उद्योग सेवा संस्थानों में 16 उप ठेका केन्द्र स्थापित किये हैं। ये केन्द्र कानपुर (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल गुवाहाटी) (असम), श्री नगर (जम्मू एंड कश्मीर), लुधियाना (पंजाब), जयपुर (राजस्थान), बम्बई (महाराष्ट्र), इन्दौर (मध्य प्रदेश), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) बंगलौर (कर्नाटक), दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र) और हरियाणा, अहमदाबाद (गुजरात), त्रिचुर (केरल), मद्रास (तमिलनाडु) और कटक (उड़ीसा) में हैं।

(घ) उप ठेका केन्द्रों के कार्य इस प्रकार हैं : -

(1) विभिन्न मशीनों पर लघु औद्योगिक एककों की अतिरिक्त क्षमता को पंजीकृत करना।

(2) ऐसे उप ठेका क्षेत्रों का चयन करने के उद्देश्य से बड़े एककों से संपर्क करना जिन्हें लघु औद्योगिक एककों को दिया जा सके।

(3) बड़े उपक्रमों द्वारा अपेक्षित मदों की विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया के लिए नई क्षमता का सृजन करने हेतु लघु औद्योगिक एककों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

(4) लघु एककों को ऐसी कंपनियों के बारे में सूचना देना जिनसे क्रय आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं।

इन केन्द्रों में मौजूदा उप ठेकेदारों से संबंधित सूचना रखी जाती है और मांग किए जाने पर तत्काल भेज दी जाती है।

विवरण - I

क्रम सं.	लघु उद्योग सेवा संस्थान का स्थापना स्थल	राज्य	उद्यमिता विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रमों की संख्या	उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रबन्ध विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रमों की संख्या	कौशल विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित परिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	14	337	10	15
2.	गुवाहाटी	असम	25	601	3	26
3.	इंफाल	मणिपुर	5	110	1	14
4.	अगरतल्ला	त्रिपुरा	2	83	1	-
5.	पटना	बिहार	11	308	4	22
6.	मुजफ्फरपुर	बिहार	8	220	6	20
7.	रांची	बिहार	6	190	5	49
8.	अहमदाबाद	गुजरात	5	120	-	-
9.	करनाल	हरियाणा	12	336	1	7
10.	सोलन	हिमाचल प्रदेश	7	218	-	26
11.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	1	-	4	17
12.	बंगलौर	कर्नाटक	7	113	6	438
13.	हुबली	कर्नाटक	5	160	1	23
14.	त्रिचूर	केरल	14	316	6	47
15.	इन्दौर	मध्य प्रदेश	4	147	2	47
16.	बम्बई	महाराष्ट्र	7	183	7	60
17.	नागपुर	महाराष्ट्र	3	91	-	12

1	2	3	4	5	6	7
18.	कटक	उड़ीसा	7	208	7	77
19.	लुधियाना	पंजाब	14	404	2	18
20.	जयपुर	राजस्थान	18	582	7	14
21.	गंगटोक	सिक्किम	1	10	1	-
22.	मद्रास	तमिलनाडु	22	815	20	463
23.	आगरा	उत्तर प्रदेश	6	281	-	52
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	6	275	4	43
25.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	8	287	10	30
26.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	8	175	11	31
27.	गोवा	गोवा	3	60	-	10
28.	नई दिल्ली	दिल्ली	4	213	9	85
29.	आर टी सी नई दिल्ली	दिल्ली	2	20		
30.	आर टी सी कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2	24		
31.	आर टी सी मद्रास	तमिलनाडु	1	12		
32.	पी सी ईट्टमनूर	केरल	3	71		

विवरण - II

क्रम सं.	राज्य का नाम	किए गए कार्यों की संख्या	लाभांवित एककों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	110	98
2.	असम	1539	360

1	2	3	4
3.	बिहार	600	322
4.	दिल्ली	378	275
5.	गोवा दमन और दीव	244	74
6.	दादर और नगर हवेली	40	51
7.	हरियाणा	214	50
8.	जम्मू और कश्मीर	211	173
9.	कर्नाटक	990	1030
10.	केरल	265	180
11.	मध्य प्रदेश	890	742
12.	महाराष्ट्र	2269	643
13.	मणिपुर	59	45
14.	नागालैण्ड	165	42
15.	उड़ीसा	505	386
16.	पंजाब	429	290
17.	राजस्थान	308	250
18.	तमिलनाडु	937	642
19.	उत्तर प्रदेश	899	528
20.	पश्चिम बंगाल	1031	678

विवरण - II

क्र.सं.	लघु उद्योग सेवा संस्थान का नाम	राज्य	लघु एककों को दी गई तकनीकी सहायता
1	2	3	4
1.	अगरतला	त्रिपुरा	782

1	2	3	4
2.	आगरा	उत्तर प्रदेश	3585
3.	अहमदाबाद	गुजरात	3789
4.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1327
5.	बंगलोर	कर्नाटक	1916
6.	बंबई	महाराष्ट्र	3532
7.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	2760
8.	कटक	उड़ीसा	2581
9.	दिल्ली	दिल्ली	1209
10.	गंगटोक	सिक्किम	155
11.	गोआ	गोआ	140
12.	गुवाहाटी	असम	2586
13.	हुबली	कर्नाटक	3050
14.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	3003
15.	इम्फाल	मणिपुर	40
16.	इंदौर	मध्य प्रदेश	4290
17.	जयपुर	राजस्थान	4682
18.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	8540
19.	करनाल	हरियाणा	2800
20.	लुधियाना	पंजाब	6479
21.	मद्रास	तमिलनाडु	9167
22.	मुजफ्फरपुर	बिहार	2439
23.	नागपुर	महाराष्ट्र	438
24.	पटना	बिहार	1064
25.	रांची	बिहार	54

1	2	3	4
26.	सोलन	हिमाचल प्रदेश	478
27.	त्रिचूर	केरल	143
28.	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	43
			71070

[हिन्दी]

उर्वरक उद्योग

***429. श्री काशी राम राणा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग में निवेश में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उर्वरक उद्योग में कितना निवेश किया गया ;

(ग) क्या सरकार इस बारे में कोई नई दीर्घकालीन नीति बनाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में चालू किए गए मुख्य उर्वरक एककों में निवेश क्रमशः लगभग 280 करोड़ रुपये, 1522 करोड़ रुपये तथा 1027 करोड़ रु. था।

इस समय, लगभग 5500 करोड़ रु. की अनुमानित निवेश पर छः मुख्य परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) और (घ) सरकार नए संयंत्रों की स्थापना, वर्तमान एककों के विस्तार/आधुनिकीकरण के माध्यम से तथा प्रचुर तथा सस्ते कच्चे माल वाले अन्य देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से उर्वरक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दीर्घकालीन की पैरवी कर रही है।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास

***430. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में आन्तरिक अनुसंधान और विकास के लिए कोई प्रोत्साहन दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में इस कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अनुसंधान और विकास कार्य पर गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कितने प्रतिशत भाग खर्च किया जा रहा है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को उद्योग में घरेलू अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और सहायता के साधन मुहैया करा रही है। वर्तमानतः उपलब्ध प्रोत्साहनों और सहायता साधनों में अनुसंधान और विकास पर हुए खर्च पर आय पर में छूट; अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों में उद्योग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान के लिए भारित कर में 125 प्रतिशत छूट, स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित औद्योगिक परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए संयंत्र और मशीनरी पर बढ़ाया हुआ अवमूल्यन भत्ता; स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार उत्पादित थोक औषधियों के लिए मूल्य नियंत्रण से छूट; उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता ; असाधारण घरेलू अनुसंधान और विकास की उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं।

(ख) अब तक उद्योग में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 1200 घरेलू अनुसंधान और विकास यूनिटें हैं जिनमें से लगभग 1050 निजी क्षेत्र की हैं और शेष सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र की हैं। कुल संख्या में से 400 यूनिटें रसायन और सम्बद्ध उद्योगों की, 325 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की, 250 मेकेनिकल इंजीनियरी उद्योगों की, 150 प्रोसेसिंग उद्योगों की और 75 कृषि उद्योगों की हैं।

(ग) उद्योग ने 1992-93 में अनुसंधान और विकास पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.22 प्रतिशत खर्च किया ; निजी क्षेत्र का शेयर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 125 प्रतिशत था और सार्वजनिक क्षेत्र का कुल सकल उत्पाद का 0.095 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्र

*** 431. श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :**

श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी भूमि को शामिल किया गया है ;

(ख) इन क्षेत्रों के लिये आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसके लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(घ) अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1991-92 से 1993-94 के गत तीन वर्षों के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि संसाधन विकास, जल संसाधन विकास और वनरोपण तथा चरागाह विकास की तीन प्रमुख क्षेत्र गतिविधियों में प्रत्येक में देश में विकसित कुल क्षेत्र निम्नोक्त प्रकार हैं : -

विकसित क्षेत्र (00 हैक्टेयर)

वर्ष	भूमि संसाधन विकास	जल संसाधन विकास	वनरोपण एवं चरागाह विकास
1	2	3	4
1991-92	1056.37	193.62	769.25
1992-93	1196.84	191.24	706.74
1993-94	1371.12	263.00	933.70

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली योजनाएं मुख्यतः भूमि संसाधन विकास, जल संसाधन विकास और वनरोपण एवं चरागाह विकास की तीन प्रमुख क्षेत्र गतिविधियों में कार्यान्वित की जाती हैं जिन्हें जब समेकित रूप से कार्यान्वित किया जाता है तो ये योजनाएं दीर्घावधि में फसलों और पशुधन के उत्पादन तथा भूमि, जल एवं मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और क्षेत्रों का पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सक्षम हैं।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये समग्र रूप से भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं क्योंकि ऐसे लक्ष्य कार्यक्रम वाले राज्यों द्वारा निधियों के वार्षिक आबंटन और अनुमोदित लागत मानदण्डों के आधार पर प्रतिवर्ष स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1992-93 से 1994-95 (जून 1994) तक मुख्य क्षेत्रवार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दर्शायी गई हैं : -

(00 हैक्टेयर)

वर्ष	भूमि संसाधन विकास		जल संसाधन विकास		वनरोपण एवं चरागाह विकास	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1992-93	1001.50	1196.84	219.11	191.24	809.32	706.74
1993-94	1360.45	1371.12	328.63	263.00	1061.68	933.70
1994-95	1507.71	92.57	359.27	29.19	1018.94	154.63

1994-95 के लिये लक्ष्य/उपलब्धियां अनन्तिम हैं।

शहरी विकास परियोजनाएं

***432. श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के लिए जर्मनी की के.एफ.डब्ल्यू. और जापान की ओ.इ.सी.एफ. कंपनियों ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को, राज्यवार किन-किन परियोजनाओं के लिए यह सहायता दी है ;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता राशि दी गई है ; और

(घ) इस प्रकार की सहायता राशि से राज्यवार अब तक कितने मकानों का निर्माण किया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) देश की विभिन्न आवास तथा शहरी विकास परियोजनाओं के लिए जर्मनी की के.एफ.डब्ल्यू. और जापान की ओ.ई.सी.एफ. द्वारा आवास तथा नगर विकास लि. (हडको), राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) तथा आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.) को स्वीकृत विभिन्न ऋणों/अनुदानों के ब्यौरे संलग्न - I दिए गए हैं।

(ख) से (घ) के.एफ.डब्ल्यू/ओ.ई.सी.एफ. की वित्तीय सहायता आगे विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों को देने के लिए हडको/एच.डी.एफ.सी./एन.एच.बी. को सौंप दी जाती हैं। इन ऋणों/अनुदानों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे तथा प्रत्येक परियोजना को दी गयी सहायता राशि और आवास परियोजनाओं के तहत स्वीकृत मकानों की संख्या संलग्न - II में दी गई है।

विवरण - I

क्र.सं.	ऋण/अनुदान	सहायता राशि एवं प्रकृति	उद्देश्य	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	हडको-के.एफ.डब्ल्यू-1	हडको को 20 मिलियन डेनिस मार्क की ऋण सहायता	शहरी कमजोर वर्ग के आवास हेतु उप-ऋण के निधियन हेतु	पूर्ण
2.	हडको-के.एफ.डब्लू-2	हडको को 30 मिलियन डेनिस मार्क की ऋण सहायता	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धन वर्गों के लिए आवास योजनाओं के उप-ऋणों के निधियन	पूर्ण
3.	हडको के.एफ.डब्लू-3	हडको को 10 मिलियन डेनिस मार्क की अनुदान सहायता	भवन निर्मित केन्द्र कार्य-क्रम के तहत गठित भवन निर्मित केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु	कार्य प्रगति पर
4.	हडको के.एफ.डब्लू-4	हडको को 25 मिलियन डेनिस मार्क की ऋण सहायता	शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वर्गों के लिए ऋण निधियन हेतु	करार पर हस्ताक्षर किए गए/योजनाओं का पता लगाया जा रहा है। के.एफ. डब्लू ने महाराष्ट्र में भूकम्प

1	2	3	4	5
				पुनर्वास के उपायों के लिए निधियन हेतु हडको को 10 मिलियन डेनिस मार्क की दूसरी अनुदान सहायता देने का वचन दिया है। इसे इस अनुदान में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।
5.	हडको-के.एफ.डब्लू-5	हडको को 35 मिलियन डेनिस मार्क की अनुदान सहायता	गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए शहरी/ग्रामीण आवास कम लागत की सफाई तथा स्लम सुधार हेतु निधियन	करार पर हस्ताक्षर किये जाने हैं।
6.	एच.डी.एफ.सी.- के एफ. डब्ल्यू-1	एच.डी.एफ.सी. को 25 मिलियन डेनिस मार्क ऋण सहायता	समाज के कमजोर वर्ग के लिए कम लागत के आवास कार्यक्रम संबंधी ऋण सहायता के नियतन हेतु	दिसम्बर, 1994 में पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	एच.डी.एफ.सी.- के एफ.डब्ल्यू. 2	एच.डी.एफ.सी. को 30 बिलियन डेनिस मार्क की अनुदान सहायता	सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को इ.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के कम लागत	निधियन करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए।

1	2	3	4 5
		के आवास उपायों और पूर्व अवस्थापना में सुधार हेतु ऋण/ अनुदानों और साथ ही मकानों के निर्माण और विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के निधियन हेतु	
8. हडको ओ.सी.एफ.	हडको को 6.788 बिलियन जापानी यंन की ऋण सहायता	महाराष्ट्र में शहरी स्तर की दो जल आपूर्ति परियोजनाओं नामतः न. 1. नगर तथा औद्योगिक विकास निगम द्वारा कार्यान्वित न्यू बम्बई जलापूर्ति परियोजना और (2) शोलापुर नगर निगम द्वारा कार्यान्वित शोलापुर जलापूर्ति परियोजना के कार्यान्वयन हेतु।	परियोजना प्रगति पर
9. एन.एच.बी. -ओ.ई.सी.एफ. आवास परियोजना	बैंक को 2.97	राष्ट्रीय आवास वित्तीय एजेंसियों द्वारा	देश की विभिन्न प्रगति

1	2	3	4	5
	बिलियन जापानी येन की ऋण सहायता।	ऋणों के पुनर्निधियन हेतु		

विवरण - II

के.एफ.डब्ल्यू और ओ.ई.सी.एफ. सहायता के तहत स्वीकृत विभिन्न आवास तथा नगर विकास परियोजनाओं तथा प्रत्येक परियोजना हेतु सहायता राशि और परियोजना के तहत स्वीकृत रिहायशी एककों के राज्यवार ब्यौरे

ऋण/अनुदान	राज्य का नाम	ऋण राशि (रुपये लाखों में)	रिहायशी एकक
1	2	3	4
1. हडको के.एफ.डब्ल्यू-1	1. केरल	807.06	14000
	2. तमिलनाडु	355.28	5445
	3. त्रिपुरा	14.74	193
	4. उत्तर प्रदेश	49.03	1085
	5. राजस्थान	51.39	813
	योग :	1277.50	21636
2. हडको के.एफ.डब्ल्यू-2	1. केरल (शहरी आवास)	2235.10	27600
	2. तमिलनाडु (शहरी आवास)	123.38	958
	3. उत्तर प्रदेश (ग्रामीण आवास)	1797.84	50000
	योग :	4156.32	78556

1	2	3	4
3. हडको के.एफ.डब्ल्यू-3	1. राजस्थान	68.40	लागू नहीं होता
	2. आन्ध्र प्रदेश	8.64	-वही-
	3. तमिलनाडु	2.18	-वही-
	4. महाराष्ट्र	70.00	-वही-
	योग :	149.22	
4. हडको के.एफ.डब्ल्यू 2/	परियोजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।		
5. एच.डी.एफ.सी. -के.एफ.	1. आंध्र प्रदेश	177.12	110
डब्ल्यू-1	2. केरल	2518.87	1896
	3. तमिलनाडु	567.53	1210
	4. महाराष्ट्र	34.24	159
	5. गुजरात	11.22	65
	6. उत्तर प्रदेश	246.50	1450
	7. कर्नाटक	10.26	72
	8. एच.डी.एफ.सी.	344.97	753
	की गृह बचत योजना		
	सभी राज्यों के लिए		
	आम		
	9. केरल और तमिलनाडु		
	के लिए आम दो	163.50	850
	स्कीमें		
	योग	4074.21	35509
6. एच.डी.एफ.सी.-के.एफ.2	परियोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।		
7. हडको ओ.ई.सी.एफ.	(1) महाराष्ट्र शहरी	5343.00	लागू नहीं

1	2	3	4
	और औद्योगिक विकास निगम (सी.आई.डी.सी.ओ.)	(आबंटित)	
	(2) महाराष्ट्र-शोलापुर नगर निगम	4970.00 (आबंटित)	लागू नहीं।
	योग	10313.00	
8. एन.एच.बी. -ओ.ई.सी.एफ.	राज्यवार नियतन करने का अभिप्राय नहीं।	आवास वित्त संस्थानों, सहकारिताओं, आदि द्वारा वित्त पोषण स्कीमों के आकार पर निर्भर करेगा।	

कागज का उत्पादन

*433. **श्री एस.बी.सिदनाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज की वार्षिक मांग और उत्पादन कितना है ;

(ख) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कागज का आयात किया जा रहा है ;

(ग) क्या कागज के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में कागज के छोटे कारखानों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस जारी करने का है ;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1993-94 कागज और गत्ते की वार्षिक मांग लगभग 22.00 लाख मी.टन थी। उच्च ग्रेड विशिष्ट कागज की थोड़ी मात्रा के अलावा इस उत्पादन से मांग की पूर्णतः पूर्ति हुई।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज और कागज उत्पादों का आयात इस प्रकार हैं : -

1991-92	-	34,421 टन
1992-93	-	39,159 टन
1993-94	-	46,817 टन

(ग) लकड़ी पर आधारित कच्चे माल की कमी है किन्तु खोई, कृषि अपशिष्ट इत्यादि जैसा अपरंपरागत कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध है।

(घ) से (च) जहां तक लघु कागज मिलों का संबंध हैं, अगस्त, 1991 से 31 जुलाई, 1994 तक कागज और गत्ते के निर्माण के लिए 23.33 लाख मी. टन क्षमता के लिए 217 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान आशय पत्रों की मंजूरी के लिए प्राप्त 22 आवेदनों में से कुल 0.71 लाख मी.टन क्षमता के लिए 8 आवेदन मंजूर किये गये हैं।

[हिन्दी]

"दस लाख कुएं" योजना

***434. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "दस लाख कुएं" योजना के अंतर्गत किए गए कार्य की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत कुछ अन्य विकास कार्य शामिल करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) "दस लाख कुओं की योजना" जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना है। "दस लाख कुओं की योजना" का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों, छोटे तथा सीमान्त किसानों को निःशुल्क सिंचाई के खुले कुएं उपलब्ध कराना है। जहां भूमि की परिस्थितियों के कारण कुएं खोद पाना सम्भव नहीं हैं, वहां "दस लाख कुओं की योजना" के अंतर्गत आबंटित राशि को सिंचाई तालाबों जल एकत्रीकरण ढांचों, जैसी लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं और साथ ही लक्षित समूह के लोगों की भूमि के विकास के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत सरकार ने दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की अलग से कोई समीक्षा नहीं की है।

दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत बागवानी पौध रोपण कार्यों, बोर कुओं और नलकूपों को शामिल करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

***435. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु सरकार ने क्या रणनीति तय की है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं ; और

(घ) इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिला है/जलाभ मिलने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिये तैयार की गई नीतियां निम्न प्रकार हैं : -

(1) गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों को सबसिडी देना जिसमें से अधिक गरीब लोगों को प्राथमिकता देना।

(2) अन्य परिवारों को बाजर से सुविधा साधनों को खरीद के लिये प्रोत्साहित करना, जिनमें स्वच्छता सामान की दुकानें भी शामिल हैं।

(3) चुनिन्दा क्षेत्रों में गहन अभियान शुरू करना और ऐसे अभियानों की मदद के लिये ढांचा सुविधाएं प्रदान करना ताकि जहां कहीं सम्भव हो, अपने अपने शौचालय बनवाये जा सकें।

(4) जहां कही आवश्यक हो, केवल महिलाओं के लिये स्वच्छ परिसर स्थापित करना।

(5) शौचालयों के स्थानीय तौर पर उपयुक्त और स्वीकार्य मॉडलों को प्रोत्साहन देना।

(ख) गत तीन वर्षों के लिए और चालू वर्ष 1994-95 के दौरान निधियों के आबंटन के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-। में दर्शाए गए हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य है। आठवीं योजना अवधि के लिये कुल आबंटन 674.23 करोड़ रुपये (केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 380.00 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत

294.23 करोड़ रुपये) किया गया है। राज्यवार लक्ष्य और आबंटन वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता के संयुक्त रूप से राज्यवार 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं। 1995-96 और 1996-97 के लिये इन वर्षों के लिये निर्धारित परिव्ययों के आधार पर तय किए जायेंगे।

(घ) 1992-93 और 1993-94 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे 28.34 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। 1994-95 में 29.82 लाख लोगों के लाभान्वित होने की सम्भावना है। 1995-96 और 1996-97 में लाभार्थियों की संख्या इन वर्षों के लिये वित्तीय परिव्यय और निर्धारित लक्ष्य पर निर्भर करेगी। इन आंकड़ों में वह कवरेज शामिल नहीं है जो निजी प्रयासों से प्राप्त की जा सकती हैं।

विवरण - I

पिछले तीन वर्षों (1991-92, 1992-93, 1993-94) और वर्तमान वर्ष 1994-95 में केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का राज्यवार और वर्षवार आबंटन।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	205.14	105.030	157.480	315.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.15	2.835	4.250	9.00
3.	असम	71.13	38.250	57.470	115.00
4.	बिहार	362.73	186.630	279.790	560.00
5.	गोआ	5.00	1.290	1.940	5.00
6.	गुजरात	99.54	47.370	71.010	142.00
7.	हरियाणा	33.99	16.935	25.520	51.00
8.	हिमाचल प्रदेश	33.03	17.460	26.280	53.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	40.41	23.115	34.650	70.00
10.	कर्नाटक	164.13	85.155	127.780	256.00
11.	केरल	148.44	64.755	97.200	194.00

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	242.64	122.850	184.160	368.00
13.	महाराष्ट्र	264.18	134.490	201.800	404.00
14.	मणिपुर	8.49	4.965	7.470	15.00
15.	मेघालय	10.80	5.355	8.030	16.00
16.	मिजोरम	5.00	1.485	2.160	5.00
17.	नागालैंड	7.74	3.720	5.580	11.00
18.	उड़ीसा	126.06	73.620	110.540	221.00
19.	पंजाब	36.90	17.235	25.960	52.00
20.	राजस्थान	133.02	63.255	94.860	190.00
21.	सिक्किम	5.00	1.395	2.090	5.00
22.	तमिलनाडु	222.90	111.120	166.820	334.00
23.	त्रिपुरा	16.56	7.515	11.300	23.00
24.	उत्तर प्रदेश	530.40	261.90	391.430	783.00
25.	पश्चिम बंगाल	218.67	100.965	151.290	303.00
26.	अ.नि. द्वीपसमूह	5.00	0.255	0.400	5.00
27.	दमन और दीव	0.00	0.090	0.110	5.00
28.	लक्षद्वीप	5.00	0.015	0.020	5.00
29.	पांडिचेरी	5.00	0.420	1.610	5.00
30.	दिल्ली	5.00	1.080	1.620	5.00
31.	दा.न.हवेली	5.00	0.180	0.270	5.00
32.	चंडीगढ़	5.00	0.075	0.110	5.00
	योग	3028.05	1500.000	2250.000	4535.00

विवरण - II

आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रत तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, दोनों के तहत राज्यवार लक्ष्यों (शौचालयों की संख्या) को दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7628	14136	28700
2.	अरूणाचल प्रदेश	2154	2096	4120
3.	असम	5378	6346	8500
4.	बिहार	7658	35289	52342
5.	गोआ	1500	5302	6000
6.	गुजरात	17489	20367	26178
7.	हरियाणा	15270	51847	6220
8.	हिमाचल प्रदेश	75826	75000	55000
9.	जम्मू एवं कश्मीर	14520	17141	28015
10.	कर्नाटक	8103	9900	16917
11.	केरल	6711	26250	15956
12.	मध्य प्रदेश	10351	22574	34522
13.	महाराष्ट्र	9230	18474	23457
14.	मणिपुर	4212	2000	5650
15.	मेघालय	1770	1082	2449
16.	मिजोरम	225	811	468
17.	नागालैंड	593	860	1235
18.	उड़ीसा	3248	32299	20617
19.	पंजाब	8023	5296	7258

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	16059	20500	27340
21.	सिक्किम	543	450	1218
22.	तमिलनाडु	8695	21990	24513
23.	त्रिपुरा	1214	1042	2233
24.	उत्तर प्रदेश	82498	46850	114054
25.	पश्चिम बंगाल	7067	21873	23362
26.	अ.नि. द्वीपसमूह	2125	1200	2218
27.	चंडीगढ़	125	250	1968
28.	दा.न.हवेली	125	500	218
29.	दमन और द्वीव	200	500	468
30.	दिल्ली	625	1500	1468
31.	लक्षद्वीप	875	975	568
32.	पांडिचेरी	625	750	718
33.	कपार्ट	20000	32625	52200
	अखिल भारत	340915	498075	596150

बंजरभूमि का विकास

*436. **श्री फूलचन्द वर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वैच्छिक संगठनों से बंजरभूमि के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्यवार उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जो बंजरभूमि के विकास में कार्यरत हैं और जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान सहायता प्रदान की गई है ; और

(घ) भू-क्षय का रुख बदलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) जी हां। वनेतर बंजरभूमि के विकास हेतु अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों से राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को परियोजनाएं प्राप्त होती हैं। इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में पौधशाला लगाना और वृक्षारोपण करना, चरागाह विकास, मृदा एवं नमी संरक्षण, जागरूकता पैदा करना, बचाव आदि शामिल हैं।

(ख) बंजर भूमि विकास कार्य करने हेतु अनुदान सहायता योजना के आरम्भ से इसके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण - I में दिया गया है।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड में जांच की जाती है। इसके पश्चात् प्रस्ताव राज्य के वन विभाग या ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसी को स्वैच्छिक संगठन की क्षमता तथा विश्वसनीयता की जांच के लिए भेजा जाता है। इस रिपोर्ट तथा प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर परियोजना अनुमोदित की जाती है। वनेतर बंजरभूमि के विकास में लगे स्वैच्छिक संगठनों के राज्यवार नाम तथा राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड द्वारा इन संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण - II में दी गई है।

(घ) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत देश में बंजरभूमि सहित भूमि पर वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियां, केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जवाहर रोज़गार योजना, सुनिश्चित रोज़गार योजना, वर्षाग्रस्त क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम के द्वारा की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य राज्यवार प्रतिवर्ष वित्तीय उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए वनीकरण/वृक्षारोपण गतिविधियों की प्रगति नीचे दी गई है

वर्ष	वितरित बीजांकुर करोड़ों में	वनीकृत क्षेत्र लाख हैक्टेयर में
1991-92	142	10.157
1992-93	125	10.622
1993-94	110	9.639

तथापि राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम

(2) अनुदान सहायता योजना

(3) प्रौद्योगिकी विस्तार योजना

(4) निवेश संवर्धन योजना

(5) बंजरभूमि विकास कार्यबल

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निम्नलिखित नये कार्यकलाप किये जा रहे हैं : -

(1) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल के दक्षिणी राज्यों में वनेतर बंजरभूमि पर काजू वृक्षारोपण को बढ़ावा।

(2) उत्तर-पूर्वी राज्यों में वनेतर बंजरभूमि पर रबड़ वृक्षारोपण को बढ़ावा।

(3) नागालैण्ड में वनेतर बंजरभूमि पर चाय पौधारोपण को बढ़ावा।

(4) शुष्क क्षेत्रों में वनेतर बंजरभूमि पर जोजोबा प्रजाति के रोपण को बढ़ावा।

विवरण - I

क्रमांक	राज्यों के नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	152
2.	असम	2
3.	अरूणाचल प्रदेश	2
4.	बिहार	41
5.	दिल्ली	9
6.	गुजरात	15
7.	हरियाणा	36
8.	हिमाचल प्रदेश	7
9.	जम्मू व कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	17
11.	केरल	6
12.	मणिपुर	95

1	2	3
13.	मध्यप्रदेश	13
14.	महाराष्ट्र	36
15.	मिजोरम	2
16.	नागालैण्ड	12
17.	उड़ीसा	33
18.	राजस्थान	19
19.	सिक्किम	8
20.	तमिलनाडु	79
21.	त्रिपुरा	6
22.	उत्तर प्रदेश	49
23.	पश्चिम बंगाल	93
	योग	734

विवरण - II

एजेंसी

आंध्र प्रदेश

1. रायलसेमा सेवा समिति
2. कॉमप्रिहेनसिव सोशल सर्विस सोसाइटी
3. अन्नतापुर ज़िला किसान फेमि
4. इंदिरा गांधी एनर्जि प्लांटेशन
5. सोशल वेलफेयर सोसाइटी फॉर वीकर कौमुनिटी
6. सामाजिक सेवा तथा ग्रामीण विकास सोसाइटी
7. एन.ई.एस.सी.ओ.
8. श्री सत्यनारायण स्वामी शैक्षिक सोसाइटी

9. प्रियादर्शिनी सामाजिक वानिकी विकास सोसाइटी

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा 'ग' माइनारिटिज कल्याण सेवा संगम

11. साऊथ इंडियन एनर्जि प्लांटेशन सोसाइटी

12. सामाजिक - आर्थिक शिक्षा विकास सोसाइटी

13. प्रजा भारतीय सेवा समिति

14. ग्रामीण शिक्षा एवं आर्थिक विकास सोसाइटी

15. कृष्णावेणी वृक्ष उत्पादक सहकारी सोसाइटी

16. समेकित ग्रामीण विकास कल्याण सोसाइटी

17. स्वाजन्य युवा एसोसियेशन

18. ग्रामीण विकास सोसाइटी

19. सामाजिक विकास हेतु सामाजिक कार्य

20. वेंकटेखरे वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति

21. रिशी वैली स्कूल

22. ग्रामीण कमज़ोर वर्ग के लिए जन संगठन

23. इंदिरा समेकित विकास सोसाइटी

24. सामाजिक विकास के लिए केन्द्र

25. पदमा विडियो कलचरल एसोसियेशन

26. साधना

27. गुंटुर ग्रामीण शिक्षा विकास सोसाइटी

28. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सोसाइटी

29. ग्रामीण सुधार और शिक्षा ट्रस्ट

30. ग्रामीण विकास युवा कार्य

31. दक्षिण विकास सोसाइटी

असम

32. प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र

अरूणाचल प्रदेश

33. मनोप्पा सोशल कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी

बिहार

34. गोधरदिया प्रबंध स्वराज्य संघ
35. जन विकास केन्द्र
36. ग्राम विकास केन्द्र
37. महिला समिति ऑफ श्रमजीवी उन्नयान
38. वनश्री
39. ग्राम निर्माण मंडल
40. विकास भारतीय
41. सेवा अमलागोरा फाऊंडेशन
42. संस्कार
43. सिंगभूम ग्रामीण उन्नयान केन्द्र
44. अग्ररियन सहायता संघ
45. विकास अनुसंधान कनसलटन्टस
46. विकास भारतीय
47. बिहार ग्रामीण किसान विकास संघ
48. बिहार रिलीफ समिति
49. शिवानी वृक्षारोपण वन विकास ग्राम समिति
50. कन्सोंटियम ऑफ हयूमन एनलार्जमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी नेचर एसोसिशयन (सी.एच. ई.टी.एन.ए.)
51. अदिथि (ए.डी.आई.टी.एच.आई.)
52. ग्रामीण विकास परिषद
53. बी.एम. कालेज, वनस्पति विभाग
54. संथाल प्रगणा ग्रामोद्योग समिति

55. पुरनिया ज़िला समग्र विकास परिषद

57. हिल रिसोरस सोसाइटी

दिल्ली

58. बंजरभूमि विकास प्रोत्साहन समिति

59. नोज़हिल समेकित ग्रामीण परियोजना स्वास्थ्य एवं विकास

60. ग्रामीण नियोक्ता के सुधार केन्द्र

61. डेवलेपमेंट आलट्रेनेटिवज़

62. ऑल इंडिया ग्राम प्रधान संघ

63. अनुसंधान एवं विस्तार एसोसियेशन (र.ई.सी.एच.ए.)

64. रामजस स्कूल

65. ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण समिति

66. अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा कल्चर एसोसियेशन

67. अखिल ग्रामीण सेवा समिति

68. विकास एवं प्रशिक्षण जन संस्थान

गुजरात

69. सार्थी

70. वनवासी महिला गृहउद्योग सेवा मंडल

71. ग्राम विकास ट्रस्ट

72. मोटा पौंड विभाग वृक्ष उत्पादक संघ

73. वनवासी गृह उद्योग सहकारी मंडली

74. सर्वोदय पशुविकास सहकारी मंडली लिमिटेड

75. सेन्टर फॉर एनवायरनमेंटल एजूकेशन, नेहरू फाउडेशन

76. सेल्फ एमप्लाइड वीमन एसोसियेशन

77. आगा खां ग्रामीण सहायता कार्यक्रम

हरियाणा

78. चौधरी ग्रीनिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी

79. भारत यात्रा केन्द्र

80. कोहरी केन्द्र महिन्द्रगढ़

81. निसिंग ग्रीनिंग एंड वेल्फेयर सोसाइटी करनाल

82. करन ग्रीनिंग एंड वेल्फेयर सोसाइटी करनाल

83. मासूमपुर हिल रिसोरसिज़ मैनेजमेंट सोसाइटी, अम्बाला

84. समालखा ग्रीन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, समालखा

85. हरयाली प्रमोशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, समालखा

86. निर्मल ग्रीनिंग एंड वेल्फेयर सोसाइटी, करनाल

87. संजय ग्रीनिंग एंड वेल्फेयर सोसाइटी।

88. हरियाणा ग्रामीण विकास किसान संघ, रोहतक

89. नवयुवक कला संघ, रोहतक

90. चौबीसी विकास संघ, रोहतक

91. हरियाणा नवयुवक कला संघ, संगम, रोहतक

92. राष्ट्रीय ग्रीनिंग एंड वेल्फेयर सोसाइटी

93. ग्रामीण शिक्षा समाज कल्याण समिति

94. दीप युवा क्लब

हिमाचल प्रदेश

95. हिमालयन बंजरभूमि विकास और प्रदूषण नियंत्रण संघ

जम्मू व कश्मीर

96. धर्मार्थ ट्रष्ट परिषद, जम्मू

97. शिव ग्रामोद्योग मंडल, जम्मू

98. श्री माता वैष्णोदेवी मंदिर बोर्ड

केरल

99. एस.डब्ल्यू.आर.सी.

100. पीरमाडी विकास समिति

कर्नाटक

101. हारीकला लैंडलेस पुअर एंड मार्जिनल फारमर्स, मैंगलौर

102. गांधी समाज शिक्षण केन्द्र, टुमकुर

103. ताराबालू ग्रामीण विकास संघ, चित्रदुर्गा

104. कावेरी ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकास सोसाइटी, वेरापानपल

105. डेवलेपमेंट आलटर्नेटिव फॉर टुमकुर

मणिपुर

106. वालनटरस फॉर साइनटिफिक एक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट

107. एस.टी.सी.सी.डी., उखरूल

108. आइडियल मर्दस एसोसियेशन खां – इम्फाल

109. रूरल सर्विस एजेंसी, इम्फाल

110. मणिपुर बंजरभूमि विकास समिति, इम्फाल

111. मणिपुर पूर्वोत्तर हिलज पयूपल डेवलपमेंट सोसाइटी, इम्फाल

112. वांगज़िग तथा किसान विकास संघ, वांगजिंग

113. दक्षिण पूर्वी ग्रामीण विकास संघ, वांगज़िग

114. पुतजांग खादी एवं ग्राम उद्योग

115. यूनाइटिड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चांददल

116. जेलीएनग्रोंग वापतिस चर्चस कोंसिल

117. ग्रामीण विकास के लिए महिला संघ, उखरूल

118. रूरल रिकनसट्रेक्शन ओरंगजेशन, इम्फाल

119. चिरापुर मामांग खादी एवं ग्राम संघ, टोऊवल

120. कायोमेगी कोइकोरम लिकाई वूमैन्स वेल्फेयर एसोसियेशन

121. आर्गनाइजेशन फॉर रिपलेसमेंट ऑफ् झूम एंड शिफटिंग कलटिवेशन एंड एडवानसमेंट ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज

122. ग्रामीण कृषि विकास एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी संवर्धन संघ

123. दि थनलोन एरिया महिला मंडल

124. पुतजांग खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग

125 समेकित ग्रामीण लोक विकास

126. इमगछाप मेमोरियल अफिज़ एंड चिल्ड्रल होम

127. नामचिंग आदिवासी महिला बुनकर संघ

128. डुईलोन जायन्ट फार्मिंग ऐसोसियेशन

129. नाटोक काबनी मल्टी पर्पज सहकारी समिति लि.

130. ग्रामीण औद्योगिक एसोसियेशन

131. ग्रामीण सर्विस एजेंसी

132. ग्रामीण विकास एजेंसी

133. समुचिगम्नवम् युवा कल्याण संघ

134. ग्रामीण विकास सोसाइटी

135. मणिपुर पूर्वी हिल जन-विकास सोसाइटी

136. दक्षिण पूर्वी ग्रामीण विकास संगठन

137. मणिपुर ग्रामीण समेकित सामाजिक विकास परिषद

138. समेकित जनजातीय विकास समिति

139. कमज़ोर वर्ग विकास संघ

140. दि रूरल रिंकनस्ट्रक्शन ओर्गेनाइजेशन

141. आइडियन मदर्स एसोसियेशन

142. संगठित जनजाति विकास परियोजना

143. झूम एंड शिफटिंग कलटिवेशन एंड एडवानस्मेंट ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज

महाराष्ट्र

144. प्रेरणा प्रतिष्ठान, सतारा
145. एन.आई.आर.आई.डी., बम्बई
146. प्रगति प्रतिष्ठा !, ने
147. जीवन संस्था पुणे
148. वी.ए.आई.एफ., पुणे
149. निमिती, बम्बई
150. सांधी निकेतन शिक्षण संस्थान, नानडीड
151. ग्रामीण विकास मंडल
152. प्रगति औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र
153. यावतमाल जिला सहकारी उत्पादक संघ
154. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान
155. जीवन संस्था
156. अमरावती विश्वविद्यालय
157. कृषि वानिकी संघ, नासिक
158. सुविधे संघ

मध्य प्रदेश

159. एन.सी.एच.एस.ई., भोपाल
160. प्रयोग समाज सेवा संस्था, रायपुर
161. मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास मंडल वालाघाट
162. पर्यावरण एवं वानिकी सहकारी समिति
163. नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट

मिज़ोरम

164. मिज़ोरम स्वैच्छिक समिति

नागालैण्ड

165. लूंगलविरम किंचन अकेडमी, डिमापुर

166. इमेमवयुल सोसाइटी लोंगसा, मकोकचुंग

उड़ीसा

167. पाली विकास, देनकनाल

168. वी.आई.के.ए.एस.एच., भुवनेश्वर

169. कटक ज़िला हरिजन आदिवासी सेवा संस्कार

170. जनमंगल महिला समिति, पुरी

171. कस्तूरीबाई महिला समिति देनकनाल

172. मानव सेवा सदन धेनकनाल

173. गोपीनाथ झुबा संघ

174. आदिवासी ग्रामीण विकास सामाजिक सेवा संगठन, किनौर

175. विकास परिषद, कोरापुट

176. साहिद अराकिता क्लब, पुरी

177. उतंकल आदिवासियों के लिंए राष्ट्रीय सामाजिक अनुसंधान संस्थान

178. नायलाचन सेवा प्रतिष्ठान, देवबिहार, पुरी

179. भारतीय विकास परियोजना, किओंझर

180. मूनलाइट क्लब, धेनकनाल

181. आर्दश सेवा संस्थान, धेनकनाल

182. अरूण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एफयरस

183. ग्रामीण विकास केन्द्र

184. सीखया निकेतन

185. भालमथा वन श्रमिक सहकारी समिति

186. गायत्री शिक्षा सदन संस्थान

187. सोंवन श्रमिक सहकारी समिति उदय ूर

188. राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ, रायपुर

189. जन शिक्षा विकास संगठन, दुर्गापुर

190. अरावली कल्याण परिषद, दुर्गापुर

191. राजस्थान सेवा संघ, दुर्गापुर

192. सहयोग, उदयपुर

193. मागरा मेवाड़ संस्था, अजमेर

194. ग्राम भारतीय समिति, जयपुर

195. विकास संस्था, उदयपुर

196. श्री सुरक्षा समिति, प्रतापगढ़

197. वन सुरक्षा समिति, प्रतापगढ़

198. वानन्द संस्था

199. नवयुवक मंडल, वास भरिंड़

200. नवयुवक मंडल

201. भौराका चैरिटेवल ट्रस्ट

202. पर्यावरण सं. अवाम अनुसंधान दल

203. राजस्थान मावन विकास समिति

204. विद्या भवन

सिक्किम

205. पर्यावरण संरक्षण समिति, दालापचद, बुसती

206. डिनजोंग वृक्षारोपण समिति

207. पर्यावरण संरक्षण समिति

208. अम्बा दियोशाली यूथ क्लब

तमिलनाडु

209. एस.ई.डब्ल्यू.ए.आई. ट्रिची

210. एस.सी.ओ.पी.ई., ट्रिची

211. ग्रामीण विकास तमिलनाडु बोर्ड

212. सी.ए.एफ.ए.आर.डी.

213. ग्रामीण कल्याण विकास सोसाइटी, तालेम

214. अरोमित्रा, साऊथ आराकोट

215. भूधन एवं समुदाय विकास संघ

216. समाज कल्याण ट्रस्ट ट्रिची

217. एस.एच.आई.ई.एल.डी.

218. एक्शन ट्रस्ट, मधुराय

219. समाज सेवा एवं अनुसंधान केन्द्र, अन्ना

220. ग्रामालय त्रिचरापल्ली

221. पी.आर.ई.पी.ए.आर.ई., मद्रास

222. लैंड डेवलेपमेंट नेटवर्क एसोसिएशन, मधुराय

223. वेलफेयर एसोसियेशन फॉर रूरल एडवाइज़ सोसाइटी, तुरीयार

224. सेंट जोजफ शैक्षिक ट्रस्ट मद्रास

225. गांधी ग्राम रूरल संस्था

226. पालनी हिलज़ संरक्षण परिषद, कोडीकनाल

227. प्रशिक्षण शिक्षा एवं विस्तार ट्रस्ट, चिनंगलीपट

228. शांती एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, एविलीपाटाईपो

229. ए.आई.एस.एस.एन. महालिरमनरम, पी.टी.टी.

230. एसोसिएशन फॉर रूरल अपलिफट, ट्रिची

231. ग्रामीण संगठन कार्यदल

232. सस्टेनिबल एग्रीकल्चरल एवं एनवायरनमेंटल वालेंटरी एक्शन

233. ग्रामधन भूधन विकास संघ

234. दि इंनिस्टट्यूट ऑफ रूरल अल्टरनेटियूज

235. दि एक्टिविट्स फॉर सोशल आल्टरनेटियूज

236. अरोमित्रा

237. सोशल वेलफेयर आर्गनाइजेशन ट्रस्ट

238. हयूमन एक्शन फॉर रूरल पुअर

239. मद्रास लिर्टेसी एसोसियेशन

240. कम्यूनिटी एक्शन फॉर रूरल पुअर

241. रूरल कम्युनिटी ट्रस्ट

242. गुडविल सोशल सेन्टर

243. एक्शन ग्रुप फॉर रूरल आर्गेनाइजेशन

244. अनाई इंदिरा साथिवा समयुगा नाला महालिर मंदिरम

245. एसोसियेशन फॉर रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट

त्रिपुरा

246. त्रिपुरा आदिमजाति सेवा संघ

उत्तर प्रदेश

247. उनिक ग्रामोद्योग संस्था

248. उत्तराखंड जन जागृति संस्था, गढ़वाल

249. केन्द्रीय हिमालय ग्रामीण कार्यदल, कुमाऊं

250. किसान वृक्षारोपण समिति, आगरा

251. पर्यावरण सुधार समिति, शिवपुर

252. बाबा श्रीनाथ शिक्षा संस्था, सुल्तानपुर

253. हिमालय समेकित विकास सोसाइटी, मंसूरी

254. इंदिरा विकास नर्सरी, अलमोड़ा

255. चिराग (सी.एच.आई.आर.ए.जी.)

256. देवी ग्राम उद्योग सेवा संस्था, नैनीताल

257. दयाल वृक्षारोपण समिति, फिरोज़ाबाद

258. ग्राम उद्योग सेवा आश्रम, शाहजापुर

259. नेहरू सेवा आश्रम, शाहजापुर

260. जन मानस विकास संस्था, शाहजापुर

261. ग्राम विकास वृक्षारोपण समिति, फिरोजाबाद

262. कालिका धाम जन सेवा समिति, फिरोज़ाबाद

263. उर्मिला ग्रामोद्योग समिति

264. बंजारा विकास परिषद

265. बाबा श्रीनाथ शिक्षा संस्थान

266. ग्रामीण विकास वृक्षारोपण समिति

267. द्रोणाचल ग्रामोद्योग एवं पर्यावरण संस्थान

268. हरित क्रांति सेवा समिति

269. दयाल वृक्षारोपण समिति

270. ग्रामोदया सेवा आश्रम

271. नेहरू सेवा आश्रम

272. माधव सेवा संस्थान

273. ग्रामोदया सेवा आश्रम

274. ग्रुपिंगियस समाज कल्याण समिति

275. कृषिक एवं समाज सेवा संस्था

276. अखिल भारतीय विद्या परिषद्

277. जन मानस विकास संस्थान

278. हिमालय इकोलोजी एंड ट्रिटमेंट आफ नेचयुरल

279. बांके बिहारी संस्कृत संस्थान

पश्चिम बंगाल

280. हनसला हरा पर्वतीय कल्ब, पुरूलिया

281. सेवाभृता, पुरूलिया

282. दारनी राय मेमोरियल सेल्फ एमपलायमेंट ट्रेनिंग स्कूल

283. ग्राम कल्याण सोसाइटी, हावड़ा

284. क्षेत्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन केन्द्र, मिदनापुर

स्कूल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कलकत्ता

लोक सेवा परिषद, मिदनापुर

287. दक्षिण चंदा चक समाज कल्याण समिति, हावड़ा

288. पुरूलिया गोकुलपुरा तापासिला तरूण संघ

289. तरूण संघ

290. विवेकानन्द आदिवासी कल्याण समिति

291. कमलापुर महिला नयन समिति, बांकुरा

292. विवेकानन्द निधि, कलकत्ता

293. टी.टी. देशबन्धु संघ, 24 परगना

294. अग्रगति, हावड़ा

295. देरा, (डी.ई.आर.ए.) पुरूलिया

296. मोहाशाना संथाल पारा आदिवासी महिला केन्द्र, बांकुरा

297. पुरूलिया शान्तुझ संघ, पुरूलिया

298. विवेकानन्द लोक शिक्षा निकेतन, मिदनापुर

299. कायरखानी ग्राम अनायन समिति, बांकुरा

300. पश्चिम बांगा खेरिया सावर कल्याण समिति, पुरूलिया

301. भवानीपुर मल्टीपर्पज़ रूरल वेलफेयर सोसाइटी, हावड़ा

302. विवेकानन्द ग्रामीण विकास संगठन पुरूलिया

303. मार्शल धार गौंटा सुजादा, पुरूलिया

304. पूर्वा गोकुलपुरी तपासाली न्यू तरूण संघ, गोकुलपुरी

305. इग्ग्रशु पत्रिका समाज कल्याण संगठन, मिदनापुर

306. धारानीगर ग्रामीण विकास सोसाइटी, वीरभूम

307. नागतागारा झ्या संघ, हावड़ा

308. बालतीकुरी विकास बिहन, हावड़ा

309. अमरगोरा झुबा संघ हावड़ा

310. शेरपा देशबंधु क्लब

311. कॉउनसिंल फॉर एनवायरमेंट एंड अवेरनैस डेवलेपमेंट

312. धारानीनागर ग्रामीण विकास सोसाइटी

313. ग्राम कल्याण सोसाइटी

314. लिवरल एसोसिएशन फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल्स

315. श्रीकृष्णा क्लब

316. अमर सेवा संघ

317. वालितिकुरी विकास भवन

318. अग्रागति

319. दारनी राय मेमोरियल सेल्फ एमपलायमेंट ट्रेनिंग स्कूल

320. हंसला हरा पर्वती क्लब

321. लोक सेवा परिषद

322. विवेकानन्द आदिवासी कल्याण समिति

323. मालिपुवर समाज अनायन समिति

324. पुरूलिया पाली सेवा संघ

325. मनभूम जातिया पीली सेवा संघ

बल्क औषधों का आयात

*** 437. श्री जगबीर सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आयात किए जा रहे बल्क औषधों तथा "ड्रग इन्टरमीडिएट्स" का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस आयात का इन औषधों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इन आयातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को चालू रखने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ) आयात-निर्यात नीति 1992-97 के अनुसार, बल्क औषधों तथा उनसे संबंधित मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात, केवल निषेधात्मक सूची में शामिल पेंसिलिन सहित आठ श्रेणी की वस्तुओं को छोड़कर, मुक्त रूप से किया जा सकता है। पेंसिलिन के आयात को आईडीपीएल तथा एचएएल जैसे स्वदेशी निर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए पेंसिलिन आयातनीति के अनुसार विनियमित किया जाता है।

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पी.एस.एल.वी.) डी-2

***438. श्री के. प्रधानी :**

श्री डी. वेकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पी.एस.एल.वी.-डी.2) की द्वितीय विकास ,ान करने का है ;

) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

) उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है/की जायेगी ;

) इससे क्या लाभ होने की संभावना है ; और

ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू किये जाने वाले अन्तरिक्ष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट-डी-2 (पी.एस.एल.वी.डी-2) की द्वितीय विकासात्मक उड़ान 1994 की अन्तिम तिमाही के लिए निर्धारित है। पी.एस.एल.वी.डी.2 भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-पी-2 (आई.आर.एस.पी.2) को ले जाएगा।

(ग) पी.एस.एस.वी.डी.2 की लागत लगभग 45.00 करोड़ रुपये और (आई.आर.एस.पी.2) की लागत 18.00 करोड़ रुपये है।

(घ) पी.एस.एल.वी.डी.2 राकेट के सफल प्रमोचन से देश को सूर्यतुल्यकाली कक्षाओं में आई.आर.एस. श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन की स्वदेशी क्षमता प्राप्त होगी।

(ङ) मई, 1994 में विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-सी.2) उपग्रह सहित संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेच की विकासात्मक उड़ान (ए.एस.एल.वी.डी.4) का प्रमोचन सफलतापूर्वक सम्पन्न किया

गया। 1994-95 के दौरान चल रही प्रमोचक राकेट और उपग्रह परियोजनाओं अर्थात् ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) परियोजना, भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) परियोजना और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर. एस.) परियोजना में आगे प्रगति करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, यह विभाग राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध, स्वदेशीकरण प्रयासों, प्रौद्योगिकी विकास तथा अन्तरिक्ष विज्ञान, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष उपयोग के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान तथा विकास से संबंधित अपने क्रियाकलापों को भी जारी रखेगा।

जवाहर रोजगार योजना

***439. प्रो. अशोक आनंदराव देशमुख :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने दस प्रमुख राज्यों में जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिये 1991-92 के दौरान कोई अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1991-92 में 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में जवाहर रोजगार योजना के बारे में एक त्वरित अध्ययन किया था जिसमें 20 जिलों, 40 ग्राम पंचायतों तथा 598 लाभार्थियों को शामिल किया गया था। अध्ययन का उद्देश्य उपलब्ध कराये गए रोजगार की सीमा, सृजित परिसम्पत्तियों का स्वरूप, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव आदि का मूल्यांकन करना था। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण - I में दिए गए हैं। तथापि त्वरित अध्ययन का नमूना आकार काफी छोटा था क्योंकि इसमें देश की कुल ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 0.02 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व था। अतः जवाहर रोजगार योजना के निष्पादन के सही मूल्यांकन के लिए वर्ष 1992 में भारत सरकार ने व्यापक नमूना आधार पर 33 प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं के मार्फत देश के सभी जिलों में जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन करवाया। सामान्यतः सृजित रोजगार, सृजित परिसम्पत्तियों का स्वरूप, समाज को उनसे मिलने वाला लाभ और विशेषकर ग्रामीण गरी को मिलने वाले लाभ तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के कल्याण में जवाहर रोजगार योजना के योगदान के संबंध में कार्यक्रम के प्रभावों का पता लगाना, समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य क्षेत्र थे।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन की खामियों, जिनका त्वरित अध्ययन से पता चला है, को उपचारी उपाय करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है ताकि जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा जवाहर रोजगार योजना के त्वरित अध्ययन और मंत्रालय द्वारा जवाहर रोजगार योजना के समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि उन क्षेत्रों में, जहां पर बेरोजगारी की समस्या विकट है, जवाहर रोजगार योजना को और सुदृढ़ बनाया जाए। तदनुसार 1993-94 के दौरान देश के 120 पिछड़े जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना (दूसरा चरण) शुरू की गई थी। इन जिलों का चयन योजना आयोग के साथ सलाह मशविरा करके किया गया था।

आठवीं योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में कुछेक अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा संलग्न विवरण - II में दिया गया है।

विवरण - I

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा जवाहर रोजगार योजना के बारे में किए गए त्वरित अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

1. रोजगार के कुल सृजित श्रमदिनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का श्रमदिनों का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक था।

2. जिला स्तर तक सृजित रोजगार में महिलाओं का अंशदान 22 से 25 प्रतिशत था। तथापि, चुनिंदा ग्राम पंचायत स्तर पर यह 15 से 18 प्रतिशत था।

3. चुनिंदा 40 ग्राम पंचायतों में से 1989-90 में 2 ने तथा 1990-91 में 6 ने निधियों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। 1991-92 की पहली छमाही में 19 ग्राम पंचायतों ने निधियों के खर्च किए जाने की सूचना नहीं दी।

4. 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान जिन ग्राम पंचायतों ने निधियों का इस्तेमाल किया था वे सिर्फ क्रमशः 11.44 तथा 15.68 दिनों की औसत से एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया करा सकी।

5. चुने हुए 89 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि सृजित परिसम्पत्तियां उपयोगी थी।

6. चुनिंदा राज्यों/जिलों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

7. चुनिंदा राज्यों में से 30 प्रतिशत ने सूचित किया था कि पक्के कार्यों के संबंध में निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात उपयुक्त नहीं था।

8. चुनिंदा राज्यों में से 40 प्रतिशत ने उल्लेख किया था कि वे खंड स्तर पर तकनीकी स्टाफ के अभाव का सामना कर रहे हैं।

9. कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ठेकेदारों को लगाया गया।

विवरण - II

1993-94 से जवाहर रोजगार योजना की निधियों के इस्तेमाल तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए गए हैं : -

1. न्यूनतम 2546 करोड़ रुपए, जो वर्ष 1992-93 के लिए जवाहर रोजगार योजना हेतु संशोधित बजट आबंटन था, के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित निधियें का 75 प्रतिशत हिस्सा, अब निर्धारित की गई मार्गदर्शिकाओं के अनुसार व्यापक रूप से देश भर में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।

2. न्यूनतम 700 करोड़ रुपए के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की 20 प्रतिशत निधियों को देश के विभिन्न राज्यों के उन 120 पिछड़ें जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन पर इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर बेरोजगारी तथा अल्परोजगारी अधिक है। इस प्रयोजन हेतु निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को सौंपी जाएंगी जो गहन जवाहर रोजगार योजना कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्रों का चयन करेंगी।

3. अधिकतम 75 करोड़ रुपए के आधार पर जवाहर रोजगार योजना की 5 प्रतिशत निधियां ऐसी विशेष और अभिनव योजनायें, जैसे वे योजनाएं जिनका उद्देश्य श्रमिकों के पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि करना, स्वयंसेवी संगठनों की मार्फत विशेष कार्यक्रम जिनका उद्देश्य सूखे पर नियंत्रण पाना और वाटरशेड विकास करना जिसके परिणामस्वरूप सतत रोजगार प्राप्त होता है, को चलाना, शुरू करने के लिए निर्धारित की जाएंगी।

4. मजदूरी और गैर मजदूरी घटक पर 60:40 का विद्यमान अनुपात रखा गया है लेकिन कुल मजदूरी की 10 प्रतिशत तक की सीमा के आधार पर कुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को मजदूरी घटक में शामिल करने की अनुमति है।

5. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम परिणामों के आधार पर गरीबी के नवीनतम उपलब्ध आकलनों से राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबी और देश में कुल ग्रामीण गरीबी के अनुपात के

आधार पर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन जारी रहेगा। तथापि, राज्य से जिले को निधियों का आबंटन एक जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को राज्य की कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में बराबरी की तरजीह देने तथा कृषि मजदूरों के प्रतिव्यक्ति उत्पादन के आधार पर तैयार किए गए पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किया जाएगा।

6. जवाहर रोजगार योजना की उप-योजनाएं, अर्थात् दस लाख कुओं की योजना, इंदिरा आवास योजना जारी रहेंगी। तथापि, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए निधियों को विद्यमान 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है तथा इसके तहत गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छोटे तथा सीमांत किसानों को शामिल किया गया है बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलने वाले वित्तीय लाभ कुल आबंटन के 10 प्रतिशत से अधिक न हों। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए निधियों को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और इसमें गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों को भी शामिल किया गया है बशर्ते कि गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को (मुक्त बंधुआ मजदूरों को छोड़कर) मिलने वाली वित्तीय सहायता जवाहर रोजगार योजना के कुल आबंटन के 4 प्रतिशत से अधिक न हो।

विनिवेश की अधिकतम सीमा

***440. प्रो. पी.जे. कुरियन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ईक्विटी के विनिवेश के सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अधिकतम कितने प्रतिशत विनिवेश की अनुमति दी जा रही है ; और

(ग) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके शेयरों का विनिवेश किया गया है और प्रत्येक मामले में विनिवेश की प्रतिशतता कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) वर्तमानतः सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम के 51 प्रतिशत से कम शेयरों की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अब तक जिन उपक्रमों के शेयरों की बिक्री की गई है उनके नाम, बेचे गए शेयरों तथा उनकी प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	मार्च/अप्रैल 1994 तक अनिवेश की प्रतिशतता
1.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी लि.	9.60
2.	भारत अर्थमूवर्स लि.	25.00
3.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.	24.14
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	31.47
5.	भारत पैट्रोलियम कारपो. लि.	30.00
6.	बॉगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि.	25.42
7.	सीएमसी लि.	16.69
8.	कोचीन रिफाइनरीज लि.	6.12
9.	ड्रेजिंग कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	1.44
10.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	1.68
11.	एचएमटी लि.	9.68
12.	हिन्दुस्तान केबल्व लि.	2.06
13.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	1.12
14.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	20.00
15.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपो. लि.	37.00
16.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कं. लि.	12.53
17.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	24.07
18.	इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.	20.00
19.	इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	0.27
20.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.	21.87
21.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	16.92
22.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	32.90
23.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.	0.67
24.	नेशनल एल्युमिनियम क्रं. लि.	12.80

25.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	2.34
26.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	0.16
27.	नेवेली लिग्नाईट कारपो.	6.55
28.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	7.49
29.	भारतीय नौवहन निगम लि.	18.51
30.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	8.08
31.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	10.52
32.	विदेश संचार निगम लि.	15.00

भारत–ओमान परियोजना का वित्त पोषण

4131. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने ओमान में स्थापित की जा रही संयुक्त उद्यम परियोजना के वित्त पोषण हेतु ऋण पर गारंटी देने से मना कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस संबंध में प्रारूप समझौता ज्ञापन की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) इस परियोजना के वित्त पोषण हेतु क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) 30.7.1994 को भारत सरकार/कृभको/आर सी एफ और सल्तनत आफ ओमान सरकार/ओमान आयल कम्पनी के बीच किये गये समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे भारतीय भागीदारों अथवा भारत सरकार या सल्तनत ऑफ ओमान की सरकार या ओमान ऑयल कम्पनी प्रस्तावित संयुक्त उद्यम परियोजना के वित्त प्रबन्ध के लिए ऋणों पर वित्तीय या अन्य गारंटियां देने के लिए बाध्यकर हो।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा

4132. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति समुदायों के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करवाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और गरीबी रेखा के ऊपर लाए गए इन समुदायों के व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस तरह का अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं करवाने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) गरीबी अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित घरेलू खपत व्यय के पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में गरीबी के अनुमान वर्ष 1983-84 तथा 1987-88 के लिए उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

बिनौले का पेटेंट

4133. डा. आर. मल्लू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए बिनौले के पेटेन्ट को समाप्त करने का है ;

(ख) क्या किसी अन्य फसल/बीज के लिए किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई अन्य पेटेंट लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार के पास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की ह्रासोन्मुख इकाई सहित अपनी पेटेंट प्रणाली को पुनर्गठित करने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) "टिशु कल्चर द्वारा ट्रांसफार्म्ड कॉटन सैलों का निर्माण करने की पद्धति" के संबंध में अमरीका की एग्रासीटस इंक. को पेटेंट कार्यालय द्वारा मंजूर किए गए पेटेंट को निरश्रत करने के लिए सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि उक्त पेटेंट किसानों और समस्त जनता के लिए अत्यधिक हानिकारक है और इसलिए यह कुल मिलाकर राज्य हित के विरुद्ध है।

अभ्यावेदन की जांच की गयी है और पेटेंटधारक को यह कारण बताने की सूचना जारी की गयी है कि पेटेंट को पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 66 के अधीन निरस्त क्यों न कर दिया जाए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जनता को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने भारत में पेटेंट सूचना सेवाओं के आधुनिकीकरण की एक परियोजना आरंभ की है।

साबुन/डिटर्जेंट निर्माता

4134. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के पांच शीर्ष प्रमुख कपड़ा धोने के साबुन और डिटर्जेंट/सफाई के पाउडर (लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित) निर्माताओं का क्या ब्यौरा है ;

(ख) गत एक वर्ष में वस्तुवार और उत्पादकवार इनके द्वारा उत्पादित ब्रांड और मासिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार में बेचे गए उत्पाद की मात्रा का वस्तुवार, उत्पादकवार और माहवार, पिछले एक साल में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली में धुलाई का साबुन, डिटरजेंट्स और क्लिनिंग पाउडर के प्रमुख लघु विनिर्माताओं के नाम तथा उनके अपने-अपने ब्रांड नाम विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) दिल्ली में प्रमुख लघु एककों द्वारा सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार को बेचे गये धुलाई का साबुन, डिटरजेंट्स तथा क्लिनिंग पाउडर के विवरण क्रमशः विवरण-II और III में दिये गये हैं।

विवरण - I

साबुन, डिटर्जेंटों तथा क्लिनिंग और उनके विनिर्माताओं के नाम और पते और उनके ब्रांड नाम

क्र.सं.	इकाई का नाम तथा पता	ब्रांड का नाम
1	2	3
1.	मद्रास सोप फैक्टरी, वजीरपुर इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।	मद्रास एसओ
2.	गणेश आयल एंड सोप इण्डस्ट्रीज, ए/80/1, वजीर पुर इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।	चरखा
3.	चरखा डिजरजेंट एंड सोप इंटरप्राइजेस, ए/3, वजीरपुर इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।	चरखा

1	2	3
4.	मजदूर सोप मिल, ए/7, वजीरपुर इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।	मजदूर
5.	नरूला सोप वर्क्स, सी/58/3, वजीरपुर इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।	नरूला
6.	फरिश्ता सोप इण्डस्ट्रिज, ए/6, वजीरपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली।	फरिश्ता
7.	करतार सोप फैक्टरी, बी-33, मायापुरी, फेज-2, दिल्ली।	
8.	नौलखा केमिकल इण्डस्ट्रीज ए-10, मायापुरी, फेज-2, दिल्ली।	नौलखा
9.	बलदेव सोप फैक्टरी सी-3/3, मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-2, दिल्ली।	
10.	अशोका सोप फैक्ट्री सी-2/7, मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-2, दिल्ली।	अशोका
11.	गोरामल एण्ड संस, मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।	555
12.	खुराना सोप फैक्टरी, मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-2, दिल्ली।	
13.	बॉबी सोप फैक्टरी, मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-2, दिल्ली।	बॉबी
14.	कोहिनूर सोप फैक्टरी, सी-40, मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-2, दिल्ली।	कोहिनूर
15.	रतन सोप एंड पाउडर इन्डस्ट्रिज, एफ-63, मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-2, दिल्ली।	
16.	सेन्डेरुट एंड केमिकल प्रा. लि., डीएसआईडीसी, शेड, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, दिल्ली।	फेना

विवरण -II

दिल्ली में विनिर्मित सुपर बाजार द्वारा बेचे जा रहे धुलाई का साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, क्लीनिंग पाउडर के विनिर्माताओं की सूची।

क्र.सं.	श्रेणी	ब्रांड नाम	विनिर्माता
1.	धुलाई का साबुन	फरिश्ता	**मैसर्स चरखा डिटर्जेंट एंड सोप इंटरप्राईजेस, वजीरपुर इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।**
2.	धुलाई का साबुन	फरिश्ता एकक धुलाई का साबुन	
3.	-वही-	555	मै. गोरल मल हरि राम, नजफगढ़ रोड़, दिल्ली।
4.	-वही-	बॉबी साबुन	मै. खन्ना सोप फैक्टरी, मायापुरी, नई दिल्ली।
5.	-वही-	255	मै. मोती सोप फैक्टरी, आजादपुर, दिल्ली।
6.	डिटर्जेंट पाउडर	555	मै. गोरल-मल, हरि राम।
7.	-वही-	फेना	मै. सिंडेट एंड कैमिकल्स, ओखला, नई दिल्ली।
8.	-वही-	फरिश्ता नीला	मै. चरखा डिटर्जेंट एंड सोप इंटरप्राइजेस।
9.	-वही-	फरिश्ता सफेद	मैं. चरखा डिटर्जेंट एंड सोप इंटरप्राइजेस।
10.	क्लिनिंग पाउडर कंडेट		मैं. चरखा डिटर्जेंट एंड सोप इंटरप्राइजेस।

अनुबंध III

1993-94 के दौरान दिल्ली में लघु औद्योगिक इकाइयों से केन्द्रीय भंडार द्वारा लॉड्री सोप, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट टिकिया तथा क्लिनिंग पाउडर की खरीद के विवरण।

क. धुलाई का साबुन :

विनिर्माता	मै. मोती सोप फैक्टरी		मै. चरखा डिटर्जेंट सोप इंटरप्राइजेस		मै. जनता सोप फैक्टरी	
सप्लायर	-वही- (पुराना प्रमापित सप्लायर)		मै. मित्तल इंटरप्राईजेस (अप्रैल 1993 में शुरू)		-वही-	
ब्रांड	मोती स्पेशल 255		फरिश्ता		टेलीफोन	
	(मात्रा) (कि.ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपये)	(मात्रा) (कि.ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपये)	(मात्रा) (कि.ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल 93	23650	2.85	4000	00.52	2050	00.24

1	2	3	4	5	6	7
मई 93	22400	2.71	–	–	–	–
जून 93	20500	2.48	3750	00.48	–	–
जुलाई 93	33050	4.00	3500	00.45	2450	00.29
अगस्त 93	20000	2.42	4000	00.52	–	–
सितम्बर 93	19150	2.31	1000	00.13	–	–
अक्तूबर 93	22900	2.77	4500	00.58	–	–
नवम्बर 93	18900	2.28	2500	00.32	–	–
दिसम्बर 93	20250	2.48	3750	00.48	–	–
जनवरी 94	21900	2.73	3500	00.45	–	–
फरवरी 94	24650	3.08	7950	01.00	–	–
मार्च 94	3900	0.48	–	–	–	–

ख. डिटर्जेंट (पाउडर)

विनिर्माता	मै. सिंडेट एंड कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली		मै. चरखा डिटरजेंट एंड सोप इंटरप्राइजेस दिल्ली	
सप्लायर	-वही- (बहुत पुराने प्रमाणित सप्लायर)		मै. मित्तल इंटरप्राइजेस, नई दिल्ली (अप्रैल, 1993 में शुरू)	
ब्रांड	फेना		फरिश्ता	
	(मात्रा) (कि.ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपये)	(मात्रा) (कि.ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपये)
1	2	3	4	5
अप्रैल 93	14550	1.68	2000	0.22
मई 93	–	–	–	–
जून 93	12450	1.44	1750	0.19
जुलाई 93	–	–	2250	0.25
अगस्त 93	14400	1.67	750	0.08
सितम्बर 93	–	–	2500	0.27

1	2	3	4	5
अक्तूबर 93	-	-	-	-
नवम्बर 93	14950	1.73	1750	0.19
दिसम्बर 93	9750	1.13	1250	0.16
जनवरी 94	7050	0.82	1250	0.14
फरवरी 94	5000	0.58	2000	0.22
मार्च 94	10000	1.16	750	0.08

ग. डिटरजेंट (टिकिया)

विनिर्माता	मै. सिंडेट एंड कैमिकल इण्डस्ट्रिज लि., नई दिल्ली		मै. चरखा डिटरजेंट एंड सोप इंटरप्राइजेस दिल्ली	
सप्लायर	-वही- (बहुत पुराने प्रमाणित सप्लायर)		मै. मित्तल इंटरप्राइजेस, नई दिल्ली (अप्रैल, 1993 से शुरू)	
ब्रांड	फेना		फरिश्ता	
	(मात्रा) (कि.ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपये)	(मात्रा) (कि.ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपये)
1	2	3	4	5
अप्रैल 93	4950	0.67	300	0.04
मई 93	-	-	-	-
जून 93	4980	0.67	1875	0.24
जुलाई 93	-	-	3450	0.45
अगस्त 93	7544	1.02	1500	0.20
सितम्बर 93	-	-	7500	0.59
अक्तूबर 93	-	-	-	-
नवम्बर 93	7530	1.02	3000	0.39
दिसम्बर 93	4275	0.58	-	-
जनवरी 94	3300	0.44	750	0.10
फरवरी 94	2550	0.35	-	-
मार्च 94	3975	0.50	750	0.10

घ. सफाई का पाउडर

विनिर्माता	मै. सिंडेट एंड कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली		मै. जनता सोप फैक्टरी (रजि.), नई दिल्ली		मै. सारंग इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली		मै. मेट्रोपाल इंडिया (प्रा.) लि. नई दिल्ली		मै. चरखा डिटरजेंट एंड सोप इंटरप्राईजेस, दिल्ली	
सप्लायर	-वही-		-वही-		-वही-		-वही-		मै. मित्तल इंटरप्राईजेस, नई दिल्ली	
ब्रांड	निप		जेट		बबल		क्लिक्स		कैडेट	
	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अप्रैल 93	21225	0.97	8505	0.31	4624	0.18	3140	0.15	2600	0.09
मई 93	-	-	-	-	2362	0.09	2985	0.14	-	-
जून 93	20722	0.94	6057	0.22	2716	0.11	1520	0.07	2600	0.09
जुलाई 93	-	-	5193	0.19	1062	0.07	2160	0.10	2350	0.08
अगस्त 93	21264	0.97	5607	0.21	-	-	1735	0.08	1000	0.04
सितम्बर 93	-	-	-	-	-	-	4690	0.20	2300	0.08
अक्तूबर 93	-	-	9045	0.33	9308	0.36	6150	0.30	-	-
नवम्बर 93	-	-	9468	0.34	8597	0.33	2140	0.10	2700	0.10
दिसम्बर	-	-	-	-	7940	0.30	6310	0.30	1750	0.06
जनवरी 94	-	-	8433	0.31	5378	0.21	5895	0.28	2950	0.10
फरवरी 94	-	-	8964	0.32	-	-	3565	0.17	5000	0.18
मार्च 94	-	-	7272	0.27	3566	0.13	2260	0.11	-	-

छावनी क्षेत्रों में अतिक्रमण

4135. श्री तारा सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर, कानपुर, मेरठ और लखनऊ छावनियों की सीमाओं में बड़ी संख्या में पेड़ों के गिरने और सार्वजनिक पार्कों तथा भवनों के अतिक्रमण के कारण वहां की वानिकी तथा हरित पट्टियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उक्त ''क'' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मतदाता सूची

4136. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन सूचियों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को 1 जनवरी, 1995 को अर्हता की तारीख मानकर गहन रूप से परीक्षित किया जा रहा है। घर-घर जाकर गणना का कार्य 15-7-1994 को आरंभ हो गया है और तारीख 4-1-1995 को निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप से प्रकाशित करने के लिए नियत किया गया है।

[अनुवाद]

अस्थायी तौर पर सरकारी आवासों का आबंटन

4137. डा. असीम बाला : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 से अब तक कितने सरकारी आवासों का बिना बारी के तदर्थ आधार पर श्रेणीवार आबंटन किया गया है; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कितने व्यक्तियों को इस तरह आवास आबंटित किये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) बिना बारी/तदर्थ आधार पर जुलाई, 1991 से अब तक श्रेणीवार आबंटित सरकारी क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है : -

	1991 (जुलाई से दिसम्बर)	1992	1993	1994 (जनवरी से जुलाई)
1.	125	290	203	130
2.	682	1078	1002	739
3.	160	471	417	425
4.	89	267	244	153
5. (विशेष)	01	01	05	04
5. (ए) डी-।।	35	101	101	76
5. (बी) डी-।	04	22	30	26
6. (ए) सी-।।	07	26	55	28

(ख) सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के आवासों का आबंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा, आबंटन नियमावली के पूरक नियम-317-बी-25 के तहत की जाती है। उपर्युक्त प्रावधान के तहत किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी आवास आबंटित नहीं किए जाते हैं।

टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया

4138. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के क्रयादेशों की पूर्ति नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार टी.ए.एफ.सी.ओ. को बी.एच.ई.एल. और अन्य सरकारी उपक्रमों से संबंधित लम्बित सभी मामलों को सुलझाने का निर्देश देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जब कभी आवश्यकता होती है, टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के साथ लम्बित मामलों को सुलझाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

विवरण

टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा पिछले 3 वर्षों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) को की गई आपूर्तियों के ब्यौरे।

वित्तीय वर्ष	भेल एकक	मद	आपूर्ति की गई मात्रा (जोड़े)	मूल्य (रुपये)	
1991-92	भोपाल	जूते	132	24,684.00	24,684.00
1992-93	भोपाल	जूते	196	38,632.00	
1992-93	भोपाल	दस्ताने	800	14,000.00	

1992-93	रानीपुर	दस्ताने	1150	19,550.00	
	(हरिद्वार)				72,182.00
1993-94	भोपाल	जूते	713	1,14,080.00	
1993-94	भोपाल	दस्ताने	4280	77,020.00	
1993-94	रानीपुर	दस्ताने	3530	60,350.00	
	(हरिद्वार)				72,182.00
1993-94	जगदीशपुर	जूते	605	1,16,375.00	
	(सुल्तानपुर)				3,67,825.00

बुलेट प्रूफ राकेट

4139. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खन्डूरी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 1994 को ''इंडियन एक्सप्रेस' में ''बुलेट प्रूफ राकेट बस्टिड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस चोरी के विषय में कोई छानबीन की गयी है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) हैदराबाद स्थित रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला में चुराई गई लगभग 1.6 लाख रुपए लागत की 159 बुलेट प्रूफ स्टील प्लेटें हैदराबाद स्थित मदन्नापेट पुलिस स्टेशन की स्थानीय पुलिस ने बरामद की थी।

(ग) और (घ) विभागीय जांच बोर्ड ने स्थानीय पुलिस की मदद से चोरी का पता लगा लिया है। इस चोरी में शामिल रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला के 8 कर्मचारियों की पहचान कर ली गई है।

(ङ) इस चोरी में शामिल रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला के 8 कर्मचारियों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से सेना के एक ड्राइवर को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सम्बद्ध सैन्य यूनिट को सौंप दिया गया है तथा अन्य 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रयादेश

4140. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत कुछ सरकारी उपक्रम अन्य सरकारी उपक्रमों से क्रयादेशों की कमी के कारण घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अब इन उपक्रमों को किसी सहायता का आश्वासन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो सहायता दिए जाने वाले उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक उपक्रम को दी जाने वाली सहायता राशि कितनी होगी ; और

(ङ) इन उपक्रमों से क्रयादेश लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रम हैं। उनमें से कुछ उपक्रम बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, कार्यचालन पूंजी की कमी, प्रौद्योगिकी की पुरातनता, आर्डरों की कमी, बेशी श्रमशक्ति आदि जैसे विभिन्न कारणों से घाटे में चल रहे हैं।

(ग) संसाधनों की सीमा सहित कई कारकों को ध्यान में रखकर, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को योजना और गैर-योजना सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई योजना और गैर-योजना सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नए उदार परिवेश में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनने तथा अपनी विपणन कार्यनीतियों को अनुकूल बनाने की सलाह दी गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1993-94 (सं.अ.)		1994-95 (ब.अ.)	
		योजना (ब.स.)	गैर-योजना	योजना (ब.स.)	गैर-योजना
1	2	3	4	5	6
1.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	4.75	6.00	10.01	6.00

1	2	3	4	5	6
2.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड	1.25	1,00	0.01	1.00
3.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	4.00	7.00	1.82	7.00
4.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.02	8.50	0.01	6.50
5.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	34.95	-	6.00	0.01
6.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	74.22	-	34.15	-
7.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा	1.00	-	1.00	-
8.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड	0.50	15.00	-	15.00
9.	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.02	3.00	0.01	2.00
10.	नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड	0.20	1.50	0.01	1.50
11.	रिहेब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	0.02	8.00	0.01	7.00
12.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	0.02	12.95	0.01	10.00
13.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2.50	-	25.00	-
14.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	6.00	-	3.01	-
15.	नेपा लिमिटेड	1.00	-	-	-
16.	भारत लेदर कारपोरेशम लिमिटेड	0.02	0.40	0.01	0.40
17.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	2.00	0.48	1.57	0.48
18.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कंपनी लिमिटेड	6.50	6.00	40.00	-

1	2	3	4	5	6
19.	टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.02	5.50	0.01	5.50
20.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	11.44	10.00	6.19	6.40
21.	दि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	0.13	–	0.23	–
	योग	150.56	85.33	129.06	68.79

बिहार में सौर तापीय विद्युत संयंत्र

4141. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास बिहार के गया नगर में सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या बिहार सरकार द्वारा 1989 में केन्द्रीय सरकार को परियोजना रिपोर्ट भेजी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और यह परियोजना कब तक शुरू कर दी जायेगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से वर्ष 1989 में 2 X 30 मेवा. सौर तापीय विद्युत संयंत्र के लिए एक संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने रेखीय संकेन्द्रण सौर संग्राहक प्रौद्योगिकी पर आधारित इन विद्युत संयंत्रों को गया शहर से लगभग 17 कि.मी. दूर फतेहपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। सौर तापीय माध्यम से विद्युत का उत्पादन करना एक नई प्रौद्योगिकी है और अधिक पूंजीगत निवेश को ध्यान में रखते हुए, ऐसे विद्युत संयंत्रों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की पहले जांच की जा रही है।

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

4142. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष आज तक कुल कितने पूर्ण संविधान पीठ, दीवानी और आपराधिक मामले लंबित हैं ;

(ख) तीन वर्षों और पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ओर ये पद कब से रिक्त हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रिक्त पद भरे गए ; और

(ङ) पुराने मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1994 को उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या निम्नलिखित है : -

लंबित मामलों (नियमित सुनवाई के मामले) की संख्या	-	38,728
3 या अधिक वर्षों से लंबित मामलों की संख्या (5 या अधिक वर्षों से लंबित मामलों को छोड़कर)	-	7,436
5 या अधिक वर्षों से लंबित मामलों की संख्या (10 या अधिक वर्षों से लंबित मामलों को छोड़कर)	-	10,349
10 या अधिक वर्षों से लंबित मामलों की संख्या	-	9,768

(ग) 10.8.1994 को, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के 5 पद रिक्त थे। ये पद निम्नलिखित तारीखों से रिक्त हुए : -

1. 26.9 .1993
2. 15.2.1994
3. 13.3.1994
4. 15.7.1994
5. 2.8.1994

(घ) पिछले तीन वर्षों (1.8.1991 से अब तक) के दौरान 13 रिक्त पद भरे गए थे।

(ङ) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं।

(1) सभी लंबित मामलों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया को कारगर बनाया गया है। समान मामलों को एक साथ समूहबद्ध किया गया है। और बड़े समूहों को सूचीबद्ध करने में पूर्विकता दी जा रही है।

(2) खंड न्यायपीठों का गठन करते समय, विशिष्ट विषय से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए प्रत्येक माननीय न्यायाधीश की विशेषज्ञता को ध्यान में रखा जा रहा है।

(3) खंड न्यायपीठों को, नियत संख्या में मामले आबंटित करते हुए दो या तीन मास की लगातार अवधि के लिए गठित किया जा रहा है और सुनवाई की प्रगति को ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है। स्थगनों को कम-से-कम किया जा रहा है।

(4) नियमित सुनवाई के मामलों के लिए सप्ताह में तीन दिन पूरी तरह से नियत किए गए हैं। बड़े समूहों और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों को छोड़कर नियमित सुनवाई के मामलों को कालानुक्रम में सूचीबद्ध किया जा रहा है।

(5) दो खंड न्यायपीठों का गठन पूर्णतया दांडिक मामलों की सुनवाई करने के लिए किया गया है ; एक खंड न्यायपीठ का गठन पूर्णतया भूस्वामी और किराएदार के मामलों की सुनवाई के लिए ; एक खंड न्यायपीठ का गठन पूर्णतया भूमि-अर्जन के मामलों की सुनवाई के लिए लिए ; एक खंड न्यायपीठ का गठन पूर्णतया कर संबंधी मामलों की सुनवाई के किया गया है। इसी प्रकार, तीन न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ का गठन पूर्णतया कर-संबंधी मामलों तथा वृहत्तर न्यायपीठ के मामलों की सुनवाई करने के लिए किया गया है।

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस (उच्चतम) न्यायालय द्वारा सांविधानिक मामलों में विधि की घोषणा के लंबित रहने तक, उच्च न्यायालयों के अधिक संख्या में मामले रुक न जाएं, हाल ही में एक नियमित सांविधानिक न्यायपीठ का गठन किया गया है और ऐसे सभी मामलों को पहले ही सूचीबद्ध कर लिया गया है।

(7) क्योंकि विधि के समान प्रश्न उठानेवाले मामलों और वैसे ही आक्षेपणीय निर्णयों से उत्पन्न होने वाले मामलों को पहले ही सूचीबद्ध कर लिया गया है, यह आशा की जाती है कि आने वाले दिनों में बकाया मामले कम हो जाएंगे और पुराने मामलों का भी तेजी से निपटारा किया जा सकेगा।

(8) उच्चतम न्यायालय के कार्य के घंटों को आधा घंटा बढ़ा दिया गया है, जो निपटारे की दर में वृद्धि करने में सहायक होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का लाभ

4143. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों द्वारा अपने लाभ के आंकड़ों को अपने खाते में बढ़ाकर दिखाए जाने की रिपोर्ट मिली है जो कि वास्तविक लाभ से कहीं ज्यादा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न हीं नहीं उठते।

|हिन्दी|

पुनर्वास नीति

4144. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुनर्वास नीति तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन प्रमुख विकास योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास कार्य किए गए ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नीति अभी बनायी जा रही है।

(घ) विस्थापित लोगों के पुनर्वास की जिम्मदारी परियोजना प्राधिकारियों/राज्य सरकारों की है, विभिन्न योजनाओं, जिनके तहत पुनर्वास का कार्य किया जाता है, की निगरानी केन्द्र स्तर की किसी भी एजेन्सी द्वारा नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

झुग्गियों का गिराया जाना

4145. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या शहरी विकास मंत्री 3.8.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1614 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से 30 जून तक कितनी-कितनी झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां सरकारी जमीन पर बसी थीं ;

(ख) ऐसी प्रत्येक बस्ती में झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या जनवरी, 1990 में मौजूद सभी झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को हटा दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों तथा उनमें कितनी झुग्गी-झोपड़ियों को स्थानान्तरित किया जाना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) के अनुसार इस अवधि के दौरान झुग्गी झोपड़ी बस्तियों और उनमें झुग्गियों की संख्या के बारे में कोई व्यापक सर्वे नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एम सी डी ने बताया है कि भू-स्वामित्व एजेन्सियों/परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों के अनुरोध तथा उनके द्वारा पुनर्स्थापन प्रभार और झुग्गीवासियों द्वारा शेयर पूंजी के भुगतान पर, पात्र झुग्गी वासियों को इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित योजना के तहत अन्यत्र बसाया जाता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा पहचानी गई 929 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में से दिल्ली नगर निगम ने 1990 से जून, 1994 के दौरान भिन्न-भिन्न झुग्गी बस्तियों के 3442 झुग्गीवासियों को अन्यत्र बसाया है।

असम में अपारम्परिक ऊर्जा

4146. **श्री प्रबीन डेका :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर पारंपरिक ऊर्जा के द्वारा बिजली पैदा करने के लिए असम को पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य में अपारंपरिक स्रोतों से बिजली पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए गए ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.

कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ग्रिड किस्म की विद्युत के उत्पादन के लिए राज्य सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

(ग) उपयुक्त प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता देने के लिए यह मंत्रालय पवन ऊर्जा सर्वेक्षणों, लघुपन बिजली परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, और बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए आकलन अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध कराता है।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड

4147. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड ने कितना लाभ कमाया है ;

(ख) भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड के पास वर्तमान समय में क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसका निजीकरण किये जाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड द्वारा पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	करोड़ रुपए
1989-90	2.50
1990-91	3.04
1991-92	1.55
1992-93	2.07
1993-94 (अनंतिम)	2.50

(ख) यथा 31.7.94 को भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड के पास क्रयादेशों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

	करोड़ रुपये
प्रकिया संयंत्र	137.11
क्रायोजेनिक्स	31.54
कम्बश्चन प्रणालियां	85.49
प्रणालियां	179.21
निर्यात	0.05
	433.40

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु विद्युत

4148. श्री पी. कुमारासामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विद्युत उत्पादन में परमाणु विद्युत का भाग 1992 की तुलना में 1993 में कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) देश में सभी स्रोतों से बिजली का कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसमें परमाणु बिजली के उत्पादन के भाग का प्रतिशत 1992 में लगभग 2.1 तथा 1993 में लगभग 2.0 था। 1993 में परमाणु विद्युत उत्पादन के भाग में मामूली सी कमी आने का मुख्य कारण 31 मार्च, 1993 को नरोरा परमाणु बिजलीघर (एन ए पी एस) के यूनिट-1 के टरबाइन में आग लगने की घटना का होना और इसके परिणामस्वरूप 1993 के दौरान नरोरा परमाणु बिजलीघर-2 और मद्रास परमाणु बिजलीघर यूनिट-I के टरबाइन जनित्रों में संशोधन करना अपेक्षित था। नरोरा परमाणु बिजलीघर-I टरबाईन में आग लगने की घटना के बाद सुधार कार्यों के लिए वर्ष 1993 में 9 महीनों के लिए बन्द रहा। नरोरा परमाणु बिजलीघर के यूनिट-II में नवम्बर, 1993 से फिर से उत्पादन करना शुरू कर दिया गया है।

(ग) नरोरा परमाणु बिजलीघर-I के तेजी से किए जा रहे सुधार संबंधी कार्य जिनके जल्दी ही पूरा

होने की आशा है, के अलावा, बिजलीघर की क्षमता उपयोगिता को और बेहतर बनाने तथा चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के वास्ते प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा लिए गए साक्षात्कार

4149. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी उद्यम चयन बोर्ड निदेशक स्तर की नियुक्ति के लिए उन लोगों को साक्षात्कार के अवसर दे रहा है जिनकी उम्मीदवारी को पेनल में नाम आने के बाद मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति अथवा संबंधित मंत्रालयों द्वारा भ्रष्टाचार के आधार पर लगभग 15 माह की समयावधि के भीतर पहले ही नामंजूर कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड में जून, 1994 में निदेशक की नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का पेनल बनाने के मामले में सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा की गयी ऐसी ही धांधली की जानकारी भी मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। विद्यमान क्रियाविधि में प्रशासनिक मंत्रालय के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में शामिल उम्मीदवारों के बारे में नियुक्ति के समय सतर्कता संबंधी स्वीकृति प्रस्तुत करें। सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चयन की प्रक्रिया के दौरान केवल उन्हीं सतर्कता विषयक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है जो विशेष रूप से इसकी जानकारी में लाए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम

4150. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राजस्थान को ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित की गई ; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत वर्षवार क्या उपलब्धि रही ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राजस्थान को आबंटित राशि निम्नलिखित है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
1992-93	4183.00	63.25
1993-94	6886.00	94.86
1994-95	8222.00	190.00

(ख) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियां निम्नलिखित हैं : -

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम कवर किए गए गांवों की संख्या	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम बनाए गए स्वच्छ शौचालयों की संख्या
1992-93	2010	* शून्य
1993-94	2378	6477
1994-95	264	151
	(6/94 तक बसावटें)	(5/94 तक)

* सरकार द्वारा योजना मार्च 93 में अनुमोदित की गई थी और निधियां 30-31 मार्च 1993 के बाद ही रिलीज की जा सकी।

बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से संबंधित परियोजनाएं

4151. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी विशिष्ट स्रोत परियोजनाएं आरम्भ की जा रही है अथवा आरम्भ की जाएंगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय समूचे देश में, जिसमें बिहार राज्य शामिल है, बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर ऊर्जा, पवन, बायोमास, पन-बिजली आदि जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन के लिए व्यापक कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा के मुख्य कार्यक्रम में संस्थापित प्रणालियों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	मार्च, 1994 तक बिहार में आठवीं योजना के दौरान संस्थापना
1	2	3	4
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	संख्या	10464
2.	उन्नत चूल्हा	संख्या	1,57,328
3.	समेकित ग्रामीण ऊर्जा	ब्लाक	7
4.	सौर तापीय प्रणालियां	वर्गमीटर क्षेत्र	1004
5.	सौर कूकर	संख्या	730
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय		
क.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनियां/टेलीविजन और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	7
ख.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां/लालटेन	संख्या	652
7.	ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं	संख्या	1

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

4152. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐन्ड्रयूजगंज एवं अन्य स्थानों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितने सरकारी क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और विशेष पूलों को इन क्वार्टरों के आबंटन के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ; और

(ग) प्रत्येक पूल को ऐसे कितने क्वार्टर आबंटित किए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) ऐन्ड्रयूजगंज में कोई क्वार्टर नहीं बनाए जा रहे। तथापि, दिल्ली में अन्य स्थानों पर बनाए जा रहे क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है : –

	स्थान	क्वार्टरों के प्रकार					कुल संख्या
I	II	III	IV	V	VI	VII	
1.	नेहरू नगर	–	–	135	–	–	135
2.	एम वी रोड	–	–	–	112	–	112
						योग	247

(ख) और (ग) इन क्वार्टरों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा विशेष पूलों को दिए जाने के कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है। इन क्वार्टरों का निर्माण, सामान्य पूल मात्र के लिए किया जा रहा है।

[अनुवाद]

झुग्गी-झोपड़ीवासियों द्वारा अतिक्रमण

4153. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1994 के "स्टैटमैन" में प्रकाशित समाचार "अविकिंटग एनक्रोचर्स ए टफ टास्क" शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) झुग्गी-झोपड़ीवासियों के झुग्गियों को पक्का करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार ए-4, पश्चिम विहार में 400 झुग्गियों का एक समूह है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने झुग्गी झोपड़ी वासियों को, अपनी झुग्गियों को पक्का बनाने से रोकने के लिए इन क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तम्बाकू संयंत्र स्थापित करना

4154. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू उत्पादों को 100 प्रतिशत निर्यात हेतु उपयुक्त बनाने के लिए तम्बाकू क्षेत्र में कार्यरत विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आन्ध्र प्रदेश में संयंत्रों की स्थापना कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धता का अध्ययन कराया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान की क्या भूमिका है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

असम में मतदाता सूची

4155. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री जगमीत सिंह बरार :

डा. रमेश चन्द तोमर :

श्री अमर पाल सिंह :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भूमिहीन किसानों को भूमि

4156. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार भूमिहीन किसानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इन्हें भूमि देने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जनगणना के दौरान भूमिहीन किसानों के बारे में सूचना एकत्रित नहीं की जाती है। तथापि, कृषि मजदूरों के बारे में ब्यौरे 1991 की जनगणना के दौरान एकत्रित किए गए थे। देश में (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) कृषि मजदूरों की संख्या 74,597,744 थी। कृषि मजदूरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ग) भूमिहीन किसानों को भूमि देने संबंधी कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि, एक योजना पहले से संचालन में है जिसके अंतर्गत भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, बंजरभूमि और भूदान भूमि वितरित की जाती है। अभी तक 50.58 लाख एकड़ अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, 127.39 लाख एकड़ बंजरभूमि और 23.29 लाख एकड़ भूदान भूमि वितरित की जा चुकी है।

विवरण

क्रमांक	भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि मजदूर
	भारत	74,597,744
	(जम्मू व कश्मीर को छोड़कर)	
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,625,159
2.	अरूणाचल प्रदेश	20,054
3.	असम	844,964
4.	बिहार	9,512,892
5.	गोवा	35,284
6.	गुजरात	3,230,547
7.	हरियाणा	896,782
8.	हिमाचल प्रदेश	58,668
9.	कर्नाटक	4,999,959
10.	केरल	2,120,452
11.	मध्य प्रदेश	5,863,029
12.	महाराष्ट्र	8,313,223
13.	मणिपुर	47,350
14.	मेघालय	89,492
15.	मिजोरम	9,527
16.	नागालैंड	7,233
17.	उड़ीसा	2,976,750
18.	पंजाब	1,452,828
19.	राजस्थान	1,391,670

20.	सिक्किम	12,851
21.	तमिलनाडु	7,896,295
22.	त्रिपुरा	187,538
23.	उत्तर प्रदेश	7,833,258
24.	पश्चिम बंगाल	5,055,478
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,989
2.	चंडीगढ़	1,642
3.	दादर व नगर हवेली	6,233
4.	दमन व दीव	1,199
5.	दिल्ली	25,195
6.	लक्षद्वीप	-
7.	पांडिचेरी	77,203

स्रोत : भारत की जनसंख्या, 1991 क्रम-1, 1992 का पत्र 2 अंतिम जनसंख्या का योग (तालिका-4)

मध्य प्रदेश में उर्वरक उद्योग

4157. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में उर्वरक उद्योग का उत्पादन इसकी उत्पादन क्षमता के अनुरूप नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) के विजयपुर एकक में 1993-94 के दौरान यूरिया का उत्पादन इसकी क्षमता का लगभग 121 प्रतिशत था। तथापि, 1993-94 के दौरान राज्य में सिंगल सुपर फास्फेट एककों की औसत क्षमता उपयोगिता, वित्तीय समस्या तथा उठान में कमी के कारण लगभग 51 प्रतिशत थी। सरकार उठान में सुधार करने के लिए एसएसपी की बिक्री पर 340 रुपये

प्रति टन की विशेष रियायत प्रदान कर रही है। एन एफ एल इस समय अपने विजयपुर एकक की क्षमता दुगुनी करने की परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

कृषि भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध

4158. श्री सज्जन कुमार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के कुछ गांवों को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया है और कृषि भूमि की बिक्री/हस्तातरण पर प्रतिबंध लगाया है ;

(ख) क्या प्रतिबंध लगाए जाने को चुनौती दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है / की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12(1) में दिल्ली में किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। इसमें कृषीय भूमि की बिक्री/अन्तरण पर कोई प्रतिबन्ध लगाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अभी तक घोषित विकास क्षेत्र के भीतर 58 गांव आते हैं।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत "वाटर शेड डिवेलपमेंट"

4159. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत "वाटर शेड डिवेलपमेंट" को महत्व देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे बेरोजगारी कम हो जायेगी ; और

(घ) जवाहर रोजगार योजना में और कौन से परिवर्तन प्रस्तावित हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भूमि और जल संरक्षण कार्य करने की अनुमति दी जाती है। जिला स्तर पर भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद की 60 प्रतिशत निधियां आर्थिक रूप से उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियों के लिये निर्धारित की जाती है जैसे लघु सिंचाई कार्यों, ग्रामीण बाजारों का विकास, वाटर शेड विकास परियोजनाओं,

सामाजिक वानिकी, जल और भूमि संरक्षण उपायों, बंजर भूमि को विकसित करने, पौध शालाएं, कृषि बागवानी, चरागाह विकास, संपर्क सड़कें आदि।

(ग) वाटर-शेड विकास, जल और भूमि संरक्षण आदि से संबंधित कार्य श्रम प्रधान कार्य हैं, अतः योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यों को शुरू करके और अधिक रोजगार मुहैया कराया जाएगा।

(घ) वाटर-शेड विकास के लिये गहन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित निधियों के एक प्रस्ताव की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

रीफा की मांग

4160. श्री मोहन रावले :

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु

श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीफा एक महत्वपूर्ण टी.वी. रोधी औषधि रिफेम्पिसिन तैयार करने में एक एक प्रमुख मध्यवर्ती कच्ची सामग्री है ;

(ख) यदि हां, तो रिफैम्पिसिन तैयार करने के लिए देश में रीफा की कुल मांग कितनी कितनी है ;

(ग) कौन-कौन सी भारतीय फर्में रीफा तैयार कर रही हैं और गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष उनका कितना उत्पादन रहा ;

(घ) क्या उत्पादक, विशेषतः लघु क्षेत्र के उत्पादक रिफैम्पिसिन इन्टरमीडिएट आयात नीति को अंतिम रूप दिए जाने में अत्याधिक विलम्ब से प्रभावित हुए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) रिफा-एस की कुल मांग 300 मी. टन होने का अनुमान है।

(ग) मैसर्स गुजरात थिमिस बायोसिन लिमिटेड (जी.टी.बी.एल.) और मैसर्स लुपिन केमिकल्स लिमिटेड रिफा-एस के प्रमुख निर्माता हैं और उनका उत्पादन निम्न प्रकार है : -

(मात्रा टनों में)

वर्ष	बी.टी.बी.एल.	लुपिन
1991-92	3.561	शून्य
1992-93	46.175	शून्य
1993-94	64.28	30.16

(घ) और (ङ) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। रिफैम्पिसीन मध्यवर्ती संबंधी नीति 26.7.94 को घोषित कर दी गई है।

[हिन्दी]

स्वरोजगार योजना

4161. श्री रतिलाल वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान कितने छात्रों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए ; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक गतिविधियां/परियोजनाएं प्रायोजित की जाती हैं और गुजरात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वरोजगार अवसरों के सृजन हेतु ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिन परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाती है उनमें सिंचाई, दुधारू पशु, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा सिलाई/बुनाई, दुकानें, बैल/ऊंट गाड़ी आदि शामिल हैं। गुजरात में जिन लोकप्रिय व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है वे हैं : - हीरे तराशना, कताई, बुनाई, कढ़ाई, मोटर-मैकेनिक, सिलाई आदि।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या और ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवकों की संख्या के साथ-साथ इन योजनाओं के लिए दी गई सहायता संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति

गुजरात में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94 (अनन्तिम)
सहायता दिए जाने वाले परिवारों की संख्या	68227	56861	74909
वास्तविक रूप से सहायता दिए गए परिवारों की संख्या	72326	61842	79725
दी गई सहायता (सबसिडी) (लाख रुपये में)	2307.69	2204.50	3354.85

गुजरात में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94
प्रशिक्षित युवा (संख्या)	24192	11209	12037
आवर्ती खर्च के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता (सबसिडी) (लाख रुपये में)	204.00	102.65	2157.24
ट्राइसेम के अंतर्गत आधारभूत ढांचे के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता (लाख रु. में)	6.61	8.04	27.60

आदिवासी लोगों को रोजगार

4162. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के आदिवासी लोगों को रोजगार देने हेतु कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आदिवासी लोगों की रोज़गार आवश्यकताओं का ध्यान जनजातीय उपयोजना तथा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत रखा जाता है, जो राज्य में पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

रायल्टी की सीमा

4163. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आधुनिक प्रौद्योगिकी की तरफ आकर्षित करने हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से रायल्टी की सीमा को हटाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) नयी औद्योगिक नीति, 1991 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी प्रौद्योगिकी अंतरण समझौतों के प्रस्तावों को स्वतः अनुमोदन देता है जो निर्धारित वित्तीय/रायल्टी सीमाओं अर्थात् जिनमें 1 करोड़ रुपये तक एक मुश्त भुगतान, घरेलू बिक्री के लिए 5 प्रतिशत और निर्यात के लिए 8 प्रतिशत रायल्टी अंतर्ग्रस्त है बशर्ते कि समझौते की तारीख से 10 वर्ष अथवा उत्पादन शुरू होने के 7 वर्षों की अवधि में बिक्री पर कुल भुगतान 8 प्रतिशत हो।

स्वतः अनुमोदन के लिये मानदंडों के बाहर विदेशी तकनीकी सहयोग के अन्य सभी प्रस्तावों पर सरकार की मौजूदा कार्यपद्धति के अधीन गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है जिनमें वे प्रस्ताव भी शामिल हैं जहां रायल्टी की उच्च दर की मांग की गई है।

रोजगार आश्वासन योजना

4164. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री लाल बाबू राय :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रोजगार योजनाओं का देश की रोजगार-स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार प्रकोष्ठ स्थापित किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यवार कितने लोग पंजीकृत किए गए और लाभान्वित हुए ;

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया/किए जाने का विचार है ; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस योजना पर राज्यवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हैं : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे 1980-81 में शुरू किया गया, 1989-90 में की गई जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना जिसे 2.10.1993 से शुरू किया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी सबसिडी और बैंक ऋण के मार्फत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे पता लगाए गए ग्रामीण गरीब परिवारों को आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां मुहैया कराना है। वर्ष 1980-81 से 1993-94 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनतर्गत 44 मिलियन परिवार लाभांवित हुए हैं।

जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार लोगों को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। वर्ष 1989-90 से 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार के अंतर्गत 43459.31 लाख श्रम दिनों का रोजगार मुहैया कराया गया है।

सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को, जो रोजगार चाहते हैं और जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, को गैर कृषि मौसम के दौरान अकुशल स्वरूप के मजदूरी कार्य में 100 दिनों का

सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है। फिलहाल सुनिश्चित रोजगार योजना देश के 1778 खंडों में कार्यान्वित की जा रही है जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। 1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण कारीगरों को 491.68 लाख श्रम दिनों का रोजगार मुहैया कराया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रगति की निगरानी रोजगार के लिए पंजीकृत लोगों की संख्या और सृजित रोजगार श्रमदिनों की संख्या के अनुसार की जाती है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत इसके शुरू होने से लेकर अब तक पंजीकृत लोगों और सृजित रोजगार की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) इस समय सुनिश्चित रोजगार योजना देश के 261 जिलों के 1778 पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खंडों में कार्यान्वित की जा रही है।

(च) 1993-94 और 1994-95 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण - II में दिए गए हैं।

विवरण - I

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की राज्यवार संख्या और सृजित रोजगार

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत लोगों की संख्या	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन) 1993-94 (2.10.93 से)	1994-95 (जुलाई 94 तक) अनंतिम
1	2	3	4	5
1.	आंध्रप्रदेश	794945	62.42	20.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	75151	3.64	0.23
3.	असम	62277	3[illegible].75	6.89
4.	बिहार	537457	31.44	34.03

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	109958	6.75	1.52
6.	हरियाणा	29393	15.20	4.71
7.	हिमाचल प्रदेश	3090	0.05	0.13
8.	जम्मू एवं कश्मीर	252300	3.46	7.10
9.	कर्नाटक	1577220	32.12	24.04
10.	केरल	19582	2.60	5.60
11.	मध्य प्रदेश	1010000	51.26	35.55
12.	महाराष्ट्र	256112	31.53	25.96
13.	मणिपुर	100650	असूचित	
14.	मेघालय	7671	शून्य	0.08
15.	मिजोरम	106573	8.52	0.70
16.	नागालैंड	75390	33.92	0.00
17.	उड़ीसा	1038033	31.43	37.01
18.	राजस्थान	170073	50.00	29.30
19.	सिक्किम		0.82	0.04
20.	तमिलनाडु	136249	10.96	8.27
21.	त्रिपुरा	424640	16.14	7.27
22.	उत्तर प्रदेश	516195	15.00	26.39
23.	पश्चिम बंगाल	1484000	52.53	18.75
24.	अ.नि.द्वीपसमूह	743	0.10	0.02
25.	दा.न.हवेली	830	0.04	0.02
26.	दमन एव दीव		शून्य	शून्य
27.	लक्षद्वीप	2083	शून्य	शून्य
	योग	8790631	491.68	294.39

विवरण - II

1993-94 और 1994-95 के दौरान सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत उपयोग की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उपयोग की गई निधियां (लाख रु. में)	
		1993-94 (2.10.93 से)	1994-95 (जुलाई 94 तक) अनन्तिम
1	2	3	4
1.	आंध्रप्रदेश	2566.02	1131.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	136.17	7.40
3.	असम	963.09	197.42
4.	बिहार	1603.36	1768.08
5.	गुजरात	146.21	30.74
6.	हरियाणा	993.35	403.32
7.	हिमाचल प्रदेश	2.47	5.71
8.	जम्मू एवं कश्मीर	133.75	301.38
9.	कर्नाटक	678.26	1060.30
10.	केरल	171.20	330.96
11.	मध्य प्रदेश	2503.49	1840.39
12.	महाराष्ट्र	430.10	577.23
13.	मणिपुर	35.46	
14.	मेघालय	शून्य	2.00
15.	मिजोरम	470.98	43.37
16.	नागालैंड	975.15	शून्य

1	2	3	4
17.	उड़ीसा	1280.35	1426.90
18.	राजस्थान	926.99	1117.77
19.	सिक्किम	20.27	0.76
20.	तमिलनाडु	319.48	272.92
21.	त्रिपुरा	659.35	241.04
22.	उत्तर प्रदेश	647.68	1180.15
23.	पश्चिम बंगाल	2621.00	923.54
24.	अ.नि.द्वीपसमूह	2.41	1.26
25.	दा.न.हवेली	1.51	0.53
26.	दमन एव दीव	शून्य	शून्य
27.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
	योग	18293.60	12864.95

बौद्धिक संपदा कानून सम्बन्धी समिति

4165. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उरुग्वे दौर के भारतीय बौद्धिक संपदा कानून पर पड़ने वाले असर के अध्ययन के लिए कोई विशेषज्ञों की समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का विवरण क्या है ; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सरकार ने पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट नियम 1972 में आवश्यक संशोधनों पर विचार करने और इनमें विशिष्ट सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन

किया है ताकि बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के उरुग्वे दौर के अन्तिम अधिनियम के बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार से सम्बद्ध पहलुओं के अधीन हमारे दायित्व का अनुपालन किया जा सके और विशेषकरके उरुग्वे दौर से सम्बद्ध किसी अन्य मामले के परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन समझौते के लागू होने के तत्काल प्रभाव के फलस्वरूप हमारे उत्तरदायित्व के संदर्भ मे हमारे हितों की रक्षा की जा सके।

इस दल को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

बेरोजगारी

4166. श्री चित्त बसु : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 से बेरोजगारी में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके प्रभावों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या से निबटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1983 और उससे आगे के उपलब्ध अनुमान सूचित करते हैं कि बेरोजगार की औसत वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक रही है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना में परिकल्पित रोजगार कार्यनीति में रोजगार सघनता वाले सेक्टरों-उप सेक्टरों और गतिविधियों के विकास पर बल दिया गया है। इस कार्यनीति से अर्थव्यवस्था की 5.6 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर के अनुरूप लगभग 2.6 प्रतिशत 2.8 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि दर होने का अनुमान है 1997-2002 तक की अवधि के दौरान इस कार्यनीति को जारी रखने से उस अवधि के अन्त तक बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी को नगण्य स्तर तक कम किए जाने का अनुमान है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

4167. प्रो. के.वी. थामस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नया निवेश करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लाभ में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उद्यमों में स्वीकृत परियोजनाओं/योजनाओं में नया निवेश करना एक सतत् प्रक्रिया है जो समग्र सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं/योजनाओं की तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

(ग) सुधार के लिये किये गये उपाय उद्यम विशेष के लिए अलग - अलग होते हैं। बहरहाल किये गये कुछ उपाय 23-2-1994 को संसद में प्रस्तुत किये गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड - 1 के पृष्ठ संख्या 150 पर दिये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण

4168. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में भारी घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन उद्यमों के निजीकरण का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इन्हें लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान 10 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक का घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रुग्णता की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में पंजीकृत करा दिया गया है ताकि उनके लिये पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं बनाई जा सके। इन उद्यमों के सम्बन्ध में निजीकरण उन्हें बन्द करने/उनका पुनरुद्धार करने आदि सहित आगे की कार्रवाई उद्यम-दर-उद्यम के आधार पर औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल की सिफारिशों पर निर्भर करेगी। घाटा उठाने वाले अन्य उद्यमों के सम्बन्ध में उद्यम विशेष की आवश्कता अनुसार सरकार और सरकारी क्षेत्र के सम्बद्ध उपक्रम के प्रबन्धन द्वारा कार्रवाई की जाती है। घाटे के कारणों का पता लगाने के लिये उद्यमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा भी की जाती है। और उनके कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिये उपाय किये जाते हैं।

विवरण

घाटा उठाने वाले उन उद्यमों की राज्यवार सूची जिन्होंने 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक का घाटा (-) उठाया है।

क्रम सं.	उद्यम का नाम	1992-93 (लाख रुपये में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	56829
बिहार		
2.	भारत कोकिंग कोल लि.	7384
3.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.	5981
4.	भारी इंजीनियरी कारपो. लि.	12726
5.	प्राजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेट इण्डिया लि.	1366
	दिल्ली	
6.	भारतीय सीमेंट निगम लि.	5208
7.	दिल्ली परिवहन निगम	24622
8.	भारतीय उर्वरक निगम लि.	22598
9.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.	34945
10.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.	5134
11.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड कारपो. लि.	11395
12.	इण्डियन एयरलाइन्स	19516
13.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि.	3911
14.	नेटेवा (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.	3170
15.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.	9422
16.	वायुदूत	3163

1	2	3
गुजरात		
17.	नेटेका (गुजरात) लि.	8385
हरियाणा		
18.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	8344
कर्नाटक		
19.	भारत गोल्ड माइन्स लि.	3559
20.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.	1668
21.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.	5043
मध्यप्रदेश		
22.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	6618
महाराष्ट्र		
23.	भारतीय होटल निगम लि.	1383
24.	खनिज गवेषण निगम लि.	1034
25.	भारतीय राष्ट्रीय वाईसाईकिल निगम लि.	1331
26.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.	2397
27.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.	3425
28.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	2658
29.	रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लि.	1517
नागालैण्ड		
30.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.	2374
उड़ीसा		
31.	पारादीप फोस्फेट्स लि.	8091
तमिलनाडु		
32.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कं. लि.	7787
33.	नेटेका (तमिलनाडू एण्ड पांडिचेरी) लि.	1899

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
34.	भारत पम्पस एण्ड कंप्रेशर्स लि.	1424
35.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.	2675
36.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.	4524
37.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.	8579
38.	स्कूटर्स इण्डिया लि.	6091
39.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	1986
40.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	1636
पश्चिम बंगाल		
41.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	1274
42.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.	1129
43.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	2559
44.	कोल इण्डिया लि.	2262
45.	भारतीय साईकिल निगम लि.	3298
46.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1720
47.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	7574
48.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी	5896
49.	जेसप एण्ड कंपनी लि.	1036
50.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.	7333
51.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	1235
52.	नेशनल जूट मैन्यू. कारपो. लि.	6173
53.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	10246
54.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.	3200
55.	भारतीय टायर निगम लि.	2548
	कुल जोड़	379281

विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड

4169. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड ने लेखापरीक्षकों और प्रबंध परामर्शदाताओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित फर्म, के.पी.एम.जी. पीट मारविक को भारत में प्रबंध परामर्शदात्री कम्पनी स्थापित करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कंपनी ने लेखा परीक्षा के क्षेत्र में भी प्रवेश करने की अनुमति मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) जी, हां। मै. के.पी.एम.जी. पीट मारविक, यू.के. को निम्नलिखित के लिए अनुमोदन किया गया है : -

(1) वित्त, पर्यावरण संबंधी लेखा-परीक्षा, पूंजी निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, प्रबंधकीय परामर्शदायी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी को स्थापना, और

(2) व्यावसायिक सलाह, कराधान और लेखा-परीक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक भागीदारी फर्म की स्थापना।

प्रस्ताव में 2.00 मिलियन अमरीकी डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना की गयी है।

पोर्टफोलियो मेनेजमेंट स्कीम

4170. श्री श्रीकांत जेना :

डा. एस.पी. यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बहुत से उच्च कार्यकारी अधिकारी गैर-सरकारी वित्त कम्पनियों में "पोर्टफोलियो मेनेजमेंट स्कीम" के अधीन सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए पूंजी निवेश कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामलें में पूंजी निवेश की कुल राशि क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"भेल" विद्युत संयंत्र

4171. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन ऑफ "भेल" एक्जिक्युटिव एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार को एक पत्र में "भेल" के संबंध में कुछ टिप्पणियां भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं को कम लागत पर विद्युत आपूर्ति तथा घरेलू एवं विदेशी एजेंसियों से धन जुटाने की भी पेशकश की है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं के लिए "भेल" को एक निश्चित लाभ की गारंटी देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) फेडरेशन ऑफ "भेल" एक्जिक्युटिव्स एसोसिएशन्स द्वारा भेजे गए पत्र की एक प्रतिलिपि भारी उद्योग विभाग को प्राप्त हो गई है। फेडरेशन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बतलाया है कि निजी/विदेशी निवेशकों द्वारा स्थापित की जा रही कुछ परियोजनाओं की लागत से कम लागत पर एन.टी.पी.सी. तथा "भेल" द्वारा "टर्नकी" आधार पर बिजली के संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत में कमी आएगी। फेडरेशन ने संसाधन जुटाने के कुछ तरीकों का भी सुझाव दिया है।

(घ) और (ङ) "भेल" को, यदि आवश्यक हो, तो निजी प्रवर्तकों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए पेशकश की गई बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने की स्वंत्रता हैं इस नीति के प्रोत्साहन/मार्गदर्शी सिद्धान्त ऐसे संयुक्त उद्यमों के लिए समान रूप से लागू होंगे।

[हिन्दी]

तटीय प्रदूषण

4172. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री अमर पाल सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में तटीय प्रदूषण रोकने के प्रयोजनार्थ समुद्र जल पर निगरानी रखने संबंधी कोई परियोजना स्वीकृत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) इस परियोजना हेतु अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(घ) क्या इस परियोजना को अब बंद कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां श्रीमान्।

(ख) "भारत के आसपास के समुद्रों में पर्यावरणीय प्रदूषकों का सर्वेक्षण" नामक परियोजना वर्ष 1987-88 में प्रारम्भ की गई थी। यह परियोजना पूरी हो गई है।

(ग) मार्च, 1991 तक 164.64 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(घ) इस कार्यक्रम की पुनः संरचना की गई है और यह कार्यक्रम वर्ष 1991 से "तटीय महासागर प्रबोधन और प्रागुक्ति प्रणाली (कोमैप्स) शीर्षक के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता, श्रीमान।

गांवों में पेयजल की उपलब्धता

4173. श्री महेश कनोडिया :

श्री राम कृपाल यादव :

श्री लालबाबू राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात और बिहार के गांवों में पेय जल की उपलब्धता के संबंध में स्थिति की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों से कितनी योजनाएं प्राप्त हुई और इनमें से कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई ;

(घ) राज्यों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ङ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या है ; और

(च) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1994-95 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 1985 के सर्वेक्षण में गुजरात में पता लगाए गए समस्याग्रस्त 4911 गांवों और बिहार के 9199 गांवों में से 31.3.1994 तक गुजरात के 4902 समस्याग्रस्त गांवों और बिहार के 9199 गांवों में स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत मुहैया करा दिया गया है। गुजरात के शेष 9 समस्याग्रस्त गांवों में 1994-95 के अन्त तक पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने की सम्भावना है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात और बिहार के संबंध में केन्द्र सरकार को प्राप्त और इसके द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या निम्नलिखित है :

गुजरात - 2552 योजनाएं

बिहार - 16695 योजनाएं

(घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार और गुजरात को आबंटित निधियां निम्न प्रकार हैं : -

(लाख रुपये में)

वर्ष	गुजरात	बिहार
1992-93	1633.00	2999.00
1993-94	2656.00	4856.00
1994-95	3039.00	5469.00
	7328.00	13324.00

आठवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए निधियों के आबंटन का निर्णय उन्हीं वर्षों में लिया जाएगा। इसका निर्णय पहले से नहीं लिया जाता है।

(ङ) 1992-93 और 1993-94 में गुजरात में 914 गांवों और बिहार में 8718 गांवों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई गई है। 1994-95 में गुजरात में 1500 बसावटों और बिहार में 10000 बसावटों में पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। 1995-96 और 1996-97 के लिए लक्ष्य इन वर्षों के लिए परिव्ययों के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष निर्धारित किये जाएंगे।

(च) 1994-95 के लिए कितनी त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का आबंटन और रिलीज निम्न प्रकार है : -

(लाख रुपये में)

राज्य	आबंटन	रिलीज
गुजरात	3039.00	1519.00
बिहार	5469.00	2734.50

[अनुवाद]

शैवाल से विद्युत उत्पादन

4174. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंग्लैण्ड के एक विश्वविद्यालय ने शैवाल से विद्युत उत्पादन की एक तकनीकी विकसित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा शैवाल से विद्युत उत्पादन करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को यूनिवर्सिटी आफ वैस्ट आफ इंग्लैंण्ड, ब्रिटेन द्वारा विद्युत के उत्पादन के लिए शैवाल आधारित आई सी इंजिन चालित प्रक्रिया के विकास की जानकारी है। शैवाल को एक गैसीफायर में गैसीफाई किया जाता है और इसका इस्तेमाल आई सी इंजिन जनरेटर में किया जाता है।

(ग) वर्तमान समय में शैवाल से विद्युत उत्पादन करने का सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है।

सौर-ऊर्जा प्रणाली

4175. श्री अमरपाल सिंह

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री पंकज चौधरी :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आस्ट्रेलिया में विकसित सौर ऊर्जा प्रणाली को देश में उपयोग करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में इस प्रणाली का उपयोग किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय से देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु सौर-ऊर्जा प्रणाली को विकसित करने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो आस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) मैसर्स सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि., साहिबाबाद, भारत सरकार का एक उद्यम ने सूचित किया है कि हमारे देश में इस समय प्रयोग की जा रही पारंपरिक स्क्रीन प्रिंटिड प्रौद्योगिकी से 13 से 14 प्रतिशत सौर सेलोंकी तुलना में बरीड संपर्क प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 17 से 18 प्रतिशत के अल्ट्रा हाई कुशलता वाले सौर सैलों के उत्पादन के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (यू.एन.एस. डब्ल्यू.) के साथ एक सहकारी अनुसंधान और विकास परियोजना शुरू की गई है।

(ख) इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाए गए सौर सैलों और माड्यूल का उपयोग उन्हीं अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा जैसा कि पहले स्क्रीन प्रिंटिड प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके किया जाता था अर्थात् घरेलू और सड़क रोशनी, जल पम्पन, छोटे और बड़े विद्युत संयंत्र, रेडियो और अन्य संचार उपस्करों को चलाने, ग्राम स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में वेक्सीन भंडारण के लिए रेफ्रिजरेटरों आदि के लिए किया जाता था। बरीड संपर्क प्रौद्योगिकी द्वारा बनाए गए सेल और मॉड्यूमलों के इस समय प्रयोग की जा रही स्क्रीन प्रिटिंड प्रौद्योगिकी से बनाए गए सेल और माड्यूलों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत सस्ते होने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण

4176. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1992-93 और 1994 के दौरान विभिन्न रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितने बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया गया ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक निवेश

4177. प्रो. प्रेम धूमल :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार यह बात सही है कि औद्योगिक निवेश का 60 प्रतिशत केवल चार राज्यों में चला जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य-वार आबंटन के साथ-साथ उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) अगस्त, 1991 से जून, 1994 तक देश में कुल 14,488 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (जो लाइसेंस मुक्त उद्योगों के लिए प्रस्तुत किये गये हैं) प्रस्तुत किये गये हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और तमिलनाडु में क्रमशः 2994, 2052, 1567 और 1025 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं जो देश में प्रस्तुत किये गये कुल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन का 48.78 प्रतिशत है। उन क्षेत्रों में ज्यादा उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जहां बेहतर बुनियादी, विपणन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

पेयजल की आपूर्ति

4178. डा. परशुराम गंगवार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारिका धाम में पेयजल की पूर्ति हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार, गुजरात सरकार विश्व बैंक सी.आर. 1643 के तहत ओखा मंडल क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना नामक एक जल आपूर्ति योजना चला रही है जिसमें 37 गांव

और द्वारका तथा ओखा नामक दो कस्बे शामिल हैं। इस योजना की अनुमानित लागत 1480 लाख रुपये है जिसके प्रति जून 1994 तक 1248.25 लाख रुपये खर्च कर दिये गये हैं और 1994 के अन्त तक इस योजना के पूरा होने की आशा है।

मल-जल व्ययन योजनाएं

4179. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री अन्ना जोशी :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार से मल-जल व्ययन योजनाओं सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली

4180. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागर विभाग की तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली ने देश के तटीय और अपतटीय जल में समुद्री प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का आकलन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) हमारे तटीय और अपतटीय जल क्षेत्रों की स्थिति के प्रबोधन के लिए वर्ष 1991 में तटीय महासागर प्रबोधन और प्रागुक्ति प्रणाली (कोमैप्स) पर कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश की तटरेखा के साथ-साथ 75 स्थानों पर समय-समय पर भारी धातुओं, कीटनाशक अपशिष्टों और रोगजनक जीवाणुओं जैसे प्रदूषकों के स्तरों पर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। एकत्र किए

गए आंकड़ों से निम्न मध्यम और उच्च प्रदूषण वाले स्थानों का पता चला है। तटीय जलक्षेत्रों में प्रदूषण समस्याओं के नियंत्रण/उपचारी उपायों के सम्बन्ध में योजना बनाने हेतु यह कार्यक्रम उपयोगी पाया गया है।

महिला न्यायाधीश

4181. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं और उनमें महिला न्यायाधीशों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या देश की जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही कम है ;

(ग) क्या विधि आयोग ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कोई सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) विधि आयोग ने अपनी 120 वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीशों की वर्तमान पद संख्या को प्रति दस लाख जनसंख्या पर बढ़ाकर 50 न्यायाधीश कर दी जाए। चूंकि अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या का अवधारण, राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से किया जाना है, अतः विधि आयोग की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध हैं, न्यायाधीशों की पदसंख्या, अन्य बातों के साथ-साथ मामलों के संस्थित किए जाने और लंबित रहने के अनुसार विनिश्चित की जाती हैं।

विवरण

10.8.94 को यथा विद्यमान

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पदसंख्या	वास्तविक पद संख्या	महिला न्यायाधीशों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	70	65	1

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	28	24	1
3.	मुंबई	54	43	-
4.	कलकत्ता	46	33	1
5.	दिल्ली	30	24	2
6.	गुवाहाटी	17	13	1
7.	गुजरात	30	27	-
8.	हिमाचल प्रदेश	8	5	1
9.	जम्मू कश्मीर	11	8	-
10.	कर्नाटक	30	26	-
11.	केरल	24	20	2
12.	मध्य प्रदेश	30	20	-
13.	मद्रास	28	24	-
14.	उड़ीसा	14	12	1
15.	पटना	36	33	1
16.	पंजाब और हरियाणा	37	23	1
17.	राजस्थान	26	22	2
18.	सिक्किम	3	2	-
	योग	522	424	14
उच्चतम न्यायालय :		26	21	-

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में प्रशिक्षण और सेवा केन्द्र

4182. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण एवम् सेवा केन्द्र की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर इनकी स्थापना की जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सी आई पी ई टी) का प्रशिक्षण तथा सेवा केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

बिहार में पैट्रोकैमिकल संयंत्र

4183. श्री राम कृपाल यादव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार राज्य में पैट्रोकैमिकल संयंत्र स्थापित की निरनतर मांग करती आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो पैट्रोकैमिकल संयंत्र कब तक लगाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) बिहार स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. ने बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में बरौनी नामक स्थान पर एक एरोमेटिक काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए आशयपत्र हेतु सितंबर, 1984 में आवेदन दिया था जिसे सितंबर, 1986 में इस आधार प्रर अस्वीकृत कर दिया गया था कि परियोजना के लिए अपेक्षित फीडस्टाक की व्यवस्था नहीं की गई है।

इस संबंध में किसी राज्य एजेंसी का कोई नया प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा है।

विकास योजनाएं

4184. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने योजना आयोग के पास कुछ विकास योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) विकास स्कीमें राज्यों द्वारा तैयार की जाती हैं और वार्षिक योजना प्रस्तावों के रूप में योजना आयोग को भेजी जाती हैं। वार्षिक योजनाओं के प्रतिपादन के समय इन पर विचार-विमर्श किया जाता है। कार्य दलों में विचार के पश्चात् क्षेत्रीय परिव्ययों को वार्षिक योजनाओं के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाता है और अनुमोदित किया जाता है। 1994-95 के लिए राज्यों का वार्षिक योजना दस्तावेज जिसमें स्कीमों के ब्यौरे और राज्यों में उनकी अवस्थिति दी गई है। संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध करा दिया गया है।

उपग्रह के माध्यम से वर्षा मानचित्र तैयार करना

4185. श्री पंकज चौधरी :

श्री बलराज पासी :

श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस समय उपग्रह के माध्यम से वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश का एक मानचित्र तैयार करने का कार्य विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्षा दर्ज करने हेतु देश में कोई नया उपकरण विकसित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) इन्सैट वेरी हाइ रेजोलूशन रेडियोमीटर (वी.एच.आर.आर.) के आंकड़ों के आधार पर अनुसंधान और विकास मोड के अंतर्गत बारिश के मात्रात्मक अनुमान प्राप्त किए जा रहे हैं। इस आधार पर प्रयोगात्मक तौर पर साप्ताहिक तथा मासिक वर्षा के मानचित्र तैयार किये जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्वार्टरों का लाइसेंस फीस

4186. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टाइप I, II, III और IV के सरकारी आवासों की लाइसेंस फीस में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु और अति लघु पनबिजली परियोजनाएं

4187. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की लघु और अति लघु पन-बिजली परियोजनाओं पर कार्य की गति काफी धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनको शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) इस मंत्रालय की 3 मेवा. तक की स्टेशन क्षमता के लिए पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यों द्वारा कार्यान्वयन की प्रगति, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में, कुछ कम पाई गई है।

(ग) मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इनमें राज्यों को उनके शीघ्र पूरा करने के समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र की स्थापना करने और पर्याप्त राशियों के आंबटन के लिए परामर्श शामिल है। उनको यह भी अनुरोध किया गया है कि उपस्कर के लिए और सिविल तथा बिजली के निर्माण कार्य के आर्डर देने में तेजी लाएं। प्रगति का लगातार प्रबोधन और पुनरीक्षण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार

4188. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण में बढ़ते भ्रष्टाचार के संबंध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में शहरी विकास मंत्रालय सहित विभिन्न माध्यमों से वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 (31.7.1994 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई इस प्रकार है : -

		1993-94	1994-95 (31.7.1994 तक)
(1)	प्राप्त शिकायतें	1053	219
(2)	प्रारम्भिक जांच के बाद बंद की गयी शिकायतें	135	35
(3)	विभाग-अध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी शिकायतें	730	142
(4)	ऐसी शिकायतें जिनके बारे में तथ्यात्मक रिपोर्टें मांगी गयी और जिनकी पुष्टि होना बाकी है	130	16
(5)	सतर्कता विभाग द्वारा नियमित जांच के अन्तर्गत शिकायतें	50	25

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 (31.7.94 तक) के दौरान की गयी दण्डात्मक कार्रवाई इस प्रकार है : -

क्र.सं.	मद	1993-94	1994-95 (31.7.1994 तक)
1.	छोटी/बड़ी कड़ी सजा हेतु जारी आरोपपत्र	187	79
2.	प्रताड़ना दंडित अधिकारी	37	07

3.	वसूली के मामले	05	02
4.	वेतनवृद्धि रोक के मामले	29	05
5.	पदावनत अधिकारियों की संख्या	15	04
6.	अनिवार्यतः सेवानिवृत्त	04	01
7.	पद मुक्त/सेवा समाप्ति/मुअत्तल	04	-
8.	निलम्बित	33	03

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक एकक

4189. श्री पी.सी. थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्पादक एकक लाभ कमा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ये एकक अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक एकक द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम हैं, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ईटीएण्डटी), सीएमसी लिमिटेड तथा सेमीकण्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड (एससीएल)। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं : -

(कर अदा करने बाद लाभ की राशि लाख रुपए में)

वर्ष	ईटीएण्डटी	सीएमसी	एससीएल
1991-92	7.51	156.98	798.74
1992-93	*	293.46	742.21
1993-94	*	*	121.48

*1. ईटीएण्डटी लिमिटेड को वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान नुकसान हुआ है।

*2. सीएमसी लिमिटेड को वर्ष 1993-94 के दौरान नुकसान हुआ है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा किए गए निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(निर्यात की राशि लाख रुपए में)

वर्ष	ईटीएण्डटी	सीएमसी	एससीएल
1991-92	54.55	626	शून्य
1992-93	116.45	569	6.10
1993-94	667.54	737	शून्य

[हिन्दी]

गोपनीय रक्षा संबंधी सूचनाओं का लीक होना

4190. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी के लीक होने की कितनी घटनाएं आई हैं ;

(ख) क्या गोपनीय दस्तावेजों और जानकारी के लीक होने की घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा सूचना लीक होने के जो संदिग्ध मामले सरकार की जानकारी में आए उनकी संख्या नीचे दी गई है : -

1991	:	2
1992	:	2
1993	:	2

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सौर तापीय ऊर्जा

4191. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोतर क्षेत्र में घरेलू एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर तापीय संग्राहकों की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इनके अंतर्गत कितने क्षेत्र को शामिल किया जाएगा ; और

(ग) सौर तापीय उपकरणों के विपणन को बढ़ावा देने हेतु तैयार की गई नई नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर पूर्व क्षेत्र में 31.3.1994 तक सौर तापीय संस्थापनाओं के अंतर्गत 2663 वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

(ग) सौर तापीय युक्तियों को बढ़ावा देने के लिए उदार शर्तों पर ऋण और कर लाभों के माध्यम से लाभार्थियों और साथ ही विनिर्माताओं को कई राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उदार शर्तों पर ऋण भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) से उपलब्ध है।

अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन का नियतन

4192. डा. साक्षी जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अनुसंधान परियोजनाओं के लिये कुल कितने धन का प्रावधान किया गया ;

(ख) वर्ष 1993-94 में उत्तर प्रदेश में कौन से अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय इस कार्य में लगे हुये थे ; और

(ग) अनुसंधान कार्य के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

उड़ीसा में नलकूप

4193. श्री गोबिंद चन्द्र मुंडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक की सहायता से उड़ीसा में नलकूप लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"सागर ध्वनि" जहाज का निर्माण

4194. श्री बलराज पासी :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अंदर "सागर ध्वनि" नामक शोध जहाज का निर्माण किया गया है ;

(ख) इस जहाज का निर्माण स्वदेशी आधार पर अथवा किसी अन्य देश के साथ सहयोग से किया गया है ;

(ग) इस जहाज का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया है ;

(घ) उक्त जहाज को भारतीय नौसेना को कब तक सौंपे जाने की संभावना है ; और

(ङ) इस जहाज की शोध क्षमता कितनी है और इसे कितनी प्रयोगशालाओं में सुसज्जित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता ने समुद्री ध्वनि, समुद्री भू-विज्ञान तथा भौतिक एवं रासायनिक समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, देशी डिजाइन के आधार पर देश में पहली बार "भा. नौ. पो. सागर ध्वनि" नामक एक समुद्री अनुसंधान पोत का

निर्माण किया है। इस पोत में आठ अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं तथा इसे 30 जुलाई, 1994 का भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बायो-गैस संयंत्र/धुंआ रहित चूल्हे

4195. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से, विशेषत: गुजरात और राजस्थान से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक बायो-गैस संयंत्र और धुंआ-रहित चूल्हे लगाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त अवधि में इस कार्य के लिए राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया ; और

(घ) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास, पर्यावरण और ऊर्जा उपभोग पैटर्न पर इन संयंत्रों और चूल्हों का क्या समग्र असर पड़ेगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) बायोगैस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य, जिसमें राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के साथ-साथ राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और देश के सभी राज्यों, जिसमें गुजरात और राजस्थान भी शामिल हैं, में कार्यक्रमों के निष्पादन पर आधारित हैं। वर्ष 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल से जून तक की उपलब्धि) के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां और सभी राज्यों, जिनमें गुजरात और राजस्थान शामिल हैं, के लिए इन कार्यक्रमों के लिए आबंटन के ब्यौरे विवरण I से IV में दिए गए हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान राशियां आबंटित लक्ष्यों, अनुमोदित मानदण्डों और इन कार्यक्रमों के प्रचालनात्मक निष्पादन के आधार पर जारी की जाएंगी।

(घ) बायोगैस संयंत्र और उन्नत चूल्हा पुन:चक्रण और बायोमास के संरक्षण, ग्रामीण सफाई सुधार और वन कटाई को कम करके पर्यावरणीय उन्नयन में योगदान देते हैं। मार्च, 1994 तक देश में संस्थापित 19.88 लाख से अधिक बायोगैस संयंत्रों से प्रतिवर्ष ईंधन लकड़ी के लगभग 64 लाख मी. टन के समतुल्य बायोगैस उत्पादन का अनुमान है जबकि देश में संस्थापित लगभग 170 लाख उन्नत चूल्हों में प्रतिवर्ष ईंधन लकड़ी के लगभग 119 लाख मी.टन की बचत की संभाव्यता है।

विवरण - I

वर्ष 1993-94 और 1994-95 (जून, 1994) के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के तहत स्थापित परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 लक्ष्य	1993-94 उपलब्धि	1994-95 वार्षिक लक्ष्य	1994-95 उपलब्धि (अप्रैल से जून, 94 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	19000	23736	20000	2612
अरूणाचल प्रदेश	20	37	10	*
असम	1000	1375	1000	43
बिहार	3000	4424	3000	65
गोवा	200	161	200	30
गुजरात	38000	40800	38000	731
हरियाणा	2000	2164	2000	*
हिमाचल प्रदेश	1800	2395	1800	120
जम्मू-कश्मीर	100	50	50	3*
कर्नाटक	12000	34797	18000	1077
केरल	2400	4248	1500	258
मध्य प्रदेश *	12500	14770	15000	3039
महाराष्ट्र	22000	26302	20000	1655
मणिपुर	150	100	150	2
मेघालय	100	*	100	*
मिजोरम	100	100	100	14
नागालैंड	100	20	100	*
उड़ीसा	12000	11256	12000	796

1	2	3	4	5
पंजाब	2000	2497	3000	266
राजस्थान	4000	4378	5000	150
सिक्किम	100	187	150	22
तमिलनाडु	10000	11825	8000	139
त्रिपुरा	50	69	50	शून्य*
उत्तर प्रदेश	12000	17707	10000	985
पश्चिम बंगाल	7000	10030	6000	897
अंडमान और निकोबार	5	शून्य	5	शून्य
चंडीगढ़	5	*	5	*
दादर व नगर हवेली	5	5	3	शून्य
दमन व दीव	5	24	2	*
दिल्ली	10	4	10	शून्य
पांडिचेरी	50	15	15	*
अन्य *	38300	**	34750	3252
जोड़	200000	215472	200000	16156

* रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

** संबंधित राज्यों के लिए आंकड़ों में शामिल किया गया है।

विवरण - II

वर्ष 1993-94 के दौरान स्थापित सामुदायिक संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या और 1994-95 के लिए लक्ष्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 लक्ष्य	उपलब्धि	1994-95 वार्षिक लक्ष्य
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	19000	23736	20000

1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश	20	37	10
असम	1000	1375	1000
बिहार	3000	4424	3000
गोवा	200	161	200
गुजरात	38000	40800	38000
हरियाणा	2000	2164	2000
हिमाचल प्रदेश	1800	2395	1800
जम्मू-कश्मीर	100	50	50
कर्नाटक	12000	34797	18000
केरल	2400	4248	1500
मध्य प्रदेश *	12500	16770	15000
महाराष्ट्र	22000	26302	20000
मणिपुर	150	100	150
मेघालय	100	*	100
मिजोरम	100	100	100
नागालैंड	100	20	100
उड़ीसा	12000	11256	12000
पंजाब	2000	2497	3000
राजस्थान	4000	4378	5000
सिक्किम	100	187	150
तमिलनाडु	10000	11825	8000
त्रिपुरा	50	69	50
उत्तर प्रदेश	12000	17707	10000
पश्चिम बंगाल	7000	10030	6000

1	2	3	4
अंडमान और निकोबार	5	शून्य	5
चंडीगढ़	5	*	5
दादर व नगर हवेली	5	5	3
दमन व दीव	5	24	2
दिल्ली	10	4	10
पांडिचेरी	50	15	15
अन्य *	38300	**	34750
जोड़	200000	215472	200000

* रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

** संबंधित राज्यों के लिए आंकड़ों में शामिल किया गया है।

विवरण - III

वर्ष 1993-94 और 1994-95 (जून, 1994 तक) के दौरान राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के तहत स्थापित उन्नत चूल्हों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 लक्ष्य	1993-94 उपलब्धि	1994-95 लक्ष्य	1994-95 उपलब्धि (जून, 94 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,70,000	2,36,923	2,25,000	14,009
2.	अरूणाचल प्रदेश	5,000	6,637	5,000	आर.ए.
3.	असम	60,000	48,817	40,000	714
4.	बिहार	1,50,000	76,231	80,000	आर.ए.
5.	गुजरात	8,000	8,010	10,000	511
6.	गोवा	60,000	68,442	73,000	3,259
7.	हरियाणा	75,000	65,931	55,000	2,766

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	40,000	39,250	45,500	2,781
9.	जम्मू-कश्मीर	50,000	36,152	35,000	आर.ए.
10.	कर्नाटक	1,30,000	1,38,357	1,75,000	2,448
11.	केरल	1,00,000	43,200	40,000	2,901
12.	मध्य प्रदेश	2,00,000	2,32,793	2,50,000	26,997
13.	महाराष्ट्र	1,80,000	1,83,761	2,00,000	6,655
14.	मणिपुर	10,000	7,841	10,000	220
15.	मेघालय	2,000	2,000	2,000	आर.ए.
16.	मिजोरम	4,000	4,000	3,000	250
17.	नागालैंड	2,000	000	300	65
18.	उड़ीसा	1,20,000	1,63,546	2,00,000	19,050
19.	पंजाब	90,000	76,000	90,000	आर.ए.
20.	राजस्थान	1,80,000	1,95,968	2,00,000	3,293
21.	सिक्किम	5,000	4,196	5,000	888
22.	तमिलनाडु	1,40,000	1,60,810	1,70,000	3,062
23.	त्रिपुरा	2,000	2040	2500	150
24.	उत्तर प्रदेश	3,50,000	3,52,528	3,30,000	3,469
25.	पश्चिम बंगाल	75000	84668	1,50,000	आर.ए.
26.	अंडमान और निकोबार	3500	3514	3500	761
27.	चंडीगढ़	1300	2000	1500	आर.ए.
28.	दादर व नगर हवेली	1000	1010	1000	398
29.	दमन व दीव	400	375	400	आर.ए.
30.	दिल्ली	20000	27875	20000	1302
31.	लक्ष्यद्वीप	300	201	300	70

1	2	3	4	5	6
32.	पांडिचेरी	2,000	2,000	2,000	आर.ए.
33.	अन्य	1,75,000	151885	175000	8387
	जोड़	24,00,000	24,26,961	26,00,000	1,05,406

विवरण - IV

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एन.पी.बी.डी.), सामुदायिक संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम (सी.बी.पी./आई.बी.पी./एन.बी.पी.) और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के तहत जारी की गई राज्यवार राशियां

लाख रुपये

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 के दौरान जारी की गई राशि		
	एन पी बी डी	सी बीपी/आईबीपी/एनबीपी	एनपीआईसी
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	676.19	3.01	146.72
अरूणाचल प्रदेश	0.46	-	4.36
असम	31.73	-	34.19
बिहार	55.06	-	46.50
गोवा	3.12	-	-
गुजरात	1488.78	22.81	44.63
हरियाणा	29.44	1.44	43.31
हिमाचल प्रदेश	71.60	-	17.70
जम्मू-कश्मीर	2.38	-	19.61
कर्नाटक	493.57	2.61	115.49
केरल	95.48	-	49.93
मध्य प्रदेश	448.14	19.03	146.62

1	2	3	4
महाराष्ट्र	1298.20	7.74	82.87
मणिपुर	1.82	-	5.77
मेघालय	3.33	-	3.18
मिजोरम	13.45	-	2.31
नागालैंड	2.38	-	-
उड़ीसा	388.08	1.30	66.54
पंजाब	60.84	129.75	59.47
राजस्थान	121.16	9.00	151.31
सिक्किम	4.99	-	2.54
तमिलनाडु	272.53	5.63	89.25
त्रिपुरा	1.44	-	-
उत्तर प्रदेश	175.99	79.16	228.65
पश्चिम बंगाल	124.83	1.24	79.77
अंडमान और निकोबार	-	-	-
चंडीगढ़	0.56	-	-
दिल्ली	0.63	28.85	22.75
पांडिचेरी	1.14	-	0.75
जोड़	5867.32	31.57	1464.22

पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास

4196. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री प्रबीन डेका :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए कोई समग्र कार्य-योजना तैयार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और ये राज्य क्षेत्र के सामूहिक विकास के लिए कहां तक सहमत हैं ; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और देश के प्रदेशों, जिसमें उत्तर व पश्चिमी प्रदेश शामिल हैं, के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती हैं। ऐसी सभी योजनाएं सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और उनकी सहमति से तैयार की जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत ओमान संयुक्त उर्वरक परियोजना

4197. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री रवि राय :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओमान सरकार तथा भारत सरकार में ओमान ने एक संयुक्त उर्वरक परियोजना लगाने हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस संयुक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) परियोजना में उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा तथा भारत में इसका उत्पादन कब तक उपलब्ध हो जाएगा ;

(घ) क्या ओमान स्थित संयुक्त परियोजना द्वारा उपलब्ध उर्वरक देश में उर्वरकों की वर्तमान कमी की पूर्ति हो जाएगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी कितनी पूर्ति होगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 30.7.1994 को मस्कट (ओमान) में भारत सरकार, कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको),

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर सी एफ) तथा सल्तनत ऑफ ओमान सरकार एवं ओमान आयल कम्पनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।

समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित पूर्व धारणाओं के आधार पर ओमान में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की परिकल्पना की गयी है : -

(1)	संयंत्र की क्षमता	3500 मी. टन प्रतिदिन (अमोनिया)
		4400 मी. टन प्रतिदिन (यूरिया)
(2)	अनुमानित लागत	अमरीकी डालर 78 मिलियन के प्रभारों
		सहित 897 मिलियन अमरीकी डालर
(3)	वित्तीय प्रबन्ध पद्धति	
	ऋण : साम्य अनुपात	3:1
(4)	साम्य सहभागिता	
(क)	कृभको/आर सी एफ	40 प्रतिशत - 50 प्रतिशत
	(संवधनों सहित)	
(ख)	ओमान आयल कम्पनी लि.	
	(संवधनों तथा तीसरे पक्षकर	
	निवेशकों सहित)	40 प्रतिशत 50 प्रतिशत
(ग)	ओमनी पब्लिक	0 प्रतिशत - 20 प्रतिशत

(ग) से (ङ) प्रस्तावित अमोनिया यूरिया परियोजना के 1998-99 में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की सम्भावना है। यूरिया के लगभग 1.5 मिलियन टन सम्पूर्ण वार्षिक उत्पादन को वापस क्रय समझौते के अन्तर्गत कृभको/आर सी एफ द्वारा खरीदा जाएगा। इस हद तक यूरिया की खपत और स्वदेशी उत्पादन के बीच का अन्तर कम हो जाएगा।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की समितियां

4198. श्री ललित उरांव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक समिति द्वारा दिए गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन सुझावों के क्रियान्वयन हेतु तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के लिये आर्डर प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। भारी उद्योग विभाग के पूर्व सचिव, डा. डी.वी.कपूर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा अपने पुरस्कार के लिए पहले प्रस्तुत किए गए टर्न अराउण्ड प्लान की जांच की थी। समिति ने अपनी अंतरिम सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिफारिशें की थीं : -

(1) अत्यावश्यक अंतर्वस्तुओं, बकाया बिलों तथा सीमा शुल्क के आंशिक भुगतान आदि की व्यवस्था के लिए 66.60 करोड़ रुपए जारी करना।

(2) "सेल", रेलवे और "वी.एस.पी0" जैसे प्रमुख ग्राहकों से क्रयादेश प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।

(3) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 100 प्रतिशत बिक्री कर छूट की ब्याज ऋण के रूप में अनुमति देना, जिसका भुगतान वर्ष 1994-95 से लेकर पांच वार्षिक समान किश्तों में किया जाएगा।

(4) वर्ष 1995-96 तक विद्युत शुल्क से छूट देना।

(5) टाउनशिप पर प्रशासनिक और अनुरक्षण लागतों सहित स्थिर लागतों में कमी करना, और

(6) वर्ष 1992-93 में 2000 और व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना, इत्यादि।

(ग) सरकार ने कंपनी को वर्ष 1992-93 में 54.60 करोड़ रुपए व वर्ष 1993-94 में 34.95 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी/पूंजीगत व्यय के लिए योजना व गैर-योजना निधियों सहित इस अवधि में 74.97 करोड़ रुपए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अंतर्गत (योजना अनुदान) प्रदान किए हैं। यद्यपि आर्डर बुक करना, मुख्यतः कंपनी की जिम्मेदारी है, तथापि, किसी विशिष्ट मामले में आर्डरों की प्राप्ति में सहातया के संबंध में कंपनी से जब कभी अनुरोध प्राप्त हुआ है तो सरकार प्रयोक्ता मंत्रालयों के साथ मामले पर बातचीत करके हर संभव सहायता प्रदान करती रही है। कमजोर औद्योगिक एककों के लिए उत्पाद शुल्क से राहत की स्कीम मार्च, 1993 से समाप्त कर दी गई है। सरकार ने कंपनी को अपनी स्थिर लागत में कमी करने तथा कुछ गैर-किफायती प्रचालनों को बंद करने को कहा है। तथापि, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड का मामला, अब औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष है।

[अनुवाद]

रक्षा आंकड़ों का लीक होना

4199. डा. पी. एल. कनौजिया :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री राम विलास पासवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों/प्रयोगशालाओं से भेजे गए संदेश/रक्षा आंकड़ों को रक्षा प्रतिष्ठानों के समीप के क्षेत्रों में कार्यरत अव्यवसायी निजी रेडियो/वायरलैस आपरेटरों द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा संबंधी गुप्त सूचनाओं के लीक होने को रोकने हेतु रक्षा प्रतिष्ठानों के समीप संचालित रेडिया/वायरलेस केन्द्रों के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। अव्यवसायी निजी रेडियो/वायरलेस उपकरण अत्यन्त सीमित क्षेत्र/परिमित बैंड की फ्रीक्वेंसी में ही कार्य करते हैं। विश्वव्यापी प्रचलन जिसमें भारत भी शामिल है के अनुरूप रक्षा सूचनाएं इस अव्यवसायी फ्रीक्वैंसी बैंड पर संप्रेषित नहीं की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोचि पनविद्युत परियोजना

4200. श्री तेजसिंह राव भोंसले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित कोचि लघु पनविद्युत परियोजना जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का संयुक्त उद्यम है, को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय को अथवा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

4201. श्री शरत पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। इलेक्ट्रानिक विभाग ने भारतीय इलेक्ट्रानिकी उद्योग पर समस्त जानकारी देने के लिए एक आधारभूत संदर्भ स्रोत के रूप में 'ए गाइड टु इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्री इन इंण्डिया' का प्रकाशन किया है। इसमें व्यापक रेंज की जानकारी दी गई है, जैसे कि :

1. विनिर्माताओं की निर्देशिका।
2. उत्पादों की निर्देशिका।
3. निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की निर्देशिका।
4. उत्पादन तथा निर्यात पर टाइमसीरीज़ आंकड़े।
5. राज्यों में इलेक्ट्रानिकी इकाइयां आदि।

इस गाइड का प्रथम संस्करण वर्ष 1992 में तथा द्वितीय संस्करण वर्ष 1993 में प्रकाशित किया गया था।

(ग) इस मामले में कोई कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावरकोर लिमिटेड का विस्तार

4202. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में अल्वाय स्थित फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) इस समय 618.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 900 टन प्रतिदिन अमोनिया की क्षमता का उद्योगमण्डल केरल में अमोनिया संयंत्र प्रतिस्थापन परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना को मई 1993 से 40 महीनों के अन्दर यांत्रिक रूप से पूर्ण हो जाना है। परियोजना का वित्त प्रबन्ध मुख्यतः ओवरसीज़ इकोनोमिक कार्पोरेशन फंड (ओ ई सी एफ) के अन्तर्गत 24.482 विलियन येन के जापानी ऋण सहायता के जरिये किया जा रहा है।

राष्ट्रीय भेषजिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

4203. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय भेषजिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ पता लगाए गए स्थान और उपलब्ध कराई गई भूमि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) आरम्भ में इस पर कुल कितना खर्च किया जा रहा है ; और

(ङ) उक्त संस्थान के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) पंजाब राज्य में एक राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइपर) स्थापित किया जा रहा है। संस्थान का स्थापना स्थान चण्डीगढ़ के निकट एस.ए.एस. नगर (मोहाली) है। पंजाब सरकार द्वारा 130 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। परियोजना का अनुमानित परिव्यय 25 करोड़ रुपए का है। प्रस्तावित संस्थान का मुख्य उद्देश्य भेषज विज्ञानों और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में और सम्बद्ध विषयों में प्रशिक्षण देने, अनुदेश देने और अनुसंधान करने की व्यवस्था करना है।

[हिन्दी]

विदेशी उद्योगपति

4204. श्री भेरूलाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदार औद्योगिक नीति अपनाने के बाद अब तक कितने विदेशी उद्योगपतियों ने भारत में उद्योग स्थापित करने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) उनके द्वारा अब तक कितने व किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) नयी औद्योगिक नीति के बाद अर्थात् अगस्त, 1991 से जून, 1994 तक विदेशी उद्योगपतियों आदि से विदेशी निवेश से भारत में उद्योग लगाने के लिए 2118 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनका अनुमोदन कर दिया गया है। 1993 से जून, 1994 तक के अनुमोदनों को राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1993 से पहले के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

अब तक वास्तव में कितने उद्योग लगाये गये हैं, उनके बारे में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखते जाते हैं।

विवरण

अगस्त 1991 से 1994 (जून तक) अनुमोदनो का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	अनुमोदनों की संख्या	जनवरी, 1993 जून 1994 पूंजी-निवेश (रु. करोड़ में)
1	2	3
महाराष्ट्र	192	1895.17
दिल्ली	134	1218.78
तमिलनाडु	130	1119.63
गुजरात	60	1117.55
उड़ीसा	14	788.21

1	2	3
मध्य प्रदेश	24	746.34
आन्ध्र प्रदेश	56	274.40
हरियाणा	61	151.98
राजस्थान	40	136.14
कर्नाटक	77	112.36
पांडिचेरी	9	108.61
उत्तर प्रदेश	44	107.60
पश्चिम बंगाल	32	84.39
बिहार	5	52.02
गोआ	13	36.82
चंडीगढ़	4	29.04
केरल	12	26.89
पंजाब	14	12.74
हिमाचल प्रदेश	5	11.53
दादरा और नगर हवेली	4	7.94
दमन और दीव	5	4.08
अंडमान और निकोबार	1	0.90
असम	2	0.27
राज्यों का उल्लेख नहीं है	286	3270.65
योग	1224	11314.04

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना

4205. श्री पी.एम.सी.बालयोगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीविजन सेट प्रदान करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : *(क) जी नहीं।*

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एच.एम.टी. लिमिटेड को भूमि

4206. श्री पी.सी. चाक्को : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 1961-64 के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, कलमासेरी को 868 एकड़ भूमि निःशुल्क दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या एच.एम.टी. ने इसमें से अब तक केवल 400 एकड़ भूमि का ही उपयोग किया है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केरल में संयुक्त उद्यम औद्योगिक पार्क बनाने के लिए एच.एम.टी. से शेष बची हुई भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) शेष भूमि को राज्य सरकार को वापस करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केरल सरकार ने 1961-64 के दौरान, एच.एम.टी. को कलमस्सेरी में उसका चौथा मशीन टूल एकक स्थापित करने के लिए, दाययोग्य व अन्य संक्राम्य अधिकारों के साथ 868.28 एकड़ भूमि निःशुल्क दी थी। बाद के वर्षों में, एच.एम.टी. द्वारा कई सरकारी एजेंसियों को उनके प्रयोग के लिए 136.32 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। अन्य 185 एकड़ भूमि धान के खेतों, खदानी गड्ढों, पंचायत सड़कों, उच्च दाब की बिजली की लाइनों के लिए सुरक्षा क्लीयरेंस आदि कारणों से प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) केरल सरकार के एक संगठन केरल इंडस्ट्रियल इनफरास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (किनफरा) ने कलमस्सेरी में एच.एम.टी. की भूमि के एक भाग का उपयोग करके एच.एम.टी. किनफरा और विदेशी भागीदारों/भारतीय निजी औद्योगिक गृहों के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में, एर्नाकुलम में एक आधुनिकी औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है।

(च) प्रश्न के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों के भवन

4207. श्री चन्द्रेश पटेल : *क्या* **प्रधान मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कार्यालय और आवासीय, दोनों प्रकार के न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्यों को, 1993-94 और 1994-95 में राज्य-वार कुल कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार ने न्यायपालिका के लिए अवसंचरनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित एक स्कीम प्रायोजित की है जिसमें जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के लिए शासकीय और आवासीय भवनों का निर्माण सम्मिलित हैं स्कीम के अधीन केन्द्र, अनुदान के रूप में, अपना अंश देगा जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली रकम के बराबर होगा।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

कंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों को मंजूर/आबंटित और दी गई रकम

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94 में मंजूर की गई रकम (लाख रु. में)	1994-95 के लिए मंजूर/आबंटित रकम (लाख रु. में)	1994-95 आज तक दी गई रकम (पहली किस्त) (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	221.2	378.6	189.0
2.	अरूणाचलप्रदेश	20.0	34.0	14.0
3.	असम	79.8	135.0	67.0

1	2	3	4	5
4.	बिहार	174.9	294.3	147.0
5.	गोवा	20.0	34.0	17.0
6.	गुजरात	100.8	169.9	85.0
7.	हरियाणा	47.9	81.0	40.0
8.	हिमाचल प्रदेश	20.0	34.0	17.0
9.	जम्मू-कश्मीर	20.0	34.0	17.0
10.	कर्नाटक	146.7	246.7	123.0
11.	केरल	94.9	164.4	82.0
12.	मध्यप्रदेश	179.9	302.6	151.0
13.	महाराष्ट्र	193.8	324.7	162.2
14.	मणिपुर	20.0	34.0	17.0
15.	मिजोरम	20.0	34.0	17.0
16.	मेघालय	20.0	34.0	17.0
17.	उड़ीसा	114.8	193.0	96.0
18.	पंजाब	50.9	86.8	43.0
19.	राजस्थान	138.7	233.1	116.0
20.	सिक्किम	20.0	34.0	कुछ नहीं
21.	नागालैंड	20.0	34.0	17.0
22.	तमिलनाडु	193.6	326.5	163.0
23.	त्रिपुरा	20.0	34.0	17.0
24.	उत्तर प्रदेश	430.5	723.9	362.0
25.	पश्चिमी बंगाल	288.6	487.5	243.0
	योग	2657.0	4488.0	2219.0
		लाख रुपये में	लाख रुपये में	लाख रुपये में

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

4208. श्री बापू हरि चौरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने हेतु केन्द्र सरकार के पास हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम तथा हिन्दू विवाह अधिनियम में यथोचित संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्यों कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने, हिन्दू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक 1994 को, राज्य विधानमंडल में पुरःस्थापित करने से पहले केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के लिए भेजा है। यह विधेयक मिताक्षरा विधि द्वारा शासित अविभक्त हिन्दु कुटुम्ब में सहदायिक के रूप में पुत्र के समान पुत्री को सहदायिकी अधिकार देने के लिए है। प्रस्ताव में संबंद्ध मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का विनिंश्चय राज्य सरकार को सूचित कर दिया जाएगा।

पेंसिलीन परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

4209. श्री गुरचरण सिंह दादाहूर : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रसायन ने टारेंन्ट, स्पिक, जे.के. फार्मा बिजनेस ग्रुप की पेंसिलीन परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु विदेशी सहयोग संबंधी समझौते को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रौद्योगिकी के उपयोग का कोई आकलन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) पेंसिलीन के संबंध में भारत में इन कम्पनियो के कार्य का अनुभव क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा

इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) संबंधित शर्तों पर विचार करने के बाद पेंसिलीन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मै. टोरेन्ट का मे. बायोटिका, चकोस्लोवाकिया के साथ, मे. एस. पी.आई.सी. का मे. सिपान, पुर्तगाल के साथ और मे. जे.के. इण्डस्ट्रीज का मे. मलेनिका, युगोस्लाविया के साथ विदेशी सहयोग के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए थे। फार्मा बिजनेस ग्रुप को कोई मंजूरी नहीं दी गयी है। इन तीनों में किसी कंपनी ने पेनिसिलीन का उत्पादन शुरू नहीं किया है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी अनुसंधान केन्द्र

4210. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी अनुसंधान केन्द्र में श्रेणीवार कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए है ; तथा उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ;

(ख) इस अनुसंधान केन्द्र द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए हैं ; और

(ग) इस समय इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई जानकारी अनुसार, भोपाल गैस त्रासदी अनुसंधान केंद्र (बी.जी.डी.आर.सी.) में कर्मचारियों की संख्या श्रेणीवार निम्न प्रकार है : -

1.	अनुसंधान अधिकारी	-	2
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	-	2
3.	अनुभाग अधिकारी	-	1
4.	डैटा एंट्री आपरेटर	-	3
5.	वरिष्ठ आशुलिपिक	-	1
6.	कनिष्ठ आशुलिपिक	-	1
7.	चपरासी	-	4
8.	डाटा सार्टर	-	2
9.	टाइपिस्ट	-	1

10.	चौकीदार	–	1
11.	ड्राइवर	–	1
12.	पार्ट टाइम स्वीपर	–	1
13.	पार्ट–टाइम माली	–	1

कर्मचारियों की नियुक्ति बी.जी.डी.आर.सी. के परियोजना निदेशक द्वारा की जाती है।

(ख) भोपाल गैस त्रासदी अनुसंधान केंद्र की स्थापना विभिन्न परियोजनाओं में समन्वय करने और कार्यकलापों को मानीटर करने और जहरीली गैस रिसाव के परिणामस्वरूप भोपाल में प्रारंभ की गई परियोजना के अन्वेषकों और अनुसंधान कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन मार्गदर्शन देने के लिए की गई थी। बी.जी.डी.आर.सी. ने रिपोर्ट लिखने के लिए आंकड़ों के विश्लेषण और सहायता के लिए भी सुविधाएं प्रदान की।

(ग) इस परियोजना के कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही हैं जो परिषद् की तदर्थ परियोजनाओं के अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाएं

4211. डा. कृपासिंधु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में क्रियान्वयनाधीन ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होने की आशा है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में इस मंत्रालय की 3 मेवा. स्टेशन क्षमता तक की पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के तहत छः लघु/माइक्रो पन-बिजली परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल ८.625 मेवा. की क्षमता की वृद्धि होने की आशा है।

[अनुवाद]

पोटाश उर्वरक

4212. श्री रामनिहोर राय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोटाश उर्वरकों का उत्पादन सरकारी तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में होता है ;

(ख) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 के दौरान देश में उत्पादित उर्वरकों की मात्रा क्या है ;

(ग) एक लघु उर्वरक संयंत्र स्थापना में अनुमानतः कितनी लागत आती है और इसकी क्षमता कितनी होती है ;

(घ) उन संस्थानों के क्या नाम हैं जो पिछले दो वर्षों के दौरान पोटाश उर्वरकों का आयात करती रही है ; और

(ङ) पोटाश उर्वरकों का प्रतिटन मूल्य कितना है तथा उर्वरकों का किन-किन देशों से आयात किया गया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) पोटाश की संपूर्ण आवश्यकता सीधे प्रयोग ओर कम्पलेक्सों के निर्माण दोनों के लिए आयातों के माध्यम से पूरी की जाती है क्योंकि देश में पोटाश के ज्ञात और दोहन योग्य भण्डार नहीं हैं।

(घ) 17.6.93 से पहले म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) का एम एम टी सी जो कि बिक्री सरणिकरण अभिकरण है द्वारा आयात किया जाता था। 1993-94 के दौरान एम ओ पी का एम एम टी सी और इंडियन पोटाश लि., राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि., पाइराइट्स फास्फेस्ट्स एण्ड केमिकल्स लि. और पारादीप फास्फेट्स लि. द्वारा द्विपक्षीय सहायता के अंतर्गत आयात किया गया। 17.6.1993 को असरणीबद्ध किये जाने के पश्चात् एम ओ पी का 1993-94 में निजी व्यापार लेखाओं में भी आयात किया गया।

(ङ) 1992-93 के दौरान एम ओ पी का 3747 रुपये प्रति टन तथा 1993-94 के दौरान 3145 रुपये प्रति टन के औसत लागत भाड़ा मूल्य पर सी आई एस देशों, जर्मनी, जोर्डन, कनाडा और इजराइल से आयात किया गया।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

4213. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन कार्य में तेजी आ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में विशेषकर केरल में, अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सौर, पवन, बायोमास, पन-बिजली आदि जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, उपयोग और बाजार विकास के लिए केरल सहित देश भर में व्यापक कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। देश में और केरल राज्य में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा संस्थापनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	31.3.1994 तक संचयी उपलब्धि	केरल में संस्थापना
1	2	3	4	5
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	संख्या	19,78,000	40,000
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस	संख्या	1,53	1
3.	उन्नत चूल्हा	संख्या	169,27,000	391456
4.	समेकित ग्रामीण ऊर्जा	ब्लाक	452	14
5.	सौर तापीय प्रणालियां	वर्गमी. क्षेत्र	2,77,329	1731
6.	सौर कूकर	संख्या	3,39,359	188
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय	मे.वा.	4	
क.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत यूनिट	केडब्ल्यूपी	524.60	2.2
ख.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनियां/टेलीविजन और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	884	25

1	2	3	4	5
ग.	प्रकाश-वोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां/लालटेन	संख्या	32,241	1119
घ	प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनियां	संख्या	28,674	316
8.	पवन बैटरी चार्जर	संख्या	108	5
9.	मिनी-मैक्रो हाइड्रो	मे.वा.	110	0.02
10.	ऊर्जा ग्राम परियोजना	संख्या	209	3
11.	बायोमास गैसीफायर	मेवा.	14	11
12.	बैटरी चालित वाहन	संख्या	235	1

प्रसूति अवकाश

4214. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश तीन महीने से बढ़ाकर छः महीने करने संबंधी प्रस्ताव पर इस बीच अंतिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) प्रसूति अवकाश का उद्देश्य बच्चा जनने के उपरांत जच्चा को स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति का अवसर प्रदान करना है जिसके लिए 90 दिन के प्रसूति अवकाश की अवधि निर्धारित की गई है। प्रसूति अवकाश के क्रम में चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिए बिना (60 दिन की परिवर्तित तथा उपार्जन शोध्य छुट्टी सहित) अधिक से अधिक एक वर्ष तक शोध्य और अनुज्ञेय प्रकार की छुट्टी भी मंजूर की जा सकती है। अतः प्रसूति अवकाश की अवधि को बढ़ाकर छः महीने करने के प्रस्ताव को आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेपा में उत्पादन

4215. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के नेपा लिमिटेड में कागज की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस मिल में कागज का वर्तमान भंडार कितना है ;

(ग) इस भंडार के निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मिल के आधुनिकीकरण का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर की अखबारी कागज की स्थापित क्षमता, 88,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

(ख) दिनांक 18.8.94 की स्थिति के अनुसार अखबारी कागज का स्टॉक 6,910 मीट्रिक टन था।

(ग) स्टॉक में कमी करने के लिए किए गए उपायों में विपणन स्कंध को मजबूत बनाना, ग्राहकों के साथ पारस्परिक धनिष्ठ संबंध, विक्रय मूल्य तथा विक्रय प्रोत्साहनों का युक्तिकरण तथा उत्तरी मंडल में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहिबाबाद में एक गोदाम खोलना शामिल है।

(घ) और (ङ) नेपा लिमिटेड ने अपनी समस्याओं का पता लगाने के लिए मैसर्स टाटा इकोनोमिक कांसलटैंसी सर्विसेज को नियुक्त किया है। नेपा लिमिटेड ने इस अध्ययन को ध्यान में रखकर, एक पुनर्स्थापना प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें अतिरिक्त निवेश शामिल हैं।

बी.एच.ई.एल. द्वारा प्राप्त किए जा रहे उपस्कर

4216. श्री गंगा राम कोली : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड ने विदेशी कंपनियों से अपने हरिद्वार संयंत्र के लिए 9000 टन प्रेस और आई.सी.सर्किट सहित करोड़ों रुपयों के पुराने उपस्कर अधिक मूल्यों पर खरीदे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भेल से प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी ने अपनी क्रय-नीति के अनुसार, तकनीकी रूप से उपयुक्त न्यूनतम बोलीदाताओं से, अपने सेन्ट्रल फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार के लिए पुराने उपस्कर-9000 टन क्षमता की फोर्ज प्रेस व संबद्ध उपस्कर तथा ए.एस.आई.सी. प्रसंस्करण सुविधा खरीदे हैं।

(ग) और (घ) जांच कराने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

4217. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो उक्त अवधि में निजी प्रबंध वाली कम्पनियों जैसे इस्को, टेल्को आदि में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, उनके मूल विभाग कौन-कौन से हैं, कम्पनियों के नाम क्या हैं ; प्रतिनियुक्ति क्या है और वेतन आदि का कितना अन्तर रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की एक सूची, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक में प्रतिनियुक्ति पर हैं, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) इस संबंध में संवर्ग अनापत्ति देने की शक्तियां विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों के पास हैं तथा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ऐसी सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं करता है। फिर भी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) जिसके लिए कार्मिक तथा प्प्रशिक्षण विभाग संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है, के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण - I

संयुक्त सचिव तथा इसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों की सूची जो पिछले 3 वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक में प्रति नियुक्ति पर रहे हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री जी.के. अरोड़ा
2.	श्री के.पी. गीताकृष्णन
3.	श्री बिमल जलान
4.	श्री जे.एस. बैजल
5.	श्री जे.एस. कंग, भा.प्र.से.
6.	श्री जैमिनी भगवती, भा.व.से.

7.	डा. जे.एन.चौबे, भा.प्र.से.
8.	श्री एस.वी.एस. शर्मा, आई.सी.ए.एस.
9.	श्रीमती राधा सिंह. भा.प्र.से.
10.	श्रीमती जानकी कथपालिया, आई.सी.ए.एस.

विवरण - II

संयुक्त सचिव तथा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की सूची जो निजी रूप से प्रबन्धित संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	संगठन का नाम	प्रतिनियुक्ति की अवधि	वेतन में अन्तर
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रबीर सेन गुप्ता भा.प्र.से. (असम-मेघालयः65)	टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान	23.10.92 से अक्तूबर, 1995 तक	वर्तमान संवर्ग से कोई अन्तर नहीं
2.	श्री एन.सी. सक्सेना भा.प्र.से. (उ.प्र.:64)	परती भूमि विकास उन्नयन समिति	1.10.92 से मई 1993 तक	उपर्युक्त
3.	श्री एस.एस.बुररा भा.प्र.से. (महाराष्ट्रः74)	क्षेत्र संसाधन केन्द्र उन्नयन समिति	15.4.93 से 14.4.1996 तक	उपर्युक्त
4.	श्री पुलोक चटर्जी, भा.प्र.से. (उ.प्र.:74)	राजीव गांधी फाउण्डेशन	9.9.93 से 8.7.95 तक	वर्तमान संवर्ग के वेतन के अतिरिक्त 500 रुपये का भत्ता

"भेल" में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4218. श्री देवी बक्स सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) के कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली ; और

(ख) क्या जिन अधिकारियों का अधिक्रमण हुआ हो अथवा जिनका शोषण किया गया हो उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति में प्राथमिकता दी जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1991-92 में भेल के 107 अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। इस स्कीम को 6.4.92 से आस्थगित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रयोगशालाओं के निदेशकों का कार्यकाल

4219. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के निदेशकों का कार्यकाल कितना है ;

(ख) क्या परिषद ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ;

(ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत किन-किन प्रयोगशालाओं में निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाया गया है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस समय किन-किन प्रयोगशालाओं में छः वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी ये निदेशक कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में निदेशकों के कार्यकाल में वृद्धि करने से संबंधित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) आबिद हुसैन समिति ने सिफारिश की थी कि वै.औ.अ.प. की प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक की नियुक्ति की एक गैर-नवीकरणीय अवधि छः वर्ष के लिए होनी चाहिए। तथापि, इस सिफारिश पर

विचार करते समय सीएसआइआर सोसायटी ने अनुमोदन किया कि प्रयोगशाला के निदेशक की नियुक्ति छः वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे सिर्फ आपवादिक मामलों में, वर्तमान कार्य अवधि समाप्त होने से पहले उनके कार्य निष्पादन और उपलब्धियों की समीक्षा के आधार बढ़ाया जा सकता है।

(ख) जी हां। परिषद ने वै.ओ.अ.प. सोसायटी द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार इस निर्णय को लागू कर दिया है।

(ग) निम्नलिखित प्रयोगशाला/संस्थानों के निदेशकों की कार्यअवधि, प्रयोगशाला/संस्थानों के प्रमुख के रूप में उनके कार्यनिष्पादन और उपलब्धियों को ध्यान में रख कर बढ़ायी गयी है : -

1. भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
2. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम
3. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
4. राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
5. केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता
6. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा
7. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर
8. राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर
9. कोशकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद
10. राष्ट्रीय वांतरिकक्ष प्रयोगशालाएं, बंगलूर
11. केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास

(घ) उन प्रयोगशाला/संस्थानों के नाम निम्नलिखित हैं जहां छः वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाया गया और वे अभी भी कार्य कर रहे हैं : -

1. भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
2. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम
3. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
4. राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
5. केन्द्रीय कांच तथा सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता
6. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर

(ङ) किसी प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक के कार्यकाल के छः वर्ष पूरे होने से पहले उनके कार्यनिष्पादन और उपलब्धियों का विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात् देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों वाली एक शीर्ष समिति द्वारा इस मूल्यांकन सहित इन उपलब्धियों और कार्यनिष्पादन पर विचार किया जाता है। तत्पश्चात् महानिदेशक, सीएसआइआर की सिफारिशों के साथ शीर्ष समिति की इन सिफारिशों को सीएसआइआर के अध्यक्ष (भारत के प्रधानमंत्री) के पास विचारार्थ भेजा जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे में अनियमितताएं

4220. श्री अन्ना जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे में की जा रही घोर अनियमितताओं के मामलों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) अभी हाल ही में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रतीत होते है, जिनमें पक्षपात, भर्ती में अनियमितताएं, सीमेंट, ब्रास, ब्रोंज इत्यादि जैसे सामान की चोरी के कुछ आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजा गया है कि क्या यह शिकायतें उन्हीं के द्वारा की गई हैं और इन शिकायतों में लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए उनके पास आवश्यक दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य हैं तथा इन शिकायतों पर गौर करने के लिए यदि विभागीय जांच आरम्भ की जाती है तो क्या वे गवाही के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। इन शिकायतों के संबंध में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के निदेशक की टिप्पणी भी मांगी गई हैं। इससे इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।

गोल्डन शेयर

4221. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ प्रमुख कम्पनियों ने ''गोल्डन शेयर प्लान'' शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) व्यवसाय की शब्दावली में गोल्डन शेयर अवधारणा का अर्थ उस अवधारणा से है जहां वित्तीय संस्थाएं और बैंक बड़ी भारतीय कम्पनियों के पर्याप्त शेयर - सम्भवतः 26 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच धारित करते हैं।

इस अवधारणा का समर्थन हाल ही में एक प्रमुख कम्पनी के अध्यक्ष ने इसकी वार्षिक साधारण बैठक में किया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई अवधारणा मान्यता प्राप्त नहीं है।

[हिन्दी]

रोजगार संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट

4222. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1983 पर आधारित रोजगार और बेरोजगार संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार ने इस संबंध में अनुसंधान और विश्लेषण कार्य को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के सर्वेक्षणों के संबंध में श्रम ब्यूरो के परामर्श से ऐसी रिपोर्ट जारी करने की कोई समय सीमा निर्धारित करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (रा.प्र.सर्वे.सं.), सांख्यिकी विभाग ने जनवरी-दिसम्बर, 1983 के दौरान रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी तीसरा पंचवार्षिक सर्वेक्षण संचालित किया। इस सर्वेक्षण में एकत्र किये गये आंकड़े, नवम्बर, 1987 में प्रकाशित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट संख्य 341 में जारी किये गये।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन किसी प्रकार का विश्लेषणात्मक कार्य नहीं करता है। रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण परिणाम योजना आयोग, श्रम मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों और अनुसंधानकर्ताओं के प्रयोग के लिये तैयार किये जाते हैं। समंक विधायन कार्य को तेज करने हेतु विभाग पहले से ही एक योजना स्कीम लागू कर रहा है। जिसमें आंकड़ा प्रवृष्टि मशीनों तथा कम्प्यूटर प्रणाली को प्रोन्नत बनाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासकीय परिषद् (श्रम ब्यूरो जिसका एक सदस्य है) का कार्यदल एक समय-सारणी तैयार करता है जो अलग-अलग सर्वेक्षणों के लिए भिन्न-भिन्न होती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

फालतू भूमि

4223. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनकी फालतू भूमि के बदले कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ; और

(ख) गुजरात में चकबंदी के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की गई अधिकतम सीमा से फालतू भूमि की एवज में प्रभावित लोगों, जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं को मुआवजा गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत दिया जाता है।

(ख) राज्य में अब तक 68.50 लाख एकड़ क्षेत्र की चकबंदी की गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में खादी और कुटीर उद्योग

4224. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में खादी और कुटीर उद्योग के विकास के लिये प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ;

(ग) किन-किन योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध की जायेगी ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक को कितनी धनराशि की सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) कर्नाटक सहित देश भर में खादी और पहचाने गए 96 ग्रामोद्योगों के संबंध में कार्यक्रम तथा योजनाएं कार्यान्वित करता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अपनी कार्यान्वयनकारी एजेंसियों नामतः के वी आई सी को सीधे सहायता प्राप्त संस्थाओं और विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र के.बी.आई.बोर्डों को ऋणों तथा अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। के वी आई सी ने अपने नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त, जिनसे कर्नाटक में 1.75 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है, कर्नाटक के कोलार जिले में विशेष रोजगार कार्यक्रम भी आरंभ करने का निर्णय है। कोलार जिले में इस विशेष रोजगार कार्यक्रम से 1994-95 में 2116 व्यक्तियों तथा 1995-96 में 2490 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन होने की आशा है।

(घ) के वी आई सी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित निधियां जारी की हैं : -

(रुपये लाख में)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1991-92	313.60	114.70	31.90	304.88
1992-93	161.38	179.27	27.76	632.65
1993-94	0.74	92.15	11.08	443.43

क्रमवार स्थानांतरण

4225. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में उप सचिव के पद तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा काडर के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने जनहित में इन अधिकारियों का स्थानान्तरण करने तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासन में सुधार करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) वर्तमान नीति के तहत, किसी मंत्रालय/विभाग में उप-सचिव के पद पर नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अधिकारी सामान्यतः निदेशक के पद पर पदोन्नति होने तक उसी मंत्रालय/विभाग में बना रहता है। इस नीति को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

	अधिकारी का नाम	मंत्रालय/विभाग का नाम जहां कार्यरत हैं
	सर्व श्री	
1.	एस.वी. सिंह	कल्याण
2.	एस.पी. पाठक	दूर संचार
3.	पी.डी.सेठ	आपूर्ति
4.	बी.बी. बुरारी	कल्याण
5.	जी. नायक	कृषि एवं सहकारिता
6.	दीनदयाल	कृषि एवं सहकारिता
7.	वी.एम. लबरू	रक्षा
8.	कु. पी. स्वामीनाथन	वाणिज्य
9.	कु. जे. गुप्ता	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण
10.	रंजीत दत्ता	खाद्य
11.	पी.एस. भटोया	रक्षा
12.	जे. कृष्णा	कल्याण
13.	कुलदीप गुरूट	रसायन तथा पेट्रो-रसायन

14.	जे.बी. सिन्हा	रक्षा उत्पादन आपूर्ति
15.	एस.एस. शर्मा	सूचना तथा प्रसारण
16.	आर.एस कंवर	कृषि एवं सहकारिता
17.	मोहिन्दर सिंह	औद्योगिक विकास
18.	क1. सरोज कपूर	नागरिक आपूर्ति
19.	कु.पी. मोहन	सूचना तथा प्रसारण
20.	कुलदीप राय	गृह मंत्रालय
21.	आर.एल. चौधरी	भू-तल परिवहन
22.	जोगिन्दर सिंह	जल संसाधन
23.	कश्मीर खन्को	व्यय
24.	एन.पी. रस्तोगी	राजस्व
25.	एच.एस. ढकालिया	रक्षा
26.	एस.ए. रूसल	विधि कार्य
27.	पी.के. सेठ	शिक्षा
28.	एस.सी. जयाल	सूचना तथा प्रसारण
29.	कीर्ति कुमार	वस्त्र
30.	एस.डी. सिंह	औद्योगिक विकास
31.	एन.के. मल्होत्रा	योजना आयोग
32.	एस. कुमार विश्वास	वित्त
33.	फूल सिंह	रक्षा
34.	डी.वी.एस. रांझा	संघ लोक सेवा आयोग
35.	एस.के. विश्वास	राजस्व
36.	डी.एम.एल. मल्होत्रा	राजस्व
37.	पी.एन. रे	कार्यक्रम क्रियान्वयन
38.	एस.पी. मार्या	कल्याण

39.	शशि भूषण	कल्याण
40.	आर. रंगनाथन	कर्मचारी चयन आयोग
41.	के.पी. पाड्यान	सूचना तथा प्रसारण
42.	जे.बी. मुनिरजालू	डी.आई.एफ.
43.	आर.एम. बनर्जी	मंत्रिमंडल सचिवालय
44.	पी.सी. रस्तोगी	रक्षा
45.	चिरंजीलाल	रसायन तथा पैट्रो रसायन
46.	सी. इंगलीयाना	कल्याण
47.	जी.पी. भाटी	खाद्य
48.	एस.एस. मेहरा	राजभाषा
49.	ओ.पी. सहवान	भारी उद्योग
50.	स्वर्णदास	पैंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण
51.	कृष्ण लाल	बायो टैक्नोलोजी
52.	एल. धुन्धुक	खाद्य
53.	एस.पी. कुट्टन	विद्युत
54.	जी.एस. सिंह	रक्षा
55.	एस.सिंह	मंत्रिमण्डल सचिवालय
56.	जे.डी. वर्मा	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
57.	बाबूलाल	विधायी विभाग
58.	भागसिंह	रक्षा

केन्द्रीय भंडार को आबंटित भवनों की मरम्मत

4226. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्रीय भंडार को आबंटित भवनों की मरम्मत/परिवर्तन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे किए गए कार्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) किस प्राधिकरण के अंतर्गत इस तरह जोड़ने/परिवर्तन करने के कार्य किए गए ;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी आवासों की देखभाल के लिए व्यय की जाने वाली अनुरक्षण निधि में से जोड़ने/परिवर्तन करने के अनधिकृत निर्माण की जांच कराने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न सरकारी भवनों में स्थित केन्द्रीय भण्डारों में ये निर्माण मुख्यतः परिवर्धनों, परिवर्तनों और नवीकरण के रूप में है। दिल्ली में वर्षवार सरकारी व्यय इस प्रकार है : -

वर्ष	व्यय (रु. में)
1991-92	197,019
1992-93	110,332
1993-94	413,154

(ग) ये अनुमान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में बताये गये अनुसार ये निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न अधिकारियों को विधिपूर्वक प्रदत्त अधिकारों के तहत शुरू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, परिवर्धनों/परितर्वनों से भवनों की कार्यात्मक उपयोगिता में सुधार होता है और सरकारी सम्पत्तियों की भली-भांति मरम्मत भी होती रहती है।

औद्योगिक विकास दर

4227. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास की वार्षिक दर कितनी थी तथा वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ; और

(ख) आंकड़ों का क्षेत्रवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार द्वारा समग्र औद्योगिक विकास दर के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास की क्षेत्रवार और वर्ष-वार दरें नीचे दी गई है : -

	1991-92	1992-93	1993-94
खनन तथा उत्खनन	0.6 प्रतिशत	0.5 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत
विनिर्माण	(-)0.8 प्रतिशत	2.1 प्रतिशत	2.2 प्रतिशत
विद्युत	8.5 प्रतिशत	5.0 प्रतिशत	7.3 प्रतिशत
कुल	0.6 प्रतिशत	2.3 प्रतिशत	3.0 प्रतिशत

असम में लघु उद्योग

4228. श्री प्रबीन डेका : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से असम में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1994-95 के दौरान असम में लघु उद्योगों के लिये परिव्यय 29.00 करोड़ रुपये का है जबकि 1993-94 के दौरान 23.96 करोड़ रुपये का परिव्यय था।

डी डी ए फ्लैटों के डिजाइन में फेरबदल/अतिरिक्त निर्माण

4229. श्री अशोक आनंद राव देशमुख : क्या **शहरी विकास** मंत्री 17.8.1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3189 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के यू.एस. 29 के अन्तर्गत 1987 के पश्चात् 30 जून 1994 तक पंजीकृत मामलों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पश्चिमपुरी की प्रश्नगत कालोनियां/क्षेत्रों को भवन निर्माण क्रियाकलापों को नियन्त्रित करने के लिए प्राधिकरण के विकास कार्य क्षेत्र से अलग (डीनोटिफाइड) कर दिया गया है तथा दिनांक 19 जनवरी, 1988 एवं 28 जुलाई, 1989 की अधिसूचनाओं द्वारा दिल्ली नगर निगम को अन्तरित कर दिए हैं। तदनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण अब इन फ्लैटों में अतिरिक्त निर्माण कार्य फेरबदल हेतु दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29 के तहत कोई मामला पंजीकृत नहीं कर रहा है।

लम्बे समय से लंबित मामले

4230. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने मामलों को निपटाया गया ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अभी भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं ;

(ग) यदि हां, तो ये मामले कब से लंबित हैं ; और

(घ) उक्त मामलों को जल्दी निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इसे यथासंभव शीघ्र निपटाने के लिए तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसंबर, 1993 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत किए गए विभिन्न संकल्पों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मामलों के शीघ्र निपटाए जाने के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से, न्याय प्रशासन की एक योजना मद बनाया गया है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं जिसके अंतर्गत एक समान मामलों को समूहबद्ध करना और बड़े समूहों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध करने में पूर्विकता देना, नियमित सुनवाई के मामलों के लिए सप्ताह में तीन दिन अलग रखना और विशेषज्ञीय खंडपीठों का गठन आदि। उच्चतम न्यायालय के काम के घंटों को भी आधा बढ़ाया गया है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

I. उच्चतम न्यायालय		31 मार्च, 1994 को लंबित मामलों की संख्या	पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या
		38,728 (नियमित सुनवाई वाले मामले)	20,117 (नियमित सुनवाई वाले मामले)
1		2	3
II. क्र.सं.	**उच्च न्यायालय का नाम**		
1.	इलाहाबाद	7,35,326	3,21,851
2.	आंध्रप्रदेश	1,24,387	15,993
3.	मुंबई	1,93,012	44,279
4.	कलकत्ता	2,35,721	1,47,937
5.	दिल्ली **	1,57,570	6,37,678
6.	गुजरात	96,949	41,600
7.	गुवाहाटी	25,573	5,870
8.	हिमाचल प्रदेश	20,466	4,465
9.	जम्मू-कश्मीर *	74,162	25,138
10.	कर्नाटक	1,43,852	32,364
11.	केरल	1,47,084	9,189
12.	मध्य प्रदेश *	85,448	18,084
13.	मद्रास	3,25,935	68,133
14.	उड़ीसा	44,794	5,754
15.	पटना *	86,231	15,314

16.	पंजाब और हरियाणा	1,29,838	46,850
17.	राजस्थान ***	1,06,790	27,850
18	सिक्किम #	76	25

* 31.12.1993 को (उच्च न्यायालयों में) लंबित मामलों की संख्या उपदर्शित करता है।

** 30.9.1993 को (उच्च न्यायालयों में) लंबित मामलों की संख्या उपदर्शित करता है।

*** 30.6.1993 को (उच्च न्यायालयों में) लंबित मामलों की संख्या उपदर्शित करता है।

30.6.1994 को (उच्च न्यायालयों में) लंबित मामलों की संख्या उपदर्शित करता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को राज्यों का आबंटन

4231. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीधे भर्ती किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का "रोस्टर" तैयार करने और उन्हें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का आबंटन करने संबंधी मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने "रोस्टर प्रणाली" के सिद्धांतों पर अपना असंतोष व्यक्त किया है और ऐसे कई मामलों के निवारण हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायालयों की शरण ली है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) अगर "रोस्टर प्रणाली" में कोई कमियां हों तो उन्हें दूर करके अधिकारियों की परेशानियां दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) संवर्ग आबंटन के सिद्धांतों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) यह सच है कि बहुत से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने अपने संवर्ग आबंटन को चुनौती दी है। अधिकतर मामलों में संवर्ग आबंटन के सिद्धांतों में संवर्ग आबंटन के लिए प्रत्येक संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के उपबंध के विरुद्ध आक्षेप लगाया गया है। हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संवर्ग

आवंटन के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां के लिए आरक्षण के उपबंध की परिपुष्टि की है।

(ग) तथा (घ) इस समय प्रचलित संवर्ग आबंटन के सिद्धांत 7वीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति (1983-84) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे कि अखिल भारतीय सेवाओं के कम से कम 50 प्रतिशत अधिकारी संबंधित राज्य से बाहर के हों ताकि अन्तः राज्यीय समन्वय तथा राष्ट्रीय एकता को और अधिक सुसाध्य बनाया जा सके। संवर्ग आबंटन के सिद्धांतों में कोई खामी अथवा त्रुटि नहीं है।

विवरण

''रोस्टर पद्धति'' के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संवर्ग आबंटन के सिद्धांत।

(1) प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियां 2 : 1 के अनुपात में ''राज्य में बाहर के व्यक्तियों'' तथा ''राज्य के व्यक्तियों'' के लिए नियम की जाएंगी। अंश-विभाजन (फ्रैक्शन) संबंधी समस्याओं से बचने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अनुपात, यदि प्रत्येक आवंटन के मामले में न रहा पाए, किन्तु इसे कालावधि में बनाए रखने के लिए किसी भी संवर्ग में रिक्तियों का ''राज्य के व्यक्तियों'' के बीच विभाजन का क्रम निर्धारण ''राज्य से बाहर के व्यक्ति'', ''राज्य के व्यक्ति'' पुनः ''राज्य से बाहर का व्यक्ति'' के रूप में रखा जाएगा।

(2) विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन-जातियां के लिए रिक्तियां नियत प्रतिशत के अनुसार आरक्षित की जाएगी। इस आरक्षण के प्रयोजन से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को एक साथ मिला दिया जाएगा तथा प्रतिशतता को जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक संवर्ग में ''राज्य से बाहर के व्यक्तियों'' तथा ''राज्य के व्यक्तियों'' के बीच आरक्षित रिक्तियों का वितरण 2 : 1 के अनुपात में किया जाएगा। यह अनुपात जैसा कि सामान्य उम्मीदवारों के मामले में किया जाता है, अनुपात, ''राज्य से बाहर का व्यक्ति'' फिर ''राज्य का व्यक्ति'' पुनः ''राज्य से बाहर का व्यक्ति'' के क्रम का पालन करते हुए लागू किया जाएगा।

(3) ''राज्य के व्यक्तियों'' का आबंटन पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के मामले में पूर्णतः उनके रैंक के अनुसार किया जाएगा परन्तु यह गृह राज्य में आबंटन की उनकी इच्छा के अध्यधीन है।

(4) ''राज्य से बाहर के व्यक्तियों'' का आबंटन चाहे वे सामान्य उम्मीदवार हैं अथवा आरक्षित उम्मीदवार चाहे वे पुरुष उम्मीदवार हैं या महिला उम्मीदवार, चार्ट में ''राज्य के व्यक्तियों'' को उनके समुचित स्थान पर रखने के बाद, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है, रोस्टर पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

(5) (I) सभी राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों को वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तथा प्रत्येक समूह से मोटे तौर पर बराबर संख्या में उम्मीदवार लेते हुए कालावधि औसत के आधार पर चार समूहों में बांटा जाएगा। पिछले चार वर्षों के दौरान औसत भर्ती के आधार पर समूह निम्न प्रकार हो सकते हैं : -

समूह -I	आन्ध्र प्रदेश, असम-मेघालय, बिहार तथा गुजरात।
समूह -II	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल तथा मध्य प्रदेश
समूह -III	महाराष्ट्र, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तथा सिक्किम
समूह -IV	तमिलनाडु, संघ राज्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(II) (2) चूंकि संवर्गों/संयुक्त संवर्गों की संख्या 21 है इसलिए क्रम 1-21, 22-42, 43-63 और इसी प्रकार होगा।

(3) तब "राज्य के व्यक्तियों" के कोटे को राज्यों में आबंटित किया जाए और आबंटन के विभिन्न क्रमों को नियत किया जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य को "राज्य के व्यक्ति" में से 4 उम्मीदवार मिलते हैं तो उन्हें राज्य के हिस्से के अपने-अपने क्रमों में जाना चाहिए और यदि उसी क्रम से "राज्य के व्यक्ति" में से 2 उम्मीदवार हों तो उन्हें राज्य को जाने वाले दो क्रमिक क्रमों में तथा इसी प्रकार माना जाए।

(4) "राज्य से बाहर के व्यक्तियों" में से उम्मीदवारों की सूची योग्यता सूची के अनुसार बनायी जानी चाहिए और उन्हें नीचे (5) में निर्दिष्ट क्रम से राज्य संवर्गों में आबंटित किया जाना चाहिए।

(5) प्रथम क्रम में जिस राज्य संवर्ग/संयुक्त संवर्ग को "राज्य के व्यक्ति" में से उम्मीदवार न मिले हों उनमें से प्रत्येक को योग्यता के क्रम में "राज्य से बाहर के व्यक्ति" में से एक उम्मीदवार दिया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया बाद के क्रमों में दोहराई जानी चाहिए। प्रत्येक अगला क्रम बाद के राज्यों के समूह से प्रारंभ होना चाहिए अर्थात् दूसरा क्रम राज्यों के समूह-2 से प्रारंभ होना चाहिए, तीसरा क्रम राज्यों के समूह-3 और चौथा क्रम राज्यों के समूह-4 से प्रारंभ होना चाहिए और पांचवा क्रम फिर से राज्यों के समूह-1 से प्रारंभ होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि उम्मीदवार की बारी इस प्रकार आए कि वह अपने गृह राज्य में आबंटित हो रहा हो। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उसके स्थान पर अगले उम्मीदवार का आबंटन किया जाना चाहिए।

(6) *परवर्ती वर्ष में राज्य संवर्गों को पुनः वर्ण-क्रम के अनुसार व्यस्थित किया जाना चाहिए परन्तु गत वर्ष के समूह-1 को सबसे नीचे रखा जाना चाहिये अर्थात् समूह-2 को शीर्ष पर स्थान दिया जाना चाहिए और तीसरे वर्ष यह स्थान समूह-3 को दिया* जाना चाहिए और आगे भी यह क्रम इसी प्रकार से चलना चाहिये।

(7) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में, उन उम्मीदवारों के प्रकरण में जिनकी योग्यता सूची में ऐसी स्थिति है कि वे किसी आरक्षण के बिना भी सेवा में नियुक्त किये जा सकते हैं उन्हें आबंटन के प्रयोजन के लिए सामान्य उम्मीदवारों के समान माना जाएगा जबकि गणना की दृष्टि से उन्हें आरक्षित रिक्तियों में ही माना जाएगा। आरक्षित वर्ग के अन्य उम्मीदवारों के मामले में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो समान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अपनाई जाती है। दूसरे शब्दों में, इसी प्रकार के राज्यों के समूहों के लिए अलग चार्ट तैयार किया जाना चाहिए और इसी प्रकार कार्यात्मक ब्यौरों को अपनाया जाना चाहिए। यदि राज्यों के सामान्य कोटे के कम उम्मीदवार उपलब्ध हों तो इस कमी की पूर्ति ''राज्य के व्यक्तियों'' के आरक्षित उम्मीदवारों से की जा सकती है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता उत्पाद

4232. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता की जांच हेतु एक कानून बनाए जाने के बारे में कोई सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग ने उपभोक्ता वस्तुओं का ''क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण संबंधी अपनी 105वीं रिपोर्ट में एक विधि अधिनियमित किए जाने की सिफारिश की है जिससे कि उपभोक्ताओं के हित में कतिपय वस्तुओं का क्वालिटी परीक्षण करने के लिए उपबंध किया जा सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 15-4-1987 से प्रवृत हुआ था। अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर और कोई कार्रवाई न करने का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

शहरी गरीबों की समस्याएं

4233. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी गरीबों की समस्याओं को सुलझाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लेने संबंधी कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों को इस बारे में कोई सहायता दी गई ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यू.बी.एस.पी. तथा नेहरू रोजगार योजना की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में जैसे टीकाकरण, अनौपचारिक शिक्षा, मां तथा शिशु स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं को प्राप्त करने, तकनीकी कौशल उन्नयन, आय सृजक कार्यकलापों, संचार सामग्री तैयार करने जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक निवेशों की व्यवस्था करने तथाशहरी निर्धनों में नागरिक जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ नागरिक समूहों के गठन में शहरी निर्धनों की सहायता करने में गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को सरकार स्वीकार करती है।

(ग) तथा (घ) गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सरकारी सहायता राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I तथा II पर दिए गए हैं।

विवरण - I

निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजना (यू.बी.एस.पी.) गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का का नाम	1992-93	1993-94	1994-95 अंतरिम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4.70	6.00	6.00

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.00	-	1.00
3.	असम	1.00	1.00	1.00
4.	बिहार	4.20	5.30	5.30
5.	गोवा	1.00	1.00	1.00
6.	गुजरात	2.30	2.95	2.95
7.	हरियाणा	1.00	1.00	1.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.00	1.00	1.00
9.	जम्मू-कश्मीर	1.00	1.00	1.00
10.	कर्नाटक	4.05	5.10	5.10
11.	केरल	1.80	2.80	2.30
12.	मध्य प्रदेश	4.30	5.45	5.45
13.	महाराष्ट्र	6.50	8.25	8.25
14.	मणिपुर	1.00	1.00	1.00
15.	मेघालय	1.00	1.00	1.00
16.	मिजोरम	1.00	1.00	1.00
17.	नागालैंड	1.00	-	1.00
18.	उड़ीसा	1.20	1.50	1.50
19.	पंजाब	1.25	1.60	1.60
20.	राजस्थान	2.45	3.10	3.10
21.	सिक्किम	1.00	1.00	1.00
22.	तमिलनाडु	6.10	7.75	7.75
23.	त्रिपुरा	1.00	1.00	1.00
24.	उत्तर प्रदेश	10.50	13.35	13.35
25.	पश्चिम बंगाल	4.75	6.05	6.05

1	2	3	4	5
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.65	1.65	1.65
27.	चंडीगढ़	1.65	–	1.65
28.	दमन व दीव	1.65	–	1.65
29.	दादर व नगर हवेली	1.65	–	1.65
30.	दिल्ली	6.30	–	1.70
31.	पांडिचेरी	1.00	1.00	1.00
32.	गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र	–	38.80	38.80
	योग	80.00	111.35	120.00

विवरण - II

नेहरू रोजगार योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों को दी गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1992-93	वर्ष 1993-94	वर्ष 1994-95 (अन्तरिम नियतमन)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3.90	19.00	17.60
2.	बिहार	2.40	16.90	15.70
3.	गुजरात	1.50	9.30	8.60
4.	हरियाणा	1.50	2.69	2.40
5.	कर्नाटक	3.30	16.20	15.00
6.	केरल	1.50	7.25	6.80
7.	मध्य प्रदेश	3.90	17.91	16.00
8.	महाराष्ट्र	3.90	17.15	15.00

1	2	3	4	5
9.	उड़ीसा	1.50	4.85	4.50
10.	पंजाब	1.50	5.00	4.60
11.	राजस्थान	1.50	9.90	9.20
12.	तमिलनाडु	4.50	19.85	18.40
13.	उत्तर प्रदेश	10.20	42.30	39.20
14.	पश्चिम बंगाल	3.90	15.15	14.00
15.	गोवा	1.50	1.50	1.50
16.	अरूणाचल प्रदेश	-	1.50	1.50
17.	असम	1.50	2.30	2.10
18.	हिमाचल प्रदेश	1.50	1.50	1.50
19.	जम्मू तथा कश्मीर	1.50	1.50	1.50
20.	मणिपुर	1.50	1.50	1.50
21.	मेघालय	1.50	1.50	1.50
22.	मिजोरम	1.50	1.50	1.50
23.	नागालैण्ड	-	0.75	1.50
24.	सिक्किम	1.50	1.50	1.50
25.	त्रिपुरा	1.50	1.50	1.50
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समह	-	1.00	1.00
27.	चण्डीगढ़	-	1.00	1.00
28.	दमन और दीव	-	1.00	1.00
29.	दादर तथा नगर हवेली	-	1.00	1.00
30.	पाण्डिचेरी	1.00	1.00	1.00
31.	दिल्ली	-	-	-
	योग	49.50	225.00	210.00

[हिन्दी]

जलरोधी सीमेंट का उपयोग

4234. **श्री फूल चंद वर्मा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1994 के हिन्दी दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" में सी.पी.डब्ल्यू. डी. के धन राशियों के दुरूपयोग के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने नए निर्माणों में जलरोधी सीमेंट पेंट उपयोग करने का नीतिगत निर्णय पहले ही ले लिया है। अतः, समाचार में उल्लिखित श्रीनिवासपुरी, नानकपुरा, सादिक नगर, आदि में सरकारी मकानों में जलरोधी सिमेंट पेंट के उपयोग का निर्णय नीतिगत निर्णय के अनुरूप है। इसके अलावा, साधारण रंगीन सफेदी के बजाय जलरोधी सीमेंट पेंट के उपयोग में निम्नलिखित फायदे हैं।

(1) बाहरी हिस्सों पर की गयी रंगीन सफेदी जल्दी उतर जाती है। और मल के रिसाव की कोई सुरक्षा नहीं होती।

(2) जलरोधी सिमेंट पेंट भवनों को सुन्दर बनाने के अलावा बरसात के कारण रिसाव से सुरक्षा प्रदान करता है।

(3) रंगीन सफेदी के मुकाबले जलरोधी सीमेंट पेंट ज्यादा समय तक चलता है। और इसलिए जलरोधी सीमेंट पेंट कम बार करना होगा।

यह कार्य, सम्बन्धित मुख्य इंजीनियर के अधिकार क्षेत्र में निर्धारित समग्र निधि में से ही किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, किसी अधिकारी द्वारा कोई अनियमिता नहीं की गई है जिस पर कोई कार्रवाई अपेक्षित हो।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरकों की उपलब्धता

4235. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाऊदीन ओवेसी :

श्री मणिक राव होडल्या गावीत :

श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में उर्वरक की उपलब्धता के बारे में बराबर कड़ी नजर रखने के लिए कृषि मंत्रालय के समन्वय से उर्वरक विभाग में अंतर-एजेंसी निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राज्य में उर्वरकों की अनुपलब्धता के बारे में कोई अभ्यावेदन दिए हैं ;

(घ) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रत्येक राज्य की आपूर्ति का कोटा कितना है ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य की कुल कितनी मांग है और ये मांगे किस हद तक पूरी की गई हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी हां। विभाग में कार्यरत निगरानी कक्ष में उर्वरक विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, रेल मंत्रालय, फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया स्वदेशी उत्पादक तथा आयातित उर्वरक के संचालन के लिए प्राधिकृत अभिकरणों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) उर्वरकों की अनुपलब्धता के बारे में किसी राज्य सरकार ने कोई अभ्यावेदन नहीं किया है। तथापि, चालू खरीफ मौसम के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात की राज्य सरकारों ने यूरिया की स्थानीय कमियों की सूचना दी है।

(घ) और (ङ) इस समय, केवल यूरिया पर मूल्य और संचलन नियंत्रण है। 1993-94 के दौरान तथा चालू खरीफ मौसम के दौरान राज्यवार आबंटनों और यूरिया की उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

यूरिया (000 टन)

	राज्य	खरीफ – 1993 ईसीए आंबटन	उपलब्धता	ईसीए की उपलब्धता प्रतिशत	रबी–1993–94 ईसीए आबंटन	उपलब्धता	ईसीए की उपलब्धता प्रतिशत	खरीफ–1994 ईसीए आवंटन	31.7.94 तक उपलब्धता	ईसीए की उपलब्धता प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	836.55	998.47	119 %	1071.14	1052.61	98 %	907.04	439.52	48 %
2.	कर्नाटक	372.56	412.05	111 %	282.47	334.87	119 %	421.55	220.49	52 %
3.	केरल	68.68	75.05	109 %	53.84	50.94	95 %	73.08	34.93	48 %
4.	पाण्डीचेरी	9.48	7.84	83 %	11.45	12.40	108 %	8.43	6.92	82 %
4.	तमिलनाडु	236.53	278.63	118 %	468.57	477.60	102 %	214.50	202.43	94 %
6.	अण्डमान और निकोबार	0.24	0.45	188 %	0.44	0.24	55 %	0.55	0.00	0 %
	योग	1524.04	1772.49	116 %	1887.91	1928.66	1021 %	1625.15	904.29	56 %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	354.64	361.45	102 %	451.96	430.41	95 %	367.82	264.10	72 %
8.	मध्य प्रदेश	552.50	594.89	114 %	478.50	502.67	105 %	600.82	453.75	76 %
9.	महाराष्ट्र	927.40	968.27	104 %	507.98	558.38	110 %	1008.70	611.43	61 %
10.	राजस्थान	313.50	337.78	108 %	522.50	452.96	87 %	363.00	265.49	73 %
11.	गोवा	3.04	2.01	66 %	2.09	1.73	83 %	3.08	1.71	56 %
12.	दमन और दीव	0.25	0.17	67%	0.09	0.08	89 %	0.22	0.00	0 %
13.	दादर और नागर हवेली	1.03	1.03	100 %	0.33	0.33	100 %	1.29	1.20	93 %
	योग	2122.36	2265.60	107 %	1963.45	1946.56	99 %	2344.93	1597.68	68 %
14.	हरियाणा	446.60	525.07	118 %	598.40	667.80	112 %	462.00	367.37	80 %
15.	पंजाब	887.85	1004.15	113 %	1117.08	1260.86	113 %	878.42	774.29	88 %
16.	उत्तर प्रदेश	1605.80	1873.19	102 %	11.91	13.06	110 %	20.93	19.27	92 %
17.	हिमाचल प्रदेश	18.41	18.70	117 %	2600.1	2564.74	99 %	1765.50	1319.08	75 %
18.	जम्मू और कश्मीर	54.33	51.67	95 %	30.66	23.32	76 %	58.15	46.24	80 %
19.	दिल्ली	8.24	8.79	107 %	18.62	18.48	99 %	8.67	3.19	37 %
20.	चण्डीगढ़	0.31	0.31	100 %	0.66	0.65	100 %	0.32	0.28	88 %
	योग	3021.54	3481.88	115 %	4377.34	4548.92	104 %	3193.99	2532.72	79 %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	बिहार	540.50	462.78	86 %	593.99	532.39	90 %	569.88	396.62	61 %
22.	उड़ीसा	205.74	200.20	102 %	95.43	97.60	102 %	214.89	93.67	44 %
23.	पश्चिम बंगाल	288.48	335.87	116 %	544.98	511.66	94 %	337.77	266.35	79 %
	योग	1029.72	1003.85	97 %	1234.40	1141.65	92 %	1122.54	706.64	63%
24.	आसाम	23.91	32.90	138 %	23.82	26.53	111 %	25.34	24.08	95 %
25.	त्रिपुरा	8.80	6.34	72 %	7.82	6.37	81 %	6.35	8.61	136 %
26.	मणिपुर	16.46	16.89	103 %	1.89	4.46	236 %	19.80	9.23	47 %
27.	मेघालय	2.30	1.98	86 %	2.20	0.36	16 %	2.42	1.05	43 %
28.	नागालैण्ड	0.55	1.27	231 %	0.39	0.41	105 %	0.33	0.94	285 %
29.	अरूणाचल प्रदेश	0.22	0.04	18 %	0.25	0.00	0 %	0.25	0.01	4 %
30.	सिक्किम	1.10	0.61	55 %	0.66	0.20	30 %	1.10	0.06	5 %
31.	मिजोरम	0.33	0.22	67 %	0.28	0.02	7 %	0.44	0.60	36 %
32.	टी बोर्ड (पूर्वोत्तर)	37.50	32.83	88 %	44.00	50.09	114 %	38.50	11.33	29 %
	योग	91.17	93.08	102 %	81.31	88.44	109 %	94.53	55.47	59 %
	संपूर्ण भारत	7789.83	8616.90	111 %	9544.41	9654.23	101 %	8381.14	5796.80	69 %

अक्रिस्टलीय धातु

4236. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की एलाइड सिग्नल इनकार्पोरेटेड ने अक्रिस्टलीय धातुओं का उत्पादन करने के लिए भारत में आधुनिक प्रौद्योगिकी संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कंपनी को भारत में उक्त संयंत्र की स्थापना की अनुमति दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते, यदि कोई हुआ है तो, का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मैसर्स एलाइड सिगनल इंक., यू.एस.ए० का एमोरफोस धातु कोर का निर्माण करने के लिए गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स उषा एमोरफोस मैटल्स लि. नामक एक मौजूदा संयुक्त उद्यम है। भारतीय कंपनी अर्थात् मैसर्स उषा एमोरफोस मैटल्स में मैसर्स एलाइड सिगनल इंक., अमरिका को 57.50 लाख रुपये के अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करके विदेशी इक्विटी धारिता को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः,.अनुमोदन योजना के अधीन अक्टूबर, 1993 में अनुमोदन किया गया है।

ग्रामीण विकास सचिवों की बैठक

4237. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास सचिवों की हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) प्रो. सी.एच. हनुमतराव, भूतपूर्व

सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित तकनीकी समिति की सिफारिशों पर विचार करने, समिति की सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए कार्यनीति बनाने तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना, जवाहर रोजगार योजना - 2 तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिकाओं को अंतिम रूप देने के लिए 18-19 जुलाई, 1994 को राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध राज्यों के सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ग) सम्मेलन में किए गए निर्णयों के अनुसार 1995-96 से सूखाग्रस्त मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विदेशी/तकनीकी समझौते

4238. श्री के.प्रधानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार कितने विदेशी, तकनीकी और वित्तीय समझौते किए ;

(ख) उनमें कुल कितना निवेश किया जाएगा ; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) नीति के बाद की अवधि (अगस्त, 1991 से जून, 1994 तक) के दौरान स्वीकृत किये गये विदेशी तकनीकी तथा वित्तीय सहयोगों के ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

विदेशी तकनीकी सहयोग के अनुमोदित प्रस्ताव	-	2333
वित्तीय सहयोगों के अनुमोदित प्रस्ताव	-	2118
परिकल्पित पूंजी निवेश	-	15615.82 करोड़ रुपये

इन प्रस्तावों अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता तथा संबंधित देश का नाम, निर्माण की मद के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक न्यूजलैटर में एक पूरक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और इनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

पालिएस्टर स्टेपल फाइबर

4239. श्री इन्द्रजी गुप्त :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालिएस्टर स्टेपल फाइबर सहित कुछ वस्तुओं को नकारात्मक आयात लिस्ट से बाहर निकालकर ओपन जनरल लाइसेंसिंग श्रेणी में लाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं क्या ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में इन वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन, खपत और मांग पर विचार किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इसका समग्र रूप से देश के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

परमाणु विद्युत संयंत्र

4240. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) परमाणु बिजलीघर इस समय तारापुर (महाराष्ट्र), रावतभाटा (राजस्थान), नरौरा (उत्तर प्रदेश), कलपाक्कम (तमिलनाडु), ककरापार (गुजरात) और कैगा (कर्नाटक) में काम कर रहे हैं/निर्माणाधीन हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार की राज्य सरकारों ने उनके अपने-अपने राज्यों में न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए समय-समय पर प्रस्ताव किए हैं। जहां तक पूर्वी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों के अनुरोध का संबंध है, न्यक्लियर विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्राथमिकता अपेक्षाकृत कम है क्योंकि उस क्षेत्र में कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अन्य क्षेत्रों में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों के बारे में, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने संभावित स्थलों की जांच की है। एक परमाणु बिजलीघर को स्थापित करने की प्रक्रिया में सुरक्षा और पर्यावरण के संबंध में व्यापक समीक्षा करना आवश्यक है तथा यह वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। इन राज्यों में से किसी भी राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई नया न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि में निवेश

4241. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

श्री गुमान मल लोढा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आने वाले वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वार्षिक वृद्धि दर के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी ;

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश किए जाने की संभावना है ;

(ङ) क्या पिछले दशक में कृषि क्षेत्र में पाये जाने वाले पूंजी निवेश में निरन्तर कमी आई है ;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार भी पिछले कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र हेतु वार्षिक बजटीय आबंटन में निरन्तर कमी कर रही है ; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) आठवीं योजना (1992-97) के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन 4.01 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) और (घ) कृषि क्षेत्रक में बढ़े हुए अधिक निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के हक में निवेश परिवर्तन हुआ है। आठवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्रक का हिस्सा कुल निवेश में सातवीं योजना के 11.23 प्रतिशत से बढ़कर 18.65 प्रतिशत हो गया है।

(ङ) कृषि क्षेत्रक में स्थिर कीमतों (1980-81 की कीमतों) पर सकल पूंजी निर्माण 1980-81 के 4636 करोड़ रुपये से घटकर 1986-87 में 4015 करोड़ रुपये हो गया था। तत्पश्चात् 1992-93 में यह बढ़कर 4567 करोड़ रुपये हो गया।

(च) जी, नहीं। कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक अनुमोदित योजना परिव्यय 1990-91 के 3802.52 करोड़ रुपये से बढ़कर 1994-95 में 5845.70 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले पांच वर्षों में कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्नलिखित है : -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**परिव्यय**
1990-91	3802.52
1991-92	4473.10
1992-93	4710.28
1993-94	5408.93
1994-95	5845.70

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमिहीनों को भूमि

4242. श्री ए. अशोक राज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन गरीबों को अतिरिक्त भूमि का आंबटन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे लोगों की संख्या कितनी है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाये गए मानदण्ड क्या है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1991-92 से 1993-94) के दौरान आबंटितियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस संबंध में 1972 में अपनाई गई राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं में यह निर्धारित किया गया है कि अतिरिक्त भूमि का आबंटन करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति और कृषि श्रमिकों को वरीयता दी जाएगी।

(घ) पिछले तीन वर्षों (1991-94) के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं : -

(क्षेत्र एकड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1991-94	8,68,553	3,23,986

विवरण

	राज्य	1991-94 के दौरान आबंटितियों की कुल संख्या
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	18566
2.	असम	26448

1		2
3.	बिहार	10892
4.	गुजरात	897
5.	हरियाणा	222
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
7.	जम्मू व कश्मीर	शून्य
8.	कर्नाटक	42134
9.	केरल	4145
10.	मध्य प्रदेश	2583
11.	महाराष्ट्र	6653
12.	मणिपुर	शून्य
13.	उड़ीसा	4644
14.	पंजाब	143
15.	राजस्थान	1089
16.	तमिलनाडु	4172
17.	त्रिपुरा	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	033
19.	पश्चिम बंगाल	33143
20.	दिल्ली	शून्य
21.	पांडिचेरी	01
22.	दादर और नगर हवेली	545
	अखिल भारत	163610

[हिन्दी]

रोजगार गारंटी योजना

4243. श्री राजेश कुमार :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) बिहार सरकार से सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में लगे श्रमिकों को मजदूरी के भाग के रूप में 2 कि.ग्रा. प्रतिदिन की अधिकतम मात्रा की दर से खाद्यान्नों का वितरण किया जा सकता है।

वानिकी और क्षारीय मिट्टी

4244. श्री दत्ता मेघे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बंजरभूमि विकास योजना चलायी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के परती भूमि अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में वानिकी और क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु कोई योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए परियोजना वार किन-किन जिलों का चयन किया गया है ;

(घ) कितने हैक्टेयर भूमि पर ये परियोजनाएं चलायी जायेंगी ;

(ङ) ये योजनाएं कब तक कार्यान्वित की जाएंगी ; और

(च) इन योजनाओं से कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड

4245. छेदी पासवान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेमीकंडक्टर कॉम्प्लैक्स लिमिटेड घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कॉम्पलेक्स के कार्यकरण की समीक्षा की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नही उठते।

मलेशियाई पायलटों को प्रशिक्षण

4246. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया ने भारत से मिग-30 लड़ाकू वायुयानों के पायलटों को प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा कितने पायलटों और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ;

(ग) इस प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी ; और

(घ) यह प्रशिक्षण कब तक आरम्भ किये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भारत और मलेशिया ने फरवरी, 1993 में रक्षा सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार मलेशिया ने अपने पायलटों और तकनीशियनों को मिग-29 वायुयान (न कि मिग-30) पर प्रशिक्षण देने के लिए भारत से अनुरोध किया था। इस प्रशिक्षण को सितंबर, 1994 में वायुसेना स्टेशन पुणे में शुरू किए जाने की योजना है। इस करार पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

पेंशनभोगियों को सुविधाएं

4247. श्री महेश कनोडिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पेंशनभोगियों को उनके निवास स्थान के नजदीक पेंशन का भुगतान करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) डाकखाने से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को पहले ही सरकारी क्षेत्र के प्राधिकृत बैंकों से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिली हुई है। वे अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंकों की शाखाओं में से अपने निवास स्थान के निकट की किसी शाखा को चुन सकते हैं। डाकखाने से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगी अपने घर के नजदीक किसी भी डाकघर से पेंशन ले सकते हैं। दूर संचार के पेंशन भोगी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अथवा डाकघर से पेंशन ले सकते हैं।

[अनुवाद]

औषधों के मूल्य

4248. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय प्रयोग हो रही लगभग पचास प्रतिशत औषधियां अमरीकी कम्पनियों के पेटेंट के अन्तर्गत आ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने गैट समझौते पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप औषधों के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) ट्रिप्स समझौते से समझौते के लागू होने से पूर्व पेटेंट की गई औषधों के मूल्यों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

|हिन्दी|

गैस रिसाव त्रासदियां

4249. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी के बाद कितनी गैस रिसाव की त्रासदियां हुई और इसके फलस्वरूप राज्यवार अनुमानतः कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) किन-किन राज्यों में अनेक रसायन उद्योग स्थित हैं ; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) पर्यावरण मंत्रालय से सामग्री इक्ट्ठी की जा रही है।

फालतू भूमि का वितरण

4250. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में कतिपय मामलों के लम्बित होने के कारण उत्तर प्रदेश में फालतू भूमि का वितरण कार्य पूरा नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ; और

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन मार्गनिर्देशों का किस हद तक पालन किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां। अन्य कारणों के अलावा न्यायालयों में मामलों का लम्बित होना एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में फालतू भूमि के वितरण का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

(ख) से (घ) मार्च, 1992 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के आधार पर राज्यों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गयी है : -

(1) अधिकतम सीमा से अधिक भारी विवादमुक्त भूमि का वितरण करना।

(2) राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों वाले क्षेत्र के 75 प्रतिशत को छुड़ाना तथा वितरण के लिए उन्हें उपलब्ध कराना ;

(3) संविधान के अनुच्छेद 323-ख के तहत भू-न्यायाधिकरण स्थापित करना ;

(4) मुकदमे में फंसे मामलों के तीव्र निपटान के लिए उच्च न्यायालयों से विशेष खण्डपीठ स्थापित करने का अनुरोध करना।

इस सलाह का अनुसरण करते हुए अक्तूबर, 1991 से मार्च, 1994 तक राज्य सरकार द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक भूमि के तीव्र निपटान हेतु विशेष अभियान चलाया गया था। इस अवधि के दौरान 10,397 एकड़ क्षेत्र भूमिहीन गरीबों को वितरित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने हदबंदी के मामलों के तीव्र निपटान हेतु तीन न्यायाधीशों को भी नामित किया है।

[अनुवाद]

मुम्बई में भूमि का अंतरण

4251. श्री मोहन रावले : क्या शहरी विकास मंत्री मुम्बई में भूमि का अंतरण के बारे में 16 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3066 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुम्बई में उद्योग मंत्रालय को अंतरित शेष खारी भूमि के अधिग्रहण हेतु कार्यविधि को अंतिम रूप देने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : अनेक परिचर्चाओं और अन्तः मंत्रालय विचार-विमर्शों के बाद एक प्रमुख प्रकोष्ठ (न्यूक्लियस सेल) बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार किया गया है जो प्रत्येक मामले की जांच करेगा तथा सम्बद्ध रिकार्ड अपने हाथ में लेगा और आगामी कार्रवाई के बारे में सुझाव देगा। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत

4252. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने हेतु किस प्रकार के परीक्षण कराए गए हैं ; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) प्रचालनात्मक अनुभव प्राप्त करने और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से ग्रिड से सम्बद्ध विद्युत उत्पादन करने हेतु बायोमास और सौर प्रकाशवोल्टीय पर आधारित नई विकसित अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ख) इस प्रयोजन के लिए आठवीं योजना में अब तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है।

[अनुवाद]

गैर वन् परती भूमि पर चाय की खेती

4253. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर वन परती भूमि पर चाय की खेती के संवर्धन तथा बढ़ावा देने के लिए एक 'कार्यकारी दल' का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय क्या हैं ;

(ग) क्या इस कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण **विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):** (क) जी हां, सरकार ने, उत्तरपूर्वी क्षेत्र, विशेषकर नागालैण्ड राज्य के गैर-परम्परागत क्षेत्रों में वनेतर बंजरभूमि पर चाय की खेती को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के विचार से चाय पौधारोपण की तकनीकी - आर्थिक सम्भावना की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।

(ख) 27 अगस्त, 1993 को गठित कार्यदल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :-

(1) चाय के पौधारोपण के लिए देश में विशेषकर उत्तरपूर्वी क्षेत्र में वनेतर क्षेत्रों में संभाव्य बंजरभूमि का पता लगाना।

(2) चाय के पौधारोपण में शामिल विभिन्न एजेंसियों को तकनीकी निवेश जुटाना और उन खामियों/क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें वनेतर बंजरभूमि पर चाय का पौधारोपण करके सुधार करने के लिए अतिरिक्त नि[illegible] आवश्यकता हो।

(3) वनेत्तर बंजरभूमि पर चाय के पौधारोपण की तकनीकी – आर्थिक सम्भावना की जांच करना और उस पर रिपोर्ट देना।

(4) आर्थिक और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की कमियों का पता लगाना और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना।

(ग) और (घ) कार्यदल की बैठक दो बार हो चुकी है। पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नागालैण्ड सरकार चाय बोर्ड के लिये कुछ व्यवहार्य रिपोर्टें तैयार करेंगी। दूसरी बैठक में चाय बोर्ड से चाय पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया गया था कि नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम तथा सिक्किम राज्यों के उद्यमियों की एक बैठक बुलाई जाये।

पोलीमैटलिक नोडयूल्स

4254. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख क्षेत्र में पोलीमेटलिक नोड्यूल्स और उनके स्पार्सियल वितरण के लिए ऐसे संसाधनों का व्यापक भू-स्थैतिकी मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओसियनोग्राफी ने आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां श्रीमान्। बहुधात्विक पिण्डिका संसाधन 3800 लाख टन होने का अनुमान है। यह संसाधन अनुमान, 25 कि.मी. के ग्रिड अंतराल पर, लगभग 1500 केन्द्रों पर, प्रतिचयन के आधार पर किया गया है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के परामर्श से राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने अग्रणी क्षेत्र की 20 प्रतिशत की सीमा तक, कम आर्थिक महत्व वाले क्षेत्रों का पता लगाया है। यह पहचान पिण्डिकाओं की प्रचुरता और कोटि के मूल्यांकन तथा स्थानीय प्रवणताओं एवं विस्तृत क्षेत्रों (फ्रैक्चर जोन्स) और समुद्री टीलों जैसी प्रमुख स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर की गई है।

लघु और छोटी जल-विद्युत परियोजनाएं

4255. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अब तक राज्यवार कितनी लघु और छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है ;

(ख) इनकी कुल विद्युत-उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) अब तक राज्यवार ऐसी कितनी परियोजनाएं शुरू की गई है ; और

(घ) शेष परियोजनाएं कब तक पूरी कर दी जायेंगी ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्रालय ने कुल लगभग 1200 मेवा. के 3 मेवा. तक के 1300 से अधिक संभाव्य लघु पन-बिजली के स्थलों का डाटा आधार तैयार किया है। इसके अलावा, कुल लगभग 202 मेवा. क्षमता की 166 लघु पन-बिजली परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। पहचान की गई लघु पन-बिजली परियोजनाएं उनकी संभाव्यता और निर्माण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) लघु पन-बिजली परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियां, वानिकी स्वीकृति, भूमि की उपलब्धता, राज्य आयोजना के लिए पर्याप्त आबंटन और राज्य में उपयुक्त संस्थागत स्थापना पर निर्भर करता है। कार्यान्वयन के लिए पहल शुरू की गई परियोजनाओं के आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान पूरा होने की आशा है।

विवरण

3 मेवा. क्षमता तक की पहचान की गई निर्माणाधीन लघु पन-बिजली परियोजनाओं की राज्यवार सूची **

क्र.सं.	राज्य	पहचान की गई परियोजनाएं		निर्माणाधीन परियोजनाएं	
		संख्या	क्षमता (मेवा.)	संख्या	क्षमता (मेवा.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	30.80	20	29.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	190	112.52	12	21.60
3.	असम	10	15.19	-	-

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	110	133.52	1	1.00
5.	गोवा	1	1.50	2	2.90
6.	गुजरात	37	26.78	-	-
7.	हरियाणा	14	14.30	1	0.10
8.	हिमाचल प्रदेश	145	167.08	4	8.30
9.	जम्मू कश्मीर	27	29.64	9	9.64
10.	कर्नाटक	28	30.15	22	24.15
11.	केरल	140	156.19	7	14.50
12.	मध्य प्रदेश	41	38.46	7	8.05
13.	महाराष्ट्र	122	68.17	4	6.20
14.	मणिपुर	3	1.70	6	4.95
15.	मेघालय	36	7.76	-	-
16.	मिजोरम	23	14.68	8	10.45
17.	नागालैंड	6	3.26	4	5.50
18.	उड़ीसा	148	28.25	7	9.92
19.	पंजाब	112	84.12	4	4.20
20.	राजस्थान	24	17.34	4	3.71
21.	सिक्किम	3	9.50	3	5.40
22.	तमिलनाडु	15	25.15	5	4.30
23.	त्रिपुरा	5	3.35	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	111	81.80	35	26.00
25.	पश्चिम बंगाल	69	69.28	1	1.20
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	3.00	-	-
	जोड़	1344	1170.49	166	202.07

विभिन्न एस.ई.बी./एजेंसियां की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार·

उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

4256. डा. साक्षीजी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्तर-प्रदेश में कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों पर कितना व्यय किया गया ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (के वी आई बी) द्वारा खादी कार्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामोद्योग से संबंधित कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आरंभ किए गए महत्वपूर्ण ग्रामोद्योग ये हैं - एल्युमिनियम उद्योग, मधुमक्खी पालन, बायोगैस, पीतल तांबा व घंटाधातु, बेंत व बांस, बढ़ईगीरी और लोहारगिरी, कुटीर दियासलाई उद्योग, इलैक्ट्रोनिक उद्योग, फाइबर उद्योग, चिकित्सा प्रयोजन हेतु जंगली जड़ी बूटियां, फल परिरक्षण इत्यादि।

(ख) उ.प्र. केवीआई बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया गया व्यय इस प्रकार है : -

(रु. लाख में)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1991-92	-	56.06	20.87	995.49
1992-93	-	87.79	44.53	1373.22
1993-94	-	57.30	20.23	1136.80

प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता

4257. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या मापदंड हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने संसाधन जुटाए गए ; और

(ङ) राज्यों को दी जाने वाली प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता से समानता लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा दिसम्बर, 1991 में अनुमोदित फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आबंटन 1992-93 से 1994-95 तक किया गया था। फार्मूले के ब्यौरे तथा मानदंड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 1992-93 से 1994-95 तक केन्द्रीय सहातया का कुल तथा प्रतिव्यक्ति आबंटन संलग्न विवरण II तथा III में दिया गया है।

(घ) वार्षिक योजनाओं 1992-93 से 1994-95 के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अपने अपने संसाधन संलग्न विवरण-4 और 5 में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि राज्यों को किए गये आबंटन फार्मूला आधारित हैं।

विवरण - I

केन्द्रीय वित्तमंत्री तथा योजना आयोग के एक सदस्य के साथ श्री प्रणव मुखर्जी उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए गाडगिल फार्मूले की समीक्षा करने के लिए किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसंबर, 1991 में आयोजित अपनी बैठक में इस समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया तथा राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए निम्नलिखित फार्मूला तय किया गया।

I. कुल केन्द्रीय सहायता में से विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए आवश्यक निधियां अलग रखी जाएं, जैसा कि अभी किया जा रहा है।

II. शेष सहायता में से, निम्नलिखित विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त धनराशि प्रदान की जाए : -

(क) पहाड़ी क्षेत्रों ;

(ख) जनजातीय क्षेत्रों ;

(ग) सीमा क्षेत्रों ;

(घ) पूर्वोत्तर परिषद ;

(ङ) अन्य कार्यक्रम

III. शेष सहायता में से, विशेष श्रेणी * राज्यों को 30 प्रतिशत देना।

IV. शेष को निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी ** राज्यों के बीच वितरित करना : -

I.	**मानदंड**	**अधिमार**	
1.	जनसंख्या (1971)	60.0	
2.	प्रति व्यक्ति आय	25.0	
II.	**प्रति व्यक्ति आय**		
(क)	'विचलन'' पद्धति - राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति एसडीपी राज्यों को कवर करना		20.0
(ख)	दूरी पद्धति सभी राज्यों को कवर करना		5.0
III.	**निष्पादन**		<u>7.5</u>
(क)	कर प्रयास		2.5
(ख)	वित्तीय प्रबंध		2.0
(ग)	राष्ट्रीय उद्देश्य		3.0
1.	जनसंख्या नियंत्रण		1.0
2.	महिला निरक्षरता उन्मूलन		1.0
3.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सामयिक समाप्ति		0.5
4.	भूमि सुधारों में सफलता		0.5
IV.	विशेष समस्याएं		7.5
	जोड़		100.00

* वर्तमान में 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण का पैटर्न।

** वर्तमान में 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण का पैटर्न।

विवरण - II

केन्द्रीय सहायता का कुल तथा प्रति व्यक्ति आबंटन

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95

राज्य	1992-93 सकल आबंटन (करोड़ रु.)	1992-93 प्रति व्यक्ति (रु.)	1993-94 सकल आबंटन (करोड़ रु.)	1993-94 प्रति व्यक्ति (रु.)	1994-95 सकल आबंटन (करोड़ रु.)	1994-95 प्रति व्यक्ति (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
क. विशेष श्रेणी						
1. अरूणाचल प्रदेश	247.60	5291	277.49	5929	306.84	6556
2. असम	756.41	517	846.99	579	894.99	612
3. हिमाचल प्रदेश	277.99	803	333.07	963	370.05	1070
4. जम्मू और कश्मीर	730.64	1582	790.44	1712	835.83	1810
5. मणिपुर	193.70	1805	207.70	1936	238.87	2226
6. मेघालय	172.86	1708	183.50	1813	211.85	2093
7. मिजोरम	161.49	4864	177.48	5346	206.48	6219
8. नागालैंड	164.48	3188	187.05	3625	230.90	4475
9. सिक्किम	98.41	4686	107.96	5141	134.96	6427
10. त्रिपुरा	211.01	1356	224.58	1443	247.58	1591
कुल जोड़	3014.59	1082	3336.26	1197	3678.35	1320
ख. गैर विशेष श्रेणी						
1. आन्ध्र प्रदेश	552.50	127	607.50	140	707.50	163
2. बिहार	776.31	138	870.31	151	957.31	270

1	2	3	4	5	6	7
3. गोआ	42.00	528	43.00	541	47.34	595
4. गुजरात	245.72	92	255.22	96	280.72	105
5. हरियाणा	121.37	121	158.37	158	188.37	188
6. कर्नाटक	265.34	91	280.34	96	308.15	105
7. केरल	324.33	152	369.28	173	384.28	180
8. मध्य प्रदेश	493.30	118	536.03	129	566.03	136
9. महाराष्ट्र	434.24	86	438.24	87	460.24	91
10. उड़ीसा	339.90	155	339.90	155	379.90	173
11. पंजाब	162.92	120	162.92	120	162.92	120
12. राजस्थान	385.76	150	396.51	154	438.51	170
13. तमिलनाडु	515.92	125	550.92	134	654.14	159
14. उत्तर प्रदेश	1142.71	129	1192.80	135	1292.80	146
15. पं. बंगाल	425.72	96	463.54	105	490.01	111
जोड़	6228.04	121	6664.88	129	7318.22	142
जोड़(क+ख)	9242.63	170	10001.14	184	10996.57	202

* विशेष समस्या के आबंटनों सहित

** 1991-92 के बकाया 23 करोड़ रु. को छोड़कर

*** भवन सज्जा हेतु पहले दी गई सहायतानुसार 10 करोड़ रुपये को छोड़कर

नोट : प्रति व्यक्ति आंकड़े, 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर प्राप्त किए गए।

विवरण - III

संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक योजनाओं 1992-93 से 1994-95 के लिए केन्द्रीय सहायता का कुल तथा प्रति व्यक्ति आबंटन

वार्षिक योजनाओं के लिए 1992-93 से 1994-95

	संघ राज्य क्षेत्र	1992-93 कुल केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति (रु.)	1993-94 कुल के.स. (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति (रु.)	1994-95 कुल के.स. (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति (रु.)
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**विधायिक सहित**						
1.	दिल्ली	920.00	2263	1075.00	2644	239.00	588
2.	पांडिचेरी	90.00	1907	108.00	2288	85.29	1807
II.	**गैर विधायिका**						
3.	अंडमान और नि.द्वीप समूह	155.00	13478	156.50	13609	205.00	17826
4.	चंडीगढ़	68.00	2646	80.00	3113	88.00	3424
5.	दादरा और नगर हवेली	18.15	2453	22.00	2973	25.00	3378
6.	दमन और द्वीव	14.50	2339	16.00	2581	18.50	2984
7.	लक्ष्यद्वीप	25.00	7813	32.00	10000	32.00	10000
	जोड़ वि.	1290.65	2542	1489.50	2933	692.79	1364

टिप्पणी : संघ राज्य क्षेत्रों के समस्त अनुमोदित योजना परिव्ययों को केन्द्रीय सहायता के जरिये बजट तथा निधियां दी जाती है (1994-95 के लिए दिल्ली तथा पांडिचेरी को छोड़कर) जैसा कि दिसंबर 1993 से भारत के समेकित निधि में से उनके राजस्व लेखे रखे जाते हैं। दिल्ली और पाण्डिचेरी के लेखे अलग से रखे जाते हैं।

2. प्रति व्यक्ति आंकड़े 1971 जनसंख्या जनगणना के आधार पर लिए गए हैं।

विवरण - IV

वार्षिक योजनाओं 1992-93 से 1994-95 के लिए राज्यों के अपने संसाधन

(करोड़ रुपये)

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
क. विशेष श्रेणी			
1. अरूणाचल प्रदेश	0.00 (-32.80)	1.25 (-24.36)	3.00
2. असम	0.00 (-655.55)	113.07 (-118.07)	-154.88
3. हिमाचल प्रदेश	90.00 (-266.78)	96.00 (-183.21)	438.16
4. जम्मू और कश्मीर	0.00 (-662.30)	0.00 (-630.18)	0.00 (-656.77)
5. मणिपुर	2.04 (-62.96)	3.40 (-75.89)	-30.00
6. मेघालय	23.47 (-54.79)	14.00 (-55.10)	-27.09
7. मिजोरम	1.81 (-42.86)	2.50 (-22.56)	-18.08
8. नागालैंड	0.00 (-177.91)	1.38 (-173.47)	-32.50
9. सिक्किम	1.10 (-41.36)	1.21 (-48.84)	-16.00
10. त्रिपुरा	19.36 (-168.73)	21.68 (-164.29)	-31.03
कुल जोड़ क	137.78(-2166.04)	259.49(-1504.97)	-131.58
ख. गैर-विशेष श्रेणी			
1. आन्ध्र प्रदेश	305.17	234.58	-60.56
2. बिहार	574.25	498.40	331.95
3. गोआ	81.77	107.35	104.36
4. गुजरात	1124.79	1358.13	1363.78
5. हरियाणा	427.61	395.80	371.71

1	2	3	4
6. कर्नाटक	1056.65	2139.10	2094.95
7. केरल	85.68	46.63	214.41
8. मध्य प्रदेश	1181.12	1106.53	1154.92
9. महाराष्ट्र	2025.58	2587.76	2872.56
10. उड़ीसा	240.56	236.86	639.57
11. पंजाब	-709.42	-146.68	308.00
12. राजस्थान	369.01	571.90	1008.54
13. तमिलनाडु	295.60	545.02	738.70
14. उत्तर प्रदेश	12.42	-192.95	-114.07
15. पं. बंगाल	-145.81	-96.71	-44.20
जोड़ ख	6924.98	9391.72	10984.59
जोड़(क+ख)	7062.76	9351.21	11116.17

टिप्पणी : कोष्ठकों से बाहर के आंकड़े राज्यों के उनके संसाधनों (अल्प बचतों के बदले ऋण) से संबंधित आंकड़े योजना संसाधनों में सम्मिलित हैं तथा कोष्ठकों में आंकड़े राज्यों में उनके कुल संसाधनों से संबंधित हैं।

2. विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में चालू राजस्व से अधिशेष (वीसीआर) सहित संसाधन की कमी वाले राज्यों के राज्य सार्वजनिक उद्यमों के योगदान, राज्य भविष्य निधि विविध पूंजी राजस्व प्राप्तियां (एमसीआर) योजना वित्त पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

3. विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में गैर-योजना अंतराल को कवर करने के लिए केन्द्रीय (केन्द्रीय सहायता सहित) का एक भाग दिया गया।

विवरण - V

संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधन 1992-93 से 1994-95

(करोड़ रुपये)

	संघ राज्य क्षेत्र	1992 93	1993-94	1994-95
	1	2	3	4
I.	**विधायिका सहित**			
1.	दिल्ली		*	1221.00
2.	पांडिचेरी			49.71
II.	**गैर विधायिका**			
3.	अंडमान और निको. द्वीप समूह	*		*
4.	चंडीगढ़		*	*
5.	दादरा और नगर हवेली	*	*	*
6.	दमन और द्वीप	*	*	*
7.	लक्षद्वीप	*	*	*
जोड़			1270.71	

केन्द्रीय सहायता द्वारा पूर्णतः निधियां दी गई।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर केन्द्र

4258. श्री सूरजभानू सोलंकी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में चल रहे कम्प्यूटर केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में नए कम्प्यूटर केन्द्र खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों) : (क) केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों को कम्प्यूटर आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य के अनुक्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने मध्य प्रदेश में पहले ही निम्नलिखित कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित कर लिए हैं : -

स्थान	**लगाया गया कम्प्यूटर**
विंध्याचल भवन भोपाल	सुपन मिनी कम्प्यूटर और मिनी कम्प्यूटर
मध्य प्रदेश, विधान सभा भोपाल	मिनी कम्प्यूटर
मंत्रालय वलभ भवन भोपाल	मिनी कम्प्यूटर
बिक्री कर आयुक्त का कार्यालय इन्दौर	मिनी कम्प्यूटर
मध्य प्रदेश के 45 जिला मुख्यालयों के 45 जिला केन्द्रों में	प्रत्येक जिले में मिनी कम्प्यूटर

2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की तकनीकी सहायता के साथ आरंभ किए गए कम्प्यूटर केन्द्र

क. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड राजस्व विभाग द्वारा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, इन्दौर और उसके 10 प्रभागों में	मिनी और सुपर मिनी कम्प्यूटर

ख. पत्र सूचना ब्यूरो

भोपाल	मिनी कम्प्यूटर
3. जनगणना कार्य निदेशालय भोपाल	मिनी कम्प्यूटर

4.	महालेखाकार कार्यालय, भोपाल	मिनी कम्प्यूटर
5.	महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर	मिनी कम्प्यूटर
6.	आयकर विभाग, भोपाल	मिनी कम्प्यूटर

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित स्थानों पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित स्थान	**कम्प्यूटर**
क. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी), योजना आयोग द्वारा	
उच्च न्यायाल, जबलपुर	सुपर मिनी कम्प्यूटर
सतपुड़ा भवन, भोपाल	मिनी कम्प्यूटर
(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की तकनीकी सहायता के साथ **पत्र सूचना ब्यूरो द्वारा**	
इन्दौर	मिनी कम्प्यूटर
कम्पनी के रजिस्ट्रारों के कार्यालय द्वारा, ग्वालियर	सुपर मिनी कम्प्यूटर

[अनुवाद]

अंतरिक्ष में जमा मलबा

4259. श्री शरत् पटनायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंतरिक्ष में जमा मलबे के कारण उत्पन्न संकट की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां।

(ख) अन्तरिक्ष में जमा मलबे से संकट मुख्य रूप में तभी उत्पन्न होता है, जबकि कार्यशील अन्तरिक्ष-प्रणालियों और मलबे के पदार्थों के बीच टकराने का जोखिम हो। मानव निर्मित अन्तरिक्ष पिंडों जैसे उपग्रहों अथवा प्रमोचक राकेट के ऊपरी चरणों द्वारा अपने कार्यों को पूरा करने के बाद पृथ्वी की कक्षा

में पीछे रह जाने के कारण बाह्य अन्तरिक्ष में कृत्रिम मलबा जमा होता है। इस मलबे में इनके पुर्जे और खण्ड भी शामिल होते हैं, जो कि अपने प्रचालन के दौरान प्रक्षिप्त होने के कारण तथा प्रमोचक राकेट के ऊपरी चरणों, जिनमें कुछ बचा हुआ ईंधन रहता है, के विस्फोट के कारण पैदा होते हैं।

(ग) अन्तरिक्ष मलबे की समस्या को हल करने के लिए जिन उपायों की जरूरत है, वे वस्तुतः कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय हैं। अतः सरकार की चिन्ता, अध्ययन और अनुसंधान के लिए हमारे अपने संस्थानों में और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर, दोनों जगह व्यक्त कर दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति में इस विषय को सक्रिय रूप में उठाता रहा है। भारत ने उपर्युक्त समिति की कार्यसूची में इस विषय को शामिल करने और इस पर विचार करने के लिए सक्रिय रूप में कार्य किया है, तथा जनरल एसेम्बली के प्रस्ताव का पालन करते हुए, 1994 के दौरान उपर्युक्त संस्था की वैज्ञानिक और तकनीकी उप समिति की कार्यसूची में भी इस पर विचार किया गया। अन्तरिक्ष मलबे पर वैज्ञानिक अनुसंधान के विविध पहलुओं पर समान अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी के विकास के लिए तथा भावी अन्तरिक्ष मिशनों पर अन्तरिक्ष मलबे के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त नीतियों को तैयार करने की दृष्टि से सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय पर चर्चा को जारी रखने का है।

गोबर गैस संयंत्र

4260. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गोबर गैस संयंत्रों के संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार ऐसे कितने संयंत्र स्थापित किए गए ;

(ग) राज्यवार उन पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य-वार ऐसे कितने और संयंत्र स्थापित किए जाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सरकार बायोगैस संयंत्रों के संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं नामतः परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और बड़े आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं में केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता, टर्न-की-जांव फीस, संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहनों, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्षेत्रीय बायोगैस विकास एवं

प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, सूचना और प्रचार, मानीटरिंग और मूल्यांकन, संगठनात्मक अवसंरचना के लिए सहायता आदि का प्रावधान है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों और सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या क्रमशः विवरण - I और विवरण - II में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त की गई राज्यवार धनराशि का ब्यौरा क्रमशः विवरण-III और विवरण - IV में दिया गया है।

(घ) आठवीं योजना दस्तावेज के अनुसार आठवीं योजना अवधि के दौरान 7.5 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों और 450 सामुदायिक संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वास्तविक लक्ष्यों का राज्यवार आबंटन किया जाता है और ये उनके प्रस्तावों, पिछले कार्य निष्पादन और संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होते हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान लगाए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1991-92 से 1993 की अवधि के दौरान लगाए परिवार आकार के संयंत्रों की संख्या		
	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	14799	16537	23736
अरूणाचल प्रदेश	37	*	37
असम	986	1010	1375
बिहार	7098	6040	4424
गोवा	251	217	161
गुजरात	34510	37821	40800

1	2	3	4
हरियाणा	2060	2098	2164
हिमाचल प्रदेश	3535	3761	2395
जम्मू कश्मीर	63	61	50
कर्नाटक	9871	19613	34797
केरल	4374	4352	4248
मंध्य प्रदेश	4978	9120	16770
महाराष्ट्र	51587	37620	26302
मणिपुर	116	150	100
मेघालय	50	60	*
मिजोरम	78	120	100
नागालैंड	*	50	20
उड़ीसा	8559	12763	11256
पंजाब	2320	2294	2497
राजस्थान	4169	3157	4378
सिक्किम	275	214	187
तमिलनाडु	9878	9484	11825
त्रिपुरा	115	122	69
उत्तर प्रदेश	13699	14128	17707
पश्चिम बंगाल	7121	7687	10030
अंडमान निकोबार	शून्य	10	शून्य
चंडीगढ़	4	*	*
दादर नागर हवेली	6	5	5
दिल्ली	17	8	24
पांडिचेरी	13	25	15
जोड़	130573	188527	215472

विवरण - II

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान स्थापित किए गए सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभिन्न वर्षों में स्थापित किए गए संयंत्रों की संख्या 1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2	-	6
बिहार	1	-	-
गोवा	-	-	10
गुजरात	15	5	8
हरियाणा	-	2	-
जम्मू कश्मीर	1	-	-
कर्नाटक	-	3	8
केरल	-	-	-
मध्य प्रदेश	2	6	10
महाराष्ट्र	17	19	34
उड़ीसा	4	17	-
पंजाब	39	27	34
राजस्थान	1	6	4
तमिलनाडु	11	10	22
उत्तर प्रदेश	26	90	70
पश्चिम बंगाल	1	3	-
दिल्ली	2	1	8
जोड़	122	189	214

विवरण - III

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य संघ/ राज्य क्षेत्र	1991-92 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि	1992-93 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि	1993-94 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	344.77	474.71	676.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.5	0.80	0.46
3.	असम	41.87	21.60	31.73
4.	बिहार	59.00	58.93	55.06
5.	गोवा	3.46	9.18	3.12
6.	गुजरात	920.10	1168.15	1488.78
7.	हरियाणा	63.16	63.74	29.44
8.	हिमाचल प्रदेश	253.69	150.51	71.60
9.	जम्मू कश्मीर	5.73	1.75	2.38
10.	कर्नाटक	186.09	166.08	493.57
11.	केरल	67.65	82.88	95.48
12.	मध्य प्रदेश	153.19	170.45	448.14
13.	महाराष्ट्र	1269.49	511.76	1298.20
14.	मणिपुर	3.24	7.46	1.82
15.	मेघालय	1.50	2.25	3.33
16.	मिजोरम	2.88	7.20	13.45
17.	नागालैंड	0.40	3.00	2.38

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	452.97	376.71	388.08
19.	पंजाब	69.97	66.83	60.84
20.	राजस्थान	91.73	163.79	121.16
21.	सिक्किम	10.94	3.48	4.99
22.	तमिलनाडु	162.08	277.99	272.53
23.	त्रिपुरा	0.41	4.00	1.44
24.	उत्तर प्रदेश	288.75	379.70	175.99
25.	पश्चिम बंगाल	251.31	70.33	124.83
26.	अंडमान निकोबार	-	-	-
27.	चंडीगढ़	-	0.05	0.56
28.	दादर नागर हवेली		-	-
29.	दमन और दीव	-	-	-
30.	दिल्ली	-	0.17	0.63
31.	पांडिचेरी	0.91	0.34	1.14
	जोड़	4705.79	4243.84	5867.32

विवरण - IV

वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त की गई राज्यवार निधियां

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य संघ/ राज्य क्षेत्र	1991-92 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि	1992-93 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि	1993-94 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.015	-	0.0301

1	2	3	4	5
2.	बिहार	-	0.0225	-
3.	गोवा			-
4.	गुजरात	0.1967	0.2688	0.2281
5.	हरियाणा	0.0575	0.0155	0.0144
6.	जम्मू कश्मीर	0.0096	-	-
7.	कर्नाटक	0.0150	0.025	0.0261
8.	केरल		0.005	-
9.	मध्य प्रदेश	0.0095	-	0.1903
10.	महाराष्ट्र	0.4739		0.0774
11.	उड़ीसा	0.0525	0.005	0.013
12.	पंजाब	0.7658	0.1548	1.2975
13.	राजस्थान	0.0075	-	0.090
14.	तमिलनाडु	0.0590	0.055	0.0563
15.	उत्तर प्रदेश	0.1391	0.1186	0.7916
16.	पश्चिम बंगाल	0.0080	0.0675	0.124
17.	दिल्ली	-	-	0.2885
18.	सिक्किम	-	0.0075	-
	जोड़	1.8091	0.7452	3.1157

उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान

4261. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक उद्योग के क्षेत्र में कोई अनुसंधान कार्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) अनुसंधान कार्य पर पी.डी.आई.एल. द्वारा कितने प्रतिशत व्यय किया गया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अनेक उर्वरक कम्पनियां अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रही हैं। ये कार्य कलाप मुख्य रूप से ऊर्जा दक्षता, विभिन्न संयंत्र बहिःस्राव के संसाधन, अपश्रव्य और उप-उत्पादों के उपयोग, मन्द मुक्त उर्वरकों के विकास, जैव उर्वरक, नये उत्प्रेरकों के विकास और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में सुधार के क्षेत्रों के इर्द-गिर्द केन्द्रित हैं। स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में आवश्यक सभी किस्म के उत्प्रेरकों को व्यावहारिक तौर पर विकास, नाइट्रिक एसिड संयंत्र में एन ओ एक्स मंदन, यूरिया संयंत्र से बहिःस्रावों के संसाधन के लिए हाइड्रालाइजर स्ट्राइपर तंत्र और उससे अमोनिया की प्रतिपूर्ति, जिंकटेड यूरिया, बोरोनेटड सिंगल सुपर फास्फेट जैसे उर्वरक सामग्रियों में जिंक और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषकों का निगमन आदि है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पीडीआईएल के संपूर्ण व्यय में अनुसंधान एवं विकास कार्य पर व्यय की प्रतिशतता गत तीन वर्षों में सामान्यतः 13 प्रतिशत के करीब रही है।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और प्रौद्योगिकी

4262. श्री आर.धनुषकोडी आदित्यन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ने अमरीका की एक कम्पनी के साथ मल्टीमीडिया हेतु सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आयात हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते और अमरीका की इस कम्पनी को किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। मल्टीमीडिया के लिए सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का आयात/निर्यात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ईटीएण्डटी) ने मैसर्स डायवरजेंट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रशिक्षण/परामर्श तथा सॉफ्टवेयर के विकास के लिए कम्पनी को 7294.95 अमरीकी डालर का भुगतान किया गया है।

भोपाल गैस त्रासदी

4263. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कल्याण आयुक्त ने मुआवजा मामलों की सुनवाई के संबंध में स्थगनादेश जारी किया है जिनमें काफी अधिक धनराशि अंतर्ग्रस्त हैं ;

(ख) क्या इससे परिवारों को मुआवजा प्रदान करने में विलम्ब होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) कल्याण आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुआवजा मामलों की सुनवाई के सम्बन्ध में कोई स्थगनादेश जारी नहीं किया गया है जिनमें काफी अधिक धनराशि अन्तर्ग्रस्त है।

बरगढ़ सीमेंट संयंत्र

4264. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बरगढ़ स्थित सीमेंट संयंत्र को विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा उक्त सीमेंट परियोजना के लिए स्वीकृत की गयी सहायता राशि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य के लिए सीमेंट उद्योग को दी गई क्रेडिट लाइन 2660-आई.एन. में से आई.डी.सी.ओ.एल. सीमेंट लि., बरगढ़ को 270 लाख अमेरिकी डालर का कर्ज दिया है। परियोजना के पूरा हो जाने पर, उक्त संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता 5.65 लाख मी.टन से बढ़कर 9.6 लाख मी.टन प्रतिवर्ष हो जायेगी और उक्त संयंत्र का नम प्रक्रिया प्रौद्योगिकी से शुष्क प्रक्रिया में परिवर्तन करके आधुनिकीकरण किया जायेगा।

पवन ऊर्जा का आकलन

4265. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पवन ऊर्जा संसाधनों का कोई व्यापक आकलन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो आकलन के अनुसार विभिन्न राज्यों में पवन विद्युत की कितनी संभावना है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु कोई योजना बनायी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किए गए राष्ट्रीय पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप द्वीप समूह में 69 स्थलों की पहचान की गई है। जिनमें लगभग 3000 मेवा. की पवन विद्युत संभाव्यता है।

(ग) और (घ) नई कार्यनीति और कार्रवाई योजना के तहत पवन विद्युत उत्पादन के लिए आठवीं योजना के लक्ष्य को संशोधित करके 500 मेवा. किया गया है। जबकि बजटीय आबंटन को चुनिंदा प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा ; इस कार्यक्रम को मुख्यतः वित्तीय संस्थाओं, विदेशी सहायता और निजी निवेश से संसाधनों को जुटाकर निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। राज्यों को उपर्युक्त संस्थागत व्यवस्था और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक नीतियां शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

निष्क्रिय कम्पनियां

4266. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निष्क्रिय कम्पनियों को बन्द करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्य इस विषय में कम्पनियों के संघों के प्रतिनिधियों की राय की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) निष्क्रिय कम्पनी का नाम हटाने की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 में विनिर्दिष्ट की गई है। कम्पनी कार्य विभाग ने हाल ही में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कार्रवाई शुरू किए जाने से पूर्व प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को सरलीकृत किया है जहां इस संबंध में ऐसा अनुरोध किया गया है। जिन मामलों में कम्पनियों/उनके निदेशकों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया जाता है तथा जहां कम्पनियों ने समावेशन के

बाद पिछले दो या इससे अधिक वर्षों से अपने तुलन पत्र दायर नहीं किए हैं तथा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता चल सके कि कम्पनी कारोबार कर रही है या प्रचालन में है, तो कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेपा

4267. श्री महेन्द्रकुमार सिंह ठाकुर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश के नेपा लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) नेपा लिमिटेड की समस्याओं/कार्य-विधि/प्रबन्धन के बारे में अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है, नेपा लिमिटेड से इन मामलों पर रिपोर्टें मंगाई जाती हैं।

बी.एच.ई.एल. द्वारा निर्यात आदेश

4268. श्री गंगा राम कोली : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा मलेशिया से सीधे हासिल किए गए निर्यात आदेशों की परियोजना, ठेका देने वाले प्राधिकारी, इसमें अंतर्ग्रस्त व्यय, देने का कुल मूल्य और इससे मिलने वाली विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किन्हीं एजेन्टों/व्यक्तियों के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूलय के आदेश प्राप्त करते समय कोई दलाली दी गई ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) "भेल द्वारा मलेशिया से प्राप्त निर्यात आर्डर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपर्युक्त आर्डरों से प्राप्त/प्राप्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा की निवल आय 152.156 मिलियन अमरीकी डालर है जो चालू विनिमय दर से 475.5 करोड़ रुपए के बराबर है।

(ख) और (ग) मलेशिया में संविदाओं के लिए "भेल" द्वारा एजेंट की नियुक्ति तथा किए गए एजेंसी शुल्क के भुगतान को कार्यकारी ग्रुप का अनुमोदन प्राप्त है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक भी एक सदस्य है। एजेंसी शुल्क के भुगतान का तरीका और शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार है। संवेदनशील जानकारी, जैसे एजेंटों के नाम तथा उनको भुगतान की गई राशियों के बारे में बताना भेल के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

विवरण

(मिलियन रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना/संविदा देने वाले प्राधिकरण का नाम	अंतर्ग्रस्त उपस्कर	आर्डर देने के समय प्रचलित विनिमय दर पर, आर्डर का भारतीय रुपए में मूल्य
1	2	3	4
1993-94			
1.	टी.एन.बी.	विद्युत ट्रांसफार्मर की आपूर्ति/स्थापना	251.59
1992-93			
1.	तुआन्कू जाफर पावर स्टेशन/टी.एन.बी.	जनरेटर रोटर की मरम्मत	14.19
2.	कनाट ब्रिज पावर स्टेशन/टी.एन.बी.	2xएफ.आर. 6 गैस टर्बाइन जनरेटर सेट	907.06
3.	पासिर गुंडंग पावर स्टेशन/टी.एन.बी.	2xएफ.आर. 6 गैस टर्बाइन जनरेटर सेट	1023.69
1991-91			
	इस अवधि में कोई बड़ा आर्डर प्राप्त नहीं हुआ।		

1	2	3	4
1990-91			
1.	टी.एन.बी.	विद्युत संयंत्र की मरम्मत, पुनर्स्थापना व गैस परिवर्तन परियोजना	1969.18
2.	टी.एन.बी.	विद्युत ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति	37.78
1989-90			
वर्ष में कोई बड़ा आर्डर प्राप्त नहीं हुआ।			

नोट : टी.एन.बी. तेनागा नेशनल बरहाद।

[हिन्दी]

अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाना

4269. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा केन्द्रीय सरकार के स्थायी अनुदेश के आलोक में उन अस्थायी कर्मचारियों को जिन्होंने 240 या 206 दिनों तक काम किया है स्थायी कर दिया जाता है ;

(ख) इंडस्ट्रियल टैक्नालॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, लखनऊ तथा नेशनल बाटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में कार्यरत उन अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें निर्धारित दिनों तक सेवा कर लेने के उपरान्त भी स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ग) उन्हें अब तक अस्थायी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आईटीआरसी), केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई) और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) में इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की संख्या क्रमशः 47, 6[illegible] और 102 है।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के आलोक में सीएसआईआर ने अनियत कामगार आमेलन योजना 1990 (कैजुवल

वर्कस एब्जायंशन स्कीम, 1990) नामक योजना तैयार की। रिक्तियों के उपलब्ध होने पर इन अनियत कामगारों को आमेलित किया जाना था। तदनुसार उपलब्ध रिक्तियों पर कुछ कामगारों को आमेलित कर लिया गया। शेष कामगारों के मामले में उन्हें पहले ही अस्थायी हैसियत दे दी गई है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर नियमित किए जाने तक उनकी हैसियत के कर्मचारियों को मिलने वाले लगभग सभी लाभ मिलेंगे।

[अनुवाद]

भूमि का विकास

4270. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जुलाई 1994 के आवर्जर आफ बिजिनेस एंड पालिटिक्स नयी दिल्ली में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने एक निजी कम्पनी को राजधानी के बाड़ा हिंदुराव क्षेत्र में 11.7 एकड़ भूमि विकसित करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में पहले लिए गए निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 41 (3) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक निर्देश जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी है कि तत्कालीन दिल्ली इम्प्रवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा दिल्ली क्लाथ मिल्स (डी.सी.एम.) को पट्टे पर दी गयी 11.7 एकड़ भूमि मास्टर प्लान मानदण्डों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कमियों को दूर करने के लिए प्राधिकरण के परामर्श से डी.सी.एम. को लौटा दी जाय। डी.सी.एम. को यथा प्रचलित सभी परिवर्तन-प्रभार अदा करने होंगे।

(ग) मामले के सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय किया है कि दिल्ली क्लाथ मिल्स को मास्टर प्लान के अनुरूप डी.डी.ए. द्वारा योजना के अनुसार नियत पैमाने पर निर्धारित सामान्य सुविधाओं के प्रावधान को डी.डी.ए. के परामर्श से स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

गरीबी हटाओ योजनाएं

4271. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई गरीबी हआओ योजनाएं विचारार्थ भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत किन-किन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेना द्वारा जूतों की खरीद

4272. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध उपकरण कारखाने की पूर्ण क्षमता का सशस्त्र सेना के लिए डी.एम.एस. तथा जूतों के उत्पादन हेतु प्रयोग करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के जूतों के प्रति जोड़े की लागत व मूल्य का निर्धारण भी किया है जिस पर इनकी पूर्ति सशस्त्र सेना को की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) आयुध उपकरण कारखाने द्वारा उत्पादित तथा खुले बाजार में उपलब्ध जूतों की तुलनात्मक गुणवत्ता व मूल्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान आयुध उपकरण कारखाने द्वारा सशस्त्र सेनाओं को कितने जोड़ी जूतों की आपूर्ति की गयी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। सशस्त्र सेनाओं के लिए जूते बनाने के वास्ते आयुध उपस्कर निर्माणी की उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) जी, हां। इनकी कीमत सामग्री और श्रम की लागत तथा निर्माणी के अन्य संबंधित ऊपरी खर्चों पर आधारित होती है।

(घ) आयुध उपस्कर निर्माणी द्वारा सप्लाई किए गए जूते सेना द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं। भिन्न-भिन्न आकार के डी एम एस (जिन्हें अब डी वी एस कहा जाता है) बूट एंकल की वर्तमान कीमतें इस प्रकार हैं : -

आकार	**प्रति जोड़ा कीमत**
7	327 रुपये
8	336 रुपये
9/10	359 रुपये

वर्ष 1991-92 से डी एम एस जूते खुले बाजार से नहीं खरीदे गए हैं।

(ङ)

वर्ष	सप्लाई की गई मात्रा
1991-92	3.65 लाख
1992-93	4.00 लाख
1993-94	4.00 लाख

गुणवत्ता नियंत्रण कार्यशाला

4273. श्री एन.जे. राठवा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल के वर्षों में दिल्ली में गुणवत्ता नियंत्रण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्यशाला में क्या-क्या सिफारिशें की गई ; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जुलाई/अगस्त, 1992 और जनवरी, 1994 में गुणवत्ता नियंत्रण कार्यशालाएं आयोजित की गयी थीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए आवास एजेंसी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को अच्छी किस्म के ऐसे मकान दिये जाएं, जो न

केवल निर्माण की दृष्टि से बल्कि डिजाइन और प्लान की दृष्टि से भी अच्छे हों। इस संदेश को निम्नस्तर तक पहुंचाने के प्रयोजना से प्राधिकरण ने अपने सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया था। ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य निर्माण स्थलों पर वास्तविक रूप से तैनात इंजीनियरों को गुणवत्ता नियंत्रण उपायों सम्बन्धी अनुभव व समस्याओं में भागीदार बनाने का है। वास्तविक प्रयोक्ताओं से प्रतिपुष्टि पाने की दृष्टि से इन फ्लैटों के आबंटितियों/रेजिडेन्ट वेल्फेयर एशोसियेशनों को भी इन इन कार्यशालाओं से जोड़ा गया था। परिचर्चा के विषय निम्नलिखित थे : -

(1) समुचित स्थल दस्तावेज रखना।

(2) [illegible] से पूर्व और बाद में सामग्री की जांच।

(3) ईंट-चिनाई तथा आर.सी.सी. की गुणवत्ता।

(4) जल रिसाव व उसकी रोकथाम।

(5) नींव सुदृढ़ीकरण।

(6) सड़क निर्माण।

(7) बरसाती पानी की नलियां, सीवरेज और जल आपूर्ति।

(8) ठेकागत विचलन।

कार्यशालाओं के दौरान फील्ड इंजीनियरों को निर्माण तथा विकास कार्यों में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। रेजिडेन्ट वेल्फेयर ऐशोसियशनों के साथ नियमित विचार विमर्श/बैठक करने पर भी जोर दिया गया, ताकि उनके कार्य में आने वाली कठिनाइयों की जांच की जा सके तथा आबंटियों की संतुष्टि के अनुसार सुधार की कार्रवाई की जा सके।

(ग) कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं : -

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण को चाहिए कि सभी सुविधाएं अर्थात् जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, बिजली आदि सुविधाएं होने पर ही, मकानों का आबंटन किया जाए। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, डाक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी एजेंसियों से भी मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बातचीत की जाय।

(2) अधीक्षक इंजीनियर, कार्यकारी इंजीनियर को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली परियोजना की नियमित अन्तराल पर करें और कारगर गुणवत्ता निरीक्षण और आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए लिखित निरीक्षण टिप्पणियों और सुझाव जारी करें।

(3) आबंटितियों द्वारा बतायी गयी आम कमियां जैसे फ्लैटों में जल रिसाव और सीलन, छत का निष्प्रभावी ढलान, प्लास्टरिंग आदि की ओर कार्य निष्पाद के दौरान विशेष ध्यान दिया जाए। लोहे की खिड़कियां आदि सही तरह से खुलने-बन्द होने वाली हों।

(4) इस बात पर भी बल दिया गया था कि मान्यता प्राप्त उत्पादकों की केवल आई.एस. आई. ब्राण्ड सामग्री की ही उपयोग किया जाय। लौह-सामग्री खासकर खिड़कियों की ढलाई वर्कशाप में करवाई जाय, निर्माण स्थल पर नहीं।

(5) आवास कालोनी के पार्कों में व सड़कों और कार पार्किंग साझा उपयोग स्थलों और अन्दरूनी जीनों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाय।

(6) स्विच और प्लग फिटिंग जैसे कार्यों में उच्च कोटि के तांबा तारों की वायरिंग की जाएं।

(7) अधिशासी अभियन्ता/अभियन्ताओं द्वारा रेजिडेन्ट्स वेल्फेयर एशोसिएशन के साथ नियमित बैठकें करके उनकी कठिनाइयों के निवारण हेतु समुचित उपाय किये जाएं।

(घ) मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) एवं जोनक यूनिटों व फील्ड इंजीनियरों के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गयी थी। कार्यशाला में वेलफेयर एशोसियेशनों के विचारों को भली-भांति ढंग से सुना-समझा गया।

कर्नाटक में ग्रामीण विकास

4274. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और मार्च 1994 तक कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी ग्रामीण विकास संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है ; और

(ग) कब तक शेष परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से प्राप्त ग्रामीण विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं : -

1. ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

1993-94 के दौरान रायचूर एवं गुलबर्गा जिलों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति के तहत मिनी मिशन तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 232.81 लाख रुपये की लागत से तीन परियोजनाओं

को मंजूरी दी गयी है। विद्यमान मार्गदर्शिकाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के अन्तर्गत आधुनिकी गांवों की स्थापना के लिए चार परियोजनाओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

2. जवाहर रोजगार योजना

कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं तथा जांच समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की कुल लागत	अब तक जारी केन्द्रीय अंश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	शिमोगा, चिकमगलूर तथा धारवाड़ जिलों में बांस के पौधे लगाना	67.04	17.88	जांच समिति द्वारा अनुमोदित
2.	बंगलौर तथा कोलार जिलों में एंगंव (वृक्ष) पौधों का उत्पादन	8250	22.00	-वही-
3.	बंगलौर तथा कोलार जिलों में इमली के लम्बे पौधों का उत्पादन	8.22	2.19	-वही-
4.	कर्नाटक के कन्नाडा जिले के कारकाला तालुम में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धेनहोल वाटरशेड का विकास	304.14	44.30	-वही-
5.	कुडार खण्ड में वाटरशेड विकास कार्यक्रम	38.84		

1	2	3	4	5
6.	बिलूवाले वेदवती वाटरशेड योजना	46.55	-	इन परियोजनाओं पर जांच समिति द्वारा विचार किया गया तथा इन्हें अस्वीकृत कर दिया गया।
7.	चिकमगलूर जिले में खुले कुओं के कार्यक्रम	45.20	-	
8.	शिमोगा जिले के लिए कार्य योजना।	225.34		
9.	बंगलौर जिले में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजना	171.60		
10.	मांड्या जिले के लिए समेकित वाटरशेड परियोजना	161.07	-	

पेयजल योजनाएं

4275. श्री प्रबीन डेका : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को असम सरकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेयजल संबंधी कितनी योजनाएं प्राप्त हुई और उनमें से कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई ; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अभी तक कितनी उपलब्धि रही है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजीभाई पटेल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम सरकार से केन्द्र सरकार को प्राप्त 3077 पेयजल योजनाओं में से 3357 योजनाएँ संस्वीकृत की गई थीं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां निम्नलिखित हैं : -

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	314 गांव	156 गांव
1993-94	714 गांव	751 गांव
1994-95	1200 बसावटें	116 बसावटें (7/94 तक)

1995-96और 1996-97 के लक्ष्यों पर इन वर्षों की निधियों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

सुपर बाजार

4276. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय भंडार की जितनी भारी बिक्री होती है उसके अनुरूप केन्द्रीय भंडार द्वारा प्रभारित किया जाने वाला लाभांश कहीं अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सभी मदों का अधिकतम 5 प्रतिशत का लाभांश लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) 1993-94 में और 1994 में अब तक प्रत्येक केन्द्रीय भंडार की बिक्री का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में वर्षवार उन्हें कितना लाभ हुआ ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय भण्डार का बिक्री (बिक्री के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ की दर) पर औसत सकल लाभ 1990-91 में 5.74 प्रतिशत तथा 1991-92 में 5.65 प्रतिशत था। 1992-93 में इसे 5.42 प्रतिशत तक नीचे लाया गया। केन्द्रीय भण्डार की सकल लाभ की वर्तमान दर न्यायोचित है क्योंकि इसे क्रियाकलापों के वित्त पोषण जिसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं तथा विस्तार व विकास शामिल हैं, की तुरन्त तथा दीर्घकालिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करनी होती है।

(ग) ऐसी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ पहुंचाने के आशय से किराना तथा लेखन सामग्री की कुछ वस्ताओं पर लाभ कम कर दिया गया है। 1992-93 में दिल्ली के स्टोरों में किराना मदों पर बिक्री पर सकल लाभ का अनुपात केवल 2 42 प्रतिशत था।

(घ) वर्ष 1993-94 तथा अप्रैल 1994 से जुलाई 1994 तक की अवधि के बीच किराना व उपभोक्ता वस्तुएं बेचने वाले केन्द्रीय भण्डार के दिल्ली में स्थित प्रत्येक स्टोरों की बिक्री का ब्यौरा क्रमशः विवरण - । तथा ।। पर दर्शाया गया है। प्रत्येक स्टोर के लिए लाभ तथा हानि का लेखा जोखा अलग से नहीं रखा जाता है। तथापि, कुल मिलाकर केन्द्रीय भण्डार का अर्जित लाभ इस प्रकार है : -

वर्ष	लाभ (कर देने के पश्चात्) (लाख रुपये)
1990-91	36.02
1991-92	62.41
1992-93	116.63

विवरण -I

केन्द्रीय भण्डार

अप्रैल 1993 से मार्च 1994

(1993-94)

क्र.सं.	बिक्री केन्द्र का नाम	कुल बिक्री (रुपये)
1	2	3
1.	हरि नगर	16522852.85
2.	पण्डारा रोड़	15675224.30
3.	मिन्टो रोड़	14610553.01
4.	रायसीना रोड़	12621723.33
5.	लोधी कालोनी	10133177.76
6.	पुष्प विहार सैक्टर -IV	9750120.10
7.	पेशवा रोड़	9572577.56
8.	कृषि विहार	9423838.91
9.	सी.जी.ओ. कम्पलैक्स	8209845.00
10.	एन्ड्रयूज गंज	79323845.36
11.	वसन्त विहार	7742630.64
12.	आर.के. पुरम-IV	7041866.64
13.	चितरंजन पार्क	6788766.57
14.	सरोजिनी नगर बी-ब्लाक	6473191.28
15.	आई.ए.आर.आई. पूसा	6394726.01
16.	सी.आर. बिल्डिंग	6292872.10
17.	डी.आई.जेड. एरिया	5991973.02

18.	तिमार पुर	5833263.75
19.	काली बाड़ी	5786267.50
20.	योजना भवन	5772314.30
21.	कर्जन रोड़	5760211.05
22.	सरोजिनी नगर एच-ब्लाक	5733865.82
23.	कृषि कुन्ज	5712234.29
24.	बापा नगर	5476890.05
25.	पीतम पुरा	5439928.94
26.	बी.बी. मार्ग	5397776.77
27.	मोती बाग-I	5309913.75
28.	नेताजी नगर	5213525.79
29.	प्रगति विहार	5163001.21
30.	माल रोड़	4679593.90
31.	एशिया हाऊस	4656913.95
32.	पटपड़ गंज	4498435.40
33.	किदवई नगर	4476001.61
34.	आर.के.पुरम-IX(बी)	4308187.35
35.	कस्तूरबा नगर	4288681.98
36.	आर.के. पुरम-IX	4274398.60
37.	आर.के.पुरम-VII	4136983.28
38.	आई.एन.ए. कालोनी	4108634.28
39.	ए. ब्लाक स्टोर	4015023.80
40.	आर.के. पुरम (पश्चिमी)	3995004.37
41.	आर.के. पुरम-V	3970403.36
42.	आर.के. पुरम-I	3895802.84

1	2	3
43.	पुष्पा भवन	3819517.90
44.	मोती बाग-II (दक्षिण)	3629815.96
45.	श्रीनिवास पुरी	3546320.05
46.	नारोजी नगर	3541436.40
47.	एन.टी.पी.सी.	3530910.90
48.	पटेल धाम	3468276.61
49.	आर.के. पुरम-III	3405782.08
50.	पुष्प विहार	3296867.51
51.	नार्थ-वेस्ट मोती बाग	3250605.40
52.	सादिक नगर	2624023.39
53.	यू.पी.एस.पी.	2578316.43
54.	नार्थ ब्लाक केन्द्रीय सचिवालय	2565598.04
55.	मानेसर	2495599.15
56.	एन.सी.ई.आर.टी.	2324505.28
57.	जल बिहार	2246421.06
58.	कालकाजी	2136155.86
59.	ए.एस.आई.	1819618.15
60.	नोएडा	1470123.05
61.	आर.के.पुरम.-II	1379438.97
62.	आई.ए.ए.आई.	1359530.35
63.	मोबाइल वैन-II	1358889.95
64.	मोबाइल वैन-III	1348575.50
65.	प्रेम नगर	1294560.30
66.	नानक पुरा	1070812.50
67.	मोबाइल वैन-IV	896911.50
68.	मोबाइल वैन-I	884777.95
69.	एफ.सी.आई. बारा खम्भा रोड	801322.75

विवरण -II

केन्द्रीय भण्डार

अप्रैल' 94 से जुलाई' 94 की अवधि के दौरान कुल बिक्री

क्र.सं.	बिक्री केन्द्र का नाम	कुल बिक्री (रुपये)
1	2	3
1.	हरि नगर	8426308.47
2.	मिन्टो रोड़	5561357.25
3.	पण्डारा रोड़	5336857.82
4.	रायसीना रोड़	4829390.28
5.	पेशवा रोड़	4353594.72
6.	लोधी कालोनी	3813812.78
7.	पुष्प विहार सैक्टर -IV	3639082.10
8.	कृषि विहार	3388392.90
9.	सी.जी.ओ. कम्पलैक्स	3018317.00
10.	एन्ड्रयूज गंज	2840188.31
11.	सरोजिनी नगर बी-ब्लाक	2638090.89
12.	आर.के. पुरम-IV	2508531.85
13.	आई.ए.आर.आई. पूसा	2309736.33
14.	सी.आर. बिल्डिंग	2371860.65
15.	वसन्त विहार	2323410.63
16.	चितरंजन पार्क	2317546.38
17.	तिमार पुर	2311355.00
18.	सरोजिनी नगर एच-ब्लाक	2257942.67

1	2	3
19.	काली बाड़ी	2226873.14
20.	योजना भवन	2219036.50
21.	पीतम पुरा	2205587.15
22.	डी.आई.जेड. एरिया	2139429.89
23.	कृषि कुन्ज	2119317.70
24.	बापा नगर	2111896.05
25.	बी.वी. मार्ग	2061831.43
26.	प्रगति विहार	2058992.29
27.	कस्तूरबा नगर	2001853.27
28.	मोती बाग-I	1985243.80
29.	नेताजी नगर	1960876.32
30.	ए. ब्लाक स्टोर	1844603.80
31.	किदवई नगर	1810474.30
32.	पटपड़ गंज	1794936.05
33.	माल रोड़	1755315.00
34.	कर्जन रोड़	1731801.51
35.	आई.एन.ए. कालोनी	1649748.48
36.	श्रीनिवास पुरी	1607527.50
37.	आर.के.पुरम-II(बी)	1579012.20
38.	आर.के.पुरम-VII	1512403.51
39.	एशिया हाऊस	1512302.30
40	आर.के. पुरम (पश्चिमी)	1500224.00
41.	आर.के. पुरम-II	1477928.28
42.	एन.टी.पी.सी.	1446338.20
43.	आर.के. पुरम-II	1438184.13

1	2	3
44.	पुष्पा भवन	1415633.80
45.	आर.के. पुरन-I	1380717.22
46.	नारोजी नगर	1381075.40
47.	पुष्प विहार	1323978.81
48.	पटेल धाम	1279084.08
49.	मोती बाग-II (दक्षिण)	1252325.67
50.	आर.क.पुरम-II	1211782.07
51.	नार्थ-वेस्ट मोती बाग	1166171.20
52.	नार्थ ब्लाक केन्द्रीय सचिवालय	1081147.07
53.	कालकाजी	990078.18
54.	सादिक नगर	972352.68
55.	यू.पी.एस.सी.	936801.90
56.	ए.एस.आई.	849853.10
57.	मानेसर	833950.85
58.	जल बिहार	807261.85
59.	एन.सी.ई.आर.टी.	755025.89
60.	आर.के.पुरम.-II	712561.01
61.	नोएडा	817058.80
62.	प्रेम नगर	607521.25
63.	आई.ए.ए.आई.	585175.89
64.	मोबाइल वैन-II	405240.00
65.	मोबाइल वैन-III	401500..00
66.	नानक पुरा	342857.00
67.	मोबाइल वैन-IV	309997.50
68.	एफ.सी.आई. बारा खम्भा रोड	250073.17
69.	मोबाइल वैन-I	203548.00

सरकार वादी के रूप में

4277. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1994 तक उच्चतम न्यायालय में ऐसे कितने मामले लंबित थे जिनमें केन्द्रीय सरकार एक पार्टी है ;

(ख) मंत्रालय/विभागवार ऐसे मामलों की संख्या कितनी-कितनी है, और

(ग) पंजीकरण वर्षवार ऐसे मामलों की संख्या कितनी-कितनी है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्वाटर्स

4278. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ सरकारी क्वाटर्स खतरनाक घोषित कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कालोनी-वार उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंधक आवास वित्त योजना

4279. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधक आवास वित्त योजना शुरू करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उससे किन-किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी ;

(ग) क्या योजना संबंधी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस योजना को कब तक शुरू किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ) आवास वित्त संस्थाएं पहले ही व्यष्टियों को प्लाट/उस पर बने भवन को ऋण की अदायगी की प्रतिभूति के रूप में बंधक रखकर ऋण देती है।

[हिन्दी]

हाथी समिति की रिपोर्ट

4280. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने कुछ दवाओं के निर्माण पर रोक लगाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में हाथी समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) हाथी समिति ने सिफारिश की थी कि असंगत औषध सम्मिश्रणों को समाप्त करने के लिए औषध नियंत्रण प्रशासन द्वारा तुरन्त उपाय किए जाने चाहिए।

(ग) से (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो औषध और प्रशासन सामग्री अधिनियम को प्रशासित करता है, ने बताया है कि असंगत और हानिकारक औषधों की जांच करना एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर जारी सरकारी अधिसूचनाओं के द्वारा 44 श्रेणियों के सूत्रयोगों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय उर्वरक निगम का गैर-सरकारीकरण

4281. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम का विचार घाटा उठाने वाले अपने एककों का गैर-सरकारीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) के घाटा उठाने वाले अपने एककों का गैर-सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

4282. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राज्य सरकारों ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद औद्योगिक परियोजनाओं जिनमें विदेशी निवेश वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं, की सुगमता के लिए राज्य सरकारों से संपर्क रखना एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें एक ही स्थान (सिंगल विंडो) अनुमोदन प्रणालियों, बेहतर आधारभूत/सेवाओं तथा कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को हटाने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इस प्रकार के परस्पर संपर्क के फलस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित नीतिगत घोषणाएं, सिंगल विंडो अनुमोदन प्रणाली, निवेश प्रस्तावों की निगरानी के लिए एक समान प्रारूप और कई राज्यों में उच्च स्तरीय सहायता समितियों की रचना हुई है।

[हिन्दी]

उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

4283. श्री छेदी पासवान :

श्री तारा सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उपक्रम-वार इसके परिणाम रहे ; और

(ग) ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे उपक्रमों को क्या सहायता दी गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ ये समीक्षाएं उपक्रमों के सम्पूर्ण निष्पादन, उत्पादन की उपलब्धियां, लक्ष्य, कुल बिक्री, लाभप्रदता, परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति, ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर फकोश करती है। उपक्रमों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया जाता है और उनका निदान करने के लिए सभी संभव सहायता दी जाती है।

डा. विक्रम साराभाई अनुसंधान पुरस्कार

4284. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भौतिक अनुसंधान प्रयोशाला, अहमदाबाद द्वारा अभी तक किन-किन वैज्ञानिकों को डा. विक्रम साराभाई अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किया गया है ;

(ख) इन वैज्ञानिकों ने किन-किन क्षेत्रों में योगदान दिया है ; और

(ग) क्या ये सभी वैज्ञानिक भारतीय हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा

(ख) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद द्वारा अभी तक जिन-जिन वैज्ञानिकों को हरिओम प्रेरित विक्रम साराभाई अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनके नाम और जिस क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट योगदान दिया है, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

	वैज्ञानिकों का नाम	क्षेत्र का ब्यौरा, जिसमें विशिष्ट योगदान दिया है
	1	2
	सर्वश्री/श्रीमती	
1.	एस. कृष्णन	इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार
2.	एस. श्री कान्तन	इलेक्ट्रानिक तथा दूरसंचार
3.	सत्य प्रकाश	ग्रहीय तथा अन्तरिक्ष विज्ञान
4.	आर.एन. केशवमूर्ति	वायुमण्डलीय भौतिकी तथा जलविज्ञान
5.	एन. शेषागिरि	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
6.	एन. पन्त	इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार
7.	यू.आर.राव	ग्रहीय तथा अन्तरिक्ष विज्ञान
8.	बी.एम. रेड्डी	वायुमंडलीय भौतिकी तथा जलविज्ञान
9.	पी.पी.काले	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
10.	ओ.पी.एन.कल्ला	इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार
11.	बी. बूटी	ग्रहीय तथा अन्तरिक्ष विज्ञान
12.	पी.वी. जोसेफ	वायुमंडलीय भौतिकी तथा जलविज्ञान
13.	आई.सी. शर्मा	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
14.	के.एस. पारीख	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
15.	ए.बी. भट्टाचार्य	इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार
16.	के.एस. कृष्णास्वामी	ग्रहीय तथा अन्तरिक्ष विज्ञान
17.	एस.के. घोष	वायुमंडलीय भौतिकी तथा जलविज्ञान
18.	एस.सी. गुप्ता	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
19.	एस.सी. दत्ता राय	इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार

1	2
20. आर. कौशिक	ग्रहीय तथा अन्तरिक्ष विज्ञान
21. के. कस्तूरीरंगन	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
22. आर.एम. वसगम	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
23. बी.एन. चटर्जी	इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार
24. एस.के. गुप्ता	वायुमंडलीय भौतिकी तथा जलविज्ञान
25. एस.एम. राव	वायुमंडलीय भौतिकी तथा जलविज्ञान
26. पी.एस. गोयल	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
27. भारती भट	इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार
28. पी.सी. अग्रवाल	ग्रहीय तथा अन्तरिक्ष विज्ञान
29. जी.एल. कालड़ा	ग्रहीय तथा अन्तरिक्ष विज्ञान
30. विजय कुमार	वायुमंडलीय भौतिकी तथा जलविज्ञान
31. एन.आर. पटेल	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
32. टी.के. अलेक्स	इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार
33. सुरेन्द्र प्रसाद	इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार
34. वी.के. कपाही	ग्रहीय तथा अन्तरिक्ष विज्ञान
35. पी.सी. पाण्डेय	वायुमंडलीय भौतिकी तथा जलविज्ञान
36. अनिल काकोदकर	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
37. एन. कामेश्वर राव	अन्तरिक्ष विज्ञान
38. एस. बुजरबरूवा	अन्तरिक्ष विज्ञान
39. सुलोचना गाडगिल	अन्तरिक्ष विज्ञान
40. सुरेन्द्र पाल	इलैक्ट्रानिक्स, सूचनाविज्ञान, टेलीमेटिक्स और स्वचालन
41. एल.एम. पटनायक	इलैक्ट्रानिक्स, सूचनाविज्ञान, टेलीमेटिक्स और स्वचालन
42. एम.जी. चन्द्रशेखर	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध
43. एच.एस. मजुमदार	इलैक्ट्रानिक्स, सूचनाविज्ञान, टेलीमेटिक्स और स्वचालन
44. एस.बी. शर्मा	इलैक्ट्रानिक्स, सूचनाविज्ञान, टेलीमेटिक्स और स्वचालन

1	2
45. विनोद कृष्ण	अन्तरिक्ष विज्ञान
46. आर. श्रीधरण	अन्तरिक्ष विज्ञान
47. वी.आर. कुट्टी	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध समस्याएं
48. ए.एस. पिल्ले	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध समस्याएं
49. शंकर कुमार पाल	इलैक्ट्रानिक्स, सूचनाविज्ञान, टेलीमेटिक्स और स्वचालन
50. एस.के. चौधरी	इलैक्ट्रानिक्स, सूचनाविज्ञान, टेलीमेटिक्स और स्वचालन
51. ए. परमेश राव	अन्तरिक्ष विज्ञान
52. वी.एन. गोस्वामी	अन्तरिक्ष विज्ञान
53. पी.एस. राय	अन्तरिक्ष विज्ञान
54. एन.के. मलिक	तंत्र विश्लेषण अथवा प्रबन्ध समस्याएं

(ग) यह पुरस्कार जिन वैज्ञानिकों को अभी तक प्रदान किया गया है, वे सभी भारतीय हैं।

शहरों का विकास

4285. श्री दत्ता मेघे : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने विश्व बैंक/विदेशी सहायता से शहरों के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो शहरवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) जी, हां। प्रस्ताव के ब्यौरे इस प्रकार है : -

राज्य प्रस्तावित परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ में)	सुविधा दिये जाने वाले प्रस्तावित शहर
1	2	3
महाराष्ट्र		
1. बंबई मल व्ययन परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)	580.00	बंबई

	1	2	3
2.	चौथी बंबई मिडल वैतरना जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)	566.67	बंबई
3.	दूसरी महाराष्ट्र जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (विश्व बैंक की सहायता से)	863.00	महाराष्ट्र में 43 शहरों तथा 189 ग्रामीण क्षेत्र
4.	नागपुर शहर के लिए एकीकृत स्लम विकास (जर्मन सहायता से)	80.00	नागपुर में 328 स्लम बस्तियां
5.	बंबई शहरी मूलभूत सेवा परियोजना (विश्व बैंक सहायता से)	2608.00	बंबई
मध्य प्रदेश			
1.	मध्य प्रदेश नगर विकास परियोजना	700.00	इन्दौर रायपुर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर।
2.	इन्दौर पर्यावास सुधार परियोजना	34.35 करोड़। ओ.डी. ए. ने इस लागत को 60.50 करोड़ रुपये करने की सहमति दे दी है।	इन्दौर में 183 स्लम बस्तियां।

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत संयंत्रों में दुर्घटनाएं

4286. श्री ए. अशोकराज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु विद्युत संयंत्रों में अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) संयंत्रवार तथा कारणवार दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में जांच-पड़ताल की जा चुकी है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आई ए ई ए) की अन्तर्राष्ट्रीय नाभिकीय घटना पैमाना (आई एन ई एम) बताने वाली प्रणाली के अन्तर्गत नाभिकीय घटनाओं को उनकी गंभीरता के बढ़ते हुए क्रम में 0 से लेकर 7 स्तर तक के पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है। 3 और इस स्तर तक निर्धारित घटनाओं का वर्गीकरण ''घटनाएं'' के रूप में तथा 4 और उससे ऊपर स्तर पर निर्धारित घटनाओं की ''दुर्घटनाएं'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में काम कर रहे किसी भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र में अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

''लाईट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट्स प्रोजेक्ट'' पर खर्च

4287. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ''लाईट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट्स प्रोजेक्ट'' के लिए बजट में कौन सा प्रारम्भिक प्रावधान किया गया है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना खर्च हुआ है और पूरी परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ; और

(ग) इसमें कुल कितनी विदेशी मुद्रा लगी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हल्के युद्धक वायुयान परियोजना की प्रारम्भिक लागत वर्ष 1982-83 के मूल्यस्तर पर 560 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था सरकार ने अक्तूबर, 1991 के मूल्यस्तर पर 2188 करोड़ रुपए की संशोधित लागत पर अप्रैल, 1993 में पूर्णस्तरीय इंजीनियरी विकास के प्रथम चरण में दो

तकनॉलाजी प्रदर्शक वायुयानों का निर्माण किए जाने के लिए स्वीकृति दी थी। अब तक 727 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। तकनॉलाजी प्रदर्शक वायुयान की पहली उड़ान जून, 1996 में आयोजित किए जाने की योजना है।

(ग) हल्का युद्धक वायुयान परियोजना के पूर्णस्तरीय इंजीनियरी विकास के प्रथम चरण के लिए 1991 के मूल्यस्तर पर विदेशी मुद्रा के अंश का 873 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

चुनाव संबंधी सुधार

4289. श्री मोहन रावले :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **प्रधान मंत्री** चुनाव सुधारों के बारे में 23 फरवरी, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 433 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकमुश्त चुनाव सुधारों के बारे में विभिन्न राजनैतिक दलों के विचार आमन्त्रित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और यह काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा ;

(घ) क्या चुनाव सुधार के रूप में सरकार का विचार विभिन्न राजनैतिक दलों के चुनाव व्यय का वित्तपोषण करने के लिए विशेष निधि की स्थापना करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए गए निर्वाचन सुधार संबंधी प्रस्तावों पर राजनैतिक दलों के साथ चर्चा की गई थी और उनके विचारों को ध्यान में रखकर सरकार ने 13 जून, 1994 को लोक सभा में एक विधेयक, अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1994 पुरःस्थापित किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में उद्योग

4290. श्री विलासराव नागनाथराव गून्डेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन मझौली और लघु उद्योग इकाइयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जो बन्द पड़ी हैं ;

(ख) इन इकाइयों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है ; और

(ग) इन इकाइयों को फिर से चालू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम्) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बन्द लघु औद्योगिक एककों और बी. आई.एफ.आर. को भेजे गए रुग्ण मझौल/बड़े एककों की जिलावार सूची विवरण में दी गई है।

(ख) मझौले और लघु क्षेत्र (सी डी) में किए गए निवेश के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु, लघु एककों की दूसरी गणना के निष्कर्षों के अनुसार कार्यशील एककों में प्रति एकक निवेश 4.22 लाख रुपये था।

(ग) 1. राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को पुनर्वास की एक योजना की निगरानी करती है और रूग्ण लघु औद्योगिक एककों को निर्धारित राहतें/रियायतें देती है। रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना की एक योजना को मानीटर करने के लिए उद्योग निदेशालय में एक रुग्ण एकक/प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। बैंक/वित्तीय संस्था-रूग्ण एककों का पता लगाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की सम्भावित जीव्यता सुनिश्चित के पश्चात् उपचार कार्यक्रम मंजूर करते हैं। यदि बकाया ऐसे लघु औद्योगिक एकक राज्य सरकार से बिक्री कर, एम.एस.ई.बी. और अन्य सरकारी बकाया के बारे में राहत और रियायत की उम्मीद करते हैं तो इन्हें उपर्युक्त के भुगतान के लिए रियायती ब्याज दर सहित आसान किस्तें देकर रियायतों की पेशकश की जाती है।

2. उचित समय पर रुग्ण एककों का पता लगाने, तत्काल समाधान के लिए वित्तीय संस्था के साथ बातचीत प्रारम्भ करने और उचित समय पर उपचार कार्यक्रम शुरू करने के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में रुग्ण एकक की पुनर्स्थापना के लिए जिला स्तर की समितियों का गठन किया जाता है।

3. राज्य सरकार ने सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति का भी गठन किया गया है और इस समिति के सदस्य प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ समिति की बैठकें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित की जाती हैं ताकि रूग्ण एककों की समस्याओं पर चर्चा की जा सके और इनकी समस्याओं के समाधान में रुग्ण एककों की मदद की जा सके।

4. रोजगार को रोकने और रुग्ण एकक के हितों की रक्षा करने के लिए रुग्ण एककों को बम्बई राहत उपक्रम (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1958 के अधीन संरक्षण भी दिया गया है। यदि किसी एकक को उक्त अधिनियम के दौरान ऐसा संरक्षण दिया जाता है तो संरक्षण की अवधि के दौरान सारी कानूनी कार्रवाई रोक दी जाती है।

5. मझौले और बड़े एककों में औद्योगिक रुग्णता के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया है। कम्पनी की रुग्णता का निर्धारण करने के लिए बोर्ड जो भी उचित समझे पूछताछ कर सकता है संचालन अभिकरण नियुक्त कर सकता है। बोर्ड तब संचालन अभिकरण को एकक की पुनर्स्थापना के लिए जीव्य-क्षम योजना तैयार करने का आदेश देता है। प्रारूप योजना प्रत्येक प्राधिकरण को परिचालित की गई है। संचालन अभिकरण इससे संबंधित प्राधिकरणों की संयुक्त बैठक आयोजित करता है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन्हें सहायता मिल सके। बोर्ड प्रारूप योजना को मंजूरी दे सकता है और संबंधित प्राधिकरणों को स्वीकृति संचालन के बाद के लिए मंजूरी आदेश जारी कर सकता है। यदि संबंधित प्राधिकरणों ने अपनी सहमति नहीं दी है। तो बी.आई.एफ.आर. जैसा उचित समझे एकक को बन्द करने के लिए आदेश दे सकता है। राज्य सरकार ने 17.10.90 और 19.9.92 को रुग्ण औद्योगिक एककों के लिए राहतों/रियायतों हेतु एक मानक पैकेज भी तैयार किया है। इस पैकेज के अधीन एकक को दिये जाने वाली कुछ राहतें और रियायतें निम्नलिखित हैं : -

(1) बिक्री कर बकाया/एम.एस.ई.बी. बकाया को वसूली 13 प्रतिशत की दर से मासिक किश्तों में दो से पांच वर्षों की अवधि में करना।

(2) यदि जीव्यक्षम योजना है तो कर्मचारी औद्योगिक सहकारी योजनाओं, जहां आई.डी.बी.आई. की इक्विटी भागीदारी है, को भी बढ़ावा दिया जाता है। यदि संबंधित प्राधिकरण ने अपनी सहमति नहीं दी है तो बी.आई.एफ.आर. जैसा उचित समझे एकक को बन्द करने का आदेश दे सकता है। यदि मानक पैकेज के अलावा अन्य कोई राहत/रियायत मांगी गई है तो सरकार की अनुमति जरूरी है।

विवरण

मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में बन्द लघु एककों तथा रूग्ण मझौले/बड़े एककों जिन्होंने अपने मामले बी.एफ.आई.आर. को भेजे हैं, के जिले वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	जिले का नाम	बन्द लघु औद्योगिक एककों की संख्या	रूग्ण बड़े/मझौले एककों की संख्या जिन्होंने अपने मामले बी.एफ.आई.आर. को भेजे हैं।
1	2	3	4
1.	ग्रेटर बम्बई	3705	70
2.	थाणे	674	57
3.	रायगढ़	214	12
4.	रत्नागिरी	23	4
5.	सिन्ध दुर्ग	161	2
6.	नासिक	64	8
7.	धूले	117	1
8.	जलगांव	68	4
9.	अहमदनगर	19	3
10.	पुणे	1450	25
11.	सतारा	40	5
12.	सांगली	62	4
13.	कोल्हापुर	26	4
14.	सोलापुर	56	4
15.	औरंगाबाद	37	10

1	2	3	4
16.	जलना	2	2
17.	प्रभानी	20	-
18.	बीड	78	-
19.	नादेंड	25	1
20.	ओसमानाबाद	41	-
21.	लातुर	13	-
22.	बुलधाना	173	-
23.	अकोला	9	1
24.	अमरावती	196	-
25.	यवतमाल	18	-
26.	वर्धा	115	1
27.	नागपुर	249	9
28.	भंडारा	154	2
29.	चन्द्रपुर	158	1
30.	गढ़चिरोली	18	1
	कुल :	7985	231

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में लघु विद्युत परियोजनाएं

4291. **डा. साक्षीजी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को लघु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूला के अनुसार राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए सामान्यतः ब्लॉक योजना सहायता उपलब्ध करा रही है ? विशिष्ट क्षेत्रकों/परियोजनाओं/स्कीमों के लिए सहायता तक तक उपलब्ध नहीं कराई तब तक कि राज्यों द्वारा उसे "विशेष समस्याएं" मानदण्ड के अन्तर्गत विशिष्टिकृत अथवा आबंटित न किया जाए। तथापि, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम. एन.ई.एस.) छोटी पण-विद्युत परियोजनाएं (3 मेवाट तक) आरंभ करने के लिए पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराता है। गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए वर्ष 1993-94 में 147.87 लाख रुपये तथा 1994-95 में अब तक 0.44 लाख रुपये की राशि जारी की है।

(ख) छोटी पण विद्युत परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना 1993-94 तथा 1994-95 का उत्तर प्रदेश राज्य का अनुमोदन परिव्यय क्रमशः 1550 लाख रुपये तथा 800 लाख रुपये है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग

4292. श्री शरत पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूसी सरकार ने अपना सहयोग देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारत तथा पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी-सहयोग के कार्यक्रमों को बरकरार रखने की इच्छा जताते हुए रूस की सरकार ने भारत के साथ एक नया विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार करने का प्रस्ताव किया। भारत सरकार ने रूसी प्रस्ताव का सकारात्मक जवाब दिया। प्रारूप को परस्पर विचार-विमर्श के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया था तथा 30 जून, 1994 को मास्कों में भारत तथा रूस के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

[हिन्दी]

भोपाल में अस्पताल

4293. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अनुपालन करते हुए यूनियन कार्बाइड के प्रबंधक द्वारा भोपाल में अस्पताल बनाए जाने संबंधी आदेश की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अस्पताल के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करा दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार (राज्य सरकार) यूनियन कार्बाइड द्वारा क्या योजना तैयार की गई है और इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन (यू सी सी) द्वारा स्थापित भोपाल अस्पताल ट्रस्ट के एक मात्र ट्रस्टी ने शेयरों की बिक्री करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और क्रेडिट केपिटल फाइनेंस कार्पोरेशन लि. (सी सी एफ सी एल) को संयुक्त निलम्बलेख (एस्क्रो) एजेन्ट नियुक्त किया है ताकि अस्पताल के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके।

(ख) तथा (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने अस्पताल के लिए भोपाल में 30 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है।

(घ) अस्पताल के लिए योजना बनाने, निर्माण करने, सुसज्जित करने तथा चालू करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों की जांच करने के लिए हाल ही में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। यह अस्पताल 3 वर्षों की अवधि में काम करने योग्य बना दिया जाएगा।

[अनुवाद]

गंदी बस्तियों का विकास

4294. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन" (यू.के.) राज्यों को गंदी बस्तियों के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वित्तपोषण प्राप्त कर रहे शहरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार सूचना नीचे दी गई है : -

आंध्र प्रदेश

हैदराबाद स्लम सुधार परियोजना	-	हैदराबाद
विजयवाड़ा स्लम सुधार परियोजना	-	विजयवाड़ा
विशाखापत्तनम स्लम सुधार परियोजना	-	विशाखापत्तम

मध्य प्रदेश

इन्दौर पर्यावास सुधार परियोजना - इन्दौर

पश्चिम बंगाल

कलकत्ता स्लम सुधार परियोजना - कलकत्ता

उड़ीसा

कटक पर्यावास परियोजना - कटक

प्लास्टिक पैकेजिंग में विषैले पदार्थ

4295. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य सामग्री उद्योग में प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री में कतिपय विषैले अंश पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो रंगीन थैलों के रंग के छूटने के कारण खाद्य पदार्थ किस हद तक दूषित हो जाते हैं ;

(ग) क्या सेंट्रल फूड टेक्नालॉजिकल एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने प्लास्टिक में विषैले पदार्थों का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने की खाद्य पदार्थ उद्योग में इसका इस्तेमाल निर्धारित सीमा में हो, के लिए कोई सुविधा विकसित की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) एवं (ख) सीएफटीआरआई द्वारा सीमित नमूनों पर किए गए आरम्भिक अध्ययन से पैकेजिंग कन्टेनर्स से खाद्य उत्पादों के रंग के संचरण होने की संभावना का पता लगा है। तथापि, यह परिणाम कम नमूने होने के कारण अन्तिम नहीं है।

(ग) एवं (घ) सीएफटीआरआई में खाद्य पैकेजिंग में प्लास्टिकों के सुरक्षित उपयोग के लिए उनके परीक्षण करने की सुविधाएं हैं। सीएफटीआरआई प्लास्टिक पैकेजिंग में विशिष्ट तत्व अंशों/संयोज्यों का विश्लेषण कर सकता है और बता सकता है कि क्या वे खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग में उपयोग किए जाने के लिए स्वीकार्य अनुज्ञप्त सीमाओं में हैं।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन

4296. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए विशाल बाजार विकसित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस कार्य के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पारंपरिक ऊर्जा प्रणाली सहित अपारंपरिक ऊर्जा के लिए कोई नीति तैयार करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, उपयोग और बाजार विकास के लिए व्यापक कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। इस मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा के विशाल बाजर के दोहन हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें उदारीकृत नीति संबंधी तंत्र की ओर बढ़ना, प्रत्यक्ष नकद आर्थिक राज सहायताओं के प्रोत्साहनों के पैकेज और वित्तीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रतिस्थापित करना, सीमा तथा उत्पाद शुल्कों, कर अवकाश और मूल्य ह्रास भत्ते को युक्ति युक्त बनाना, शामिल है। अन्य उपायों में ग्रिड के पोषण के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए वीलिंग तथा बैंकिंग और लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था शामिल है।

(ख) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में और तेजी लाने और आठवीं योजना में परिकल्पित लक्ष्यों की तुलना में अत्यधिक ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बढ़ाने तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर और अधिक बल देने के उद्देश्य से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने आठवीं योजना के लिए एक नई ''कार्यनीति और कार्रवाई योजना'' तैयार की है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत आबंटित धनराशि

4297. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान 30 जून, 1994 तक राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजीभाई पटेल) :

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (30 जून, 1994 तक) के दौरान रिलीज की गई निधियां संलग्न विवरण में दशाई गई हैं।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज की गई निधियां (लाख रुपये में)		
		1992-93	1993-94	1994-95 (30.6.94 तक)
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2547.00	4624.00	2322.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	462.00	746.00	421.00
3.	असम	1370.00	1370.00	721.00
4.	बिहार	1847.40	4856.00	2734.50
5.	गोवा	55.00	134.00	64.50
6.	गुजरात	1633.00	2956.00	1519.00
7.	हरियाणा	832.80	1831.00	1004.00
8.	हिमाचल प्रदेश	642.00	1033.00	471.00
9.	जम्मू-कश्मीर	1900.00	1888.80	1299.50
10.	कर्नाटक	2342.00	3712.00	2136.00
11.	केरल	1191.00	2127.00	1086.00
12.	मध्य प्रदेश	2702.10	4800.00	2571.00
13.	महाराष्ट्र	2423.70	5488.00	3091.00
14.	मणिपुर	308.00	308.00	154.00
15.	मेघालय	420.00	420.00	210.00
16.	मिजोरम	129.00	210.00	118.00

1		2	3	4
17.	नागालैंड	228.10	389.00	0.00
18.	उड़ीसा	1335.00	2360.00	1217.00
19.	पंजाब	424.00	888.00	387.50
20.	राजस्थान	4183.00	7129.00	4110.50
21.	सिक्किम	367.70	372.00	186.00
22.	तमिलनाडु	2019.00	3470.00	1841.00
23.	त्रिपुरा	304.00	350.00	175.00
24.	उत्तर प्रदेश	4724.00	7647.20	4308.00
25.	पश्चिम बंगाल	1824.00	2952.00	1663.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
27.	दमन व दीव	22.00	96.50	-
28.	लक्षद्वीप	-	40.00	-
29.	पांडिचेरी	13.00	26.00	13.00
30.	दिल्ली	7.20	19.70	-
31.	दादर व नगर हवेली	-	30.00	-
32.	चंडीगढ़	-	-	-
	योग	36256.00	62273.20	33823.50

भूकम्प संबंधी सुरक्षा उपाय

4298. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 1994 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''आर सिटी बिल्डिंग्स सेफ फ्राम क्वेक्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। यह सच है कि भारतीय मानक कोड, भा.मा. 1983-84 के अनुसार दिल्ली, भूकम्पीय जान-IV के अन्तर्गत आती है। दिल्ली में हाल हाल ही में लगभग 4 डिग्री के छोटे भूकम्प आये हैं। 3.5 तथा 4 डिग्री के भूकम्प क्रमशः 21.3.90 तथा 28.7.94 को आये। ऐतिहासिक दृष्टि से भी दिल्ली के आसपास कम और मध्यम तीव्रता के भूकम्प आते रहे हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भूकम्प गतिविधि मुख्यतः सोहना, गुड़गांव, रोहतक तथा सोनीपत के आसपास केन्द्रित रहती है।

(ग) भूकम्पनीयता, भूकम्प टेक्टोनिक और भू-तकनीकी पहलुओं और भवन निर्माणों की किस्म सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, दिल्ली क्षेत्र का प्रथम क्रम कोटि माइक्रो-जोनल मानचित्र बनाने के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक अन्तः विभागीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। ये समिति उपलब्ध आंकड़ों की जांच कर रही है ताकि विशिष्ट अध्ययन शुरू किये जा सकें। इन अध्ययनों से विभिन्न जोनों की सापेक्षित भूकम्प प्रवणता और सुधार के उपायों का निर्धारण करने में मदद मिलने की आशा है इन अध्ययनों में, अन्य देशों में हुए समान कार्यों के परिणामों को ध्यान में रखा जायेगा।

उर्वरकों के भंडार

4299. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 को देश में उर्वरकों का अनुमानित भंडार कितना था ;

(ख) 1993-94 के लिए अनुमानित उत्पादन और मांग कितनी थी ; और

(ग) किसी भी संभावित कमी से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान उर्वरकों का अनुमानित अथ शेष भण्डार, उत्पादन और खपत निम्न प्रकार था : -

(आंकड़े लाख टन में)

	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश	योग
1.4.1993 को अनुमानित अथ शेष भण्डार	9.28	6.24	3.64	19.16
1993-94 के दौरान उत्पादन	72.31	18.16	-	90.47
1993-94 के दौरान अनुमानित खपत	89.86	28.84	9.63	128.33

(ग) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की मांग और उपलब्धता के बीच का अन्तर जो कि 1993-94 के दौरान नियंत्रणाधीन था, यूरिया के आयात से पूरा किया गया था।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. द्वारा समझौता

4300. श्री आर. सुरेन्द्ररेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड डाईफैनिलमिथेन डाई-आइसोसाईनेट (डाईफेनिलमिथेन डाइसोसाईनेट) उत्पादन परियोजना समझौते में अपनी साझेदार कंपनी को बदलने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पहले चुनी गई साझेदारी कंपनी का ब्यौरा क्या है और इसे बदलने का क्या कारण हैं ;

(घ) क्या नई साझेदार कंपनी का पता लगाने और चयन करने में कोई प्रगति की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड वर्तमान में डाइफेनिलमिथेन डाई-आईसोसाइनेट (डाई-फेनिलमिथेन डाइआइसोसाइनेट) (एम डी आई) परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी के स्रोत तलाश रहा है। अभी तक किसी साझेदार का चयन नहीं किया गया है।

लंबित मामले

4301. श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :

श्री लाईता उम्ब्रे :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दो वर्षों में चार जिलों के लंबित मामलों के निपटारे हेतु एक सफल योजना आरंभ की थी ;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के नाम क्या है ;

(ग) क्या इस प्रकार की योजना अन्य राज्यों में भी चलाई जाएगी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) अन्य राज्यों में यह योजना कब तक शुरू की जाएगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) कर्नाटक उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय, कर्नाटक में माण्डया, कोडगु, चिकमगलुर और बीजापुर जिलों में तारीख 31-5-93 को लंबित सभी मामलों को (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें उच्चतर न्यायालयों द्वारा रोकादेश दिया गया है।) दो वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् 31-5-95 तक, निपटाने के उद्देश्य से आरंभ की गई स्कीम को मानिटर कर रहा है।

(ग) से (ङ) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है। यदि लंबित मामलों की संख्या कम करने में कर्नाटक का प्रयोग सफल रहता है तो सरकार उपयुक्त समय पर, स्कीम को अन्य उच्च न्यायालयों राज्य सरकारों को, विचार करने के लिए, परिचालित करने के लिए विचार करेगी।

होस्टल आवास

4302. **श्री मोहन रावले :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रगति विहार और कर्जन रोड़, नई दिल्ली के होस्टल आवास का ब्यौरा क्या है ;

(ख) किन-किन व्यक्तियों को होस्टल आवास का आबंटन किया जाता है ;

(ग) किसी भी व्यक्ति को होस्टल आवास अधिकृत कितनी अवधि के लिए आबंटित किया जाता है ;

(घ) क्या कुछ आबंटी इन होस्टलों में अनेक वर्षों से रह रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) प्रगति विहार - 792 दो कमरे के वास

कर्जन रोड़ (I) 256 दो कमरे के वास

(II) 96 एक कमरे का किचन सहित वास

(III) 126 एक कमरे का किचन सहित वास

(ख) साधारण पूल के अन्य वासों की तरह की हॉस्टल वास भी दिल्ली/नई दिल्ली स्थित पात्र कार्यालयों में तैनात पात्र सरकारी कर्मचारियों को आबंटित किए जाते हैं। कार्यकर्ताओं, आदि श्रेणी के ऐसे

व्यक्तियों को भी आबंटित किया जाता है जिनके मामले सरकार द्वारा स्वीकृत दिशानिर्देशों के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) अन्य साधारण पूल वासों की तरह होस्टल वास भी नियमित वास होते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विख्यात कलाकारों आदि, के मामले को छोड़कर अन्य पात्र कार्मिकों को नियमित आधार पर आबंटित किए जाते है और उसकी कोई नियत अवधि नहीं होती।

(घ) जी, हां।

(ङ) चूंकि, हास्टल वास नियमित वास के रूप में पात्र सरकारी कर्मचारियों को आबंटित होता है जो सरकारी वास रखने के तब तक हकदार होते हैं जब तक वे साधारण पूल वास रखने के पात्र रहते हैं।

विदेशों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

4303. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारतीय विदेश सेवा के अलावा अखिल भारतीय संवा के विदशों में स्थित हमारे दूतावासों, व्यापार आयोगों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ; तथा वे किन-किन पदों पर आसीन हैं ; और

(ख) इन उच्च पदों के अधिकारियों का चयन तरीका क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन मदों के चयन की विधि निम्नानुसार है : -

(क) केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम प्रक्रिया के अनुकरण द्वारा अथवा निर्धारित विदेश नियुक्ति चयन प्रक्रिया द्वारा नामांकन।

(ख) सीधे नियुक्ति प्रस्तावों अथवा विज्ञापनों के प्रत्युत्तर के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा चयनित अधिकारियों को संवर्ग अनापत्ति देना।

विवरण

भारतीय विदेश सेवा से भिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारियों की सूची तथा उनके द्वारा धारित पदों के संबंध में सूचना, जो वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान विदेशों में हमारे दूतावासों, ट्रेडों कमीशनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न पदों पर तैनात रहे।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	दूतावास/अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का नाम	धारित पद
1	2	3	4
1.	श्री वी.के. मजोतिया भा.प्र.से.	भारतीय दूतावास, टोकियो	मिनिस्टर
2.	श्री नारायण वल्लूरी भा.प्र.से.	भारतीय दूतावास, वाशिंगटन	मिनिस्टर
3.	सुश्री एस. बरार भा.प्र.से.	भारतीय दूतावास, वाशिंगटन	प्रथम सचिव
4.	श्री सुनील मिश्रा भा.प्र.से.	भारतीय दूतावास, मास्को	काउन्सलर
5.	श्री राजीव माथुर भा.पु.से.	भारतीय दूतावास, वाशिंगटन	काउन्सलर
6.	श्री ए.के. दोवल भा.पु.से.	भारतीय दूतावास, लन्दन	मिनिस्टर
7.	श्री आर.एन. बेहुरा भा.पु.से.	भारतीय दूतावास, ढाका	प्रथम सचिव
8.	श्री डी.पी. सिन्हा भा.पु.से.	भारतीय दूतावास, कोलम्बो	प्रथम सचिव
9.	श्री एस.के. चौधरी भा.पु.से.	भारतीय दूतावास, बॉन	प्रथम सचिव
10.	श्री के.शंकर नारायणन भा.पु.से.	भारतीय दूतावास, मास्को	प्रथम सचिव
11.	श्री अरूण भटनागर भा.प्र.से.	भारतीय दूतावास, लन्दन	मिनिस्टर

1	2	3	4
12.	श्री एन. सन्धू भा.पु.से.	भारतीय दूतावास, ओटावा	काउन्सलर
13.	श्री एम.के. सिन्हा भा.पु.से.	भारतीय उच्चायुक्त, इस्लामाबाद	मिनिस्टर
14.	श्री राजीव मेहता भा.पु.से.	भारतीय व्यापार केन्द्र, ब्रसल	सलाहकार
15.	श्री आर.के. शर्मा	इन्टरपोल	विशेष पुलिस अधिकारी
16.	श्री एम. फरूकी भा.प्र.से.	भारतीय दूतावास, जदहा	कौंसल जनरल
17.	श्रीमती जयश्री बालचन्द्रन भा.प्र.से.	विश्व बैंक	पोषण विशेषज्ञ अफ्रीका प्रौद्योगिकी विभाग
18.	श्री अरूण भाटिया भा.प्र.से.	यू.एन.डी.पी.	मुख्य तकनीकी सलाहकार लाओस
19.	श्री एस.पी. वाजपेयी भा.प्र.से.	एशियन विकास बैंक	प्रोग्राम अधिकारी
20.	श्रीमती एस.डी. बरवा भा.प्र.से.	विश्व बैंक	घाना सरकार के लघु उद्योग सलाहकार
21.	डा. जे.एन. चौबे भा.प्र.से.	विश्व बैंक	भारत विभाग में परामर्श देना।
22.	श्री वी.के. चानणा भा.प्र.से.	यू.एन.आई.डी.ओ.	वरिष्ठ औद्योगिक विकास अधिकारी
23.	श्री शैलदित्य चटर्जी भा.प्र.से.	एशिय- विकास बैंक	प्रोग्राम अधिकारी

1	2	3	4
24.	श्री आर.एन डे भा.प्र.से.	अन्तर्राष्ट्रीय जूट संगठन	वरिष्ठ अधिकारी (विपणन संवर्धन)
25.	श्री सुशील मोहन भा.प्र.से.	चाय संवर्धन केन्द्र, चाय बोर्ड	निदेशक (चाय संवर्धन)
26.	श्री वी.के. दुग्गल भा.पु.से.	राष्ट्रमण्डल सचिवालय	ग्रेनेडा में पर्यटन विपणन सलाहकार
27.	श्री रवीन्द्र गुप्ता भा.प्र.से.	आई.सी.ए.ओ.	आई.सी.ओ. कौंसिल मोन्ट्रियल में भारतीय प्रतिनिधि
28.	श्री एच. घोष भा.प्र.से.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	प्रोग्राम उप-प्रबन्धक, जेनेवा
29.	श्री एम.एस. गिल भा.प्र.से.	विश्व बैंक	परामर्श सेवा कार्य
30.	श्री जी.एस. घोष भा.प्र.से.	यूनीसेफ	कार्यकारी निदेशक के सलाहकार
31.	श्री ए. होडा भा.प्र.से.	ई.एस.सी.ए.पी.	उप महानिदेशक, गैट
32.	श्री जी. होडा भा.प्र.से.	विश्व बैंक	कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक
33.	श्री एस.वी. अय्यर भा.प्र.से.	विश्व बैंक	परामर्श सेवा कार्य
34.	डा. जी.एस. जैया भा.प्र.से.	डब्ल्यू आई.पी.ओ.	वरिष्ठ प्रोग्राम अधिकारी
35.	श्री एस. कृष्ण कुमार भा.प्र.से.	विश्व बैंक	कृषि नीति एकक के कार्यकारी सचिव

1	2	3	4
36.	श्री नवीन कुमार भा.प्र.से.	सी.एफ.टी.सी.	तकनीकी सलाहकार
37.	श्री ए.के. खुराना भा.प्र.से.	विश्व बैंक	ई.एस.एम.ए.पी. में परामर्श सेवा कार्य
38.	श्री राहुल खुल्लर भा.प्र.से.	एशियन विकास बैंक	अर्थशास्त्री
39.	श्री अनिल लखीना भा.प्र.से.	एस.आई.टी.डी.सी.ए.पी.	निदेशक
40.	श्रीमती मीना गुप्ता भा.प्र.से.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	सी.एल.ए. एस.पी., भारत के प्रोजेक्ट संचालक
41.	श्री एस नारायण, भा.प्र.से	सी आई. आर. डी. ए. पी., ढाका।	निदेशक
42.	श्री नरेन्द्र प्रसाद भा.प्र.से.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक
43.	श्रीमती डी.एम. डे रिबेला, भा.प्र.से.	यूनेस्को	क्षेत्रीय सलाहकार
44.	श्री के.एस. रामासुब्रमण्यम भा.प्र.से.	विश्व बैंक	मानव संसाधन विकास सलाहकार
45.	श्रीमती विनीता राय भा.प्र.से.	यू.एन.एफ.पी.ए.	सलाहकार
46.	श्री सी.आर. [illegible] भा.प्र.से	एशियन विकास बैंक	सचिवालय अधिकारी
47.	श्री टी.एस. [illegible] भा.प्र.से	यूनिसेफ	प्रोजेक्ट निदेशक, पटना

1	2	3	4
48.	श्री मुकुल सन्वाल, भा.प्र.से.	यू.एन.ई.पी.	कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ नीति सलाहकार
49.	श्री एल.पी. सप्तऋषि, भा.प्र.से.	यू.एन.डी.पी.	प्रोग्राम अधिकारी
50.	श्री के. माधवा शर्मा, भा.प्र.से.	यू.एन.ई.पी.	ओजोन सचिवालय में संचालक
51.	श्रीमती राधा सिंह, भा.प्र.से.	विश्व बैंक	परामर्श सेवा कार्य
52.	श्री रवि साहनी, भा.प्र.से.	ई.एस.सी.ए.पी.	अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग
53.	श्री पी. सिन्हा, भा.प्र.से.	सी.एफ.टी.सी.	प्रोजेक्ट पोस्टिंग
54.	श्री एन.के. बसरवाल, भा.प्र.से.	डब्ल्यू, आई पी.ओ.	निदेशक
55.	श्री एस. सुन्दर, भा.प्र.से.	राष्ट्रमंडल सचिवालय	निदेशक तथा अध्यक्ष
56.	डा. असभिन्दु सिंह, भा.व.से.	यू.एन.ई.पी.	प्रोग्राम अधिकारी
57.	डा. सी.टी.एस. नायर, भा.व.से.	एफ.ए.ओ.	वरिष्ठ प्रोग्राम सलाहकार
58.	श्री के.पी. गीताकृष्णन, भा.प्र.से. (अब भा.प्र.से. से सेवानिवृत्त हो चुके हैं)	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	कार्यकारी निदेशक
59.	श्री जे.एस. कांग, भा.प्र.से.	विश्व बैंक	जनसंख्या विशेषज्ञ।
60.	जयश्री बालाचन्द्र, भा.प्र.सेवा	विश्व बैंक	विशेषज्ञ

गरीबी हटाओ कार्यक्रम

4304. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी हटाओ संबंधी प्रमुख कार्यक्रमों की निगरानी और समवर्ती आकलन के लिए कोई व्यापक प्रणाली तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गरीबी हटाओ संबंधी प्रमुख कार्यक्रमों को विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में उचित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने में ये प्रयास कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य गरीबी निवारण कार्यक्रमों की निगरानी एवं समवर्ती मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। उचित निगरानी हेतु सुदृढ़ डाटा बेस तथा नियमित पुनर्निवेशन (फीड-बैक) पर बल दिया जाता है। निगरानी प्रणाली के सात तरीकों में प्रगति रिपोर्टों की आवधिक प्रस्तुति, रिलीज की पद्धतियां, कड़ा निरीक्षण, केन्द्र/राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों तथा ग्रामीण विकास के प्रभार वाले राज्य सचिवों का सम्मेलन/कार्यशालाएं, क्षेत्र अधिकारी योजना आदि शामिल हैं। एक प्रभावी प्रबन्ध सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में मिनी-कम्प्यूटर, सेल भी स्थापित किए गए हैं। देश की 83 प्रतिशत जिला ग्रामीण विकास एजेसियों में कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना तथा निगरानी के लिये राज्य निकनेट सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति एवं निष्पादन का पर्यवेक्षण करने हेतु मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को विशिष्ट राज्य/संघ शासित क्षेत्र आबंटित किए गए हैं। क्षेत्र अधिकारी जिला/खंण्ड/गांवों के अपने आवधिक दौरों के दौरान कार्यक्रमों के गुणात्मक मूल्यांकन पर विशेष बल देते हैं तथा सुधार के लिये उपचारी उपाय भी सुझाते हैं।

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन समय-समय पर समवर्ती मूल्यांकन अध्ययनों की मार्फत किया जाता है। देश में सभी जिले इन समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षणों में कवर किए जाते हैं जो वस्तुपरकला सुनिश्चित करने के लिए ख्याति प्राप्त एवं स्वतंत्र अनुसंधान सस्थाओं/संगठनों को सहायता से कराये जाते हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय समवर्ती मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित देश-भर में कार्यक्रमों की एक प्रभावी निगरानी प्रणाली पर आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाने तथा उन्हें कारगर बनाने के लिये उपचारी कदम उठाता रहा है।

[हिन्दी]

क्षतिपूर्ति अदालतें

4305. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस से प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कितने वार्डों में क्षतिपूर्ति अदालतों की स्थापना की गई है ;

(ख) अब तक प्रत्येक अदालत द्वारा प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) प्रत्येक अदालत द्वारा क्षतिपूर्ति के कितने मामलों को वर्गीकृत किया गया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 38

(ख) क्षतिपूर्ति राशि परिवार-वार मंजूर नहीं की जाती है अपितु यह अलग-अलग व्यक्तियों को दी जाती है।

(ग) भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई), अधिनियम, 1985 के तहत तैयार की गई भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का पंजीकरण तथा कार्रवाई) योजना, 1985 में क्षति एवं मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति मामलों के निम्नलिखित वर्गीकरण की व्यवस्था है :

1. मृत्यु।

2. पूर्ण अंगहानि, जिसके परिणामस्वरूप आजीविका कमाने के लिए स्थाई तौर पर असमर्थ हो गया है।

3. स्थाई आंशिक अंगहानि जिससे किसी व्यक्ति की आजीविका कमाने की सम्पूर्ण क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।

4. अस्थाई आंशिक अंगहानि जिसके परिणामस्वरूप आजीविका कमाने की क्षमता कम हो गई हो।

5. अति गंभीर क्षति (इंजरी)।

6. मामूली क्षति (इंजरी)।

[अनुवाद]

उड़ीसा में शहरी पर्यावरण बुनियादी ढांचा प्रबंध कार्यक्रम

4306. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन शहरों/कस्बों में इस समय शहरी पर्यावरण बुनियादी ढांचा प्रबंध कार्यक्रम का कार्यान्वयन हो रहा है ; और

(ख) इन शहरों/कस्बों में आरम्भ किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तथा (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने बताया है कि पुरी, बेरहामपुर और सम्बलपुर कस्बों में शहरी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए शहरी पर्यावरण अवस्थापना प्रबन्ध परियोजना पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चूंकि, यह प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था, अर्थात् चयनित कस्बों में अध्ययन शुरू करने हेतु प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है, अतः किए गए कार्य/परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

समन्वित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

4307. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समन्वित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में कोई आकलन कराया है ;

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में कार्यक्षमता में सुधार के सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां रही हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सामुदायिक और निजी क्षेत्र के समन्वय से इस सम्बन्ध में तैयार की जा रही दीर्घकालीन नीति का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि यह राज्य का विषय है इसलिए उपलब्धियां, शहरी स्थानीय निकायों में समुचित नियोजन, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग, पर्याप्त बजट प्रावधान और प्रशिक्षित जनशक्ति पर निर्भर करती हैं।

(ग) पणजी, गोवा में कूड़ा करकट प्रबन्ध की समुदाय आधारित प्रायोजक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान 10 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय प्रबन्ध परिषद द्वारा यथा परिकल्पित दीर्घकालिक कार्य योजना में विभिन्न प्रकार के कूड़े-करकट के निपटान की समुचित पद्धति, वित्त, निगरानी, प्रशिक्षण तथा दूरसंचार प्रचार (मिडिया कम्पेन) पर बल दिया जाएगा। पणजी प्रायोजक परियोजना के परिणामें से राष्ट्रीय स्तर पर आगामी कार्रवाई हेतु विचार उत्पन्न होने की भी आशा है।

कर्नाटक के भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

4308. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं और अब तक उनके पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार को राज्य के भूतपूर्व सैनिकों से पेंशन आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों की जन-गणना के अनुसार 30 जुन, 1994 तक कर्नाटक में कुल 34,689 भूतपूर्व सैनिकों को पंजीकृत किया गया है।

2. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के व्यापक कार्यक्रम बने हुए हैं। केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें राष्ट्रीकृत बैंक भी शामिल हैं के साथ-साथ केन्द्र सरकार के विभागों में समूह ''ग'' और ''घ'' के पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। युद्ध अथवा शांतिकाल में निशक्त हुए उन रक्षा सेवा कार्मिकों जिनकी निशाक्तता सैन्य सेवा की वजह से हुई मानी गई हो को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार के विभागों तथा अपने उपक्रमों में समूह ''क'', ''ख'', ''ग'' और ''घ'' के पदों के वास्ते भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की हुई है।

3. भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई केन्द्रीय योजनाओं में स्व-रोजगार के अवसरों की व्यवस्था की हुई है। इनमें ये योजनाएं शामिल हैं : - सेमफेक्स-I योजना में लघु औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने

के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की व्यवस्था है ; सेमफेक्स-II योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-बाड़ी और खेती-बाड़ी के अतिरिक्त अन्य लाभप्रद कार्यकलाप शुरू करने के लिए सहायता देने की व्यवस्था है ; सेमफेक्स-III योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देकर स्व-रोजगार के पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था है ; पेट्रोलियम उत्पाद एजेन्सियों के आबंटन में प्राथमिकता देना ; यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की एजेम्सियों का आबंटन, कोयला के परिवहन की एजेन्सियों का आबंटन आदि। रोजगार में भूतपूर्व सैनिकों की पात्रता में सुधार करने अथवा सेवा निवृत्ति के उपरांत उन्हें स्व-रोजगार शुरू करने योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था कीजाती है। भूतपूर्व सैनिक सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने तथा निकटतम केन्द्रीय भंडार डिपो कैन्टीनों से कैन्टीन सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्राधिकृत हैं। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को स्वदेश में हवाई यात्रा और रेल में दूसरी श्रेणी की यात्रा करने के लिए 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। निर्धन भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्रालय और राज्य सैनिक बोर्डों की कल्याण निधि में से वित्तीय सहायता दी जाती है। अपने मामलों का निपटान करवाने के लिए भूतपूर्व सैनिक जिला मुख्यालयों में बनाए गए सैनिक विश्राम गृहों में भी थोड़े समय तक रुकने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सैनिक और मिलिटरी स्कूलों में सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों की संतानों के वास्ते आरक्षण सुविधा दी जाती है। रक्षा सुरक्षा कोर में भरती के लिए भूतपूर्व सैनिकों को मुख्यतः प्राथमिकता दी जाती है।

4. उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त कर्नाटक में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कर्नाटक राज्य सरकार निम्नलिखित लाभ दे रही है : -

(1) सेवारत सैन्य कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों के परिवानों के लिए आबंटन हेतु सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्डों द्वारा 9 प्रतिशत और बेंगलूर विकास प्राधिकरण द्वारा 5 प्रतिशत भूखण्ड और मकान आरक्षित रखे जाते हैं। इसके अलावा, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित मकानों में से 5 प्रतिशत मकान भी सेवारत सैन्य कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

(2) पॉलिटैक्निक्स तथा बी.एड पाठ्यक्रमों में कुल उपलब्ध स्थानों में से 2.5 प्रतिशत स्थान सेवारत और भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की संतानों के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में भी सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों की संतानों के लिए 40-40 (कुल 80) स्थान आरक्षित हैं।

(3) उनके लिए मेडिकल कालेजों में चार स्थान आरक्षित हैं। डेन्टल कालेज में एक स्थान आरक्षित किया गया है।

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और जो किसी प्रकार की पेंशन नहीं पा रहे हैं उन्हें 60 रुपए प्रतिमाह की दर से अकिंचन अनुदान दिया जाता है।

(5) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त

सैनिकों की पत्नियों एवं उनकी संतानों को 250 रुपए प्रति माह वृत्तिका दी जाती है।

(6) वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद सहायता दी जाती है।

(7) भूतपूर्व सैनिकों को ट्रक चलाने के लिए 10 प्रतिशत राष्ट्रीय परमिट आरक्षित हैं।

5. भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन व उससे संबंधित अन्य मामलों के बारे में शिकायतों के समाधान के बारे रक्षा मंत्रालय में एक विशेष पेंशन शिकायत सेल है। इस सेल में पिछले एक वर्ष में कर्नाटक के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित 11 शिकायतें प्राप्त हुई। ये शिकायतें पेंशन स्वीकृत किए जाने, पेंशन में एक बार की वृद्धि, मंहगाई राहत, के भुगतान आदि के संबंध में थीं इन शिकायतों की नियमों और आदेशों के अधीन जांच कर उनमें यथापेक्षित कार्रवाई की गई और यथावश्यकतानुसार शिकायतकर्ताओं को जवाब दे दिया गया है।

एन.आई.सी. हाइवे कवरेज

4309. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर के अधीन एन.आई.सी.एन.ई.टी. के द्वारा किये गये कार्यों तथा उसकी उपयोगिता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय देश में एन.आई.सी. "हाइवे कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से जुड़े शहरों की संख्या व विवरण क्या है ;

(ग) क्या एन.आई.सी. "हाइवे" से कुछ अन्य शहरों को जोड़ने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या एन.आई.सी. एन.ई.टी. का इस समय पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है ; और

(च) यदि हां तो एन.आई.सी. एन.ई.टी. की क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्र और राज्य सरकारों को सूचना विज्ञान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निकनेट के यू-बैंड आधारित इनफार्मेशन हाइवे स्थापित किया गया था। इसमें ई-मेल (घरेलू अंतर्राष्ट्रीय) डाटाबेस अभिगम्यता, सुदूर अभिलेख फाइल हस्तांतरण सुविधा, ई डी आई. और इंटरएक्टिव यूसर्ज सर्विस शामिल है। निकनेट सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी सेवा प्रदान करता है।

(ख) उक्त सुविधायें प्रदान करने के लिए निकनेट इनफो हाइवे से इस समय निम्नलिखित 13 शहर जुड़े हुए हैं : दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, लखनऊ, जयपुर, पटना, चंडीगढ़, बंबई, हैदराबाद, पुणे और बंगलौर। इनमें से प्रत्येक केन्द्र में 2.2 एम.बी. तक संचालन के लिए उच्च गति प्रणाली प्रारंभ की गई है। इससे डॉयल-अप अथवा लीज़्ड लाइनों के माध्यम से जोड़ने की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ग) 20 वाणिज्य और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में निकनेट इनफो हाइवे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(घ) इनमें प्रत्येक केन्द्र में डायल-अप अथवा लीज़्ड तंत्र के माध्यम से नेटवर्क की अभिगम्यता के लिए X 25 स्विच सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। देश में निर्यातकों को ई-मेल के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई.डी.आई.) सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(ङ) और (च) जी, नहीं। देश में विभिन्न सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं की निगरानी के लिए निकनेट सुविधा का केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यापक उपयोग किया जाता है। चिकित्सा व्यवसायी, विधिक विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, अनेक अनुसंधान और विकास तथा सरकारी क्षेत्र के संगठन न केवल नेशनल इनफार्मेटिक्स सेन्टर द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटाबेस का बल्कि बाहरी डाटाबेस का भी उपयोग करते हैं हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय में स्थापित व्यापार केन्द्र के माध्यम से व्यापार की संभावनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक सुविधा सृजित की गई।

निकनेट के बढ़ते उपयोग के साथ पिछले कुछ वर्षों में नेटवर्क पर भीड़ रही है। इसको देखते हुए उच्च बैंड क्षमता सुविधा सहित इनफो हाइवे प्रणाली सृजित की गई थी। यह विस्तार अत्यधिक किफायती ढंग से किया गया था जिसमें मौजूदा निकनेट पर केवल मामूली लागत आई। निकनेट इनफो हाइवे को सहायता उपलब्ध कराने के लिए निकनेट की पूरी आधारभूत संरचना का उपयोग किया गया है।

केन्द्रीय भंडार द्वारा खरीद

4310. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.टी.सी. द्वारा आमंत्रित निविदा में टाइगर ब्रांड फेनाइल के निर्माता तथा सप्लायर, मैसर्स स्वर्ण इंटरप्राइजेज द्वारा दी गई दरें उन दरों से कम थी जिन पर वे केन्द्रीय भंडार को मदों की आपूर्ति करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) केन्द्रीय भंडार द्वारा बेचे जाने वाले फेनाइल और नेफ्थावालों के ब्रांड नाम क्या हैं, उनकी खरीद और बिक्री की दरें क्या हैं, गत 12 महीनों में माहवार उसकी खरीद दरों का कितनी बार संशोधन किया गया और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसे कितने सप्लायर हैं जो केन्द्रीय भंडार को खुले बाजार की तुलना में ऊंची दरों पर सामान की आपूर्ति कर रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) "टाइगर" ब्रांड फेनाइल के निर्माता तथा सप्लायर मैसर्स स्वर्ण इन्टरप्राइजेज द्वारा दिल्ली परिवहन निगम को उद्‌धृत दरें 200 लिटर बैरल की पैकिंग के लिए हैं और यह पैकिंग केन्द्रीय भण्डार में अनुमोदित नहीं है। केन्द्रीय भण्डार काफी छोटी मात्रा की पैकिंग अर्थात् 5 लिटर के डिब्बे तथा 450 मि. ली. की बोतलें खरीदता है। व्यापारिक क्षेत्रों में व्याप्त सामान्य व्यापार पद्धति के अनुसार अलग-अलग पैकिंग की दरें अलग-अलग होती हैं अर्थात् पैकिंग जितनी छोटी होगी, दरें उतनी अधिक होंगी तथा पैकिंग जितनी बड़ी होंगी, दरें उतनी ही कम होंगी। तथापि उक्त फर्म दिल्ली परिवहन निगम को उदधृत दरों पर 200 लिटर बैरल की पैकिंग के केन्द्रीय भण्डार को सप्लाई करने को तैयार है यदि केन्द्रीय भण्डार को इस साइज में पैकिंग की गई फिनाइल की आवश्यकता हो।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(घ) सभी अनुमोदित सप्लाईकर्ताओं को इस आशय का वचन देना होता है कि अनुमोदित मदों के लिए केन्द्रीय भण्डार को प्रस्तावित दरें न्यूनतम हैं और वे किसी अन्य ग्राहक को इनसे कम दरों का प्रस्ताव नहीं करेंगे।

विवरण – I

फिनाइल

5 लिटर का डिब्बा/कैन

सप्लायर	ब्रांड	नवम्बर 92 में अनुमोदित दरें डिब्बा/कैन*/रू.	संशोधित दरें रुपए/डिब्बा/कैन*	से लागू दरें	नवम्बर, 92 में अनुमोदित दरें	संशोधित दरें	से लागू दरें
1	2	3	4	5	6	7	8
					450 मि.लि. बोतल	450 मि.लि. बोतल	
एम्बी लैब	त्रिशूल	112.80	122.20 (133.20)	25.04.94	12.45 (13.55)	14.10 (15.42)	29.04.94
जनता सोप फैक्टरी	रोज	87.50	109.00 (118.80)	02.07.94	10.50 (11.45)	10.50 (11.45)	–
स्वर्ण एंटरप्राइजेज	टाइगर	96.74	109.32 (119.16)	12.03.94	10.00	12.95 (14.02)	15.04.94

	2	3	4	5	6	7	8
			119.15	04.05.94	(10.84)	13.60	09.05.94
	•		(129.90)			(14.86)	
वैक्सपोल	वैक्सपोल	-	143.00	18.03.94	-	-	-
इंडिया	मास्टर		(155.90)				
शैली एंटरप्राइ.	हॉस्पिटली	87.00	98.90	25.04.94	11.23	12.70	12.05.94
			(107.80)		12.25	(13.83)	
			112.00		जुलाई 93 में		
					अनुमोदित		
बंगाल कैमि.	लैम्प	147.58	147.58	-	13.90	15.05	29.0193
			(160.90)		(15.14)	(16.35)	
			162.62				

* बिक्री कर अलग है।

* संशोधित दरें मांगी गई हैं।

नोट : - कोष्ठकों में दी गई दरें बिक्री मूल्य है।

विवरण - II

नेफ्थालीन बॉलस

	सप्लायर	नवम्बर 92 में अनुमोदित दरें	
		रुपये/कि.ग्रा.	
1.	एम.के. इंडस्ट्री	37.24	
		(40.60)	
2.	एस.के. कैमिकल्स	38.90	किसी भी सप्लाई कर्ता के लिए दरें
		(42.40)	संशोधित नहीं की गई हैं।
3.	फैंड एलाइड	39.00	
	इन्डस्ट्री	(42.51)	
4.	बंगाल कैमिकल्स	62.28	
		(67.88)	

* बिक्री कर अलग है।

नोट : कोष्ठकों में दी गई दरें बिक्री मूल्य हैं।

फोटोवोल्टाइक ऊर्जा

4311. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अमरीकी सरकार ने देश में फोटोवोल्टाइक ऊर्जा के विकास के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो किन किन राज्यों में इन परियोजनाओं के लगाए जाने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) देश में सौर प्रकाशवोल्टीय बाजार विकास के लिए विश्व बैंक ने "भारत: [illegible] संसाधन विकास" परियोजना के अंतर्गत ऋण लाइन उपलब्ध कराई है। संयुक्त राज्य अमरीका सरकार द्वारा सौर प्रकाशवोल्टीय बाजार विकास के लिए कोई अलग सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) विश्व बैंक की 42 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक साख लाइन 2-5 मेवा. पी. की समग्र क्षमता की स्थापना के लिए है।

42 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता राशि में 12 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुदान राशि भी शामिल है।

(ग) जी, हां। यह साख लाइन अप्रैल, 1993 से कार्यशील हो गई है।

(घ) यह समूचे देश के लिए बाजार विकास कार्यक्रम है।

पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

4312. डा. कृपासिन्धु भोई :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन ऊर्जा से 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किन-किन राज्यों का चयन किया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा को भी इनमें शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कुल 970 मेवा. क्षमता के निजी क्षेत्र के पवन विद्युत प्रस्तावों पर संभाव्यता वाले राज्यों अर्थात् गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ख) से (घ) अब तक उड़ीसा राज्य में पवन विद्युत के उत्पादन के लिए किसी अनुकूल स्थान की पहचान नहीं गई है।

आई.पी.टी.एस. की स्थापना

4313. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आधुनिक संचार प्रणाली, तकनीकी उपकरण, शस्त्रास्त्र ये संयुक्त बनाने के लिए इंडियन पुलिस टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस (आई.पी.टी.एस.) के नाम से एक तकनीकी संवर्ग सेवा स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो देश की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवादी संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) इस सेवा की स्थापना कब तक हो जाएगी ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन में अनियमितताएं

4314. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत कुछ वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई मुख्य परीक्षाओं में की गई अनियमितताओं के संबंध में जानकारी मिली है ;

(ख) इस संबंध में की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है और ये शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई ;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

दिनांक 14.2.1992 से 13.3.1992 तक आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के प्राणी विज्ञान (प्रश्न पत्र-I) के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आरोप लगाए गए थे। प्राणी विज्ञान (प्रश्न पत्र-I) की परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद ही वैकल्पिक विषय प्राणी विज्ञान (प्रश्न पत्र-I) के प्रश्न पत्र जैसा एक कागज़ का टुकड़ा संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा हॉल के निकट नोटिस बोर्ड पर चिपकाया हुआ पाया गया। बाद में कुछ उम्मीदवारों ने अभ्यावेदन दायर किए जिसमें प्रश्न पत्र लीक हो जाने के आरोप लगाए गए। दिनांक 7.3.1992 को राष्ट्रीय सहारा में भी प्रश्न पत्र लीक होने का समाचार प्रकाशित हुआ। किन्तु संघ लोक सेवा आयोग के नोटिस बोर्ड पर लगाए गए कागज़ के टुकड़े का वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान करने तथा सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह पाया गया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी।

उपर्युक्त प्रकरण के अलावा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में आयोजित की गई सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में अनियमितताएं बरतने के संबंध में कोई आरोप नहीं थे।

[अनुवाद]

विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए भारतीय विशेषज्ञ

4315. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1994 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने भारतीय विशेषज्ञों को अलग-अलग देशों में विदेशी सरकारों के अधीन कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजा गया, उनके क्या-क्या व्यावसाय कार्य हैं;

(ख) आई.टी.सी.ई.सी. के अंतर्गत अलग-अलग देशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) अलग-अलग देशों में भेजे गए कितने व्यक्तियों का वेतन भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है; और

(घ) उनमें से [illegible] किसी [illegible] सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार विदेश नियुक्ति के लिए संवर्ग अनापत्ति देने की शक्तियां संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं। अतः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग विदेश नियुक्ति पर जाने वाले भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के

विभिन्न संगठित सेवाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों से संबंधित सूचना केन्द्रीयकृत रूप से मानीटर नहीं करता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में केवल भा.प्र.से. एवं केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को संवर्ग अनापत्ति प्रदान करता है।

1.4.1994 की स्थिति के अनुसार विदेशी सरकारों के तहत कार्यरत भा.प्र.से. एवं केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) 1.4.1994 की स्थिति के अनुसार आई.टी.ई.सी. के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए विशेषज्ञों की देशवार व्यवसायवार ब्यौरे सहित संख्या विवरण - II में दी गई है।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण - I

1.4.1994 की स्थिति के अनुसार विदेशी सरकारों के तहत कार्यरत भा.प्र.से. एवं केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की सूची।

क्र.सं.	अधिकारी एवं सेवा का नाम	संगठन का नाम
1.	श्री वीरेन्द्र प्रकाश भा.प्र.से.	यूगाण्डा सरकार
2.	श्री पी.बी. राजगोपालन भा.प्र.से.	यूगाण्डा सरकार

विवरण - II

1.4.1994 की स्थिति के अनुसार आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए व्यक्ति देशवार तथा व्यवसायवार

देश	डाक्टर / फैरा मेडिकल	इंजीनियर	अध्यापक	प्रशासन/कृषि	लेखा तथा वित्त	कुल
1	2	3	4	5	6	7
इथोपिया	-	-	-	4	-	4

1	2	3	4	5	6	7
घाना	1	2	1	-	-	4
गुयाना	-	1	-	-	-	1
इन्डोनेशिया	-	-	3	-	-	3
जामाइका	-	-	-	1	-	1
मालदीव	-	2	-	-	-	2
मॉरीशियस	-	4	1	1	-	6
मोजाम्बिक	-	-		2	-	2
नामीबिया	-	1	-	-	1	2
सेशल्स		-	-	2	2	4
सीरिया	-	-	-	1	-	1
यूगाण्डा	-	-	-	2	-	2
जंजीबार	-	-	-	1	2	3
कुल	1	10	5	14	5	35

डी डी ए फ्लैट

4316. श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री बी अकबर पाशा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच के बाद कई डी डी ए फ्लैटों को घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने के कारण खतरनाक घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन फ्लैटों को मरम्मत करने/गिराने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसे 5 मामले हैं जिन्हें घटिया निर्माण के कारण खतरनाक घोषित किया गया है। ये पांचों मामले 1981-84 अवधि के हैं, ब्यौरा इस प्रकार है : -

क्र.सं.	फ्लैट संख्या तथा पता
(1)	मोतिया खान में 24 एस एफ एस फ्लैट
(2)	जहांगीर पुरी में 336 एम आई जी फ्लैट (224 वस्तुतः निर्माणाधीन)
(3)	पार्क V, त्रिलोकपुरी, चरण-I में 265 मध्यम आय वर्ग मकान
(4)	ब्लाक आर, ग्रुप IV, दिलशादगार्डन में 96 मध्यम आय वर्ग/96 निम्न आय वर्ग (वस्तुतः 100 मध्यम आय वर्ग तथा 100 निम्न आय वर्ग)
(5)	बोडेला में 288 मध्यम आय वर्ग फ्लैट

(ग) उपर्युक्त "क" तथा "ख" में निर्माणों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों तथा उनके विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्रवाई के क्रमानुसार इस प्रकार है : -

(1) 2 कार्यपाल इंजीनियरों 3 सहायक इंजीनियरों तथा 5 जूनियर इंजीनियरों को कार्य के दोषपूर्ण कार्य-निष्पादन में लिप्त पाया गया। मामले की जांच पूरी हो गई है तथा मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रारम्भिक सलाह हेतु भेज दिया गया है।

(2) एक कार्यपाल इंजीनियर, एक सहायक इंजीनियर तथा एक जूनियर इंजीनियर को बड़ी शास्तिकी कार्यवाही के आरोपपत्र जारी किए गए हैं।

(3) विस्तृत जांच के बाद एक कार्यपाल इंजीनियर, 2 सहायक इंजीनियरों तथा 3 जूनियर इंजीनियरों को असाधारण शास्ति आरोपपत्र जारी किए गए, एक कार्यपाल इंजीनियर तथा 2 सहायक इंजीनियरों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की सेवाओं से हटाए जाने की शास्ति लगाई गई तथा सभी 3 जूनियर इंजीनियरों पर तीन वर्ष के लिए उनके समय वेतनमान की न्यूनतम सीमा तक घटाने की शास्ति लगाई गई।

(4) एक कार्यपालक इंजीनियर, एक सहायक इंजीनियर तथा 3 जूनियर इंजीनियर को असाधारण शास्ति की कार्यवाही के आरोपपत्र जारी किए गए। विस्तृत जांच के बाद एक कार्यपालक इंजीनियर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगाई गई है। 2 जूनियर इंजीनियरों पर सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति लगाई गई है। तथा एक जूनियर

इंजीनियर पर वेतनमान को चार चरणों में कम करने की शास्ति लगाई है। सहायक इंजीनियर का निधन हो गया अतः कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(5) एक कार्यपाल इंजीनियर, एक सहायक इंजीनियर तथा एक जूनियर इंजीनियर को असाधारण शास्ति के आरोप पत्र जारी किए गए। जांच के बाद सभी तीनों अधिकारियों पर सेवा से हटाए जाने की शास्ति लगाई गई।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण का इन फ्लैटों को आबंटन से पूर्व मरम्मत/निम्नानुसार पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव है : -

(1) **मोतिया खान में 24 एस एफ एस फ्लैट :** केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन फ्लैटों को गिराकर फिर से बनाया जा रहा है।

(2) **जहांगीर पुरी में 336 मध्यम आय वर्ग फ्लैट 224 वास्तविक निर्माणाधीन :** इस मामले में भी जांच कार्य केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान (सी बी आर आई) रूड़की को सौंपा गया था। सी बी आर आई ने सुदृढ़ीकरण तथा व्यापक सुधार निर्माण कार्यों की सिफारिश की है जिसमें 88 फ्लैटों को गिराया जाना भी शामिल है। सी बी आर आई की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(3) **पाकेट V त्रिलोकपुरी चरण - I में 265 एम आई जी फ्लैट :** इस मामले में कार्य अत्यधिक घटिया स्तर का पाया गया था। राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद, बल्लभगढ़ द्वारा विस्तृत जांच की गई थी। विस्तृत जांच के बाद उन्होंने 200 मकानों को गिराने का प्रस्ताव किया है। परिषद की सिफारिशों के आलोक में स्थल पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

(4) **ब्लॉक आर ग्रुप IV दिलशाद गार्डन में 96 एम आई जी/96 एल आई जी (वास्तव में 100 एम आई जी/ 100 एल आई जी) मकान :** इस मामले में भी विस्तृत जांच सी बी आर आई को सौंपी गयी थी। जांच के बाद उन्होंने व्यापक सुधार कार्यों तथा सुदृढ़ीकरण कार्यों की सिफारिश की है। तदनुसार, स्थल पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(5) **बोडेला में 288 एम आई जी फ्लैट :** इस योजना के 5 फ्लैटों को गिरा कर उनका पुनर्निर्माण किया गया। इन फ्लैटों को आवश्यक मरम्मत सुधार/पुनर्निर्माण के बाद जनता को आबंटित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

द्वारिका के उत्खनन कार्य पर व्यय

4317. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओसिनोग्राफी, गोवा द्वारा जलमग्न द्वारिका का खोज कार्य धनाभाव के कारण गत कुछ महीनों से रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) द्वारिका के उत्खनन कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है और इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त हुई है ;

(घ) इस कार्य पर अभी तक कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ङ) इस अनुसंधान कार्य को जारी रखने के लिए सरकार द्वारा कितना बजटीय आबंटन किया गया है ; और

(च) यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) एवं (ख) द्वारका में और आगे उत्खनन किए जाने का अनुमोदन करने और आवश्यक धन दिए जाने के लिए, सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु एक पंचवर्षीय परियोजना तैयार की जा रही है।

(ग) 1982 से आरम्भ किए गए द्वारका के अन्तर्जलीय उत्खनन से निम्नांकित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं : -

(1) एक घाट (जेटी) और आन्तरिक बाह्य किलेबंदियां ;

(2) 1500 ई.पू. की तारीख के 12.5 मीटर गहरे जल में पाए गए मूरिंग स्टोन्स और बड़े-3-छिद्रित (होल्ड) लंगर आदि।

(3) अनेक पुरावस्तुएं जैसे मोहर उत्कीर्णित जार, लंगर, मिट्टी के बर्तन, लोहे, कांसे और तांबे के शिल्प-तथ्य और फ्लैगपोस्ट के बेसेज़ प्राप्त हुए हैं।

(घ) इस परियोजना पर अब तक किया गया कुल व्यय 31.99 लाख रुपए है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सरकार द्वारा अभी इस नयी परियोजना का अनुमोदन किया जाना है।

[अनुवाद]

भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य पर्यवेक्षकों की हत्या करने हेतु पाकिस्तानी एजेंट

4318. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना ने भारत तथा पाकिस्तान के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य पर्यवेक्षक दल के कर्मियों को उनकी पाक-अधिकृत कश्मीर की यात्रा के दौरान हत्या करने के पाकिस्तान की आई. एस.आई. के षडयंत्र का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तान के इस इरादे की जानकारी है कि नियंत्रण रेखा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्मिकों को घात लगाकर गोलीमार दी जाए और इन घटनाओं का दोष भारत पर मढ़ दिया जाए।

(ग) इस संबंध में पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर जमीन की स्थिति की विकृत चित्र प्रस्तुत करने और कश्मीर के मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने जैसे दुष्प्रचार की कार्रवाईयां करने का प्रयास कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सही परिप्रेक्ष्य में जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति स्पष्ट करने करने, जम्मू तथा कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी को सहायता देने और पाकिस्तान के साथ हमारे सभी मतभेदों को द्विपक्षीय आधार पर तथा शिमला समझौते की शर्तों के अनुरूप शांतिपूर्ण वार्ता करके दूर करने के हमारे संकल्प के बारे में जानकारी देने का सरकार ने भरसक प्रयास किया है और वह ऐसा करना जारी रखेगी।

इंटरनेशनल सेफ्टी कन्वेशन

4319. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए एक इंटरनेशनल सेफ्टी कन्वेंशन की स्थापना हेतु भारत की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या परमाणु विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच परस्पर मतभेद दूर हो चुके हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) कन्वेंशन आन न्यूक्लियर सेफ्टी को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा वियाना में आयोजित राजनयिक सम्मेलन में जून, 1994 में अपनाया गया था, जिसमें भारत और अमरीका सहित बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। इस कन्वेन्शन वियाना में 20 सितम्बर, 1994 को हस्ताक्षर के लिए खुलेगी।

(ङ) और (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

द्वारका में उत्खनन कार्य

4320. श्री विलासराव नागनाथराव गून्डेवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने द्वारका नगर में उत्खनन कार्य अभी भी चल रहा है अथवा पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) एवं (ख) द्वारका में उत्खनन कार्य अभी भी चल रहा है। अब तक किए गए अंतर्जलीय उत्खनन से, 3500 वर्ष पहले की तारीख के 5–10 मीटर गहरे जल में डूबे द्वारका नगर के निम्न अवशेषों का पता चला है : –

1. एक घाट (जेटी) और आन्तरिक बाह्य किलेबंदियां ;
2. 1500 ई.पू. की तारीख के 12.5 मीटर गहरे जल में पाए गए मूरिंग स्टोन्स और बड़े 3-छिद्रित (होल्ड) लंगर आदि।
3. अनेक पुरावस्तुएं जैसे मोहर उत्कीर्णित जार, लंगर, मिट्टी के बर्तन, लोहे, कांसे और तांबे के शिल्प-तथ्य और फलैगपोस्ट के बंसेज़ प्राप्त हुए हैं।

(ग) चूंकि यह अति विस्तृत कार्य है अतः इसका पूरा होना निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी गतिविधियां

4321. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय भू-भाग के नक्शे तैयार करने के इरादे से दो पाकिस्तानी विमानों ने हाल ही में कारगिल पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरी ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हाल में, पाकिस्तानी विमान ने कारगिल क्षेत्र में हवाई सीमा का उल्लंघन नहीं किया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थिति संबंधी रिपोर्ट

4322. श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में स्थिति संबंधी [illegible]क रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 20 करोड़ रुपये और अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का प्रबोधन करता है और प्रत्येक तिमाही में एक तिमाही परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विभाग द्वारा हाल ही में तैयार की गई रिपोर्ट 31 मार्च, 1994 की तिमाही के लिए है।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं कृपया संलग्न विवरण - I में देखें।

(ग) रिपोर्ट में उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रत्येक परियोजनाओं के बारे में की गई टिप्पणियां संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग को भेजी जा रही हैं। उपचारात्मक कार्रवाई परियोजना-दर-परियोजना भिन्न भिन्न होती है। तथापि, निर्धारित लागत और समय के भीतर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा सामान्यतः उठाए गए कदमों का ब्यौरा विवरण - II में दिया गया है।

विवरण - I

दिनांक 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, 20 करोड़ रुपये और अधिक लागत वाली 371 परियोजनाएं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर हैं। मार्च, 1994 को समाप्त तिमाही की स्थिति रिपोर्ट की विशेषताएं निम्नलिखित हैं : -

1. 371 परियोजनाओं को मेगा, बड़ी और मध्यम परियोजनाओं में वर्गीकृत किया गया है, उनकी संख्या तथा सम्बन्धित समग्र लागत का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

श्रेणी	सं.	लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3
मेगा परियोजनाएं (लागत 1000 करोड़ रु. और अधिक)	36	83887
बड़ी परियोजनाएं (लागत 100 से 1000 करोड़ रुपये तक)	133	41244
मध्यम परियोजनाएं (20 करोड़ रु. से 100 करोड़ रुपये के बीच)	202	8744
योग	371	133875

2. वर्ष 1993-94 के दौरान प्रबोधन प्रणाली में 60 नई परियोजनाओं को जोड़ा गया तथा 61 परियोजनाओं को प्रणाली से हटाया गया। वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिलाकर 52 परियोजनाओं को पूरा किया गया।

3. रिपोर्ट का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 371 परियोजनाओं में से 1 परियोजना निर्धारित समय से आगे, 151 परियोजनाएं समय पर, 200 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं तथा 13 परियोजनाओं को चालू होने की कोई निर्धारित समय सूची नहीं हैं।

4. सभी 371 परियोजनाओं की लागत उनकी 106547 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से बढ़कर 133875 करोड़ रुपये हो गई है अर्थात् उनकी संशोधित अनुसूची के संदर्भ में 35.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परियोजनाओं में लागत और मूल्य वृद्धि के अनेक कारण हैं जिनमें मूल्यों में आय बढ़ोतरी,

सांविधिक करों अर्थात् उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा में भिन्नता, कम अनुमान के कारण परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण की अधिक लागत, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, संविदा मंगाने और क्रयादेश देने में विलम्ब, औद्योगिक संबंध एवं अन्य समस्याएं निविष्टियों की अपर्याप्त आपूर्ति, कठिन भू-स्थिति एवं ठेकेदारों द्वारा कमजोर कार्य निष्पादन, शामिल हैं। रिपोर्ट के 16 क्षेत्रीय वर्गों में परियोजनाओं में समय और लागत वृद्धि को नियंत्रित करने तथा उनमें प्रमुख गतिविधियों के छोड़ दिए जाने को रोकने हेतु उठाए जाने वाले विशिष्ट अभ्युपायों पर प्रकाश डाला जाता है।

विवरण - II

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- परियोजना प्राधिकरणों और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा मासिक/तिमाही प्रबोधन प्रणाली के माध्यम से परियोजनाओं का गहन प्रबोधन।
- प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की गई प्रगति की विस्तृत आवधिक समीक्षा तथा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु परियोजना प्राधिकरणों पर लगातार दवाब डालना।
- ठेका पैकेजों को त्वरित गति से अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य कठिनाइयों को हल करने के लिए कार्यदल/शक्तियां प्राप्त समितियों का गठन।
- विलम्ब को न्यूनतम करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकारों, उपकरण संभरणकर्त्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं एवं अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के साथ निकटतम अनुवर्ती कार्रवाई।
- अंतर-मंत्रालयीय समन्वय एवं पारस्परिक विचार-विमर्श।
- वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना और अनुमानों को तैयार करने पर बल देना।

  सचिवों की समिति द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा।
- संशोधित लागत अनुमानों का समय पर अनुमोदन तथा बजट संबंधी सहायता, आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजट सहायता को बढ़ाने के माध्यम से वित्त अन्तर को पूरा करना।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग

4323. श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकम :

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के कर्मचारियों ने वेतनमान और महंगाई भत्ते में संशोधन की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर गठित किए जाने वाले वेतन आयोग की भांति सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग गठित करने का है, ताकि वेतनमान और महंगाई भत्ते की वृद्धि से सम्बन्धित समस्याएं सुलझायी जा सकें ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) जी हां, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते की दरों तथा अपनी मंजूरी में संशोधन करने की मांग की है। मंहगाई भत्ते स्लैव दरें लागू करने के बारे में राष्ट्रीय मजदूर संघ के नेताओं द्वारा दिये गये सुझावों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सामान्यतः मंजूरी द्विपक्षीय आधार पर निर्धारित की जाती है। अतः सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

12.00 मध्याह्न

राष्ट्रीय नवीकरण निधि से महाराष्ट्र को दी गई राशि के संबंध में 3 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 1521 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण ।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1521 दिनांक 3 अगस्त, 1994 के उत्तर में उल्लिखित विवरण में, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में औद्योगिक विकास विभाग के बारे में सूचना विवरण के भाग (ग) में इस प्रकार दी गई थी :

ग. श्रमिकों के प्रतिपूर्ति का भुगतान, श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण आदि।

	उद्योग मंत्रालय	0.00	188.45	198.50
	औद्योगिक विकास विभाग	0.00	186.45	198.00
1.	औद्योगिक पुनःसंरचना/बंद होने के कारण प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा	0.00	0.00	0.00
2.	राज्य के सार्वजनिक के उपक्रमों में स्वैच्छिक से.नि. योजना का कार्यान्वयन	0.00	140.05	150.00
3.	परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और क्षेत्र पुनः सृजन योजना	0.00	46.30	47.90
4.	विविध/आकस्मिक व्यय	0.00	0.10	0.10

सही स्थिति इस प्रकार है : –

ग.	श्रमिकों के प्रतिपूर्ति का भुगतान, श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण आदि			
	उद्योग मंत्रालय	0.00	188.45	198.50
	औद्योगिक विकास विभाग	0.00	186.45	198.00
1.	औद्योगिक पुनःसंरचना/बंद होने के कारण प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा			
क.	श्रमिक मुआवजा पैकेज तथा राज्य सरकारी उपक्रमों में स्वै.से.नि. योजना का कार्यान्वयन	0.00	140.05	150.00
ख.	परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और क्षेत्र पुनः सृजन योजना	0.00	46.30	47.90
ग.	विविध/आकस्मिक व्यय	0.00	0.10	0.10

त्रुटि का पता न लग पाने के कारण विवरण को पहले ठीक नहीं किया जा सका।

12.02 म.प.

विश्वनाथ शर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जून-जुलाई में विश्व फुटबाल कप का आयोजन किया गया जिसमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया और इसमें भी ऐसे 2-3 खिलाड़ियों का नाम लिया गया जिनकी तुलना फुटबाल के महान खिलाड़ी पेले और माराडोना से की गयी। इस विश्व कप से खेल जगत में एक अच्छा वातावरण बना है। यह कितने खेद की बात है कि हमारे देश के हाकी के जादूगर पद्मभूषण मेजर ध्यान चंद के नाम की दुर्दशा हो रही है। उनका नाम लेने वाले बहुत कम लोग हैं।

अध्यक्ष जी, मैं ध्यान चंद मैमोरियल सोसायटी का अध्यक्ष हूं और मैं झांसी का रहने वाला हूं और वहां पर उनके नाम का खेल स्टेडयम हमने बनाया हुआ है। अब आगामी 29 अगस्त को स्व. ध्यान चंद का जन्म दिवस आने वाला है और न केवल उस दिन को ''स्पोर्टस डे'' घोषित किया जाना चाहिये बल्कि एक सप्ताह के लिये ''स्पोर्टस वीक'' मनाया जाना चाहिये जैसे रेल सप्ताह अथवा यातायात सप्ताह मनाया जाता है। मुझे खेल मंत्रालय का 16 अगस्त का एक कागज़ मिला है जिसमें युवकों के लिये मंत्रालय बहुत कुछ कर रहा है। मुझे विश्वास है कि 29 अगस्त को ''स्पोर्टस डे'' मनाये जाने से हमारे देश के खिलाड़ी युवकों और युवतियों को प्रोत्साहन मिलेगा यदि हमारे देश में पैदा हुए ऐसे खिलाड़ियों की स्मृति में कुछ कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हाकी हमारे देश के लिये ''नेशनल ग्लोरी'' रही है जिमसें निरंतर कई वर्षों तक विश्व चैम्पियन रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में एक म्यूजियम ग्लोरी आफ हाकी बनाया जाना चाहिये। देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये, दद्दा ध्यानचन्द के नाम पर सड़कों का नामकरण करना चाहिये। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि नेशनल स्टेडियम के बाहर उनका स्टैचू लगवाने का उन्होंने आदेश दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या खेल मंत्री कुछ बोलना चाहेंगे ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री विश्वनाथ शर्मा जी का यह सुझाव बहुत ही उत्तम है। जिसमें उन्होंने कहा है कि विख्यात हाकी खिलाड़ी, श्री ध्यानचंद, जिनकी वर्षगांठ 29 अगस्त को है, के दिन को 'खेल दिवस' के रूप में मनाया जाये। हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश अब थोड़ा ही समय शेष बचा है। लेकिन हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और यदि किसी कारण से इस वर्ष हम इस समारोह को उचित रूप से मनाने में असफल रह भी जायें तो भी हम प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त के दिन को 'खेल दिवस' के रूप में मनायेंगे। अतः इस समारोह का आयोजन किया जा सकता है और इस दिन विगत वर्ष के उत्कृष्ट खिलाड़ी को पुरस्कार भी प्रदान किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : आप अभी डिक्लेयर कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसे प्रश्न पर उनको सोचकर निर्णय करने दीजिए। अगर कुछ होना है तो अच्छी तरह से होना चाहिए।

[अनुवाद]

12.06 म.प.

पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने के समाचार को ध्यान में रखते हुए भारत की सुरक्षा को खतरा

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यंत राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न की तरफ आपका और सदन का तथा सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

जब हम लोग इस सदन के लिए मिलने वाले थे, उसके पहले आपने सभी दलों के नेताओं को निमंत्रित किया था कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, उनमें एक बहुत गंभीर प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा का है। यह प्रश्न इस वक्त अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। जो स्थिति आज हमारी सीमा पर है, हमारे देश के चारों तरफ है, उसमें कई तरह की शक्तियां जान-बूझकर और बहुत संगठित रूप से इस बात का प्रयास कर रही हैं कि हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाएं, हमारे देश की अंदरूनी स्थिति में संकट पैदा करके बिखराव पैदा करके, आपस में टकराव पैदा करके हमारी राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचाएं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह विषय स्वयं में बहुत विस्तार का है। अगर इस पर सदन में चर्चा होती तो इससे देश को लाभ होता और बहुत सारी बातें सामने आतीं। मैं कुछ बातों की तरफ सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं।

आज दुर्भाग्य से हमारी सीमा पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जिस तरह की स्थिति जान-बूझकर पैदा की है, खुले-आम पाकिस्तान की सरकार, वहां के प्रधान मंत्री और वहां के कुछ नेताओं ने शिमला समझौते को तिलांजलि दे दी है, उसको अस्वीकार कर दिया है। पहले वह इस बात को छिपाते रहे कि उनके पास अणु बम है और अब वह खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास अणु बम है। यही नहीं, बल्कि वह यह भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी तो इस अणु बम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में किया जा सकता है। और किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है आज दुनिया का को: अन्य देश इस अणु बम के इस्तेमाल की धमकी कही नहीं दे रहा है। मगर दुर्भाग्य से हमारा पड़ोसी देश खुलकर आज इस बात को कह रहा है। यही नहीं, बल्कि वे खुलकर न्यूक्लियर मैटीरियल्स

की तस्करी सरकार और सरकार के द्वारा समर्थित और अपने मदद किये गए संगठनों द्वारा करवा रहे हैं। अभी हाल में कहा गया है कि भूतपूर्व सोवियत संघ के कुछ देशों से जर्मनी के माध्यम से से कुछ प्लूटोनियम और दूसरे ऐसे खतरनाक सामान जिससे अणु बम बनाए जा सकते हैं, पाकिस्तान में लाने का प्रयास हुआ और पाकिस्तान के तस्कर लोग जर्मनी में पकड़े गए। जर्मनी के चान्सलर ने फौरन अपने विदेशी मंत्री को मास्को भेजा और यूरोप में पाश्चात्य देशों के मंत्रियों की बैठक में उस सवाल पर गंभीरता से विचार किया गया। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि प्रधान मंत्री जी ने जर्मनी के चान्सलर से कोई संपर्क स्थापित किया है, लेकिन अध्यक्ष जी, यह प्रश्न किसी एक पार्टी का और केवल सरकार से संबंधित नहीं हैं। बार बार प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि ऐसे प्रश्नों के ऊपर वह राष्ट्रीय सहमति बनायेंगे। मैं मांग करता हूं कि इस सदन के उठने से पहले या सदन के उठने के तत्काल बाद प्रधान मंत्री इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न पर हमारी सुरक्षा के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए सभी दलों के नेताओं की या जो भी वह उचित समझे, उन्हें एक बैठक बुलानी चाहिए ताकि देश के लोगों के मन में यह विश्वास पैदा हो कि सरकार इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई प्रभावकारी कदम उठा रही है। आज कश्मीर की जो स्थिति है, पूरे पूर्वोत्तर की जो स्थिति है, वह सब देश में बहुत गंभीर चिन्ता पैदा कर रही है। सबको मालूम है कि हमारे देश में पाकिस्तान का खुफिया संगठन आई एस आई काफी सक्रिय है और वह हमारे देश में ही सक्रिय नहीं है, बल्कि हमारे चारों और जो पड़ोसी देश हैं, उनकी मर्जी न होते हुये भी, एक षड्यंत्र रचकर और छिपे तरीके से पाकिस्तान अपने खुफिया संगठन को उन सभी सीमावर्ती देशों में भेज रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पड़ोसी देशों से आज हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, जितने होने चाहिये और इस विषय पर सरकार को जितना ध्यान देना चाहिये था, उतना ध्यान नहीं दिया गया। उसका लाभ पाकिस्तान का शासक दल और पाकिस्तान के नेता उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह स्थिति न तो हमारे देश की जनता के लिये अच्छी है, न पाकिस्तान की जनता के लिये अच्छी है और न किसी पड़ोसी देश की जनता के लिये अच्छी है क्योंकि हर देश की जनता शांतिप्रिय होती है और वह अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखना चाहती है लेकिन आज पाकिस्तान के द्वारा उनके कुछ राजनैतिक कारणों की वजह से हमारे खिलाफ एक स्थिति बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान आज खुद टैररिस्ट स्टेट की तरह काम कर रहा है, वहां का शासन और वहां के नेता खुलकर आज टैररिज्म की सहायता कर रहे हैं। कई बार हमारे मित्र देशों ने और यहां तक कि अमेरिका ने कहा था कि अगर उन्हें सबूत मिलेगा तो वे पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेंगे मगर बाद में वे पीछे हट गये। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के द्वारा जान-बूझकर दूसरे देशों पर इसलिये भी प्रैशर दिया जा रहा है जिससे भारत जैसे बड़े देश में बराबर राजनैतिक अस्थिरता बनी रहे, भारत हमेशा अपनी सीमाओं की समस्या में उलझा रहे और भारत अपनी दूसरी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल न कर सके।

मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त चिन्ता की बात है। मैं आपके द्वारा और सदन के द्वारा प्रधानमंत्री ज़ी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सदन उठने से पहले, उन्हें इस पर वक्तव्य अवश्य देना चाहिये ताकि पूरी स्थिति पर रोशनी पड़ सके। यही मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने मेरे मित्र चन्द्रजीत यादव को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न सदन में उठाने का अवसर दिया। जब से वर्षाकालीन सत्र आरम्भ हुआ है . . . .

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : इसका क्षेत्र सीमित है अर्थात् पाकिस्तान द्वारा अपने पास परमाणु बम होना स्वीकार किये जाने को ध्यान में रखते हुए भारत की सुरक्षा को उत्पन्न खतरा। पर उन्होंने कुछ विस्तार से चर्चा की है और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

|हिन्दी|

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अब चूंकि इन्होंने विषय का विस्तार कर दिया है, सदन के सामने चर्चा उठ गयी है . . . .

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : उचित यही होगा कि हम अपने विचार व्यक्त करें।

|हिन्दी|

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सदन को आज याद दिलाने की आवश्यकता है कि बजट अधिवेशन में हमने सुरक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर बहस करने के लिये समय नहीं निकाला। मैं उसके लिये केवल सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन सुरक्षा मंत्रालय की मांगों पर बहस न हो, विदेश मंत्रालय की मांगों पर बहस न हो और सुरक्षा तथा विदेशी मंत्रालयों का संबंध जुड़ा हुआ है। हमने रक्षा के लिये भारी बजट पास किया लेकिन सदन में उस पर चर्चा का मौका नहीं मिला। इसीलिये जब से वर्षाकालीन सत्र आरम्भ हुआ, अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि हम लगातार इस बात पर बल देते रहे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर अलग से चर्चा होनी चाहिये। अभी भी समय है, यदि आवश्यकता हो तो आप सदन को एक दिन बढ़ाने का फैसला कर लीजिये और पूरा दिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिये नियत कर दीजिये। प्रधानमंत्री का वक्तव्य अपने स्थान पर है, वह चर्चा का स्थान नहीं ले सकता। यह सारे सदन का मामला है और सब दल इस पर अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि आज देश के लिये जो खतरा पैदा हो गया है है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, यादव जी, ने उसका उल्लेख

कर दिया है। उस परिप्रेक्ष्य में हमारी नीति क्या है, क्या सरकार की नीति संतोषजनक है या उसमें सुधार की आवश्यकता है। वह सुधार किन दिशाओं में होना चाहिये।

अभी पाकिस्तान के विरोधी दल के नेता ने एटम बम के बारे में ऐलान कर दिया है। अब चाहे विरोधी दल का नेता हिन्दुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, अगर कुछ कहता है तो सोचना पड़ता है और वे विरोधी दल के नेता ही नहीं हैं, वे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, परन्तु मुझे वह दुर्भाग्य नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री के नाते चन्द्रशेखर जी के साथ उनके अच्छे संबंध स्थापित हो रहे थे। मैं यह चन्द्रशेखर जी की प्रशंसा में कह रहा हूं, किसी व्यंग्य में नहीं। . . . (व्यवधान) वह अब प्रधान मंत्री फिर से बनना चाहते हैं और जल्दी ही बनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमको ऐसी कोई जल्दी नहीं है। हम चुनाव तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। . . . (व्यवधान) पूर्व प्रधानमन्त्री जी को जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने अब इस तथ्य की पुष्टि कर दी है और उन्हें जानकारी है कि पाकिस्तान ने चोरी छिपे एटमी हथियार बना लिये हैं। वह कश्मीर के सवाल पर उसका उपयोग करने की धमकी दे रहा है। . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य आपस में ही बातें करना चाहते हैं, क्या आप लोग अब अपनी बातचीत बंद करेंगे ? यदि आप आपस में चर्चा करना ही चाहते हैं तो आप लोग बाहर जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें देखना है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होती है। श्री चन्द्रजीत यादव ने अभी अमरीका का उल्लेख किया है। जहां तक तक अमरीका का सवाल है, टैरॅरिज्म के मामले में उनके नापने के दो गज हैं। एक लीबिया के लिए और दूसरा पाकिस्तान के लिए। दो गज में यह आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता और न एटमी हथियारों का बढ़ता हुआ खतरा मिट सकता है। हमारी पार्टी कहती रही है कि भारत को एटमी हथियार बना कर, अपने विकल्प का प्रयोग करना चाहिये। लेकिन मैं चाहूंगा कि सदन में उस पर बहस हो व सब पहलू सामने आये।

अध्यक्ष महोदय, अभी सदन यह निर्णय कर सकती है कि इसे एक दिन और बढ़ाया जाये। अगर सदन उठ गया और बाद में प्रधानमंत्री जी बैठक बुलायें तो उसका क्या फायदा ? इस देश की जनता चाहती है कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, उसके आंतरिक पहलू भी हैं, उन पहलुओं पर जनता के सामने खुली चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए सदन तय करे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) **:** अध्यक्ष जी, जो सवाल चन्द्रजीत जी ने उठाया है, हमारे समूचे देश में इस पर व्यापक चिन्ता है। इसे पाकिस्तान में विरोधी दल के नेता श्री नवाज ने पाक, अधिकृत कश्मीर के भीतर आकर उठाया और निश्चित तौर पर जब वह उस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी इस बात को

पक्का माना जाना चाहिए, उसमें सच्चाई बहुत बड़ी है। इस सवाल को विरोधी दल के लोगों ने सदन में उठाया है। मैं यह सोचता हूं कि सरकार को स्वयं ही आज इस सवाल को यहां लाना चाहिए था।

मैं यह मानता हूं कि दुनिया में हमारी विदेशी नीति के मामले में पाकिस्तान ने जितना हमको बदनाम किया है, बहुत तरह के आतंकवाद को, हमारे देश की सीमाओं पर, हमारे देश की एकता और अखंडता को और देश की जनता के भीतर अलगाव के भाव पैदा करने का जितना काम किया है, उतना प्रचार करने में हमारी सरकार कामयाब नहीं रही। मैं इस सवाल को गंभीर मानता हूं क्योंकि यह सवाल पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान एक तरह का उन्माद है। पाकिस्तान निरंतर हिन्दुस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश करता रहता है। उनकी यह कोशिश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में बदल गयी है। निश्चित तौर पर यह स्थिति भयावह हो सकती है क्योंकि हिन्दुस्तान के खिलाफ कौन ज्यादा बोलेगा और कौन ज्यादा काम करेगा, इस पर अवश्य निर्भर करता है। इसलिए यह खतरा बहुत गंभीर है और पाकिस्तान जैसे देश में, जहां वह देश नफरत से बना है, इस नफरत के चलते उनके दोनों तरफ के पक्षों में एक से एक बढ़कर काम हो सकता है। यह खतरा कभी भी अचानक हमारे सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है उस पर चर्चा करने के लिये अटल जी ने सदन को एक दिन बढ़ाने का जो सुझाव दिया है वह अच्छा सुझाव है और इस गंभीर मसले पर पूरी बहस होनी चाहिए। सबके मन में इस पर बहुत सी बातें विस्तार से कहने की हैं। कहीं कहीं सरकार इसमें असफल हुई, इसको भी हम मानते हैं।

अमरीका का हिन्दुस्तान के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। अमरीका की तरफ से यह बयान आने के बाद हमारे किसी पत्रकार ने उनके विदेश मंत्रालय से कांटेक्ट करने काम किया लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया करने का काम नहीं किया। यदि यह काम हिन्दुस्तान की तरफ से होता तो बहुत तेजी से और ताकत से दबाने का काम होता। मैं यह सोचता हूं कि बदली हुई दुनिया में यह सवाल और भी गंभीर हो गया है। आज दुनिया में अकेला अमरीका एक मालिक हो गया है जो दुनिया भर के लोगों को नचा रहा है और दुनिया का शोषण करने के लिए खड़ा है।

यह सवाल बहुत गंभीर है इसलिये अटल जी के सुझाव को मानकर सदन में इस पर व्यापक और गंभीर बहस होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि पाकिस्तान में विपक्ष के नेता द्वारा जो भी कहा गया है उसे यों ही टाला नहीं जा सकता क्योंकि वह उस देश के प्रधानमंत्री भी थे। पाकिस्तान के पास बम होने तथा कश्मीर को लेकर झगड़े की स्थिति में उसके संभावित प्रयोग की जो बात उन्होंने कही है वह वास्तव में बहुत चौंकाने वाली है। मैं नहीं जानता कि इस संदर्भ में भारत सरकार

ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है। यदि भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर की तो उसे सभा को बताया जाना चाहिए। साथ ही हमें यह जानने का भी अधिकार है कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वह इसे किस तरीके से लेती है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ। कि अंतराष्ट्रीय समुदाय के वे लोग जो परमाणु अप्रसार संधि को लेकर चिंतित हैं, जो भारत को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं जो परमाणु सामग्री पर अपने अनन्य अधिकारों को जोर शोर से बनाये रखना चाहते हैं, उनका उस वक्तव्य के बाद में क्या कहना है जो श्री नवाज शरीफ द्वारा पाकिस्तान में दिया गया था। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है उस देश के नेताओं ने भारत के विरुद्ध अनेक बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार लाने के हमारे अथवा प्रयास के बावजूद, दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते हैं। इस उप-महाद्वीप में स्थिति दिनोंदिन खतरनाक होती जा रही है। इसलिए मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ठंडे दिमाग से किंतु गहराई से इस विषय पर सभा में चर्चा करनी होगी जिससे इसे विषय से संबंधित सभी प्रश्नों पर विचार किया जा सके। इस चर्चा में हम अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, विपक्ष के नेता ने बिल्कुल सही कहा है कि मेरे विचार से इस खबर, जो एक विश्वसनीय खबर है कि पाकिस्तान ने परमाणु शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं या उनका निर्माण कर लिया है, पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए और एक देश और सरकार के रूप में हमारी जो प्रतिक्रिया हो उसके सभी पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसी कोई चर्चा होगी भी। वह अलग मामला है। निश्चित रूप से, इस सत्र के शेष दो दिनों में यह चर्चा नहीं होगी और जो कार्य पहले ही हमारे समक्ष रख दिया गया है उस दृष्टि से भी चर्चा नहीं होगी। यह चर्चा कब होगी और कैसे ? मैं नहीं जानता कि क्या पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी आई एस आई सक्रिय है। यह भारत के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सक्रिय है, उदाहरणार्थ, ऐसी सूचना मिली है कि आई.एस.आई. मणिपुर में उपद्रवियों को हथियारबंद करने में सक्रिय हैं। हमारे देश की सीमा पर अनेक उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। हाल में, इन उग्रवादियों ने मणिपुर में हमारे सुरक्षा बलों के विरुद्ध घात लगाकर बहुत ही घातक लड़ाई लड़ी है। जिस कारण भारी क्षति हुई है। कुछ दिन पूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि इस सत्र के दौरान गृहमंत्री या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कम से कम मणिपुर की स्थिति के सभी पहलुओं पर एक वक्तव्य दिया जायेगा। किंतु अब तक इसका उल्लेख मैंने कार्य-सूची में नहीं पाया है। हम उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि मणिपुर की स्थिति बहुत गम्भीर है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन इस आधार पर लगाया गया था कि मणिपुर सरकार उग्रवादियों पर काबू करने या कानून और व्यवस्था बनाये रखने में पूर्ण रूप से असफल रही है इसलिए राष्ट्रपति शासन अपरिहार्य था। राष्ट्रपति शासन के अधीन भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। यदि कुछ हुआ है तो वह यह है कि स्थिति और

भी खराब हुई है। यह बहुत ही चिंताजनक बात है। इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान परमाणु शस्त्रों से भी लैश हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस मुद्दे के नाते महत्व और आश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जो सदन के सभी पक्षों ने भी स्पष्ट किया है, यदि संभव हो तो किसी तरह इसे कुछ समय दिया जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वक्तव्य देना ही पर्याप्त नहीं हैं, किंतु वक्तव्य देना भी आवश्यक है।

कम से कम हमें यह पता तो चलेगा कि इस बारे में सरकार क्या सोच रही है और क्या महसूस करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जानना चाहते हैं कि सरकार की नीति क्या है और मैं नहीं जानता कि क्या सरकार की कोई नीति है भी। अब तक मैं नहीं जानता कि क्या सरकार ने वास्तव में अब तक कोई नीति बनाई ी है। जिस तरह से सरकार कश्मीर के मामले में कार्य कर रही है उससे मुझे लगता है कि सरकार की कोई नीति ही नहीं है। सम्पूर्ण देश के लिए यह दूसरी सबसे चिंताजनक बात है। इसलिए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि संभव हो तो इस सत्र की समाप्ति से पूर्व, कल या परसों कुछ समय, कम ही सही, इस मुद्दे को दिया जाना चाहिए।

जैसा विगत बजट सत्र और इस सत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उल्लेख किया था कि कि यह बहुत चिन्ता का विषय है कि हमने गत वर्ष और इस वर्ष के बजट सत्र में रक्षा नीति या विदेशी नीति या रक्षा बजट पर चर्चा नहीं की है। रक्षा के नाम पर अरबों रुपये की बड़ी राशि बिना किसी चर्चा के सरकार को मंजूर की जाती है। हमें धनराशि मंजूर किए जाने पर आपत्ति नहीं है। किंतु हम यह नहीं जानते कि उस धनराशि को कैसे खर्च किया जा रहा है ; क्या उस राशि का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि हमें चर्चा का अवसर कब मिलेगा। इस संसद की क्या उपयोगिता है ? यही मुख्य बात है। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं हमें इस सारी व्यवस्था से निराशा हो रही है।

इस हाल के घटनाक्रम पर मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ कि कोई रास्ता खोजें कि किस तरह से यह मामला सदन के समक्ष लाया जाय, चाहे संक्षेप में ही सही, ताकि राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त कर सकें। जिससे सरकार यह न कह सके कि वह नहीं जानती, वह जनता की राय ले रही हैं या पता नहीं राजनीतिक दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सरकार को जानना चाहिए। और वक्तव्य देना चाहिए तथा जो कुछ हम कहें वह सुने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह बहुत ही आवश्यक है।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबि चेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ ने एक घोषणा की है कि उनके देश के पास परमाणु बम है। मेरे विचार से से पाकिस्तान के किसी शीर्षक नेता ने पहली बार खुले रूप में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। श्री नवाज शरीफ का वक्तव्य पाकिस्तान के बार-बार किये गए दावे के विपरीत है कि पाकिस्तान के

पास परमाणु बम नहीं है। पिछले तीन युद्धों के दौरान पाकिस्तान ने दी आक्रमण किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के पास परमाणु बम होना पूरे देश के लिए गम्भीर खतरा है। इसलिए मैं अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषरूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से अपील करता हूँ, कि इस गंभीर घटनाक्रम पर ध्यान दे और यदि आवश्यक हो तो पाकिस्तान के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी करें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है, वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन मैं अपने यहां के विरोधी दल के नेता से एक ही निवेदन करूंगा कि अगर कोई गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान की ओर से हो तो उसके जवाब में हमारी तरफ के विरोधी पक्ष के नेता भी वैसा ही जवाब न दे, न पूर्व प्रधान मंत्री होने के नाते कोई और व्यक्ति दे। उन्होंने सच ही कहा कि वह बयान भारत पर बम गिराने के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में सरकार ने जल्दी आने की कोशिश है। उस कोशिश के जरिये वह एक उत्तेजना फैला रहे हैं। यह हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

आज दुनिया ऐसी बदली हुई है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जितना तनाव बढ़ेगा, दुनिया की दूसरी ताकतों को यहां दखलंदाजी करने का उतना ही मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि बहस हो लेकिन मैं नहीं जानता कि बहस में क्या होगा। कोई भी सरकार अगर अणु बम बनाना चाहेगी तो न संसद में बयान दे सकती है और न बाहर यह कह सकती है कि हमारे पास अणु बम है या नहीं। इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने वहां उठकर यह कह दिया कि हमारे पास अणु बम है तो अटल जी, हमारे विरोधी दल के नेता यहां बयान दे दें कि हम भी अणु बम बना रहे हैं। इससे कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा और इस तरह की प्रतिद्वन्दिता हमको नहीं करनी चाहिए।

एक बात जरूर है कि वहां की गतिविधियां इस प्रकार की हैं कि उससे पाकिस्तान के लोग अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान से हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं है, मैं समझता हूं कि यह भावना, यह जज्बात पैदा करना इस मुल्क में कि हमारी सेनाओं में कोई कमी है, हमारी सुरक्षा में कोई कमजोरी है तो यह बात यही नहीं है। मैं यह भी नहीं मानता कि हमारे यहां सुरक्षा की कोई नीति नहीं हैं। कमजोरियां दूसरी तरह की है। हमारे पास साधन हैं या नहीं, हमारी जनता में एकता है या नहीं, हम धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं या नहीं, हमारी सीमाओं पर जो लोग हैं, उनके मन में तनाव हैं या नहीं, सुरक्षा के लिए ये बुनियादी सवाल है, इन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए।

बहस हो अध्यक्ष महोदय, यह आपको तय करना है, लेकिन मेरी राय कि जो शंकाएं और सवाल हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ नेताओं को, जो सुरक्षा के बारे में जानकारी रखते हैं और कुछ ऐसे लोगों को जो विशेषज्ञ हैं, उनको बुला कर बात करें। इस सदन में अगर नवाज शरीफ के बयान पर बहस होगी तो इससे

उत्तेजना बढ़ेगी, दुनिया के लोगों को हमारे मामले में दखल देने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा सवाल न उठाया जाए, जिससे इस देश के लिए और इस उपमहाद्वीपीय के लिए नई समस्या पैदा हो। मेरा इतना ही कहना है क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार में रहा भी तो बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन देश में एक जजबात पैदा करना कि हमारे पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान कल हमको निगल जाएगा, यह डर हमारे मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर उनका मंसूबा इतना बड़ा है तो वह हमको समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई किसी पर एटम-बम गिराने वाला नहीं है। ये बातें केवल वोट पाने के लिए की जाती हैं और हम वहीं बातें यहां न दोहराएं तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नीलाबट में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए जो रहस्योद्घाटन किया गया उससे हम भी उतने ही चिंतित हैं। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन किया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हमें इसे बर्लिन वायुपत्तन से प्लूटोनियम की तश्करी की घटना से जोड़ना होगा। पाकिस्तान की यह गतिविधि न केवल हमारे देश अपितु संपूर्ण महाद्वीप के अस्तित्व के लिए निश्चित रूप से खतरे की घंटी है। जर्मनी के न्याय मंत्रालय ने नया रहस्योद्घाटन प्लूटोनियम प्राप्त किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता फ्रैंक थील ने कहा है कि जिस दस्तावेज के माध्यम से बर्लिन, पुलिस को प्लूटोनियम के अवैध व्यापार में पाकिस्तान के सम्मिलित होने का संदेह हुआ है उसका उद्देश्य पाकिस्तान को दोषी ठहराना नहीं है। बर्लिन के लोक अभियोजक के पास उपलब्ध प्रमाण से यह पता चलता है कि या तो पाकिस्तान को प्लूटोनियम बेचा गया था या इसके बेचे जाने की सम्भावना थी।

इन परिस्थितियों में यह मामला अत्यंत गंभीर है। मेरे विचार से भारतीय संसद को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और सरकार को इस पर चर्चा करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि हम इस मुद्दे पर दलगत भावना से ऊपर उठकर कर सकें। यह हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है। हमारे विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिये इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सही ढंग से उठाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे पाकिस्तान को आंतकवादी राज्य घोषित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से निरंतर और अधिक दबाब डालना चाहिए। निस्संदेह वह इसका प्रयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिये कर रहे हैं। लेकिन यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है। वे इससे राजनीतिक लाभ उठाने के साथ-साथ हमारी प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस संबंध में चर्चा करने की अनुमति दें ताकि इस मुद्दे पर नई रोशनी डाल सकें।

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचूर) : श्री चन्द्रशेखर ने इस बात को सही परिप्रेक्ष्य में कहा है। मेरे विचार से जिन नेताओं ने भी इस प्रश्न पर चर्चा करने की माँग की दी वे श्री चन्द्रशेखर के इस बात से सहमत

होंगे कि सामयिक महत्व के कई प्रश्नों पर प्रधान मंत्री सभी दलों के नेताओं को विश्वास में लेते रहे हैं और उनके साथ चर्चा करना एक सही कारण होगा।

इस प्रश्न पर सभा में और ज्यादा चर्चा की जानी चाहिये। यह केवल पाकिस्तान के विपक्ष के नेता का वक्तव्य ही नहीं है अपितु एक ऐसा समाचार है जो पिछले कई दिनों से प्रकाशित हो रहा है। इस पर सभा में कल चर्चा की हुई थी। सामयिक महत्व का प्रश्न होने के कारण आपने सभा में इस पर विचार विमर्श करने की अनुमति दी थी। प्लूटोनियम की तस्करी के संबंध में रमेश जी ने अभी-अभी जो कुछ स्पष्ट किया है सिर्फ देश को सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है बल्कि इससे पूरे विश्व को भी खतरा पैदा हो गया है। इस मुद्दे पर चर्चा करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेवारी है तथा पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप जाना चाहिए। ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि छोटे-छोटे आतंकवादी गुट भी इस खतरनाक सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही खेरजनक स्थिति है। यह रहस्योद्‌घाटन करने वाला भी है। कल टेलीविजन पर महत्वपूर्ण समाचार प्रसारित किया गया था। कि कज़ाकिस्तान की राजधानी आलमा-अटा में पूर्णरूप से परिव्यक्त एक संयत्र में प्रचुर मात्रा में प्लूटोनियम की तस्करी की जा रही है। कोई भी आतंकवादी गुट पैसे से इस सामग्री को प्राप्त कर सकता है। यह खतरनाक स्थिति विकल्प रूप धारण करती जा रही है। इस समग्र प्रश्न पर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यह देश की जिम्मेदारी हैं। कोई भी आतंकवादी गुट या छोटे-छोटे राष्ट्र भी धन के बलबूते पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है। हमें इस मुद्दे को पृष्ठभूमि में देखना होगा।

यह वास्तव में हमारी सुरक्षा और सभी राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसीलिये सभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिये तथा लोगों में इस प्रश्न के हानिकारक पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिये। मेरे विचार में सभा में इस पर की गई चर्चा लाभकारी सिद्ध होगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान से सुना है। मेरे विचार में इस पर गम्भीर रूप से विचार-विमर्श किए जाने की जरूरत है। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं पहले प्रधानमंत्री जी से बातचीत कर लूं। और फिर मैं आपसे बातचीत करूं ताकि इस मुद्दे को निपटाने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। यह एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला है तथा निश्चित रूप से इस मामले में सभा तथा नेताओं को विश्वास में लिया जाएगा। आपके कक्ष में इस संबंध अपनाई जाने वाली शैली तय की जा सकती है। इस मामले को किस ढंग से निपटाया जाए इसके बारे में हम आपके कक्ष में बैठकर इस पर विचार करेंगें।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। हमें अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों और उन मामलों जो समान रूप से महत्वपूर्ण नही हैं, के बीच अन्तर करना चाहिये तथा उन पर चर्चा

करनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि कम महत्व के मामलों को चर्चा के लिए जबरदस्ती आगे लाया जाता है। यदि सम्भव हो तो हमें इस स्थिति से बचना चाहिये।

इस पर चर्चा के बारे में कोई निर्णय इस संबंध में उचित विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही लिया जा सकेगा। अगर जरूरी हुआ तो इस संबंध में बाद में घोषणा कर दी जाएगी।

12.38 म.प.

[अनुवाद]

विभिन्न राज्यों द्वारा आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का कथित दुरुपयोग

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, एक अहम मसले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1987 में 'टाडा' एक्ट लाया गया था। यह खासतौर से पंजाब के अंदर बढ़ते हुए टेरोरिज्म को रोकने के लिए था। लेकिन धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल होने लगा और खासतौर से बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद जो वाक्यात हुए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 52 हजार लोग जेलों के अंदर बंद हैं जिनकी किसी कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपके जानकर अफसोस होगा कि इन 52 हजार लोगों में से तकरीबन 40 हजार लोग माईनोरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं। इसमें सबसे ज्यादा हालत खराब महाराष्ट्र और गुजरात की है और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के दो दिन से धरने पर हैं।

वे मांग कर रहे हैं कि टाडा जो कि इनह्यूमन है, मानवाधिकारों के खिलाफ हैं, इसको वापस लिया जाये। आज पुलिस मुखतलिफ जगहों पर इसका इस्तेमाल दबाव डालने के लिए कर रही है। इसके कारण उसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है। सदन के अंदर तो नहीं, सदन बाहर सरकार के कई मंत्रियों का बयान आया है कि इसको हम हटाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में राजेश पायलटजी ने बम्बई में बयान दिया था कि इस एक्ट को हटाने के लिए सरकार सोच रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं और सरकार से जवाब चाहता हूं कि आखिर इसको रखे जाने की क्या वजह है ? इस एक्ट का उपयोग क्रिमिनल्स के खिलाफ होना चाहिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने का काम किया उनको तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जो उसके खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे उनको इस एक्ट के तहत जेलों में बन्द कर दिया गया है, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज यह एक्ट आतंकवाद को खत्म

करने के लिए नहीं रह गया है, बल्कि इसका इस्तेमाल आतंकवादियों को पैदा करने के लिए किया जा रहा है। जो बेकसूर लोग जेलों में बन्द हैं, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो उनके मन में इस मुल्क और कानून के खिलाफ भावना पैदा होगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के एक्ट को विदड्रा किया जाये। आम आदमियों को बिना कारण कानून के तहत जेलों में बन्द कर रखा है, उनको छोड़ा जाये, क्योंकि यह अमानवीय है। सरकार इस पर जवाब दे कि कब वह टाडा को स्क्रैप करने जा रही है।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय को उठाने की अनुमति हमारे साथी को दी। यह विषय पिछले एक-दो सप्ताह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले इसके बारे में टिप्पणी भी की है। उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों के सचिवों को बुलाकर एक क्वेश्चनेयर भी तैयार किया है। उसको देखा जाये तो किसी भी आदमी का हृदय दहल जायेगा। जब टाडा का बिल यहां लाया गया था, एक राज्य में आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए, तो उस समय यहां बहुत बहस हुई थी। हम सब ने कहा था और आशंका व्यक्त की थी कि इसका प्रयोग राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए भी होगा। लेकिन तब की सरकार ने कहा था कि इसका उपयोग केवल विध्वंसकारी तत्वों के खिलाफ किया जायेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसका उपयोग आम आदमियों को ऊपर भी हो रहा है। अभी का मामला देख लें, हमारे संसद साथी सुनील दत्त जी के लड़के संजय दत्त का मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित हैं।

पंजाब में खालिस्तान की मांग हो और उसके खिलाफ टाडा का इस्तेमाल किया जाये तो लोग कह सकते हैं कि इसकी जरूरत है। आप देखें कि सबसे ज्यादा टाडा में बन्द किये लोगों की संख्या गुजरात में है। वहां पर उन्नीस हजार लोग बन्द हैं, पंजाब में सोलह हजार लोग बन्द हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में इसके तहत लोग जेलों में बन्द हैं। सबसे दुखद बात यह है कि विशेष वर्ग के लोगों को पकड़-पकड़ कर बन्द किया जाता है। पंजाब में सिखों को बन्द किया जाता है, दूसरी जगहों पर मुसलमानों को बन्द किया जाता है। फिर पार्टी की लाइन को लेकर बन्द किया जाता है। अंतुले जी यहां बैठे हुए हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में बलवती में स्पलिंटर को कह दिया गया है कि राकेट लांचर है और वहां पर इस आरोप में लोगों को बन्द कर दिया गया। चार-चार, पांच-पांच साल लोगों को कर दिया गया जाता है। एक प्रतिशत लोगों को ही कोर्ट में सजा होती है बाकी 99 प्रतिशत लोगों को क्या राइट टू लिव का अधिकार भी नहीं है ? इस देश में जीने का अधिकार सभी को है, जोकि इसके द्वारा खत्म किया जा रहा है। लोगों की मौलिक आजादी को खत्म करने का काम किया जाता है। 4-5 साल तक जेल में रहते हैं। मर्डर केस में अपील तो होती हैं लेकिन इसमें कोई अपील नहीं है। पांच साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसके पांच साल के बर्बाद हुये जीवन के लिये और जो उसको टार्चर किया गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? हम मानवाधिकारों की बात करते हैं। जब विदेश से कोई रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ में आती है तो हम सब खुश होते हैं लेकिन जब हमारे अपने

ही देश के खिलाफ होती है तो कहते हैं कि वह राजनीति से प्रेरित दुर्भावना है। श्री चन्द्रशेखर जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं समस्या का निदान दिलों को तोड़ कर नहीं होता है। यह दिलों को जोड़ने से होता है। जब तक, हम दो देश हों, या दो दल हों या दो समुदाय हों, दिल को तोड़ने का काम होगा, इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अभी राजेशन पायलट जी ने बम्बई में कहा कि जरूरत पड़ी तो इसको रिपील करेंगे। मैं दूसरे सदन का यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु वहां भी एमपीज़ एजिटेटैड हैं। मैं आपका और सदन का आदर करते हुये संयमित भाषा में अपनी भावनाओं को रख रहा हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि टाडा को खत्म करना चाहिये। आप किसी नामेल कानून के तहत ए के 47 रखने वाले आदमी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं और उसके लिए पुलिस को अधिकार दे ताकि टाडा का दुरुपयोग न हो। जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा कि टाडा का प्रयोग करने से उग्रवाद घटेगा नहीं, बल्कि यह और बढ़ेगा तो मेरा भी यही कहना है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये इसको खत्म करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम डिसकस नहीं कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, 'टाडा' एक असाधारण कानून है जो कम से कम लोकतंत्र की भावनाओं के प्रतिकूल हैं। जब 'टाडा' का कानून यहां लाया गया था तो बहु सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। अधिकांश लोगों ने यह आशंका प्रकट की थी कि इस प्रकार के विशेषाधिकार जब कार्यपालिका को या पुलिस प्रशासन को मिलते हैं तो प्रायः उनका दुरूपयोग होता है। तब यह विश्वास दिलाया गया था कि उग्रवाद एक विशेष और असाधारण समस्या है तो उसका मुकाबला करने के लिये 'टाडा' जैसे अधिकार का होना आवश्यक है। तब सदन ने इस बात को स्वीकार करते हुये इसे पास किया था। तब से लेकर आज तक इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि गृह मंत्री को यह कहना पड़ा कि राज्यों को 'टाडा' का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। उसके बाद गृह राज्य मंत्री ने बम्बई में कहा कि आवश्यकता हुई तो अगले साल हम 'टाडा' को रिपील करेंगे या वापस कर देंगे। उस समय मैं और वाजपेयी जी बंगलौर में थे तो वहां के मुख्यमंत्री ने बीजेपी का नाम लेकर कहा कि हमारे खिलाफ 'टाडा' का इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूं कि यदि गृहमंत्री और गृह राज्य मंत्री यहां होते तो इस बात का सही उत्तर दे सकते थे कि किस-किस राज्य में कितने लोगों के खिलाफ 'टाडा' का प्रयोग किया गया है और वह किस प्रकार से हुआ है ?

मुझे इस बात का खेद है। कि इसे ख्वामखाह साम्प्रदायिकता का रूप दिया जा रहा है। इसमें तो साम्प्रदायिकता का सवाल ही नहीं हैं। यदि पुलिस को ऐसा अधिकार देंगे तो वह उसका दुरुपयोग करेगी ही। आप जानते हैं कि गुजरात में किसानों के विरुद्ध 'टाडा' का प्रयोग किया गया। और आपके रिकार्ड में 19 हजार लोग हैं, वह आज का तो नहीं हैं। वहां पर हमारी पार्टी की और से 'टाडा' विरोधी सम्मेलन आयोजित करना पड़ा। तब बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह कानून तो असाधारण

स्थिति के लिये है और फिर गुजरात में आतंकवाद या उग्रवाद नाम की कोई चीज नहीं है। फिर उसका उपयोग होता है चाहे उसका कारण यह है कि पुलिस को लगता है कि हमने अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो वह कोर्ट में चला जायेगा और उसको बेल मिल जायेगी। आपको व्यवस्था ऐसी करनी चाहिये कि बेल न मिले और बेल न मिलने के लिये सबसे पहले 'टाडा' है ? हमारे वाजपेयी जी बता रहे थे कि लखनऊ के बीजेपी के नगरध्यक्ष को 'टाडा' में गिरफ्तार करने के लिये कहा गया है। टाडा में गिरफ्तार कर लिया है। यह जो स्थिति है, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, राजनैतिक पार्टियों के खिलाफ और मुख्य मंत्री राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर कहता है कि मैं टाडा का उपयोग करूंगा, यह सर्वथा दुरुपयोग है, संसद को दिये हुए अभिवचन का उल्लंघन है और इसलिए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री और सरकार इस बारे में अपना दृष्टिकोण रखें।

मुझे कितनी ने कहा कि राजेश पायलट जी ने बंबई में तो बयान दे दिया लेकिन अगले दिन ही कहा कि मेरा बयान ठीक रिपोर्ट नहीं हुआ है, मैंने इस प्रकार से नहीं कहा है। हम जानना चाहेंगे कि सरकार का मानस क्या है। जहां तक हमारे दल का सवाल है, हमारा मत है कि टाडा को सिवाय उन प्रदेशों में उस क्षेत्र तक सीमित रखे जहां पर उग्रवाद हैं और अगर सीमित नहीं रख सकते तो इसको वापस लेना ही उचित होगा। कम से कम बड़ी कठोरता से उसमें प्रयोग में लाये जाने वाले जितने प्रावधान हैं, उनको परिमार्जित करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि जब कभी भी व्यापक शक्तियां दी गई तो उनका दुरुपयोग किया गया। हमें विगत में आंतरिक सुरक्षा कानून (मीसा), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का अनुभव है। हजारों राजनैतिक व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाये बंद किया गया। इसलिए जब कभी भी निरंकुश शक्तियां प्रदान की गई, हमने उसका विरोध किया। टाडा जैसे कानून वास्तव में इस देश के कानून का दुरुपयोग है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इससे इस देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का प्रयोग की रक्षा की न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट आती है।

महोदय, अब तक 65000 लोगों को इस कानून के अन्तर्गत बंद किया बताया गया है, जिनके लिए साधारण कानूनी प्रक्रिया खुली नहीं है। हम देखते हैं कि राजनैतिक व्यक्तियों को इस प्रकार आतंकवाद को नियंत्रित करने के नाम पर जेलों में बंद किया जा रहा है। यह एक कानून है। मैं श्री आडवाणी जी से सहमत हूं। यदि ऐसा कोई कानून नहीं होता तो मुझे खुशी होती। किन्तु यदि देश के किसी भाग में ऐसा कोई कानून है तो यह महसूस किया जाता है। इसका इस्तेमाल बड़े एहतियात से करना होगा और और आतंकवाद को नियंत्रित करने के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ; और वह भी अत्यन्त सीमित प्रयोजन के लिए और पकड़े गये व्यक्ति पर तुरन्त मुकदमा आरम्भ किया जाना चाहिए। टाडा के मामले

में मुकदमा चलाया जाता है किन्तु यह मुकदमा बड़ी कठिनाई से आरम्भ होता है और इसमें बहुत समय लगता है।

इसलिए, मुझे खुशी होगी और मैं यह मांग करता हूं कि यह कानून वापस लिया जाना चाहिए। जब यह कानून बनाया जा रहा था तब हमने अपनी आपत्ति प्रकट की थी। हमने यह देखा है कि इस देश में यह प्रवृति है कि जब भी किसी के पास शक्ति होती है तो उसका दुरूपयोग किया जाता है। बहुतसी सरकारें हैं ; बहुत से राज्य हैं। यह बेहतर होगा कि पुलिस के लोग जांच के साधारण तरीके को न भूलें। हो यह रहा है कि पुलिस इसे भूल रही है। यह शरारत मीसा के साथ आरम्भ हुई थी। मैं जानता हूं आंतरिक्ष सुरक्षा कानून और पी.डी. अधिनियम जैसे कई कानून हैं। समाज विरोधी गतिविधियों के कारण कई लोगों को बंद किया गया है। श्री ए.के. गोपालन तक कोई पी.डी. अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया। बहुत से अन्य लोगों को भी निरूद्ध किया गया। इसलिए महोदय मैं यह मांग करता हूं कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। सरकार को इसके औचित्य की गहन संवीक्षा करनी चाहिए।

किन्तु, मैं यह मांग करता हूं कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। आतंकवाद जैसी कठिन परिस्थितियों से निपटने में भी इस देश के साधारण कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किन्तु अब जब इसका दुरुपयोग इतना स्पष्ट हो चुका है तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देश की जनता को बताए कि वह इस बारे में क्या करने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। सदन के सभी सदस्यों ने जो भावना रखी है कि इसे डिटर्ब्ड एरिया में ही रखना चाहिए, यह ठीक है। हम लोगों ने बहुत बार कहा था कि इसका दुरुपयोग होता है। बहुत सावधानी और बहुत मजबूरी से सरकार ने राष्ट्रीय हित के कारण इस कानून को लाने का काम किया था, लेकिन इसका किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, इसका वर्णन माननीय सदस्यों ने किया है।

मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि इस कानून के हम बहुत खिलाफ हैं। साढ़े चार साल में 'मीसा' के तहत बंद रहा।

इस कानून के बारे में, मैं जानता हूं कि कोई चीज सुनी नहीं जाती है। हो सकता है कि हमारे सांसद सुनील दत्त के बेटे ने कोई की होगी, कोई गुनाह किया होगा, मैं उसे बचाने की बात नहीं करता लेकिन जिस दिन पंजाब जल रहा था, राष्ट्रीय एकता के लिये बम्बई से उस दिन वह आदमी पैदल चला था। अभी हमारे अंतुले साहब ने मुझे कल बताया कि टाडा में जिन लोगों को बंद किया गया है . . . **(व्यवधान)** . . . सदन में नहीं, सदन के बाहर बताया था, अब उनकी मजबूरी हो सकती हैं कि वे यहां कुछ न बतायें लेकिन उनकी बातों से मैंने महसूस किया कि इस कानून का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। मैं यहां

आडवाणी जी की बात कहना चाहता हूं कि इसमें कोई एक कमेटी का सवाल नहीं हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि इस कानून का इस्तेमाल कुछ विशेष लोगों के लिए किया जाये। आज यह कानून हमारे खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर उन लोगों को खिलाफ किया जा रहा है जो इस देश में माईनौरिटी में हैं, चाहें वे पंजाब के हों या यहां के हों।

मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं और इस बात को मैं सिर्फ बात के रूप में नहीं कह रहा हूं लेकिन दो प्रदेशों में इस समय हमारी पार्टी की सरकार हैं, और मैंने आग्रह करके, पार्टी की तरफ से उन्हें आदेश दिया है कि टाडा का मिसयूज नहीं होना चाहिये। बिहार में इस कानून का प्रयोग नहीं किया गया है और एक भी आदमी को उड़ीसा में भी बंद नहीं किया गया है। पीछे जो मानवाधिकार आयोग की मीटिंग हुई थी, उसमें इन दो स्ट्रेटस के नाम नहीं आये वर्ना हर स्टेट में कुछ लोग टाडा में बंद हैं जबकि इन दो स्टेट्स में एक आदमी भी टाडा में बंद नहीं है। मैं यहां आग्रह करके कह रहा हूं कि इस कानून को हमने डिस्टर्ब्ड एरियाज के लिये बनाया था औश्र जिस काम के लिये हमने उसे बनाया, उसके लिये ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिये।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, सभी सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से एक ही तरह के ख्यालात यहां जाहिर किये हैं। मैं स्वयं भारत रक्षा कानून के अंतर्गत नजरबंद रहा था, अंग्रेजी राज की रक्षा के लिये उस कानून को बनाया गया था – भारत रक्षा कानून या डी.आई.आर। मैं उन लोगों में से हूं जो आजादी के बाद हमेशा बाहर रहा, 21-22 अगस्त, 1947 को गिरफ्तार हुआ, उन दिनों बिहार में बी एम पी ओ एक्ट होता था, कहना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन उस समय हम लोगों ने अनशन किया था. . .

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैं कहता हूं कि जो सब्जेक्ट है, उसी तक सीमित रहा जाये तो अच्छा है। यदि किसी सब्जैक्ट पर हम सारी दुनिया को कवर करने लग जायें तो ठीक नहीं रहता।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं कहना चाहता हूं कि जिन चीजों के खिलाफ हम लोग मौलिक रूप से लड़े, अनशन करके कहा कि मुकदमा चलाओ, खुली अदालत में मुकदमा चलाओ, लेकिन आज मुकदमा न चलाकर गुप्त रूप से रखकर, जो मानवाधिकार हमने आजादी के बाद हासिल किये, उन पर आज चोट पड़ रही हैं, किस पर पड़ रही हैं, मैं उसके बारे में नहीं कहता। मैं समझ रहा हूं कि इसको साम्प्रदायिक रूप में नहीं गिनना चाहिये, कम और बेशी का हिसाब नहीं जोड़ना चाहिये। यदि कानून होगा तो जहां जुर्म होगा उसके खिलाफ उसका प्रयोग होगा भले ही जुर्म करने वाला किसी जाति, सम्प्रदाय का हो, इस बात को नहीं लाया जाना चाहिये। मगर यह निश्चित है और हमारी व्यवस्था है कि निर्दोष इसका शिकार होंगे ही, यदि खास अवधि तक रखा जायेगा तो निर्दोष इसका शिकार होंगे ही, विभिन्न कारणों से, भले ही वे किसी वर्ग के हों।

अब समय आ गया है कि इस कानून को खत्म किया जाये और बहुत जल्दी इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिये। हमारे पास आई पी सी और सी आर पी सी के अंतर्गत विभिन्न धारायें हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा देशभक्त हूं और इसलिये मेरा बेटा कोई कसूर नहीं कर सकता, ऐसी वकालत इस सदन में नहीं होनी चाहिये बल्कि मैं बहुत कड़ाई से कह रहा हूं और आज लोगों को खुशी है कि बड़े से बड़े आदमी का बेटा भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह देश की सुरक्षा का सवाल है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिये और साथ साथ जिस स्वतंत्रता पर हमें गौरव है, उस पर भी आंच नहीं आनी चाहिये और इस कानून को जाना चाहिये। बाकी जो हमारे कानून हैं, उनके अंतर्गत हम डील कर सकते हैं। जो हमारा आतंकवाद है या देश को तोड़ने के जितने दूसरे काम हैं, उनके खिलाफ उपयुक्त कानून का प्रयोग होना चाहिये और यही कहकर मैं बैठता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैंने जब यह मामला उठाया था तो मैंने गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि कई राज्यों में टाडा का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने इस सभा को यह आश्वासन दिया था कि वह इस संबंध में मुख्य मंत्रियों को लिखेंगे। मैंने उनसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में टाडा के तहत गिरफ्तार किये गये और परेशान किये जा रहे निर्दोष लोगों के अनुभवों के बारे में बताया था और माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि वह इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। किन्तु महोदय अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक रिपोर्ट से मुझे यह पता चलता है कि टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये 50 हजार लोगों में से 5 प्रतिशत लोगों को भी अभिगृहत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश नहीं किया गया।

13.00 बजे

यह एक ऐसा कठोर कानून है कि निर्दोष लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, उनकी जमानत नहीं हो सकती, उन्हें और कोई कानून सहायता नहीं मिल सकती और इस प्रकार भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

महोदय, भारत जैसे लोकतान्त्रित देश में हम इस तरह के निरंकुश कानूनों को क्यों रखे हुए हैं। इसलिए सरकार के लिए यह उपयुक्त होगा कि वह इस निरकुंश कानून को वापस ले तथा कुछ अन्य कानूनी उपबंध करे जिनसे इस प्रकार की अपराधियों और अपराधों से निपटा जा सके। मुझे आशा है कि सरकार इस संबंध में एक वक्तव्य देगी।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : मैं टाडा को वापस लिये जाने का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं इस सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि मणिपुर राज्य टाडा से सर्वाधिक प्रभावित है।

महोदय, टाडा के अन्तर्गत बहुत से ऐसे मामले दर्ज हैं जिन्हें साधारण कानून के अन्तर्गत दर्ज किया जा सकता है। मणिपुर राज्य में टाडा के नाम पर पुलिस राज कायम है। बहुत से लोग टाडा में बंद हैं। बहुत से लोग जिन्हें इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था की मृत्यु हो गई हैं। जो छात्र अपनी शिकायतों के समर्थन में आन्दोलन कर रहे हैं उन्हें भी टाडा के तहत परेशान किया जा रहा है। अपहरण के मामलों से संबंद्ध लोगों को भी टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह अत्यन्त भयावह स्थिति है। मैं इस सभा के समक्ष यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर राज्य में इससे विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है।

महोदय, अंत में मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप गृह मंत्री को मणिपुर पर एक वक्तव्य देने के लिए कहें। मैं एक बार फिर टाडा को वापस लिये जाने का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह आज 4.00 बजे एक वक्तव्य दे रहे हैं।

अंसारी जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, टाडा को एक राज्य विशेष के लिए विशेष प्रयोजन से अधिनियमित किया गया था। किन्तु अब टाडा पुलिस विभाग के लिए टीए/डीए बन गया है। यही कारण है कि देश के प्रत्येक हिस्से में में टाडा का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस विभिन्न घरों पर दस्तक देती है, लोगों को गिरफ्तार करके कई बार मारपीट करते हुए सड़कों पर नंगा घुमाती है। यह इस कानून का घोर दुरुपयोग है।

मुम्बई में बम विस्फोटों के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किये गये लोगों में से कुछ लोगों की पुलिस स्टेशन में ही मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार का यह कानून . . . **व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि आप मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको अपने आपको निर्दोष सिद्ध करना होगा।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, टाडा की धारा 15 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकारोक्ति से कम कुछ भी मान्य नहीं होगा। सामान्य नियमों के तहत पुलिस के समक्ष किया गया अपराध स्वीकरण कोई स्वीकारोक्ति नहीं मानी जाती। किन्तु अब पुलिस के समक्ष की गयी स्वीकारोक्ति, साक्ष्य मानी जाती है और न्यायालय में पेश की जाती है। लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया जाता है।

इसीलिए, हमारा यह अनुरोध है कि इस प्रकार के कठोर और अत्यंत उत्पीड़क कानून को वापस लिया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

*[अनुवाद]

श्री डी. वेंकटेश्वर राव (बापतला) : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि 'टाडा' का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो कुछ दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए और दूसरे पुलिस द्वारा जैसा कि मेरे मित्र कहा है कि यह उनके लिए 'टी.ए./डी.ए.' बन गया है, उन लोगों से, जिन्हें उन्होंने 'टाडा' के तहत गिरफ्तार किया है, एक मुश्त धनराशि लेने के लिए इसको दुरुपयोग किया गया है।

महोदय, हैदराबाद शहर में अनेक मुस्लिम युवकों को परेशान किया जा रहा है तथा तेलंगाना और रायलसीमा में भी अनेक युवकों को 'टाडा' के अधीन गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर मुकदमा चलाये बिना उन्हें जेल में रखा गया है। यह उचित समय है कि सरकार इस संबंध में उपयुक्त कारवाई करे और इस कानून को निरस्त करे।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, टाडा जैसा कानून किसी भी सभ्य समाज के लिए निन्दनीय है और यह दुर्भाग्य की बात है कि इसका इस्तेमाल स्थिति को बिगाड़ने के लिए हो रहा है। मैं आज खास तौर पर इसका उद्धरण करना चाहता हूं कि दुनिया में जब मानवीय अधिकारों के संबंध में चर्चा होती है और हमने अपना अच्छा रिकार्ड रखा है तो टाडा के द्वारा हमारी बहुत भर्त्सना हो रही है। मैं विशेष तौर पर इसकी चर्चा करना चाहता हूं कि इसके दुरुपयोग के कारण हमारे देश के मानवीय अधिकार आयेग के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अपनी जबान खोलनी पड़ी है। उनमें इतनी वेदना है कि वे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर मानवीय अधिकार आयोग सुप्रीम कोर्ट में न जाए और सरकार इसे वापिस कर लें।

*[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इसका उत्तर देना चाहेगी ?

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि हम पंचवर्षीय योजना, बेरोजगारी की समस्या, कृषि नीति, आवास नीति और इसी प्रकार की कुछ अन्य नीतियों पर चर्चा नहीं कर पाये हैं। जब कोई बात कह दी गई है तो यह आवश्यक नहीं हैं कि हर आदमी उसको दोहराये।

श्री चित्त बसु : मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी उनमें से एक व्यक्ति हैं जिसे यह उत्तरदायित्व निभाना है।

श्री चित्त बसु : महोदय, यह नागरिक स्वतंत्रता का मामला है। इसका सरोकार भूमिक संघ आंदालेन से है। इसका सरोकार बाहर चल रहे लोकतांत्रिक आंदोलन से है। और हम हम इस सभा में उस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं चीज जोड़ना चाहते हैं ?

श्री चित्त बसु : यहाँ मैं यही कहना चाहता हूं कि यह पूर्ववर्ती भारत रक्षा अधिनियम जैसे जन-विरोधी और लोकतंत्र विरोधी अधिनियमों के विस्तार के अलावा कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें नया क्या है ?

श्री चित्त बसु : यह अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम के समान ही है। यह 'मिसा' तथा अन्य कठोर कानूनों के नाकारात्मक पहलुओं को भी दर्शाता है। इन सभी कानूनों को परित करते समय सरकार यह भी आश्वासन देती रही थी। कि इन कानूनों का प्रयोग लोकतांत्रिक या राजनैतिक हस्तियों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। इस मामले में भी, 'टाडा' का प्रयोग जानबूझ कर राजनैतिक दलों और कुछ मामलों में लोकतांत्रिक आंदोलन के विरुद्ध किया जा रहा है। यह देश की नागरिक स्वतंत्रता के ऊपर आक्रमण है। इसलिए, इसं यथाशीघ्र निरस्त किया जाना चाहिए।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जैसाकि माननीय सदस्य स्वयं यह कहा रहे हैं कि देश में गंभीर स्थिति बनी हुई है। हमारे कुछ पड़ोसी देश हमारी आंतरिक कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए हमें एक कानून की आवश्यकता है। हमने सभा को बार-बार आश्वासन दिया है तथा एक बार मैं फिर उस आश्वासन को दोहराना चाहता हूँ कि यह कानून कभी भी उनके . . . **(व्यवधान)** . . . विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

महोदय, मुझे अपनी बात को पूरा करने दिया जाये। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : वह ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 'टाडा' का राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है, आप प्रश्न उठाने हैं लेकिन उसका जवाब नहीं सुनते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ भी कह रहे हैं संक्षेप में, मैं उससे सहमत हूँ। तथापि, इस मामले को जिसे ढंग से यहाँ उठाया गया है उससे सदस्य चिंतित दिखाई पड़ते हैं। बेहतर यही होगा कि एक सुविचारित वक्तव्य दिया जाये ताकि यदि कोई गलत फहमी हो तो उसे दूर किया सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हाँ, महोदय।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उसका पालन भी होना चाहिए। बार-बार आप निर्देश देते हैं लेकिन एक भी स्टेटमैंट नहीं आता है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए सदस्यों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन मूल्यवृद्धि, जिसके बारे में हमने सूचना दी थी, जैसे मुद्दे को उठाने की भी अनुमति दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर किसी तरीके से कल चर्चा करने की कोशिश करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : धन्यवाद, महोदय।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1.10½ म.प.

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976 से 1984-95 तक के कार्यकरण के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा के बारे में विवरण और उपर्युक्त इन पत्रों, आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण।

शहरी विकास मंत्री श्रीमती शीला कौल : महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) (क) (एक) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976 के पहले वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी.संख्या 6330/94)

(दो) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977 के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी.संख्या 6331/94)

(तीन) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1978 के तीसरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी.संख्या 6332/94)

(चार) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के चौथे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी.संख्या 6333/94)

(पांच) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के पांचवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी.संख्या 6334/94)

(छह) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी.संख्या 6335/94)

(सात) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी.संख्या 6336/94)

(आठ) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी.संख्या 6337/94)

(नौ) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल.टी.संख्या 6338/94)

(ख) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 से 1984-95 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी.संख्या 6339/94)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी.संख्या 6340/94)

(3) दिल्ला विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 207 (अ), जो 1 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) विनियम, 1961 के विनियम 12 में और विनिमय 15 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा उसका शुद्धि-पत्र, केवल हिन्दी संस्करण, जो 27 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 478 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी.संख्या 6341/94)

(5) (एक) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी.संख्या 6342/94)

भारतीय यूरेनियम निगम लि. जादुगुड़ा, भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जदुगुड़ा तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी.संख्या 6343/94)

(2) भारतीय नाभिकीय निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी.संख्या 6344/94)

पाराद्वीप फास्फेट्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से पाराद्वीप फास्फेट लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल.टी.संख्या 6345/94)

वेबेल बिजनेश मशीन्स लिमिटेड और वेबेल पावर इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1994

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं श्री एच.आर. भारद्वाज की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत वेबेल बिजनेस मशीन्स लिमिटेड और वेबेल पावर इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1994, जो 16 जून 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 452 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6346/94)

गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौते ज्ञापन आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री मल्लिकार्जुन की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) गोआ शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6347/94)

(2) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6348/94)

(3) *गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियरर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।*

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6349/94)

(4) भारत इलेक्ट्रोनिक्स तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6350/94)

(5) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6351/94)

1.12 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है : -

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1994 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 8 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोकसभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

1.12½ म.प.

याचिका समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं यॉचिका समिति का सोलहंवा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

1.13 म.प.

परिवहन तथा पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री अरविन्द (साबरकांठा) : महोदय, मैं परिवहन और और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का वायुदूत के इंडियन एयरलाइन्स में विलय के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.13½ म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल में पाथयाकड़ में शीघ्र एक नया डाकघर खोलने की आवश्यकता

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : केरल में एस.एन. पुरम पंचायत के लोग वर्ष 1988 से पाथयाकड़ में एक नया डाकघर खोलने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में कई अवसरों पर महाडाकपाल, केन्द्रीय क्षेत्र, कोचीन को अभ्यावेदन किए गए हैं परन्तु कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। नए डाकघर हेतु सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है परन्तु अधिकारियों से पूछताछ करने पर हमेशा यह सूचित किया जाता है कि मामला जांचाधीन है तथा इस संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। निसंदेह पूरे देश में डाकघरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, परंतु एस.एन. पुरम पाथयाकड़ की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

इस डाकघर के खोले जाने से निश्चय ही डाक विभाग की आय में वृद्धि होगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मामले की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए वह अनुकूल उपचारात्मक उपाय करे तथा शीघ्र ही केरल में पाथयाकड़ एस.एन.पुरम में एक नया डाकघर खोले।

[अनुवाद]

(दो) केरल में वनचिनाद्र एक्सप्रेस को चंगनचेरी, तिरूवल्ला, चंगनूर, मवेलीकारा, कायमकुलम और वरकला रेलवे स्टेशनों पर रोके जाने की आवश्यकता।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, केरल में वनचिनाढ़ एक्सप्रेस चालू किये जाने के समय चगनचेरी तिरूवल्ला, चंगन्नूर, मवेलीकारा, कायमकुलम और वरकला में इसके ठहराव थे। यह

रेलगाड़ी तिरूवनन्तपुरम से एरणाकुलम पहुंचने में 4 घंटे 20 मिनट लेती है। यदि इस गाड़ी को उपर्युक्त सभी स्थानों पर रोका जाता है तो केवल 20 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि वर्तमान में यह रेलगाड़ी 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ चल रही है तो इसके समय में इस वृद्धि को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

यह तर्क कि यह रेलगाड़ी अन्तर शहरी रेलगाड़ी है, मान्य नहीं है क्योंकि केरल कमोवेश निरन्तर शहर है, चंगनचेरी, चंगन्नूर या वरकला से चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या कोट्टायम या क्वीलोन से चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या कम नहीं है।

मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि यह रेलगाड़ी कोट्टायम, पथानाम्थिट्टा, अलेप्पी और क्वीलोन जिलों से भी गुजरती है। उस रेलगाड़ी के कोट्टायम और क्वीलोन जिलों में ठहराव है किन्तु पथानाम्थिट्टा और अलेप्पी जिलों में नहीं है। इन जिलों के प्रति भेदभाव करने का कोई कारण नहीं है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूँ कि केरल में वनचिनाढ़ एक्सप्रेस को चंगनचेरी, तिरूवल्ला, चंगनन्नून, मवेलिकास, कायमकुलम और वरकला रेलवे स्टेशनों पर रोकने की अनुमति दी जाय।

(तीन) केरल में पश्चिम तटीय जलमार्गों को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री पाला के.एम. मैथ्यू (इदुक्की) : देश में जलमार्गों के विकास के लिए नए और मौलिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (दि नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी समिति) ने तीन राष्ट्रीय जलमार्गों का तजी से कार्यान्वियन किए जाने की घोषणा की है। वे गंगा-भागीरथी-हुगली, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां और चम्पाकारा नहर, कल्लाम और उद्योगमंडल नहर के साथ-साथ पश्चिम तटीय नहर-काट्टायम-कोट्टापुरम जलमार्ग हैं। यद्यपि पश्चिम तटीय नहर के कार्य को बिना विलम्ब के प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था किन्तु अब तक इस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। इस नहर को गहरा और चौड़ा किया जाना है। रात्रि नौपरिवहन सुविधाओं का विकास भी किया जाना चाहिए। कोट्टापुरम, कोचीन, वैकाम, अलापुझा, कायमकुलम, चावरा, कोट्टाम आदि स्थानों पर यान्त्रिक टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय इस कार्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित 250 करोड़ रुपये की धनराशि में से मात्र 55 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। सस्ते जल परिवहन और अन्य लाभों को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पश्चिम तटीय नहर के कार्य को समयबद्ध कार्यक्रम की तरह शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

(चार) बुन्देलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को रियायत दिये जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुदेंलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में औद्योगिक स्थिति स्थिति मजबूत न होने के कारण लगभग इस क्षेत्र के 18 जिले आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग मजदूरों की श्रेणी में आता है, उसके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है। बुंदेलखंड में प्राकृतिक संपदा के अपार भंडार हैं, लेकिन इन पर आधारित उद्योग न पनप पाने का मुख्य कारण यह है कि उद्योगों को लगाने के लिए जो आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है वह सुविधा इस क्षेत्र को नहीं मिल पा रही है। जो भी उद्योग ऋण लेकर चलाए गए हैं, वे इतने घाटे में चल रहे हैं कि बंद होने के कगार पर हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यहां पर न के बराबर हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों के पनपने की काफी संभावनाएं हैं, परंतु उद्योगों का विकास करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार और राज्य सरकार की इस क्षेत्र को आवश्यक मदद नहीं मिल पा रही है और जब तक इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास को गति नहीं दी जाएगी, तब तक इस क्षेत्र में गरीबी और नौजवानों की बेकारी दूर नहीं हो सकती है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि बुदेंलखंड क्षेत्र में उद्यमियों से कम से कम 7 वर्ष तक बिक्री कर तथा व्यवसाय कर न लिया जाए या इसमें छूट दी जाए। बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि छोटे उद्योगों को पनपने का अवसर मिल सके। विद्युत आपूर्ति विशेष रियायत पर 24 घंटे की जाए। बैंकों या अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी लंबी किस्तों में की जाए एवं बंद इकाइयों को जीवित करने के लिए केन्द्र सरकार विशेष अनुदान राशि प्रदान करें।

(5) शाहजहां (उत्तर प्रदेश) के काशीनाथ सेठ बैंक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय करने की आवश्यकता।

श्री चिन्मयानन्द (बदायूं) : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में काशीनाथ सेठ बैंक है, जो एक वर्ष से ठप्प पड़ा हुआ है। इस बैंक में न तो रुपए की निकासी होती है और न ही रुपया जमा होता है। जिन लोगों का इस बैंक में रुपया जमा है, उनको रुपया नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस बैंक का मामला केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। बैंक के प्रबंधकों ने बैंक चलाने से इन्कार कर दिया है। बैंक की स्थिति नाजुक है। ऐसी स्थिति में बैंक के कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। अभी तक सरकार ने इस बैंक के संबंध में रिजर्व बैंक को कोई आदेश नहीं दिया है। जब तक इस बैंक का राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय नहीं हो जाता तब तक यह समस्या बनी रहेगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और इस बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय के आदेश दें। ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो सके।

(छः) कानपुर देहात जिले के घाटमपुर में भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर जो कि कानपुर देहात में आता है तथा आसपास के अन्य जिले जैसे फतेहपुर, हमीरपुर आदि भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं तथा इससे वहां पर जन-धन की भारी क्षति हुई है। पूरे क्षेत्र में इस समय महामारी का प्रकोप है तथा लोगों को जीवन बिताने के लिए आवश्यक दवाएं नहीं मिल रहीं। संपूर्ण क्षेत्र में अव्यवस्था व अनिश्चितता का बोलबाला है तथा लोगों की स्थित असहाय सी हो गई है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि उस संपूर्ण क्षेत्र में तुरंत आपात सहायता की व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों को भोजन आदि की व्यवस्था हो सके तथा चिकित्सा एवं अन्य दवाओं की भी समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों के जीवन की रक्षा हो सके तथा क्षेत्र को महामारी से बचाया जा सके। इस निमित्त राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

[अनुवाद]

(सात) इंदिरा-मुजीब समझौता (1974) के अन्तर्गत बंगलादेश और भारत के बीच अंतः क्षेत्रों का आदान प्रदान शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री चित्तबसु (बारसाट) : यह स्मरण किया जा सकता है कि नेहरू-नून समझौता (1958) के अनुसार भारत में पाकिस्तान के 95 अंतःक्षेत्रो (19 वर्ग मील) के बदले 126 भारतीय अंतःक्षेत्रों (31 वर्गमील) का आदान-प्रदान किया जाना था।

नेहरू-नून समझौते के अनुसार दक्षिण बेरूबादी जो एक अंतःक्षेत्र नहीं था अपितु भारतीय मुख्यभूमि का हिस्सा था जिसमें पूर्वी बंगाल के शरणार्थी रह रहे हैं ; पाकिस्तान को सौंपा जाना था ;

उच्चतम न्यायालय के निर्णय और पश्चिम बंगाल के लोगों के विरोध के कारण इसको पाकिस्तान के सुपुर्द नहीं किया जा सका।

इंदिरा-मुजीब समझौता (1974) के अनुसार बंगलादेश के धराग्राम और अंग्रापोटा अंतक्षेत्रों में पहुंचने के लिए गलियारा (मार्ग) उपलब्ध कराने के लिए तीन बीघा गलियारे को बंगलादेश को स्थायी लीज पर सौंपा जाना था 1992 में तीन बीघा को स्थायी लीज पर बंगलादेश को सौंपा गया।

भारत तीन बीघा गलियारे को इस विशेष आश्वासन के बाद लीज पर देने के लिए सहमत हुआ कि भारत सरकार अंतः क्षेत्रों के लिए किए गए समझौते के पूर्ण कार्यान्वियन के लिए वचनबद्ध है।

यद्यपि बंगलादेश का तीन बीघा गलियारे के हस्तान्तरण के बाद दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। किंतु वायदे के अनुसार अंतः क्षेत्रों के आदान-प्रदान की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।

बंगलादेश में स्थित अंतःक्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है।

अंतःक्षेत्रों के पूरे और तेजी से आदानप्रदान के द्वारा ही समस्या का संतोषजनक ढंग से समाधान किया जा रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अंतःक्षेत्रों का आदान-प्रदान तेजी से किया जाय।

(आठ) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले रोहनात गांव के लोगों को मुआवजा देने के लिये हरियाणा सरकार को सहायता राशि प्रदान करने की आवश्यकता

|हिन्दी|

श्री जंगबीर सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण भारत के हर देशभक्त का पूरा-पूरा योगदान रहा है। इस महान क्रान्ति में हरियाणा के कई गांवों ने साहस का प्रदर्शन करते हुए क्रान्ति की ज्वाला को प्रज्जवलित किया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत रोहनात, जमालपुर, हाजमपुर, भाटोल, मंगाली, पूठी मंगल व हांसी शहर में क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका और स्वदेशी सरकार बनाई।

अंग्रेजों ने इसका बदला इन गांवों को तोपों से उड़ाकर लिया। हांसी शहर में तो शहीदों को रोड़ रोलर के नीचे पीसा गया और शहीदों के खून से वह सड़क लाल हो गई जिसे आज भी लाल सड़क के नाम से पुकारा जाता है। रोहनात गांव की 20856 बीघे 19 बिसवे जमीन केवल 8100 रुपए में नीलाम कर दी।

उन शहीदों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन पंजाब सरकार व हरियाणा सरकार ने इन शहीदों के प्रति कृतज्ञ होकर जो घोषणा की थी उन्हें क्रियान्वित तो करना ही चाहिए। तत्कालीन पंजाब सरकार ने हिसार बीड़ फार्म में इस शहीद गांव को 57 प्लाट देने की योजना बनाई थी, जिस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। हरियाणा सरकार ने इस शहीद गांव को बतौर सिम्बोलिक कम्पनसैशन 1,25000 रुपए दिए थे। लेकिन हरियाणा के पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री द्वारा इस गांव के लिए 64,32000 का क्लेम देने की योजना बनाई थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार धनाभाव के कारण उक्त क्लेम को पूरा करने में असमर्थ है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस शहीद गांव को उक्त प्रस्तावित राशि देने हेतु हरियाणा सरकार को आवश्यक धन देने की व्यवस्था करे ताकि उन शहीदों के प्रति हम कुछ तो आभार प्रकट कर सकें।

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.30 तक के लिये स्थगित होती है।

1.24 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.30 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.37 म.प.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.37 म.प. पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग के पांचवे, छठे, सांतवें तथा आठवें प्रतिवेदनों पर विचार से संबंधित प्रस्ताव – जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादिचरण दास तब बोल रहे थे, वह अपना वक्तव्य जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री अनादिचरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में 7 साल पहले की रिपोर्ट रखी गयी है। हमने सोचा था कि जिस समय श्री भीखा भाई इसके चेयरमैन थे, उस समय सिफारिशों को सदन में रखा जाता है तो ज्यादा अच्छा होता। इसमें कमीशन की रिपोर्ट स्टैटुटरी हैं लेकिन चेयरमैन नॉन स्टैटुटरी थे। उस समय एक्शन टेकन प्रोग्राम नहीं दिया था। कल मुझे मालूम नहीं था कि यह एटीआर हुआ है या नहीं ? संविधान की धारा 338 के तहत जो कानून बदला, यह कहा गया है कि एक ऐनुअल रिपोर्ट पेश करनी चाहिये :

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

"आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रति वर्ष तथा अन्य ऐसे समय पर जब वह उचित समझे, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु संविधान, विभिन्न कानूनों और आदेशों के अंतर्गत प्रदत्त रक्षोपायों के बारे में प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे। इन प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों में उन रक्षोपायों का उल्लेख होगा जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास हेतु संघ तथा राज्यों द्वारा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जायें। राष्ट्रपति, ऐसे सभी प्रतिवेदनों को, इन सिफारिशों पर संघ सरकार द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही तथा ऐसी किसी सिफारिश के स्वीकार न किये जाने की स्थिति में उसके कारण बताने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवायेंगा।"

[हिन्दी]

हम तो सिफारिशें पढ़ नहीं पाये लेकिन उन सिफारिशों की कापी आज हम लाये हैं। तो मेरा कहना है कि अगर उस वक्त जब यह पेश हुआ और मुझे मिल जाता तो मेरे ख्याल से यह होता।

हमको ये नहीं मिला था। तब भी मंत्री जी की मंशा है कि कुछ करे। मैं देख रहा हूं कि ऐक्सेपटेन्स इस तरह से किया कि कुछ रिकमंडेशन्स पर बोले कि स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी और वह अच्छी हैं लेकिन क्या ऐक्शन लिया ? मेरा कहना है कि इस चर्चा से पहले ऐक्शन टेकन पर एक ऐक्शन टेकन रिपोर्ट सदन में लाते तो यह चर्चा कारगर साबित होती। आज उस पर अमल नहीं हो रहा है और कुछ कमियां हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन इसके तहत बहुत कुछ हुआ भी है। आजादी के बाद देश में बहुत प्रगति हुई है। मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस कमीशन की रिपोर्ट करीब पांच साल से पड़ी हुई है। नया स्टैटुटरी कमीशन बन गया है। जब स्पेशल ऑफिसर और कमिश्नर बन गए, उनको ज्यादा काम भी सौंपा गया है और जिनका काम ऐक्शन टेकन देखना है, उसके बारे में उनको कुछ रिपोर्ट नहीं मिली। हम एक पुरानी रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है कि हमें इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। इसमें लोगों ने बहुत मेहनत की है, कितनी बड़ी रिपोर्ट बनाई है। मैं चाहता था कि इस सदन में बहुत मेहनत की है, कितनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनाई है। मैं चाहता था कि उस पर सदन में बोलूं और पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि मैं पहले बोलूं। मैंने देखा कि यह रामकथा की तरह है। वही बात अधिकतर दोहराई गई है। ऐक्शन टेकन ठीक से होता तो उनको नये पोंइट्स मिलते और वह उस पर कार्रवाई करते। लेकिन यह नहीं हुआ है।

हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं के बीच में फर्क है। अनुसूचित जाति में छुआछूत चलता है लेकिन जनजाति में वह नहीं है। जनजाति के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अब तक इनको जहां पहुंचना चाहिए था वहां तक ये नहीं पहुंचे हैं। उनके और दूसरे लोगों के बीच में जो खाई है वह कम नहीं हुई है और बढ़ती जा रही है। अगर उनकी यही स्थिति है तो उनके बारे में हमें अवश्य सोचना चाहिए। इसलिए मैं आज ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में ही चर्चा करना चाहता हूं। हमारे देश में 1991 की जनगणना में 6.77 करोड़ ट्राइबल जनसंख्या है जो 8.08 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों मिलकर 25 प्रतिशत के लगभग हैं। पहले जनजाति के लोगों की संख्या 7.5 प्रतिशत थी, अब वह 8.08 प्रतिशत है। उनकी जनसंख्या बढ़ भी रही है। आबादी बढ़ने के साथ उनकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। यह चिन्ता का विषय है और सदन इस पर जरूर सोचे। मंत्रालय जो करता है वह ठीक है, लेकिन जब सदन में यह चर्चा आई है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि सरकार उस पर अमल करें।

जब हमारे यहां ट्राइबल सब-प्लान शुरू हुआ था, संविधान की धारा 339 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गयी है, उसके तहत 1964 में एक ढेवर कमीशन बनाया गया था, जिसने एक साल के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उस कमीशन द्वारा की गयी रिकमेंडेशन्स के आधार पर ही देश में ट्राईबल

डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, प्लान बनाये गये हैं। अब इसे चाहे आप ट्राइबल सब-प्लान कहिये या कुछ भी नाम दें, ट्राईबल के विकास के लिये जो सारी पौलिसी बनायी गयी हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत चलता है। उस कमीशन की रिकमेंडेशन्स को कम्पेयर करने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है और हमने देखा है, जब ढेवर कमीशन स्थान स्थान पर गया था तो हमारे उड़ीसा के तत्कालीन मैम्बर भी उसके साथ गये थे लेकिन उन्होंने सब कुछ देखने के बाद जो रिकमेंडेशन दीं, उन पर दोबारा गौर नहीं किया गया। उसमें यह व्यवस्था थी कि हर 10 साल के बीच में ट्राईबल डैवलपमैंट जितना हो चुका है, संविधान की धारा 339 के अंतर्गत, कोई कमीशन बिठाकर उसका मूल्यांकन करना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, इस संबंध मैंने प्रधानमंत्री को भी कहा था। उन्होंने इसी सदन में 28.7.1993 को जो बात कही थी, मैं यहां उसे कोट करना चाहता हूं -

|हिन्दी|

"अनुच्छेद 339 के अनुसार जनजातीय विकास और प्रशासन की समीक्षा के लिए प्रत्येक दस वर्ष पर एक आयोग गठित किया जायेगा। यह दुख की बात है कि अभी तक केवल एक आयोग गठित किया गया है। कई सदस्यों ने यह बात उठाई है। मैंने इस सुझाव को नोट किया है। हम निश्चित रूप से उन उपायों पर विचार करेंगे जैसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विशेष रूप से हमारी आर्थिक नीति के अनुरूप निजी तथा सरकारी बहुराष्ट्रीय निगमों में उनके लिये आरक्षण। यह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समय कानून, संविधान की जो स्थिति है, अभी कोई वचन देना मेरे लिये संभव नहीं हैं। मैं बस यही कह सकता हूं कि हम मिलजुलकर ही इस नयी स्थिति का सामना कर सकते हैं।

|हिन्दी|

मैं वैल्फेयर मिनिस्ट्री से संबंधित कंसल्टेटिव कमेटी का एक मैम्बर हूं और मैं ही नहीं, हमारे जो दूसरे मैम्बर हैं, उन्होंने भी इस बात को बार-बार यहां उठाया कि ऐसा करना चाहिये क्योंकि जो कन्सैप्ट इसके पीछे आज तक चला आया है, वह अपने आप में पहले से चेंज हो गया है और जिस कंसेप्ट में हम देखते हैं, जो हमारा ट्राईबल सब-प्लान का कंसैप्ट है, जिन लोगों को एम्पलायमेंट मिल गया है, यदि उन्हें छोड़कर देखें तो मुझे कोई 10-15 आदमी भी ऐसे नहीं दिखा पायेगा जिनको ट्राईबल सब-प्लान से कुछ फायदा पहुंचा हो, जिनका विकास हुआ हो, जिनकी आर्थिक हालत अच्छी हो गयी हो या जो दूसरे लोगों के बराबर आ गये हों अथवा हम इन लोगों को जिस तरह मेनस्ट्रीम में पहुंचना चाहते हैं, वे मेनस्ट्रीम में पहुंच गये हों।

यहां पर बराबर अनेक सदस्यों ने जिक्र किया है और इस सदन के बाहर बोला जाता रहा है कि हमारे संविधान में ट्राईबल्स के लिये जो सेफगाड्स दिये गये हैं, यदि आप संविधान के आर्टिकल्स 15(4),

16(4), 19, 46, 164, 244, 275, 300, 332, 334, 338, 339 और 342 को देखें तो उनमें ट्राईबल्स के लिये अनेक सेफगार्ड्स प्रोवाइड किये गये हैं, आर्थिक, सामाजिक, पोलिटिकल और राजनैतिक सभी तरह के सेफगार्ड्स ट्राईबल्स को दिये गये हैं लेकिन इतना सब कुछ होते हुये भी हम देखते हैं, जहां जहां देखते हैं, उसको कुछ ऐसे उन्होंने मैनेज किया है, यहां पर एम.पी. व एम.एल.ए. आ रहे हैं। उनको भी दूसरों के अनुसार बराबर के अधिकार मिलने चाहिए जिसका जिक्र ढेवर कमीशन ने किया था और जिसको लेकर आज तक हम इतनी दूर आ गए। आज फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धारा 339 के तहत आप कब तक कमीशन बिठायेंगे ?

मेरे ख्याल से यह रिपोर्ट एक साल के अंदर आ जानी चाहिए जैसे ढेवर कमीशन की रिपोर्ट आई थी। मैं देखता हूं कि यह कंसेप्ट बिल्कुल काम नहीं करता है। एक धारा से दूसरी धारा में जाने के लिए यह कमीशन बहुत जरूरी है। कमीशन एक साल की अवधि के अंदर सारी रिपोर्ट दे दे ताकि एक नये ढंग से ट्राईबल्स का डेवलपमेंट हो सके। ट्राइबल्स के डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी हैं, उनकी एक प्राब्लम यह है कि उसमें एक सब प्लान बनाया गया है। वह सबप्लान क्या है? वह स्टेट के अंदर है। चाहे इरीगेशन हो, एग्रीकल्चर हो या कुछ और हो, सबमें इन जाति के लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सबसे बड़ी बात आज यह है कि उनका शोषण बहुत किया जाता है जो खत्म नहीं होता। ट्राईबल्स एरिया में रहते हुए हम लोग साहूकारों के खिलाफ लड़ाइ लड़ते रहे लेकिन अब सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ गई है। मुझे ट्राईबल्स एरिया के सब-प्लान की ज्यादा जानकारी है क्योंकि मैंने उनके बीच में काम किया है। आज हम यह देखते हैं। कि उनके खिलाफ शोषण घटता नहीं है बल्कि पेड़ की घनी शाखाओं की तरह फैलता जा रहा है। लोग दूसरे नामों से उनका शोषण कर रहे हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी भी हैं। यदि सरकार की मंशा होती है तो काम होता है यदि मंशा नहीं होती तो काम नहीं होता। उनको ऊपर उठाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और उसके लिए एक अच्छी सरकार होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी यह सरकार उसके लायक है। यदि यह काम नहीं करती तो आदिवासी और हरिजन लोग कांग्रेस को वोट क्यों देते। यहां पर कांग्रेस के वोट से जितने भी लोग आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा आदिवासियों के वोट होते हैं। हमारी यही मंशा है कि वे लोग काम करें क्योंकि दूसरे लोग काम करते हैं तो घपला होता है सबसे पहले एस.सी., एस.टी. के लोग वोट देते हैं।

कांग्रेस काबिल है और कुछ कर रही है लेकिन साथ ही जब तक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा तब तक कार्य ठीक से नहीं होगा। मैं मिनिस्ट्री में देखता हूं, वहां बहुत आदमी कम्युटेड हैं लेकिन साथ ही कुछ लैप्सेस भी हैं। वहां कर्मचारी कम हैं। आप वहां कभी भी चले जाएं, आप देखेंगे तकि 5-10 सीटें खाली पड़ी हैं। वे नए लोगों की भर्ती नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वहां कोई काम नहीं है। जो पैसा जाता है, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम उनका है। उनका काम करने के लिए जितने कर्मचारी चाहिएं, उतने कर्मचारी उनके पास नहीं हैं।

फाईनेंशल बर्डन की वजह से भी बहुत कठिनाई होती है। प्लानिंग कमिशन से पैसा बढ़ाने को कहा जाता। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के लिए सिर्फ 11 करोड़ ही दिए गए। हमारे देश में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, सब लोग चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें। यदि प्लॉनिंग कमिशन उनके लिए पैसा देने में कंजूसी करेगा तो मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। वे लोग आज हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें अच्छा करने की जरूरत है। ट्राईबल एरिया में उनकी स्ट्रेटेजी यही थी ;

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी सहायता देकर उनका शोषण रोकने तथा इन क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बेहतर बनाने के लिए निवारक उपाय करना और दूसरे रहन-सहन का स्तर उठाने संबंधी योग्यताएं बनाने हेतु विकास गतिविधियां तेज करना।

[हिन्दी]

हमारे देश में ट्राईबल्स लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। देश में आई.टी.डी.ए. 193 हैं, माडा 249 हैं, क्लस्टर 77 हैं। हमारे देश में प्रीमिटिव ट्राईब्स ज्यादा हैं। जिनके बारे में अब तक कुछ नहीं सोचा गया है।

3.00 म.प.

गवर्नमेंट की रिपोर्ट सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल एरिया में ही लागू है। सिक्स्थ शैडयूल एरिया में असम, मणिपुर, वगैरह आते हैं, जहां पर ट्राईबल्स हिल काउंसिल या ट्राईबल्स डवलपमेंट काउंसिल बनी हुई हैं, वहां यह लागू नहीं होती। अब कई जगह काउंसिल की डिमाण्ड लोग उत्तराखंड और झारखण्ड वगैरह में कर रहे हैं। गवर्नर को हर साल इसकी रिपोर्ट देनी होती है लेकिन हर साल गवर्नर की रिपोर्ट नहीं आती है और तीन-चार साल के बाद एक बार आती है, उसके बारे में मिनिस्टर का कुछ रीएक्शन होना चाहिए और उसकी स्टडी करके उसको इम्पलीमेंट करना चाहिए। वह इसको नहीं देखते हैं।

(श्री तारासिंह पीठासीन हुए)

3.01 म.प.

क्योंकि, तीन-चार साल में एक बार रिपोर्ट मिलती है। हर स्टेट में तो ऐसा नहीं होता होगा लेकिन किसी-किसी स्टेट में ऐसा होता है। उड़ीसा में तो मैंने देखा है कि 3-3, 5-5 साल के अन्दर एक रिपोर्ट आती है। इसमें गवर्नर की रिपोर्ट हर साल जरूर आनी चाहिए, क्योंकि, यह संविधान की एक व्यवस्था है। रिपोर्ट देना उनका कर्तव्य है इसलिए स्टेट के गवर्नर्स का फर्ज है कि ट्राइबल डवलपमेंट एरिया के बारे में रिपोर्ट वह हर साल पेश करें। उनको इस काम को देखना चाहिए।

जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसमें मैम्बर्स जिस चीज की चर्चा करते हैं, वही काम

स्टेट गवर्नमैंट करेगी, ऐसी व्यवस्था है लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि उड़ीसा में पहले 13 डिस्ट्रिक्ट थे लेकिन अब 30 डिस्ट्रिक्ट हो गये हैं लेकिन वह टी.ए.सी. में नहीं आये हैं, क्योंकि वहां पर उनका जो बाइफरकेशन हुआ है, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आई.टी.डी.पी. में आ गये और कुछ दूसरे में चले गये तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा ? उसमें ऐसा होता है कि 3/4 मैम्बर्स ट्राइब के रहने चाहिए और 1/4 बाकी में से रहने चाहिए। यह अनुपात होने के कारण ट्राइब के लोग सचमुच में जो दावा करना चाहते हैं, वह नहीं कर पाते हैं इसलिए मेरा एक सजैशन है कि ट्राइबल सब-प्लान एरिया के लिए जो टी.ए.सी. है, इसमें 100 परसेण्ट मैम्बर्स ट्राइब के होने चाहिए। अब ट्राइब के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। अगर यह लोग नहीं सोचते तो वह यह दावा नहीं करते कि हमें झारखण्ड चाहिए। आज वह भी कहते हैं कि हमें अपना राज देकर देखो, हम कैसे चलाते हैं। टी.ए.सी. में चर्चा भी मैम्सर्ब को ज्यादा करने का मौका मिलना चाहिए।

ट्राईबल एरिया में हमने देखा है, कमीशन ने भी कहा है कि अ.जा., अ.ज.जा. कमेटी ने भी कहा है कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी यह सिर्फ आन्ध्र प्रदेश में है। आई.टी.डी.पी. में सिर्फ कलैक्टर होता है, वह उसका चेयरमैन होता है। वह उसकी देखभाल और मोनेटरिंग करता है लेकिन उसके पास क्लास 3 को रखने और निकालने का भी अधिकार नही है। आन्ध्र प्रदेश में अच्छा काम हुआ है कि कलैक्टर वहां आल इन आल है, वहां वही कर्मचारियों का करैक्टर रोल रखेंगे और अगर वह ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर किसी को उनको रखना है तो वह उसको रख सकते हैं, उनके पास ऐसी पावर है लेकिन आन्ध्र प्रदेश के सिवा किसी दूसरी स्टेट में नहीं है। उड़ीसा में जब कालाहाण्डी के बारे में चर्चा हुई थी तो हमने प्रधान मंत्री से उनके घर पर जाकर कहा कि आन्ध्र प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। अन्य जगह भी वैलफेयर का काम हो रहा है लेकिन कम्पैरेटिवली आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में अच्छा काम हो रहा है।

महाराष्ट्र भी है। इन दोनों स्टेट को छोड़ने के बाद आप कहां देखेंगे कि 85 प्रतिशत पैसा कहां जा रहा है ? उसका कोई ठीक से पता नहीं है। इसका जिक्र एससी, एसटी कमेटी में भी किया है। इस वजह से सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का हमने जिक्र किया है। कमीशन ने भी जिक्र किया, आपका वर्किंग कमेटी आठवें प्लान के लिए बैठाया था उसने जिक्र किया था। अभी समय है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन हर स्टेट के लिए कम्पलसरी करा दीजिए। आपके जो ऑफिसर लोग रहते हैं वे जंगल में रहते हैं उनका कोई घर नहीं है और उनको जंगल में रहने की आदत नहीं है। इसके लिए आपने एक कमेटी बैठाई थी, महेश्वर दयाल ग्रुप ने एक रिपोर्ट दी थी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 60 सदस्यों ने बोलना है, आपने 30 मिनट लगा दिये हैं। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : हम भी कुछ अध्ययन करके कहते हैं कि और क्या होना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप 30 मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : हमारा कहना यह है कि मिशनरी को स्ट्रांग करना चाहिए। जो एक्साइज पॉलिसी है उसके लिए कई दिन गर्वनर, इंदिरा गांधी से लेकर आज तक सब कमेटियां और यह जो कमीशन है सब लोगों ने सिफारिश की थी एक ट्राइबल सब प्लान ऐरिया ड्राई एरिया होना चाहिए। जैसे उड़ीसा में पहले लागू नहीं किया था लेकिन अभी लागू किया है। यदि जरूरत पड़े तो कानून भी बनाना चाहिए। अरबन और सब अरबन एरिया में इन लोगों ने अभी भट्टी लगाने का प्रबंध किया है जिसकी वजह से भट्टी वाले आज गांव में शराब बेचते हैं। इस एक्साइज पॉलिसी को तुरंत लागू करना चाहिए। इसके बारे में मेरा जो सुझाव है उस पर आप ध्यान दें।

महोदय, अब मैं फोरेस्ट के बारे में कुछ बोलूंगा। फोरेस्ट उनका देश है। हर साल जब झूम कल्टीवेशन करते हैं तो फिर उनको जेल में जाना पड़ता है और फिर जेल से आकर फिर वे वही काम करते हैं। वे बोलते हैं कि हमारी जो संपत्ति है वह हमको दे दो। लेकिन 1980 में जो कानून बना, बाद में जो पॉलिसी निकाली इसमें आज तक ट्राइबल को पार्टीसिपेशन नहीं करने देते। मुझे खुशी है कि वेस्ट बंगाल ने कुछ करके प्राइस ले लिये कि यह हमारा जंगल है। ये लोग जब तक नहीं सोचते हैं हमारा जंगल है, ये तो बोलते हैं सरकार का जंगल है। आप देखभाल करो हम देखने वाले होंगे। हमारी खेती पर कोई फोरेस्टर नहीं होता। यह जंगल सरकार का है इस वास्ते हमको वहां जाने नहीं देते। यह भी एक रिकोमेंडेशन है कि फोरेस्ट एरिया का 10 डिग्री तक खेती करने के लिए देना चाहिए।

उड़ीसा में 30 परसेंट जमीन पर कल्टीवेशन करने देने का आदेश निकाल दिया गया है, उड़ीसा सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कहीं पर भी डीमार्केशन नहीं किया गया है। इस तरह से इस आदेश का कोई लाभ नहीं हो रहा है। यह किस तरह की आप मानेटरिंग कर रहे हैं। आदिवासियों को तो जहां थोड़ा पानी की सुविधा मिलती है वहां अपना फावड़ा और बच्चों को लेकर चल देते हैं। जहां जाते हैं, वहीं काम करने लगते हैं। जंगल ही उनकी संपत्ति है। इसलिए इनकी सुविधाओं और रीहेब्लीटेशन के बारे में सोचना चाहिए। आज हजारों ऐसे आदिवासी गांव जंगलों में हैं, जिनको सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनका वहां पर रहना मुश्किल हो रहा है। न उनके नाम से कहीं जमीन है, न उनको आज तक कोई पट्टा दिया गया है। उनको फारेस्टर लूट रहे हैं। जो भी आता है, उनको लूटता है और कहता है कि यहां से जाइए। लेकिन जहां पर पानी है, वहां पर उनको रहना

है, क्योंकि ये लोग शिफ्ट कल्टीवेशन करते हैं। उनकी अपार कठिनाइयों को देखते हुए सरकार फारेस्ट कानून में परिवर्तन क्यों नहीं करती है ? सरकार पालिसी चेज क्यों नहीं करती ? जहां-जहां पर कमियां हैं, उनको दूर करके आदिवासियों को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा पैसा दे देने से आप यह सोंचे कि वे मेन-स्ट्रीम में आ जाएंगे, यह संभव नहीं हैं। जितनी रिपोर्ट्स भी इस बारे में आ जाएंगे, यह संभव नहीं है। जितनी रिपोर्ट्स भी इस बारे में आई है, उन सबमें यही बात कही गई है, तो फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मेरा अनुरोध है कि इन समस्याओं के बारे में सरकार गंभीरता से विचार करे। वर्तमान कानून से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। घर बनाने में भी इन लोगों को दिक्कत आ रही है, केन्द्र सरकार तक भागना पड़ता है, सारे राज्यों में यही झगड़ा है। यदि कहीं पर पानी की व्यवस्था आदिवासी क्षेत्र में करनी है तो इसके लिए भी केन्द्र सरकार की अनुमति चाहिए। इस तरह की बात आदिवासी क्षेत्रों के लिए नहीं होनी चाहिए। जो डैम बने हुए हैं, उनमें भी सिल्टिंग की समस्या आ रही है, इससे भी लोगों को समस्याएं आ रही हैं। रीहेब्लीटेशन की भी समस्या है। जिन लोगों की जंगल ही संपति है, जंगल ही जिनका सहारा है, उनके बारे में यदि सरकार गंभीरता से नहीं सोचेगी तो उनको कुछ लाभ नहीं होगा।

इसी तरह से फंडिग की बात है।

सभापति महोदय : आप 40 मिनट बोल चुके हैं। अब आप बैठ जाइए। और लोग भी बोलने वाले हैं।

श्री अनादि चरण दास : मैंने एक घंटे का समय मांगा था। मैं जो कुछ बोल रहा हूं वह अपने दिल से बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रहा हूं। मैं 4 साल तक एससीटीसी कमेटी का चेअरमैन रहा हूं, मैंने सारी बातों को बहुत गहराई से देखा है।

सभापति महोदय : और लोगों ने भी बोलना है।

श्री अनादि चरण दास : तो फिर चर्चा का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दीजिए। कम समय में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। सात साल की रिपोर्ट पर 6 घंटे में चर्चा किस तरह से हो सकती है, हम लोगों ने इस पर बोलने के लिए बहुत तैयारी की है। इसलिए कम से कम 12 घंटे का समय इस चर्चा के लिए करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाईए, आपको चालीस मिनट हो गए हैं। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मेरा प्वाईंट आफ आर्डर है। हम यह हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि दास साहब कितनी देर तक बोले हैं। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी गंभीर समस्या पर विचार हो रहा है और 1982 में रिपोर्ट पेश की गई थी, इस पर चर्चा नहीं हुई। इसमें पांच-सात रिपोर्ट जुड़ी हुई हैं इसलिए कम से कम वक्ता को पूरा मौका दिया जाए। इस वजह से छह घंटे से काम नहीं चलेगा। एक वक्ता को कम से कम आधा घंटा चाहिए, सिर्फ 10-15 मिनट से समस्या हल नहीं होगी। दास साहब एससीएसटी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और इन्होंने सारे देश का दौरा किया है, इनको बहुत अनुभव है। हम लोगों को भी अपने विचार प्रकट करने हैं इसलिए आप इसका समय बढाएं।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति जी, सदन की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए समय बढ़ाया जाए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इस पर साठ सदस्य बोलने वाले हैं जिसमें से 25 कांग्रेस के हैं और 30-35 विरोधी पक्ष के हैं। अगर चालीस मिनट हरेक को दिए जाएं तो कैसे होगा ? जहां तक समय बढ़ाने की बात है तो वह स्पीकर साहब ही डिसाईड कर सकते हैं।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया . . . (व्यवधान) सदन की भावनाओं को स्पीकर साहब तक पहुंचा दिया जाए।

सभापति महोदय : पहुंचा देंगे।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बात यह नहीं है। आप अब तक चालीस मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

आप एक-एक प्लाईंट को दस-दस बार बोल रहे हैं, ठीक है अब आप बोलिए।

श्री अनादि चरण दास . . . .(व्यवधान) फारेस्ट के बारे में मैंने सुझाव दिए हैं लेकिन और भी सुझाव हैं। मैं इसको कंसलटेटिव कमेटी में भी उठाना चाहता हूं। सोश्यो-इकोनोमिक प्रोग्राम के बारे में भी बोलना चाहता हूं। ट्राईबल सब - प्लान का आईडीपी एरिया है जिसके बारे में सरकार की मंशा है कि इन लोगों की हालत अच्छी हो जो प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसमें एक एरिया डेवलपमेंट स्कीम भी है।

दूसरे आप इन्डीविजुअल इनकम गारंटी प्रोग्राम के तहत सबिस्डी दे रहे हैं और शत-प्रतिशत ग्रांट भी दे रहे हैं। उनका शोषण न हो, इसके लिए आपने वहां सोसाइटी भी बनाई है। लेकिन फिर भी उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। आपने आदिवासी लोगों मुख्य धारा में मिलाने के लिए कई

योजनायें बनाई हैं और उन पर काफी पैसा भी खर्च किया है। 1956 से लेकर 1994 तक आपने करीब 21951 करोड़ रुपये स्टेट प्लान के तहत खर्च किये हैं। इसके अलावा अन्य मदों में भी खर्चा हो रहा है। जैसे आई आर डी पी में उनके लिए 50 प्रतिशत हिस्सा है। इस तरह से आपने उनके कल्याण के लिए बहुत सारे प्रावधान कर रखे हैं। फिर भी हमने देखा है कि एक भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के तरीकों को बदलना होगा। अगर अधिकारियों पर अंकुश नहीं रखा गया तो जैसी हालत अभी है, वैसी ही बनी रहेगी। ब्लाक स्तर पर भी काफी पैसा खर्च होता है। हमारे ब्लाक में कई लाख रुपयों की योजनायें लागू की जाती हैं। मैंने अपने क्षेत्र में जाकर और अन्य आदिवासी बहुत क्षेत्रों में जाकर वहां के निवासियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनके किसी भी व्यक्ति को कोई ट्रक, बस का परमिट या ठेकेदारी का लाइसेंस नहीं मिलता है। मेरा सुझाव है कि जितने भी इस तरह के परमिट और लाइसेंस हैं, आदिवासियों के लिए 50 प्रतिशत रिजर्व रखे जायें, बाद में दूसरों को दिये जायें। इसी तरह से मेरा एक सुझाव यह भी है कि उनके गांवों में साहूकारों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाये। आपने इतने बड़े गोदाम बना रखे हैं, स्टेट बैंक को भी आपने कहा है कि इन लोगों के इलाकों में गोदाम और घर बनाये जायें। लेकिन हमने देखा है कि जो गोदाम बनाये जाते हैं उनका उपयोग किसी और चीज के लिए होता है। घर भी पूरी तरह से नहीं बनाये जाते हैं। घर बनाने का सामान नहीं पहुंच पाता है। हमारे यहां पर आदिवासियों को कुछ नहीं मिलता, उनको जमीनों पर ये लोग गोदाम और घर बनाते हैं, लेकिन उनको किराया तक नहीं दिया जाता है। योजनाओं को लागू करने वाले जो होते हैं उनकी करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी बन जाती है और वे किलो-किलो सोना घर ले जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि अगर आप आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं तो उनके लिए विशेष योजनायें बनाये और जरूरत पड़े तो संविधान में भी परिवर्तन करें जिससे वे लोग राष्ट्र की मेन स्ट्रीम में आ सकें।

सभापति महोदय : अब बाकी के सुझाव दूसरों को देने दीजिये।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : ठीक है मैं अभी खत्म किये देता हूं। मैं ज्यादा व्याख्या करूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पूरा एक घंटा खर्च कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : रिज़र्वेशन के बारे में जहां तक है पहले की हालत में सुधार हुआ है। हमने देखा है कि फर्स्ट क्लास और आईएएस में तो ठीक हैं लेकिन ग्रुप डी में अभी तक गड़बड़ी है। वहां पर अभी कमी है। मेरा सुझाव है कि ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए जैसा कमिशन की रिपोर्ट में और हमारी समिति ने कहा है, राज्यों में डिस्ट्रिक्ट के लिये अलग से होना चाहिये। मान लो कोरापुट

जिला में 56 प्रतिशत ट्राईबल हैं तो इस हिसाब से रिज़र्वेशन भी 56 प्रतिशत होना चाहिये। मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है और बिहार को हमने एग्ज़ामिन किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इतना बहुत है। कृपया बैठ जाइये। श्री बालयोगी अब आप बोलिये।

[अनुवाद]

श्री जी.एम.सी. बालयोगी (अमालापुरम) : धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : एक मिनट में खत्म किये देता हूं।

सभापति महोदय : आपने एक घंटा ले लिया है।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : ले लिया तो क्या बात हो गयी। मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा।

सभापति महोदय : मैंने कह दिया अब आधा मिनट भी नहीं मिलेगा। अब आप बैठ जायें। एक घंटा हो गया है, क्या मजाक समझ रहे हैं ?

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्वेशन के बारे में आर्डर दिया है जिसमें कहा है कि रिज़र्वेशन प्रोमोशन में नहीं है और 5 साल के लिये रखा है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वहां के लोगों ने 69 प्रतिशत की मांग की है और बारगेनिंग किया है। आज सारी रात बैठकर इसको पास करो। दूसरे हाऊस में भी आ रहा है। उसको आज आप क्यों नहीं कर रहे हैं ? पांच साल का समय दिया है। अगर आप नहीं लगायेंगे तो वही होगा। अगर संविधान में धारा है तो जोड़ने से होगा क्योंकि एंटरी में तो ठीक है लेकिन प्रोमोशन में नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप को विचार करना चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री तारासिंह) : और अधिक नहीं। अब कुछ भी कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री बालयोगी।

श्री जी.एम.सी.बालयोगी (अमालापुरम) : धन्यवाद, महोदय। कृपया मुझे मेरी मातृभाषा अर्थात् तेलुगु में बोलने की अनुमति दें। मैंने भाषांतरकार को भी नोटिस दिया है।

* **श्री जी.एम.सी. बालयोगी** (अमालापुरम) : सभापति महोदय, कृपया मुझे तेलुगु में बोलने की अनुमति दें।

* मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रांरम्भ में तो मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अद्यपूर्व आयुक्त के वर्ष 1986-87 और 1987-88 संबंधी अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदन पर जिन्हें क्रमशः 9 मई, 1989 और 29 अगस्त, 1990 को सभा पटल पर रखा गया था तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्ष 1982-93, 1984-85 और 1985-86 संबंधी पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदन जो क्रमशः 5 मार्च, 1986,26 अगस्त 1987ए 4 मई, 1988 और 21 नवम्बर, 1988 को सभा पटल पर रखे गए थे, पर अपने दल की ओर से बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, हमारा संविधान जनता द्वारा यथा निर्वाचित सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्धार के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 का निर्देश देता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार ;

''राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।''

यह सरकार को ऐसी विभिन्न योजनाएं लागू करने का जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास और प्रगति के लिए हो तथा यह देखने का भी निर्देश देता है। कि हमारे इन असहाय भाइयों का किसी प्रकार का शोषण या उनके साथ अन्याय न हो, संविधान में प्रतिष्ठापित इस महत्वपूर्ण उपबंध की हम सभी को भली-भांति जानकारी है। परन्तु, आज वास्तविकता क्या है ? उत्तरोत्तर सरकारें इस अनुच्छेद को अक्षरशः लागू करने में कहां तक सफल रही हैं ? मुझे बाध्य होकर यह कहना पड़ रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए बनी विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि के उपयोग और हमारे समाज में इन लोगों को सम्मानित स्थान प्रदान करने के लिए बने अनगिनत विधान किसी भी प्रकार का कायाकल्प करने में असफल रहे हैं। मुझे खेद के साथ ऐसा कहना पड़ रहा है। धनराशि का दुरुपयोग हुआ है और विधानों की अवहेलना की गई है। उदाहरण के लिए, हिमाचल सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए आबंटित धनराशि को हेलिकाप्टर खरीदने में खर्च कर दिया। यदि यह स्थिति है तो हम भली-भांति कल्पना कर सकते हैं कि राज्यों में विभिन्न योजनाओं को किस प्रकार लागू किया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए पूर्णतः आबंटित 50 करोड़ रुपए भी अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च कर दिए गए और इस प्रकार जिन लोगों को इस राशि का लाभ पहुंचना था वे उससे पूर्णतः वंचित रह गए। यदि ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं मालूम कि सरकार किस प्रकार अत्यधिक वंचित लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के अपने प्रयास में सफल हो सकती है। योजनाओं का धीमा कार्यान्वयन बहुत चिंताजनक है। जैसे कि इतना ही पर्याप्त नही है, कतिपय राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनी विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि को गैर-योजना कार्यों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी पर खर्च किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान की। अब तक केवल चार राज्यों/दिल्ली, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ही योजना को लागू किया है। अधिकांश अन्य राज्यों ने तो अभी तक सफाई कर्मियों की पहचान भी नहीं की है। पहचान का कार्य नवम्बर तक पूरा हो जाना चाहिए था। विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि को अन्य कार्यों पर खर्च कर देने में विभिन्न राज्य सरकारों के करवाई पूर्ण रवैय को सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त हैं। केन्द्रीय कल्याण मंत्री ने भी यह स्पष्ट कहा है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिए दी गई धनराशि को निरंतर अन्य कार्यों पर खर्च करती रही है। परिणाम यह है कि विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ वास्तव में उनको नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए। यहां तक कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टल बनाने के लिए दी गई राशि को भी नहीं बख्शा गया है। राज्य सरकारों ने भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है: आदि जैसे बहाने बनाकर इन धनराशियों को भी अन्य कार्यों में खर्च कर दिया है। धनराशि को अन्य कार्यों में खर्च करने के लिए राज्य सरकारों के पास अनेक बहाने हैं। इस तथ्य को केन्द्रीय कल्याण मंत्री तक ने स्वीकार किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता कोई अपवाद नहीं है। महोदय, यदि ये सब धनराशियां अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च की जाती रहीं, तो ये गरीब लोग गरीबी की रेखा किस प्रकार पार करेंगे। केन्द्रीय सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और उपर्युक्त उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।

हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के 48वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। किंतु यह बड़े क्षोभ की बात है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। हमारा समाज इस बात पर विचार करे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किये जा रहे अत्याचार पूर्ण रूप से इन समुदायों की समस्याएं हैं। और शेष समाज का इससे कुछ लेना देना नहीं है। किंतु आश्चर्यजनक बात है कि इस समस्यां के प्रति सरकार का दृष्टिकोण भी ढीलाढाला है। महोदय, यह समाज के हित में नहीं है कि इन बेसहारा लोगों पर अत्याचार जारी रहें। समाज और सरकार दोनों को व्याप्त सामाजिक असमानताओं का अहसास होना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए अन्यथा यदि ये सामाजिक असमानताएं जारी रही तथा यदि अत्याचारों के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिके लोगों की अप्रशस्ति कठिनाइयों की सरकार द्वारा उपेक्षा की जाती रही तो यह समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। संभवतः किसी दिन समाज और सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। समाज और सरकार दोनों को इस बात का अहसास होना चाहिए और इन असमानताओं को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात की जरूरत है कि समाज में जागृति पैदा हो और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। मात्र कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अत्याचार निवारण अधिनियम आदि पहले से मौजूद हैं। कई अधिनियमों के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। समाज के सर्वाधिक पीड़ित वर्गों पर अत्याचार बढ़ता इस बात का प्रमाण है कि समाज उन्हें कितनी उपेक्षा और घृणा से देखता है।

विशेष न्यायालयों की स्थापना इन लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में महत्वपूर्ण साबित होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन विशेष अधिकरणों के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। तभी उन्हें सामाजिक न्याय उपलब्ध करना संभव होगा और तभी संविधान में उल्लिखित समाजवादी समाज की स्थापना का स्वप्न साकार हो सकता है। इसलिए आपके और इस महान सदन के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अत्याचार के मामलों से निबटने के लिए अलग से विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाय और इन अधिकरणों/न्यायालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाय। इन अत्याचारों से पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा प्रदान किया जाय। मुआवजे की राशि कम से कम 5 लाख रुपये होनी चाहिए। जिससे पीड़ित लोगों के परिवारों का अच्छी तरह से पुनर्वास किया जा सके।

महोदय, जहां तक निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का संबंध है। हमारे पास आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी., एस.ई.पी.यू.पी., आर आई.ई.पी., डी.आई.आर. आदि जैसी कई योजनाएं हैं, ये सभी कार्यक्रम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए बनाए गए हैं। परन्तु इन सभी कार्यक्रमों का ठीक तरह कार्यान्वियन नहीं किया जा रहा है। अब तक ये योजनाएं सफल नहीं हो पाई हैं क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण देने, जिसका प्रावधान इन योजनाओं में किया गया है। रुचि नहीं लेते हैं इस कारण से ये कार्यक्रम अधिकांशतः सफल नहीं हुए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बनी इन योजनाओं के सफल कार्यान्वियन के लिए इस माननीय सदन के माध्यम से सुझाव देता हूँ कि विभिन्न योजनाओं के अधीन अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति बैंक" की स्थापना की जाय।

महोदय, मैं भूमि आबंटन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को परती भूमि का आबंटन उनके आर्थिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

परन्तु दुर्भाग्यवश आज क्या होता है कि परती भूमि पर अभी बड़े जमींदारों का गैरकानूनी कब्जा है। इस भूमि के अधिग्रहण के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में बांट देना चाहिए। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं इस अवसर पर सरकार से यह निवेदन भी करता हूँ कि भूमि सुधार कानूनों का तेजी से कार्यान्वयन करके फालतू भूमि का अधिग्रहण किया जाय और इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में वितरित किया जाय। इन लोगों में परती भूमि फालतू भमि का वितरण उनका जीवन स्तर सुधारने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

इस उद्देश्य के लिए, इसके बेहतर कार्यान्वयन तथा प्रगति पर निगरानी हेतु यह आवश्यक है कि ग्रामीण विकास विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक विशेष विभाग खोला जाए। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि सरकार शीघ्र ही एक अलग विभाग बनाने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करेगी। इस समय सरकार इन लोगों को भूमि क्रय करने हेतु अत्यल्प राशि प्रदान कर रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस राशि में वृद्धि करे क्योंकि वर्तमान राशि भूमि क्रय हेतु बहुत कम है।

महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मंजूर करने हेतु आय सीमा बहुत समय पहले निर्धारित की गई थी। यह आय सीमा रोजगार प्राप्ति में भी बाधक बन गई है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल इस सीमा को बढ़ाकर रुपये50,000 /- कर दे। यह कदम इन वर्गों के शिक्षित नौजवानों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

इन सभी वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु बजट आबंटन नगण्य रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के चहुँमुखी विकास हेतु संघीय बजट का कम से कम तीस प्रतिशत निर्धारित करे। वे कुल जनसंख्या का 25 से 34 प्रतिशत हैं। यही नहीं वे देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 60 प्रतिशत तक योगदान कर रहे हैं। अतः निश्चय ही ये वर्ग बेहतर सुविधाएं पाने के हकदार हैं अतः मैं सरकार से अपील करता हूँ कि संघ्ज्ञ के कुल बजट का कम से कम 30 प्रतिशत इन वर्गों के लिए आबंटन करे।

इन वर्गों हेतु नौकरियों में आरक्षण इन वर्गों को दिया जाने वाला दान नहीं समझा जाना चाहिए। वे इसके हकदार हैं। हमारे संविधान निर्माताओं, विशेषकर डा.वी. आर. अम्बेडकर, ने स्थिति का गहन अध्ययन करने के पश्चात् ही हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंके लिए नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान सम्मिलित किया था। परंतु दुर्भाग्यवश किसी ने भी संविधान द्वारा प्रदत्त गारंटी को पूर्णतः कार्यान्वित करने की चेष्टा नहीं की। विभिन्न विभागों में बहुत सी रिक्तियां हैं। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर सभी क, ख, और ग समूहों में आरक्षित पद रिक्त हैं। आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को भर्ती करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। 15

प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत का आरक्षण का कोटा केवल चतुर्थ श्रेणी अर्थात् चपरासियों और परिचरों के पदों तक सीमित है।

'क' समूह श्रेणी में, अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण कोटा होने के बावजूद, अखिल भारतीय स्तर पर वास्तविक भर्ती 8 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाई है। अनुसूचित जनजातियों कें मामले में तो स्थिति और भी खराब है। समूह 'ख' श्रेणी में यह संख्या लगभग 2 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है संविधान के प्रावधानों की भी अनदेखी की जा रही है। नौकरियों में आरक्षण उनके आर्थिक विकास तथा सामाजिक स्तर में सुधार हेतु किया गया था। परन्तु सामान्यतः इन प्रावधानों के कार्यान्वयन की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। इन लोगों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में घोर अन्याय हो रहा है। इसलिए स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, सरकार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में न केवल आरक्षण सुविधा प्रदान करने अपितु उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने हेतु कदम उठाना चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भी आरक्षण नीति को कड़ाई से कार्यान्वित करने हेतु निर्देश दिए जाने चाहिए। कुछ राज्य सरकारें आरक्षण नीति का पालन नहीं कर रही हैं। तथा मामले की तात्कालिकता एवं गंभीरता को नहीं समझ रही हैं। कोटे के अंतर्गत आने वाले कई पदों को अनारक्षित किया जा रहा है। वे कोटे के अधीन आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों द्वारा नहीं भर रहे हैं। राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में न कोई अभिलेख रखती हैं। और न कोई रोस्टर। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूँ कि वह राज्य सरकारों को आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करें।

उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन सरकार सार्वजनिक क्षेत्र एककों और यहां तक कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी निजीकरण करने जा रही है। यह निजीकरण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समाज के अल्पसंख्यक वर्गों पर घातक प्रहार कर रहा है। इस निजीकरण के कारण सरकारी उपक्रमों में इन वर्गों को प्राप्त आरक्षण तत्काल समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार को निजी क्षेत्र में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु तुरन्त विधान बनाना चाहिए। इससे सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को संविधान द्वारा गारंटीकृत आरक्षण सुविधा से वंचित किए जाने से बचा सकेगी। आशा है कि सरकार शीघ्र ही इस सदन में आवश्यक विधेयक लाएगी।

मंडल आयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले ने काफी हद तक नौकरियों में आरक्षण के सांविधानिक रक्षोपाय में कमी कर दी है।

खंडपीठ ने टिप्पणी की है कि पदोन्नति में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा पांच साल बाद

आरक्षण संबंधी नियम निष्प्रभावी हो जाएंगे। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में व्यापक असन्तोष उत्पन्न हो गया है। यह राय मंडल आयोग के संबंध में दी गई थी। लेकिन इससे शंका उत्पन्न हो गई है कि क्या यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में भी लागू होगा ? कई बार संसद सदस्यों ने इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिए हैं। यह केन्द्रीय सरकार के लिए आवश्यक हो गया है कि वह राज्य सरकारों को स्थिति से अवगत कराये और स्थिति को स्पष्ट करे। इस संबंध में मैं संविधान को नौवीं अनुसूचि में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इस मामले को निपटाने के लिए नौंवी अनुसूची में शामिल कर दिया जाना चाहिए ताकि अदालती कार्यवाही की सम्भावनाओं को समाप्त किया जा सके। संविधान को संशोधित करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण के विषय को उस अनुसूची में शामिल कर देना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं विभिन्न विभागों जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामलों को देख रहे हैं। उनके कार्य के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यह दुख कि बात है कि जो विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामलों को देख रहे हैं। वह इन वर्गों के वरिष्ठ आइ.ए.एस. अधिकारियों द्वारा नहीं चलाये जा रहे हैं। इन विभागों का कार्य समाज के दूसरे वर्गों के अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा है। इसी वजह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को न्याय दिलाने में यह विभाग पूर्णतः विफल रहे हैं। इसी कारण से यह विभाग इन वर्गों से पूर्णतः कट गये हैं। जिला और राज्य स्तर के कार्यालयों तथा संगठनों जैसे अनुसूचित जाति वित्तीय आयोग, अनुसूचित कल्याण निगम तथा कल्याण विभाग के प्रमुख दूसरे वर्गों से आते हैं। कुछ मामलों में अधिकारी नियुक्त हैं ही नहीं। क्योंकि सरकार का गैर-जिम्मेदाराना रवैया इन महत्वपूर्ण संगठनों तथा विभागों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की नियुक्ति में रहा है। इसीलिए यह लोग इन वर्गों के साथ कोई न्याय नहीं कर पाये हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह राज्य सरकारों को इन वर्गों के कार्य को देख रहे कार्यालयों/विभागों के प्रमुखों की स्थिति नियुक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को ही नियुक्त करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें।

महोदय, जनजातियों की सभी ने अवहेलना की है। उनको अभी तक विकास के फल नहीं मिल पाया है। हालांकि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए इन क्षेत्रों में परियोजना कार्यालय खोले जा चुके हैं लेकिन वहां अधिकारी नहीं है। ज्यादातर इन विभागों के प्रमुख नियुक्त नहीं किए जाते हैं। कोई भी जनजाति क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वहां अधिकारी नहीं हैं तो इन कार्यालयों का कार्य कैसे चलेगा। सरकार द्वारा कोई निगरानी नहीं की जा रही है गैर-जनजातीय लोग जनजातियां की भूमि को अधिकृत करते जा रहे हैं। गैर-जनजातियों के लोग जनजातियों का शोषण कर रहे हैं। यही कारण है कि जनजाति क्षेत्रों में नक्सलवाद पनप रहा है। लोग नक्सलवादियों को मसीहा मानते हैं। यह

सच है कि जनजातियों के लोग नक्सलवादियों की नीतियों की सरहाना कर रहे हैं। इसलिए बिना विलम्ब के सरकार को गिरिजनों को विकास कार्य में लगे विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में हस्तक्षेप करना चाहिये। और यह देखना चाहिये कि उनको अर्थव्यवस्था और प्रगति में उनका हिस्सा मिल सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो समाज के बेईमान लोग इन गरीबों तथा निसहाय आदिवासिों का शोषण करते रहेंगे।

कुछ वर्ष पूर्व कई राज्यों में दोपहर भोजन योजना लागू थी लेकिन अब यह कुछ राज्यों में चल रही है। इस योजना के कार्यान्वयन में तमिलनाडु सबसे आगे है। दोपहर भोजन योजना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने का प्रोत्साहन मिलता है। केन्द्रीय सरकार को सभी राज्य सरकारों को परिपत्र जारी कर देनें चाहिए कि वह दोपहर भोजना योजना को लागू करें। यह आवश्यक कर देना चाहिए।

केवल शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सार्वभौमिक विकास संभव है। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए इन क्षेत्रों में सरकार को आवासीय विद्यालय स्थापित करने चाहिए।

जैसाकि मैंने पहले कहा था विभिन्न विभागों में कई आरक्षित रिक्तियों को भरा नहीं गया है। भारत की राजधानी, दिल्ली, में प्रमुख संस्थान जैसा अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अभी भरा नहीं गया है। लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। हमने कई बार माननीय मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की नियुक्ति करके इन पदों को भरा जा सके। इस संस्थान के अधिकारी इन पदों को अनारक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं सरकार से अब भी अनुरोध हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं ताकि संस्थान में वर्तमान रिक्तियों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की नियुक्ति की जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपको बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय राज्य मंत्री द्वारा जो अ.जा., अ.ज.जा. कमीशन का जो प्रतिवेदन चर्चा के लिए लाया गया है, मैं यह समझता हूं कि वह यह समझकर इसको लाये हैं कि जैसे यह कोई भानुमति का पिटारा हो। 12 वर्षों के अन्तराल में यह अ.जा., अ.ज.जा. कमीशन की सिर्फ रिकमैण्डेशंस आई हैं, इसमें कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आई हैं,

न ही कोई कार्रवाई की गई है। इसका मुख्य कारण यह है और मुझको इस बात को सुनकर आश्चर्य हुआ, हालांकि मैं चेयरमैन के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है लेकिन इसके लिए मात्र 6 घण्टे का समय आबंटित किया गया है, जो बड़ी दुखद और चिन्ताजनक बात है इसलिए निश्चित रूप से इस अवधि का विस्तार करना चाहिए, इसमें समय बढ़ाना चाहिए और जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें बोलने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अगर जरूरी समझा जाय तो इसको पूरे सत्र या अगले सत्र तक भी चलाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इस पर माननीय सदस्यों के बोलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाय, क्योंकि, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस देश में श्रम और श्रमिकों की शुरू से उपेक्षा होती आ रही है राष्ट्र का विकास नहीं होने का यही मुख्य कारण है। इस देश में जो नहरों का निर्माण करते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, महलों का, भवनों का निर्माण करते हैं, खेतों में सारे कामों को करते हैं, आज देश में उनकी जो स्थिति है वह भयावह है। आज सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले इस देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। किसी शायर ने कहा है कि :

''फुटपाथ पर पड़ा था, वह भूख से मरा था,

कपड़ा उठाकर देखा, तो पेट पर लिखा था,

सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा,

हम बुलबुले हैं इसकी , यह गुलिस्तां हमारा।''

लेकिन दुख इस बात का है कि जो राष्ट्र के विकास में सारा योगदान, सारी सम्पति और सारे सुखों को न्यौछावर करते हैं, आज उन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। सुबह को खाना मिलता है तो शाम के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है अगर थोड़ी बहुत राष्ट्रीयता की भावना किसी के दिल दिमाग में इस देश में हैं तो गरीबों के दिल दिमाग में ही बची हुई है। जो गिटपिट अंग्रेजी बोलते हैं और बड़े से ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनके दिल दिमाग में भारत के प्रति राष्ट्रीयता की भावना लेशमात्र भी नहीं हैं। अगर थोड़ी बहुत राष्ट्रीयता की भावना बची हुई है। तो इस देश के गरीबों और खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में बची हुई है।

दुख होता है कि इस देश मे 12 वर्षों के अन्तराल में इस कमीशन की रिकमैण्डेशंस को इस सदन में लाया गया है और रिकमैण्डेशंस को मात्र चर्चा करने के लिए लाया गया है, इन पर कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है, न होने की उम्मीद है। जैसा कि आप जेपीसी की रिपोर्ट देख चुके हैं और बहुत सारे मामले सदन में हम लोग देखते आ रहे हैं। हालांकि हम नये सदस्य हैं, हमारा अनुभव ज्यादा नहीं है लेकिन जो हम देखते आ रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है।

खासकर में आरक्षण के बारे में देश में लागू नहीं हुआ होता। इस देश में जो अंग्रेज नहीं आये होते तो आरक्षण इस देश में लागू नहीं हुआ होता। इस देश में जो हिन्दू व्यवस्था के पोषक उच्च जाति के लोग हैं, जो उच्चवर्गीय लोग हैं, वह कभी नहीं चाहते थे कि इस देश में आरक्षण लागू हो। विभिन्न प्रकार की धारा सभाऐं मुसलमानों के लिए अंग्रेज सरकार ने 1909 ईस्वी में आरक्षण लागू किया था। ठीक उसी तरह अंग्रेजी हुकूमत ने इसाईयों के लिए सन् 1909 के कानून में आरक्षण की व्यवस्था की थी, यह आरक्षण भी 28 वर्षों तक चलता रहा। मुसलमानों और इसाईयों के लिए आजादी के इतने लम्बे अर्से तक आरक्षण लागू रहा तो देश के किसी कोने से इसके खिलाफ आवाज बुलन्द नहीं हुई थी। अंग्रेज सरकार ने, गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, 1935 के जरिये हरिजन और आदिवासियों के लिए आरक्षण लागू किया था। यह कानून 1937 में लागू हुआ। सन् 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चालू रहने के कारण आरक्षण का पालन नहीं हो सका और आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ आजादी के बाद ही मिला। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 700 वर्षों तक मुसलमान हुकूमत रही, 250 वर्षों तक इस देश में अंग्रेजों की हुकूमत रही लेकिन न 700 वर्षों की हुकूमत में कभी इस देश के हिन्दुओं ने भारत छोड़ो मुसलमान आन्दोलन नहीं चलाया था लेकिन यहां भारत छोड़ो अंग्रेज आंदोलन शुरू हुआ। वह आन्दोलन इसलिए शुरू किया गया था कि 1937 में अंग्रेजों ने हरिजनों को पढ़ने का अधिकार दिया था। हरिजनों को पढ़ने का जो अधिकार मिला, इससे दलित, विरोधी लोगों ने भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू किया था। सिर्फ इसलिए कि हरिजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिले। हरिजनों के प्रति कितनी आस्था और कितना प्रेम उनके दिलों में हैं, वह इस सदन में बैठे हुए लोगों की गिनती से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप उनके हाथ उठवाकर पूछ सकते हैं कि इसमें कितने उच्च जाति के, वर्ग के लोग बैठे हुए हैं।

उनका आज भी हरिजनों के प्रति प्रेम नहीं है। वे नहीं चाहते हैं कि उनको राजपाट में, नौकरी में हिस्सेदारी मिले इसलिए उनकी घोर उपेक्षा होती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके विभाग में जो कार्मिक विभाग है उसमें कितने अनुसूचित जाति के लोग बैठे हुए हैं यह बताने की कृपा करें। मैं पूरी चुनौति के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश में किसी भी राज्य में आरक्षण कोटे का पालन नहीं किया गया है और जितनी राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वेलफेयर के लिए बजट में प्रावधान की गई है उस पैसे की 75 प्रतिशत राशि दूसरे मद में खर्च कर दी गई है इसकी जांच आज भी कराई जा सकती है।

महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्यों इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज जो छात्रवृत्ति की बात है जो एमए में छात्र पढ़ते हैं उनको मात्र 65 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है, जो मेडीकल और इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उनको 265 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है और किसी-किसी राज्यों में तो 2-2, 3-3 वर्षों तक छात्रवृत्ति मिलती ही नहीं है। और इसका भी पता लगाया जा सकता है, इसका इसी से

अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार हरिजनों के प्रति कितनी सचेष्ट और जागरूक है। इसके अलावा रोजगार के जो अवसर थे, खासतौर से जो चमार जाति का पेशा था, जो उनके पूर्वजों का पेशा चला आ रहा था, अनुसूचित जाति में जो इनडिविजुअल उनकी उप-जातियां हैं उनके बारे में बोला जा सकता है। उनका जो पेशा जूता बनाने का था, इस देश में बाटा को लाने के बाद उनका पेशा भी समाप्त हो गया। इस तरह रोजगार के जो थोड़े-बहुत अवसर मिले हुए हैं उसको भी सरकार समाप्त कर कर रही है।

महोदय, आज जे.आर.वाई. से, खास तौर से ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए जो पैसा भेजा जा रहा है जिसमें अनुसूचित जाति को इंदिरा आवास और अम्बेडकर आवास का निर्णय कराया जा रहा है, आज भी गांव से दूर बनाया जा रहा है लेकिन जो केन्द्र सरकार का एक सरकुलर गया था जे.आर.वाई. से जो राशि आबंटित होकर किसी योजना के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही दी जाएगी लेकिन उच्च वर्ग के लोग मात्र सौ से पांच हजार रुपए अनुसूचित जाति के लोगों को दे करके अपने नाम पर ठेका कराते हैं, हालांकि वे पैसा निकाल लेते हैं, और काम पूरा नहीं होता लेकिन केस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर होता है। आज आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, हम देखते हैं कि बिहार या किसी राज्य की जेलों में 60 से लेकर 65 प्रतिशत जे.आर.वाई की मद से जो पैसा दिया जाता है, निविदा उनके नाम पर लिया जाता है लेकिन काम वे नहीं करते हैं, पैसा निकाल लिया जाता है और आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जेल में पड़े हुए हैं इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

सभापति महोदय, इसके अलावा भूमि सुधार के संबंध में और चकबंदी, ये सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि किसी भी राज्य में, जैसे बिहार में जो भूमिहीन और गरीब लोग हैं उनको राज्य सरकार की परती भूमि नहीं मिली हुई है और अगर मिली भी है तो उसी जमीन को एक अनुसूचित जाति के नाम पर बंदोबस्त किया जाता है। सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच में लड़ाई करवाने का प्रयास करती है। उन्हें कहीं अपना हक नहीं मिला है। अभी मैं आपको बिहार का एक उदाहरण दे सकता हूं कि 70 हजार एकड़ भूमि का मामला अभी भी कोर्ट में लम्बित पड़ा हुआ है, यही स्थिति पूरें देश में हैं। इसलिए मैं इस बात को मजबूती से कह सकता हूं कि किसी की मंशा साफ नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में हरिजन थाना खोला गया है लेकिन वहां पर उच्च जाति के थाना प्रभारी बैठे हुए हैं क्या उनसे हरिजनों का कोई हित होगा, मैं नहीं समझता हूं कि इनको लाभ मिलने वाला है।

सभापति महोदय, मैं डिलिमिटेशन के संबंध में कहना चाहूंगा कि इस पर रोक लगाने हेतु इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो उस समय उनके द्वारा संविधान में संशोधन बिल लाया गया था कि 2,000 ईस्वी तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि जो जनगणना 1970 में हुई थी उस समय अनुसूचित जाति की आबादी साढ़े 22 प्रतिशत थी और आज करीब साढ़े 24 प्रतिशत हो गई

है। 1991 की जनगणना के अनुसार पुनः डिलिमिटेशन का काम करना चाहिए और हो सके तो बॉय रोटेशन डिलिमिटेशन करने की जरूरत है ताकि हरिजनों का अधिक से अधिक हित हो सके। . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

4.00 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य मणिपुर में भूमिगत उग्रवादियों द्वारा असम राइफल्स की एक टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया जाना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : सभापति महोदय, अत्यंत दुख के साथ इस सदन को सूचित करता हूं कि 18 अगस्त, 1994 को मणिपुर के सेनापति जिले में भूमिगत उग्रवादियों द्वारा असम राइफल की एक टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किए जाने की एक घटना में असम राइफल और सीमा सड़क संगठन के 23 कार्मिकों की दुःखद मृत्यु हो गई और 12 कार्मिक घायल हो गए।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार एक अधिकारी, एक जे.सी.ओ. और 50 कार्मिकों वाली 3 असम राइफल की एक टुकड़ी एक हल्के वाहन और सीमा सड़क टास्क फोर्स के दो वाहनों में शांगखोमई स्थित अपनी "कंपनी पोस्ट" से जा रहे थे। इस टुकड़ी पर मणिपुर के सेनापति जिले में स्थित गांव यांग खुल्लेन के दक्षिण में 18 अगस्त, 94 को 1310 बजे लगभग 30 से 40 भूमिगत उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। सुरक्षा बलों ने भूमिगत उग्रवादियों का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1430 बजे तक दोनों और से गोलियां चलती रहीं। इस घटना में असम राइफल्स के 17 कार्मिक और 4 व्यक्ति जिनमें सीमा सड़क संगठन के सिविलियन शामिल हैं, घटनास्थल पर ही मारे गए। असम राइफल्स के 9 और सीमा सड़क संगठन के कार्मिक घायल हो गए जिनमें से बाद में असम के 9 और सीमा सड़क संगठन के 5 कार्मिक घायल हो गए जिनमें से बाद में असम राइफल्स के 2 कार्मिक की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

वर्ष 1993 और 1994 के दौरान, 17.8.1994 तक के दौरान मणिपुर और नागालैंड में विभिन्न भूमिगत ग्रुपों से संबंधित 185 विद्रोहियों का सफाया करने में सुरक्षा बलों/राज्य पुलिस बलों को सफलता मिली। इसी अवधि के दौरान विभिन्न ग्रुपों से संबंधित 785 विद्रोही गिरफ्तार किए गए और मणिपुर एवं नागालैंड के बड़े विद्रोही ग्रुपों से 245 हथियार बरामद किए गए। हाल ही में हुई दो घटनाओं में, 28 जुलाई 94 को सेनापति जिले में असम राइफल्स ने एक भूमिगत नागा शिविर पर हमला किया जिसमें 9 विद्रोही मारे गए तथा 2 गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि असम राइफल्स के 4 जवान घायल हो गए और इनमें से एक की बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उग्रवादियों से बरामद किए गए शस्त्रों में, एक ए.

के. 47 राईफल, एक जी-3 राइफल, एक 30 कारबाइन, 12 बोर की 9 बन्दूकें दो 303 राईफलें, 5 देशी राईफलें और दो 2 इंच की देशी मोर्टार बन्दूकें और बड़ी मात्रा में गोलाबारूद्ध शामिल है। एक अन्य मुठभेड़ में, 14.8.1994 को मणिपुर के थोबल जिले में नागाओं और मैतई उग्रवादियों के एक संयुक्त ग्रुप ने असम राईफल पर घात लगाकर हमला किया। इस गोलीबारी में, 9 भूमिगत उग्रवादी मारे गए और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। दो वाकी-टाकी सेट और 16 एसार्टिड मैगजीनों के अलावा, तीन एम 16 राईफलों, एक 303 राईफल, एक एस.एल.आर. तीन स्वचालित राईफलों सहित 6 स्वचालित हथियार बरामद किए गए।

केन्द्र सरकार की चिन्ता के बारे में राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है और हिंसक गतिविधियों में हाल में हुई वृद्धि को रोकने के लिए अधिक सख्त कदम उठाने की सलाह दी गयी है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्रोहियों के खिलाफ पूरे जोश के साथ कार्रवाई जारी रहेगी।

4.05 म.प.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवे, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों पर विचार से सम्बन्धित प्रस्ताव – जारी

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदय, मैं बोल रहा था कि असैम्बली और पार्लियामेंट में सीट नहीं बढ़ायी जा सकी हैं, इसलिये चाहूंगा कि आर पी एक्ट में संशोधन करके इस काम को पूरा करना चाहिये।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दलितों पर अत्याचार बढ़ गये हैं। हालांकि कानून बने हुये हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में जनता संसदीय दल का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश में 25.7.94 को गया था जहां एक गांव में सामती लोगों ने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आज के युग में जहां हम चांद सूरज की ओर बढ़ने की बातें कर रहे हैं, वहां इस तरह के कांड हो रहे हैं। जो अभियुक्त हैं, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिये चाहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाये।

सभापति महोदय, अब बात आती है छूआछूत की। उदाहरण के लिये मैं कहूंगा कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पांच दिन के लिए छुआ नहीं जाता है। संतान पैदा होने पर स्त्री जननी को नहीं छुआ जाता है लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई अयोग्यता नहीं आ जाती है। हरिजनों के खिलाफ छूआछूत तो

कालजयी रही। उत्पादन करने वाले और अमीरों के समाज को मालामाल करने वाले मेहनतकशों के विरुद्ध सम्पत्तिशाली शासक वर्ग ने जिस चीज के जरिये अपनी वर्गीय नफरत का इज़हार किया है उसे छूआछूत के नाम से जाना जाता है।

हिन्दू समाज ने अछूतों पर जिस तरह के अत्याचार किये हैं उन्हें सुनकर रौंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा कोई अन्याय और उत्पीड़न नहीं था जो इन अभागे लोगों पर शासक वर्ग ने नहीं किया हो। हरिजनों को तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। समुद्र की गहराई लम्बाई और चौड़ाई को नापा जा सकता है। लेकिन इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जो व्यवहार और अन्याय किया गया है, उसको नहीं नहीं नापा जा सकता है।

जब भारत आज़ाद हुआ तब संसद, विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में हरिजनों और आदिवासियों के लिये आरक्षण लागू करने के लिये डा. भीमराव अम्बेडकर जी का अकेला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। यह उनकी लगन, निष्ठा और गरीबों के प्रति सर्वोच्च प्रेम की निशानी और त्याग का फल है। यदि हरिजन और आदिवासी अपने बल पर नौकरियों में आ जाते तो आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। उनको आरक्षण इसीलिये दिया गया था। वे अपने बल पर कभी संसद या विधानसभा में नहीं आ सकते थे। सरकारी नौकरियों में आने का सवाल तो दूर रहा। हुकूमत और प्रशासन में इन तबकों की सांझेदारी की शर्त अंग्रेजों ने रखी थी। इसलिये आरक्षण लागू किया गया। आरक्षण देकर सरकार ने कोई कृपा नहीं की। यह उपेक्षित और दलित तबकों का हक था। और संवैधानिक अधिकार है।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रेम चंद राम (नवादा) : सभापति, अनेक साथियों ने यहां पर एस.सी.एस.टी. के आयुक्त और आयोगों की रिपोर्टों पर विचार करने के लिये अपनी बात रखी। सौभाग्य से ये रिपोर्टें 12 साल बाद यहां रखी गयी और जिन सदस्यों ने अभी तक अपने विचार रखे, दलगत भावना से ऊपर उठकर बात रखी। लोग चर्चा कर रहे थे कि एस.सी.एस.टी. के लोगों की सहभागिता किस प्रकार मुकर्रर की जाये। यह सौभाग्य की बात है कि 1982 से लेकर 1989 तक रिपोर्टें 5-6 खंडों में हैं।

उसको पढ़ने के बाद कहीं कोई संशय नहीं रह जाता कि इसमें कोई बात छिपाई गई है। बल्कि ऐसा लगता है कि आयोग और आयुक्तों ने बड़ी गहराई से अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं का अध्ययन किया है। उनके बीच जाकर, पहाड़ों में, गांवों में घरों में जाकर जो संवैधानिक प्रस्थापनाएं हैं, उनका अध्ययन उन्होंने किया और सरकार को सुझाव दिया कि इस देश में एक संपन्न समाज है और ठीक उसे विपरीत एक विपन्न समाज है जिसका नाम अनुसूचित जाति और जनजाति है। उसको समान स्तर पर लाने के लिए, उनके बीच जमीन-आसमान का जो फासला है, उसको कम करने के लिए तमाम वैसी व्यवस्थाएं की जाएं जो जरूरी हैं। सभापति महोदय, उनके अध्ययन के बाद दिल गदगद हो जाता है।

चूंकि मैं उस घराने से आया हूं, उस समाज से आया हूं, गरीबी का मेरे रोम-रोम पर असर है। इसलिए जैसे रामायण पढ़ने के बाद लोग शांति महसूस करते हैं, उसी तरह से उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन देश आजाद हुआ और यह आजादी के बाद 47वां वर्ष है। 15 अगस्त को लालकिले के प्राचीर से देश के प्रधान मंत्री का भाषण पूरे राष्ट्र ने सुना और विदेशों में भी उसका प्रसारण हुआ। सारे संसार ने उसको सुना। मैं नहीं समझता कि उनके भाषण में कोई बात इस गए-बीते तबके के बारे में है। अगर शरीर का थोड़ा सा अंग सड़-गल जाता है तो आप मेडिकल इंस्टीट्यूट या राम मनोहर लोहिया में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन समाज का वह अंग जिसको मैं गलित न कहकर दलित कहूं तो ठीक है, 47 वर्षों के बाद भी उस वर्ग को खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं हैं, जीवन-यापन का कोई साधन नहीं है। फिर द्रौपदी के चीर-हरण के बाद भगवान आ जाते हैं, और चीर बढ़ा देते हैं। इसलिए कि वह राजा की बहू थी और चीर हरण कैसे हो सकता था ? आज ठीक उसका उल्टा हो रहा है। हरिजन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और बलात्कार करते हुए शर्म आती है। रोज़ अखबारों में आता है और उस पर चर्चा होती है लेकिन कार्रवाई नगण्य है। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। ये सौभाग्य की बात है कि वह भी अनुसूचित जाति के ही हैं। अनुसूचित जाति में उन जातियों का नाम है जिनको सूचीबद्ध किया गया था कि इनकी तरक्की धीरे-धीरे की जाएगी, आर्थिक संपन्नता इनको दिलाई जाएगी, शैक्षणिक समानता दिलाई जाएगी और समाजिक विषमता पर नियंत्रण करके कटुता की भावना को दूर किया जाएगा। डा.भीमराव अंबेडकर की चर्चा हम लोग बहुत बहादुरी और दिलेरी से करते हैं। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। हमारे उस तरफ के सदस्य भी करते हैं। उनकी ही कृपा से डा. अंबेडकर की आदम कद प्रतिमा स्थापित की गई है। हम उनकी दाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम एक प्रतिमा स्थापित की है।

मैं कहता हूं कि आप हम सारे लोगों की मूर्ति बना दीजिए क्योंकि सदियों के बाद, 100 वर्ष के बाद, आज तक शम्भू की मूर्ति नहीं बनायी गयी, एकलव्य की मूर्ति नहीं बनायी गयी। एकलव्य का अंगूठा इसलिये काटा गया था कि ताकि वह अर्जुन के बराबर धनुर्धर न बनने पाये। शम्भू का गला इसलिये काटा गया था क्योंकि वे चाहते थे कि आदिवासी, असुर, दलित वर्ग के लोगों को पढ़ाकर ऐसा न बना दिया जाये ताकि वे दूसरों के बराबर आ सकें और आज भी वही हो रहा है। बहुत से कानून बनाये गये हैं, लेकिन स्टेट पावर के मामले में कोई दो मत नहीं हैं कि उसमें एक वर्ग की ही हिफाजत की जाती है, एक वर्ग की हिफाजत के लिये वह एक तलवार के रूप में काम करती है। यही उसके हाथ में है कि दूसरे वर्ग का बराबर वध करो, शोषण करो।

इसलिये हमारी लगातार मांग रही है कि शासन में हमारी भागीदारी तय की जाये। हम ऐसा नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति या जनजाति का कहलाने में हमारा गौरव है। पिछड़ी जाती का कहलाने में हम गौरव महसूस नहीं करते हैं। हम तब गौरव अनुभव करेंगे जब समाज में हमें बराबरी का दर्जा मिलेगा।

जरूरत के मुताबिक हम सांसदों को अधिकार मिल जाये, जरूरत के हिंसाब से सबको सम्मान मिले, वही समाज सम्पन्न समाज कहलाता है।

हमारे शरीर को भी लोगों ने बांटा है और बांटने वाले लोगों ने कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी है। पहले समाज को बांटा - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में और जब शूद्र रूद्र बनना शुरू होता है, रौद्र रूप धारण करने लगता है तो उसके आगे कुछ न कुछ रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है ताकि रौद्र रूप धारण करके वह दूसरे वर्गों का संहार न करे, समाज का सर्वनाश न करे। इसीलिये उसके तुष्टीकरण के लिये कुछ न कुछ किया जाता है।

4.17 म.प.

(श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुये)

आज मुझे यह कहते हुये बड़ी ग्लानि और दुख है कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुये। यहां हम वर्गीकरण का शिकार हुये। जैसे शरीर के अंदर पैर में कोई कांटा लग जाता है तो समूचे शरीर के मालिक माथे में स्पंदन होता है, दर्द होता है और वे आदेश देता है कि इसका इलाज कराओ। मेरा मतलब है कि हमारे शरीर का स्ट्रक्टचर ऐसा है कि सब अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं जबकि इसमें छोटे और बड़े सभी तरह के अंग हैं - छोटी उंगलियां हैं, उनमें नाखून हैं, लम्बे लम्बे पैर हैं लेकिन उनमें कोई भेदभाव नहीं हैं, सब एक दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और एक दूसरे के सुख से सुखी होते हैं लेकिन क्या ऐसा हमारे समाज में हो रहा है।

हम जानते हैं कि हर इंसान यहां आता और जाता है। यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं कि यह मृत्यु लोक है, वह स्वर्ग लोक है, यदि यहां कुछ दान करोगे तो उसका फल तुम्हें वहां मिलेगा। ऐसा कहने वाले पुजारी लोग अनेक तरह के पूजा-पाठ और यज्ञ कराते हैं लेकिन वे पंडित लोग यहां के बारे में कुछ कहने के लिये तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं कि यहां ले लो और यहीं दे दो क्योंकि आदमी जीने को के लिये कुछ चाहिये, उसे रोटी चाहिये और सबको रोटी मिलनी चाहिये, रहने के लिये मकान चाहिये और यहां कुछ लोगों के पास तो इतने मकान हैं कि वे गिनती ही नहीं कर पाते हैं कि कहां कहां उनके घर हैं और उनमें कितनी कोठरियां हैं। दूसरी तरफ यहां बहुमत में 80-90 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिये कोई घर नहीं है। सरकार नौकरियों में भी हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जितने एम्पलाईज हैं, चाहे वे सैन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वे रिटायर हो जाते हैं लेकिन उन्हें आवास की फैसिलिटी नहीं मिलती जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह एप्रोच करके तीसरे या चौथे साल ही आवास एलाट करा लेते हैं। ये तमाम बातें ऐसी हैं, जो मन को पीड़ा पहुंचाने वाली हैं और मैं जानता हूं कि हम कभी इसकी लड़ाई करने वाले नहीं है। मैं कहता हूं कि इस सदन के जितने श्रद्धालु हैं, सचमुच यदि उनके मन में पीड़ा है, कष्ट है या दर्द है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, अपील करूंगा

कि अगर वे एकमत से ऐसा चाहते हैं, लोग धोखा देने के लिए नारा लगाते हैं। लेकिन ये कितने दिन धोखा देंगे ? अगर सही तरीके से उनके दिल में अरमान हैं कि जो यह समाज टूट रहा है, उसको नहीं टूटने देंगे। अब नेशनल इंटीग्रेटी यूनिटी के लिए और हमारे ऊपर जो विदेशी ताकते हैं आक्रमण कर रही हैं और हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनका हम एक होकर मुकाबला करना चाहते हैं। अगर देश की तरक्की चाहते हैं तो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उन लोगों को उत्पादन साधन मुहैया कराने पड़ेंगे। नौकरियों में रिजर्वेशन हम मांगते रहेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। नौकरियों में तो अब अवसर मिलने खत्म हो गये हैं क्योंकि एक्सजिस्ट पालिसी लागू होने वाली है। वह अभी ठंडी है लेकिन उसके अंदर हल्लागुल्ला मचा हुआ हैं लाखों लोगों की छटनी कर दी गयी है। जहां रोजगार का अवसर हो, वहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल करें। उसके लिए रोज विधेयक आ रहे हैं, रोज बिल पास आ रहे हैं। हम लोग उसको पारित करते हैं।

सभापति जी, मैं अपनी बात खत्म करता हूं लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि इसमें कुछ ज्यादा समय होना चाहिए। यह हम नहीं कह रहे हैं। हम बहुत लम्बा भाषण नहीं करना चाहते। हमसे भी ज्यादा भाषण करने वाले लोग इस देश में हैं। अनुसूचित जाति के कई ऐसे लोग हैं जो हमसे ज्यादा भाषण करते हैं। वह हाउटिंग करके मंत्री बन जाते हैं। लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं होती है। अभी एस.सी.एस.टी. कमीशन के हमारे कनवीनर एम.पी. व मंत्री हो गये हैं। दो मिनिस्टर हों गये हैं जिनमें एक श्री मुकुल वासनिक हैं और दूसरे अरविंद नेताम, हमसे ज्यादा भाषण करने वाले लोग हैं भाषण करने से कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन हम आगाह करना चाहते हैं, हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इनको इस तरह से दबाया नहीं जायेगा जैसा तेलगाना मूवमेंट पर किया गया था। यह किसानों का आंदोलन था। किसानों की जो वाजिब हक है, मिलना चाहिए था, वह इनको नहीं मिल रहा है। उनको तबाह किया गया है, वहां उपद्रव हो रहा है।

हमारे गृह मंत्री जी इनसरजेंसी की बात कर रहे हैं। उसको पहले एकस्ट्रीमिट्मस कहा जाता था लेकिन अब इनसरजेंट कहा जाता है। उनका कहीं न कहीं शोषण हो रहा है और वह प्रोवोकेशन बाहर हो रहा है। गांव में जाने के बाद आपको पता लगेगा कि इन चीजें का इस्तेमाल विदेशी ताकतें कर रही हैं, जहां कोयला है, जहां खाद का अम्बार है वहां के लोग निर्वस्त्र हैं, गृह विहीन हैं, भूमिहीन हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। वह भगवान के भरोसे रहते हैं कि अगर वह देगा तो उसके बाल बच्चे जिन्दा रहेंगे। हम क्या उम्मीद करें कि यह देश सचमुच अपनी जगह पर है। भारत कोई चौथा देश नहीं है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। इस व्यवस्था के अंदर हमारे जो एस.सी.एस.टी. के पदाधिकारी बनते हैं, उनको भी कोई रियायत नहीं मिलती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि एस.सी.एस.टी. वाला आ गया है तो हम क्या करें ? लेकिन उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। अगर वह उनकी इच्छा के विरुद्ध जायेगा तो वह

उसकी वार्षिक रिपोर्ट खराब कर देंगे, उनकी तरक्की रोक देंगे। उनके ऊपर दोष लगाये जायेंगे। हमारे एस.सी.एस.टी. के ईमानदार आफिसर्स जेल के अंदर हैं, उनकी तरक्की रुकी हुई है।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि यदि यह सरकार सचमुच में चाहती है तो वह इस पर बहस करवायें।

हम मांग करेंगे कि वे इसे लागू करें। अब यह झांसा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं हैं। यदि इसे लागू नहीं किया जाएगा तो तमाम ताकतें लड़ने के लिए खड़ी होने वाली हैं। हमने आजादी इसलिए हासिल नहीं की कि हमें अपने ही देश में रोजी-रोटी के लिए आन्दोलन करना पड़े। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के रहन-सहन के लिए, उत्पादन के साधन में भागीदारी के लिए, शिक्षा के लिए, इम्प्लॉयमेंट के लिए, इज्जत की जिन्दगी जीने के लिए सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।

हम एक बार फिर से मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वे कोई कारगर कदम उठाने की कोशिश करें। इसके लिए यदि जरूरत पड़े तो मंत्रिमंडल से हट जाएं और हमारे साथ बाहर आकर आन्दोलन में साथ दें। यह नहीं होना चाहिए कि जो सिखा दिया, वह स्टेटमैंट देकर बैठ जाएं। हम कैसे समझेंगे कि उनके दिल में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के प्रति कुछ दर्द है। वे कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाएं और सामाजिक बदलाव में अपनी भागीदारी दें।

इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के हित में जरूर कोई कदम उठाया जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री पी.सी. चाक्को) : इस विषय पर 2.30 घन्टे की चर्चा हो चुकी है। इसलिये, मैं अगले सदस्य को आमंत्रित करने के पूर्व कहना चाहता हूँ कि अभी 39 माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह सिर्फ दस-दस मिनट ही बोलें।

अब, कुमारी सुशीला तिरिया।

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति देने के लिये आपका धन्यवाद करती हूँ।

मैं वर्ष 1986-87 तथा 1987-89 के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व आयुक्त के अट्ठाइसवें और उन्नतीसवें प्रतिवेदनों पर जो क्रमशः 9 मई, 1989 तथा 29 अगस्त, 1990 को सभा पटल पर रखे गए थे तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के क्रमशः पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों

पर जो क्रमशः 5 मार्च, 1986; 26 अगस्त, 1987; 4 मई, 1988 और 21 नवम्बर, 1988 को सभा पटल पर रख गए थे पर बोल रही हूँ।

इस आयोग का गठन हमारे प्रिय प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने किया था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु उनकी स्पष्ट धारणा थी। वह पिछड़े और अनपढ़ लोगों के बारे में भी सोचते थे। वह इस संबंध में संसद सदस्यों तथा मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श करते थे। तत्पश्चात् उन्होंने इस आयोग के गठन का निर्णय लिया था। अब इस आयोग के माध्यम से हमको कुछ विशेषाधिकार और कुछ सुविधाएँ मिलने लगी हैं। किन्तु मैं, दुख के साथ यह कहना चाहता हूँ कि काफी समय से यह प्रतिवेदन लंबित थे तथा काफी अर्से के पश्चात् यह सभा इन प्रतिवेदनों पर चर्चा कर रही है।

हमारे प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस ऐतिहासिक आयोग के गठन की घोषणा की गई थी। यह एक ऐतिहासिक घोषणा थी। मैं यह इसलिये कह रही हूँ कि हमको विद्यमान सांविधानिक प्रावधानों का फायदा मिलने लगा है। श्री राजीव गांधी को इस बात का दुःख था कि संविधानिक प्रावधानों के बावजूद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को इनका फायदा नहीं मिल पा रहा था। इन विशेषाधिकारों का फायदा इन समुदायों को नहीं मिल पा रहा था। वह उदार व्यक्ति थे। इसीलिये उन्होंने इन समुदायों के उत्थान के लिये लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की थी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदनों के संबंध में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हम वास्तव में दलित और शोषित वर्ग के लोग हैं। मैं भी शोषित तथा पिछड़े वर्गों की प्रतिनिधि हूँ। जब हम पिछड़े, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अनपढ़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमको अग्रणी विकसित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है। इसीलिये, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमको सदन में भी अपने विचार प्रकट करने तथा इन क्षेत्रों की समस्याओं को उठाने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों से चुन कर आते हैं इसलिये हमको कुछ प्राथमिकता मिलनी चाहिये। कई बार हमको अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता है। मैं कह सकती हूँ कि यह भी अनुसूचितय जाति तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के समान ही है।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि इन क्षेत्रों के विकास तथा प्रगति के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में कुछ विकास कार्य तथा विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं कह सकती हूँ कि आदिवासी लोग अपने क्षेत्रों से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। आदिवासी पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों को, जहां वह रहते हैं। पसंद करते हैं। कई बार विकास तथा प्रगति के नाम पर आदिवासियों को उनके क्षेत्रों से हटने के लिये कहा जाता है

ताकि विकास कार्य तथा विकास परियोजनाएं शुरू की जा सकें। उनको केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आश्वासन दिये जाते हैं कि इन क्षेत्रों से हटाने के पश्चात पुनः उनका किन्हीं और जगहों पर पुनर्वास कर दिया जायगा, लेकिन यह नहीं हो रहा है। मैं इस संबंध में एक उदहारण देना चाहता हूँ। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना के संबंध में आदिवासियों को कहा गया था। कि परियोजना शुरू करने के पूर्व उनका पुनर्वास कर दिया जायगा।

हालांकि अभी भी कार्य चल रहा है लेकिन उनका पुनर्वास उचित तरीके से नहीं किया गया है। ऐसा ही एक उदाहरण सिमलिपाल राष्ट्रीय उद्यान का है। जब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तो उस समय उस क्षेत्र से आदिवासियों को हटाया गया था। बाद में इसे बाघ परियोजना घोषित किया गया तथा अब इसे जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया। पुनर्वास कार्य के लिए आबंटित 30 लाख रुपये की राशि अभी भी जिलाधीश के कार्यालय में मुंधी पड़ी है। और आदिवासी लोग अभी भी बेघर हैं। दस वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अभी भी उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। अतः, मेरा अनुरोध है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को इस तरह से परेशान न किया जाए। ऐसी विकास परियोजना को प्रारम्भ करने के पूर्व ही उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा जो मैं उठाना चाहती हूँ वह जाति प्रमाणपत्र से संबंधित है। हमारे क्षेत्र में, वे लोग जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों नहीं हैं, भी स्थानीय अधिकारियों तथा लोक प्रतिनिधियों से ऐसे प्रमाण पत्रों की मांग करते हैं। और कभी-कभी ये अधिकारी तथा स्थानीय प्रतिनिध जानबूझकर अथवा अनजाने ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर भी देते हैं।

मेरा कहने का आशय यह है कि जाली प्रमाणपत्र बड़ी संख्या में जारी किए जा रहे हैं तथा हमें परेशान किया जा रहा है अनेक लोगों के पास ऐसे प्रमाण पत्र होने के कारण हमारी आरक्षण नीति से होने वाले लाभों से हमें वंचित रहना पड़ रहा है तथा इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। वे हमारी आरक्षण नीति से फायदा उठा रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए। इसकी समुचित जांच की जानी चाहिए जिससे कि आरक्षण नीति का लाभ सही लोगों तक पहुंच पाये।

महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के हरेक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष विशेष भर्ती अभियान चलाया जाता है। यह विशेष भर्ती अभियान हमेशा चलाया जाता है। यह विशेष भर्ती अभियान कभी राज्य स्तर पर तो कभी केन्द्र के स्तर पर चलाया जाता है। मेरा अनुरोध तथा मेरा सुझाव यह है कि आदिवासी लोग शहरों से बहुत दूर तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य विशेष भर्ती अभियान उन्हें स्थानों पर चलाया जाना चाहिए। ऐसा विशेष भर्ती अभियान उन्हीं स्थानों पर चलाया जाना चाहिए जहां गरीब लोग तथा विद्यार्थी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इससे आस-पास रहने वाले लोगों को भी अवसर मिलेगा तथा वे आरक्षण नीति का लाभ उठा सकेंगे।

आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवा मौजूद हैं जबकि हमारी आरक्षण नीति लागू है कोटा तथा विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद आदिवासी युवकों द्वारा आरक्षण नीति का समुचित लाभ नहीं उठाया गया है। वे अभी भी बेरोजगार हैं। इस कारण लोगों के मन में उदासी है। इसी के परिणामस्वरूप, आज बोडोलैंड तथा झारखंड जैसे आंदोलन चल रहे हैं। मेरी मांग है कि योग्य विद्यार्थियों को आरक्षण का उचित लाभ मिलना चाहिये जिससे कि उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में कुछ सुधार हो, यह उनका संवैधानिक अधिकार है।

महोदय, मैं दो या तीन बातें और कहना चाहता हूँ। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का हित देखने के लिये प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के संगठनों में एक सम्पर्क अधिकारी होता है। सम्पर्क अधिकारी का कर्तव्य न केवल कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करना है। अपितु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को सहायता पहुंचाना भी है। यदि सम्पर्क अधिकारी निर्वाचन बोर्ड अथवा साक्षात्कार बोर्ड में नहीं बैठेंगे तो वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि इन कार्यक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी को साक्षात्कार बोर्ड में शामिल किया जाए जिससे कि वे साक्षात्कार अथवा लिखित परीक्षाओं इत्यादि में भाग लेने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों• के उम्मीदवारों के हित का ध्यान रख सकें।

ज्यादातर आदिवासी भूमिहीन लोग हैं। परम्परागत तौर से वे गतिविधियों से जुड़े हैं। उनके मूल निवास से बाजार काफी दूर होने के कारण वे वहाँ नहीं जा पाते हैं। इसलिए उनके लिए एक सहकारी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वे अपनी वस्तुओं को सहकारी संस्थाओं को बेच सकें। वे बहुत अच्छे शिल्पी हैं लेकिन अच्छे विक्रेता नहीं हैं। मैं विभाग से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे इन आदिवासियों के निर्माण एकलों के नजदीक एक सहकारी विपणन प्रणाली स्थापित की जाए जिससे कि उन्हें इसका पूरा लाभ मिल सके।

पेट्रोलियम मंत्रालय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां आबंटित कर रही हैं। लेकिन वे अत्यंत पिछड़े तथा गरीब लोग हैं। पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां खोलने हेतु लाखों रुपयों की आवश्यकता पड़ती है। जब तक मंत्रालय द्वारा इन आदिवासी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, जो कि बहुत गरीब हैं, पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसिंया स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराती हैं, तब तक वे आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते हैं।

महोदय, मैं एक आदिवासी लड़की हूँ। तथा मेरा कहने का आशय यह है कि आम महिलाओं की तुलना में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर अत्यधिक कम है। आम महिलाओं की साक्षरता दर

24.82 प्रतिशत है। जबकि आदिवासी महिलों में यह दर 8.04 प्रतिशत है। अतः, मंत्रालय को आदिवासी क्षेत्र में, अधिक से अधिक महिला होस्टल, महिला कॉलेज स्थापित कर शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए।

आदिवासी क्षेत्रों में दहेज प्रथा न होने के फलस्वरूप वहां दहेज के कारण मौतें नहीं होती। यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो बाद में सारा परिवार शिक्षित हो जाता है। इसलिए, शिक्षा विभाग को आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अन्ततः , महोदय मैं यह कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखभाल करने के लिए 1986 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। मेरा सुझाव है कि इस आयोग को दो आयोगों में विभाजित कर दिया जाये क्योंकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्यायें बिल्कुल अलग हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी जनजातीय लोगों की समस्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए, प्रत्येक समुदाय की देखभाल सरकार बेहतर ढंग से तभी कर सकती है जब अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का अलग-अलग गठन किया जाए। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 330, 332, 335, 341 और 342 के अधीन ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं तथा यह कहा है कि चूंकि जनजातीय लोगों की स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों से बिल्कुल भिन्न है अतः इसके समाधान के लिए क्यों न दोनों आयोगों का अलग-अलग गठन किया जाए। वैसे भी हम अनुसूचितयों जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं। हमें ऐसा करना चाहिये। महोदय, मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देती हूँ।

4.41 म.प.

राज्य सभा से संदेश - जारी

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है : -

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 24 अगस्त, 1994 को हुई अपनी बैठक में संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अध्यधीन पारित संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

4.41½ म.प.

संविधान (पंचासीवां संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं 24 अगस्त, 1994 को राज्य सभा द्वारा यथापारित संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1994 सभा पटल पर रखता हूं।

4.41½ म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों, और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों पर विचार से सम्बन्धित प्रस्ताव – जारी

सभापति महोदय : रति लाल वर्मा जी आपके पास बोलने के लिए 10 मिनट का समय है।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : नहीं महोदय, 10 मिनट का समय काफी नहीं हैं। हम यह पहले ही कह चुके हैं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। आपके दल से ही और बहुत लोग बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं संविधान के रचयिता, महामानव युग पुरुष डा. भीमराव अम्बेडकर को याद करके और उन्हें प्रणाम करके अपना वक्तव्य दलितों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर क्या विपत्तियां हो रही हैं, उसको आपके समक्ष कह रहा हूं। चूंकि आप कह रहे हैं कि दस मिनट में खत्म करूं तो यह वही बात है कि 'घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई।' इस कारण घायल की गति दस मिनट में व्यक्त करना मुनासिब नहीं है।

भारत सरकार ने 1971 में संविधान की धारा 388 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवम् जनजाति आयोग का गठन किया। समयानुसार उसकी रिपोर्ट आती रही। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दस साल के बाद, इतनी लम्बी अवधि के बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए भी समय कम है। सदन के सब सदस्यों की भावना को ध्यान में रखकर इसका समय बढ़ाना चाहिए।

1984 में सातवीं रिपोर्ट प्राप्त हुई। लेकिन चर्चा दस साल बाद हो रही है। इस दौरान उन पर कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें, कितनी दिक्कतें और कितनी विपत्तियां आई हैं। लेकिन हमने हर साल चर्चा के लिए समय नहीं निकाला। यह दुःख की बात है। इन दलित, आदिवासियों की पीड़ा को आप समझ सकते है। आज देश के अंदर हथकरघा उद्योग में लगे ऐसे लोगों की क्या हालत है और किस तरह से

वे परेशान हैं, उसको कोई नहीं समझता है। इतना ही नहीं सामाजिक संस्थाओं और मंडल में इन लोगों पर झूठे आरोप लगाये जाते हैं और इनको बंद कर दिया जाता है। सरकार की तरफ से इन लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती है। गुजरात के अंदर बुनकर मंडल बंद कर दिये गये हैं और वहां की सरकार इन लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। चर्मकारों को परेशान किया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि बाटा ने यह काम करना शुरू कर दिया है और एक्सपोर्ट का काम यह कर रहा है जिससे इन चर्मकारों की आमदनी का कोई जरिया नहीं रह गया। इसी प्रकार लुहार का काम टाटा ने अपने हाथ में लिया हुआ है। यह सब काम इन गरीब लोगों के हाथ में रहना चाहिये था। इन अनुजाति को स्पेशल परमिशन लाईसेंस दिये जाने चाहिये थे लेकिन इन लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, आदिवासियों के लिये आज वन की बात की जाती है लेकिन फारेस्ट के नाम पर आज हम लोगों ने लिया है। उनको जंगलों में जाने से रोक दिया गया है। उन लोगों के लिये वृक्षों को बढ़ावा देना चाहिये। कुछ फलदार वृक्ष लगाने चाहिये। न कि कमर्शियल पेड़। इससे उनको आमदनी का ज़रिया मिलेगा और अपना काम कर सकेंगे। जो लोग 12 साल से अवैध कब्जा लेकर बैठे हैं, उनको पट्टा दिया जाना चाहिये। यह मांग उचित है। इसके अलावा वे अपना पशु धन भी नहीं ले जा सकते हैं और यदि ले जाते हैं तो जुर्माना देना पड़ता है। कभी-कभी तो उनको जेलों में भी बंद कर दिया जाता है।

सभापति महोदय, परियोजनाओं के नाम पर उनको बहुत ही परेशान किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते समय उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है और न रहने के लिये मकान आदि दिये जाते हैं। उनके बच्चों के लिये कोई स्कूल नहीं हैं और उनके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ - साथ पिछड़े लोगों को पूरी मदद मिलनी चाहिये। आदिवासियों के नाम पर राज्य सरकारों को बहुत सा धन जाता है जिसमें उनके घरों तक सड़क बनाने की बात भी होती है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सड़क उनके गांव तक भी होती है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सड़क उनके गांव तक भी नहीं जाती है। यही बात बिजली के बारे में है। बिजली उनके गांव के बाहर तक जा जाती है लेकिन उनके मोहल्लों को और इन लोगों के घरों को नहीं छूती है। उनके घरों में अंधेरा रहता है। स्व. प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 12.3.1980 को निर्देश दिये थे कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबों को उठाने के लिये काम किया जायेगा और उस पर चर्चा भी हुई लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर उठने की बजाय वे और गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गये हैं। मुझे तो यह आंशका हो रही है कि हम लोगों का जीना भी मुश्किल हो जायेगा। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की योजना बनायी गयी थी। और 1980 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा भी की गयी थी लेकिन इस सब के बावजूद भी इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोई कोशिस नहीं की गयी। सिर्फ कागज पर हम लोगों के लिये सुविधायें और सहायता प्रदान करने की घोषणायें होती रही हैं

लेकिन वास्तव में कोई काम नहीं किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि जो पैना या योजना आदिवासियों के लिये यहां से जाती हैं उसका केलव 15-20 प्रतिशत भाग भी वहां तक नहीं पहुंचता है। यह स्थिति और भयावह होती जा रही है।

सभापति महोदय, 1971 की जनगणना के मुताबिक भारत में 43.36 प्रतिशत कामगारों के पास खेती के लिए जमीन थी जिसमें 26.31 प्रतिशत लोग खेतिहर मजदूर हैं और बाकी लोग वाणिज्य और घरेलू उद्योगों में लग रहे हैं। इनमें 28 प्रतिशत कामगार मुख्यतः छोटे और सामान्य कृषक के रूप में कार्य करने में लगे हुये हैं।

आज भी ये लोग उतनी आमदनी प्राप्त नहीं कर सकते और ज्यादा से ज्यादा लोग खेतिहर मजदूर हैं। इनकी आय सारे हिन्दुस्तान में सबसे कम है। अगर ये खेतिहर मजदूर मजदूरी के बदले सही न्यूनतम मजदूरी लेने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं और कहीं वे सामना करते हैं तो उनको मौत के घाट उतारा जाता है। कहीं-कहीं उनकों गांव छोड़ने के लिए भी विवश किया जाता है। परिवार का निर्वाह करने के लिए दलित और आदिवासी भाई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं और दिन प्रति दिन पढ़ाई में उत्साह आने के बदले उनमें पढ़ाई के प्रति निराशा की भावना आने लगी है और उसके कारण यह स्थिति हुई है कि 1971 की जनगणना में सामान्य साक्षरता का प्रतिशत 29.45 प्रतिशत था लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों का 14.6 प्रतिशत था। उसी तरह प्राइमरी स्तर पर आदिवासी और दलित भाइयों के बच्चे 80 प्रतिशत पढ़ाई छोड़ रहे हैं और पढ़ाई छोड़कर छोटे छोटे बच्चे शहरों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, मिडिल स्तर पर 50 प्रतिशत बच्चे ही पहुंचते हैं और मिडित स्तर की पढ़ाई करने के बाद वह आगे जाने के लिए सोचते हैं लेकिन उनको सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति एवं आदिवासियों में निराशा आती हैं पांचवी रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे गरीब लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और और इसी कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और पढ़ाई छोड़कर वे मेहनत मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन जो उच्च शिक्षा में पहुंच जाते हैं, उसमें जो स्कालरशिप मिलनी चाहिए, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि आज की महंगाई के परिमाण में उन्हें वह छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कहीं कहीं राज्यों में तो छात्रवृत्ति दो तीन साल तक नहीं मिलतीं है और जब मांगने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है। जब इस प्रकार नौजवानों को अपमानित किया जाता है तो क्या हालत होगी यह आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, पढ़ाई छूटने के बाद लोग शहरों में रहने के लिए जाते हैं और शहरों में उनके लिए सुविधा नहीं है। वे नदी-नालों के किनारे रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। आज दिल्ली इसका सुबूत है। दिल्ली में आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग गंदी गलियों में रहते हैं और शहरों में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं तो वहां छात्रावास नहीं है। मैं गुजरात का उदाहरण देता हूं। गुजरात में एक नरसी भगत छात्रालय है और हजारों लोग वहां पर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन वहां उनके लिए प्रवेश नहीं है। और प्रवेश

न होने के कारण उनका अध्ययन छूट जाता है। किस प्रकार हम लोगों को आगे ले जाएंगे ? हमने बार बार छात्रावास बढ़ाने के लिए मांग की है। हमने मंत्री जी से मांग की थी कि छात्रों के लिए छात्रावास बढ़ने चाहिए लेकिन उसका भी कोई कारगर परिणाम नहीं निकला। इसके साथ साथ आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एम बी बी एस की परीक्षा गुजरात में अगर कोई अनुसूचित जाति और जनजाति का छात्र देता है और उसका सरनेम परमार, वाघेला, मकवाणां या सोलंकी होता है तो उसे फेल किया जाता है। वही छात्र फर्स्ट ईयर और सैकंण्ड ईयर में फर्स्ट क्लास लेते हैं लेकिन फाइनल परीक्षा में उनको फेल किया जाता है। और जब वे एमडी बनेंगे तो बड़ी पोस्ट पर जाएंगे तो और नाम कमाएंगे। इसलिए उनको कंपलसरी तीन बार फेल किया जाता है। इसके विपरीत देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने नाम बदलकर पटेल या शाह लिखवा लिए, वे पास हो जाते हैं और यह वास्तविकता है। हमारे मंत्री उत्तमभाई पटेल जी इसके उदाहरण हैं। पढ़े लिखे लोगों को इस प्रकार अपना सरनेम बदलना पड़ता है। हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इसका कोई कारगर परिणाम नहीं आया। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों में जो लोग आते हैं उनकी सी.आर. खराब की जाती है। अगर सी.आर. खराब नहीं होगी तो प्रमोशन पाएंगे, अगर प्रमोशन पाएंगे तो साहब बनेगें और अपने लोगों के लिए काम करेंगे और ये ऐसा न कर सकें इसलिए क्लर्क रहते हुए ही उनकी सी.आर. खराब जाती है ताकि वे आगे न बढ़ सकें।

इतना ही नहीं, एस सीएस टी की किसी एसोसियेशन को मान्यता नही दी जाती है। एस सी एस टी से संबंधित सरकारी कर्मचारी अपनी एसोसिएशन बनाना चाहते हैं लेकिन मान्यता न मिलने के कारण वे अपना कोई सवाल पेश नहीं कर सकते। बैंकों के बारे में भी मैंने 2-4 बार कहा, है बैंकों में कुछ एसोसिएशन को मान्यता दी गयी है लेकिन सरकार के अधीन चलने वाली संस्थाओं में आज तक किसी एसोसिएशन को मान्यता नहीं मिली। मेरा कहना है कि ऐसी तमाम एसोसिएशन को सरकार की तरफ से मान्यता दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, उनके प्रतिनिधियों को हर 3 महीनों के अंदर एक बार बुलाकर बात करनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की परेशानियों को सुना जाना चाहिए।

पांचवी रिपोर्ट में अतिरिक्त जमीन का भी जिक्र आया है। देश कें अंदर 40.43 लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन घोषित की गयी है। जिसमें से केवल 26.66 लाख एकड़ जमीन का कब्जा सरकार द्वारा लिया गया है और उसमें से अनुसूचिज जाति और जनजाति के लोगों को केवल 6.8 लाख एकड़ जमीन ही बांटी गयी हैं। कागजों में इतनी जमीन बांटी दिखायी गयी है। लेकिन वास्तव में उनको जमीनों पर कब्जा नहीं मिला है।

आज हालत यह है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग यदि जमीनें लेने जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती हैं। हमारे यहां गुजरात हमारे यहां गुजरात में गोलाना नामक नामक एक जगह हैं, जहां सरकार की ओर से जमीन दी गयी और जब कुछ नवयुवक जमीन लेने गये तो उनमें से 5 नवयुवकों की हत्या कर दी गयी। जमीन तो उन्हें नहीं मिली लेकिन वहां उनके कब्रिस्तान जरूर बन गये। इतना ही नहीं,

जो जमीन इन लोगों को बांटी जाती है, वह उपजाऊ नहीं होती बल्कि बंजर जमीन इन लोगों को दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि बंजर जमीन लेकर ये लोग क्या कर पायेंगे। बाहर से तो दिखाया जाता है कि हमने जमीन दे दी लेकिन बंजर जमीन दी जाती है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि बंजर जमीनों के लिये एक हजार रुपये दिये जाते थे लेकिन आज की महंगाई में आप समझ सकते हैं कि एक हजार रुपये से क्या बनता है। मेरी डिमांड है कि इस राशि को समय के मुताबिक बढ़ाना चाहिये। इसके अतिरिक्त 1979 तक, 14.73 करोड़ रुपया इस मद में मंजूर किया गया था लेकिन वह रुपया सही रूप में उन जमीनों तक नहीं पहुंचा बल्कि बीच में ही खत्म हो जाता है।

यहां मैं आपको गुजरात के संबंध में फीगर्स देना चाहता हू कि गुजरात में कितने लोगों को जमीन बांटी गयी। गुजरात में सिर्फ 0.04 लाख एकड़ जमीन बांटी गयी और हमारे स्टेट में वह जमीन आज भी ऐसे बंजर पड़ी हुई है। मेरा अनुरोध है कि बाकी जमीन को जल्दी से जल्दी लोगों को बांटा जाये। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि गुजरात में सिर्फ 0.013 लाख लोगों को जमीनें मिली हैं। इसके बारे में हम लोग जब भी मांग करते हैं तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

आप जानते हैं कि गुजरात में बहुत बड़ा शिप-ब्रेकिंग यार्ड है, जिसमें कुछ बड़े-बड़े लोगों ने पैसे के बल पर प्लाट्स ले लिये हैं, पूरा यार्ड ले लिया है, लेकिन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रिजर्वेशन के आधार पर जो एलाटमेंट होनी थी, जब हमने उसकी मांग की ओर गुजरात में मैरीटाईम बोर्ड को एस सी एस टी लोगों को सरकार की पौलिसी के मुताबिक जमीन देने के बारे में कहा तो सरकार का अभी तक उस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है क्योंकि सरकार उन्हें जमीन देना नहीं चाहती। कहा जाता है कि यदि शिप ब्रेकिंग यार्ड में इन लोगों को जमीनें दे दी गयीं तो ये लोग करोड़पति हो जायेंगे। आपको यह जानकार ताज्जुब होगा कि पहले उसके लिए 200 रुपये प्रति एप्लीकेशन राशि फिक्श था लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति एप्लीकेशन कर दिया गया यानी सीधे 200 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से आप समझ सकते हैं कि कितने एस सी एस टी के लोग इतने पैसे का प्रबंधन कर पायेंगे। दूसरी ओर एक करोड़ रुपये लेकर दूसरे लोगों को प्लांट दे दिया जाता है।

सभापति महोदय, यह कंप्लेंट मेरी नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के ही एक माननीय सदस्य श्री सोमजी भाई डामोर की है जो वर्तमान संसद-सदस्य हैं। वे भी इसके लिये लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं। परन्तु इसके बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। यदि यहां से कुछ निर्देश दिया जा सके तो मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार वे निर्देश गुजरात सरकार को दें।

5.00 म.प.

जहां तक जनसंख्या का संबंध हैं, 1961 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत 14.67 तथा अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत 6.00 इस देश में था। फिर 1971 की

जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 14.82 और अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 6.82 हो गया। वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर प्रतिशत के आधार पर आंकड़े मेरे पास नहीं हैं लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 10,47,54,623 थी तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 5,16,278,638 थी। लेकिन फिर भी इनके विकास के लिये जो काम करने चाहिये थे, वे काम हुये नहीं। भारत सरकार के द्वारा इन जातियों के विकास के लिये, अनुसूचित जाति आर्थिक विकास निगम स्थापित किया गया है लेकिन वह निगम क्या काम करता है, आप अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ देना चाहते हैं लेकिन इस निगम के माध्यम से जो चीजें खरीदी जाती हैं, कमीशन लगने के कारण वे चीजें महंगी हो जाती हैं। बाजार में तो ये चीजें सस्ती होती हैं लेकिन आर्थिक विकास निगम के द्वारा जो चीजें मिलती हैं, वे बहुत महंगी मिलती हैं। गरीब व दलित लोगों को वहां से चीजें इसलिए लेनी पड़ती हैं क्योंकि इन्हें लोन मिलता है। हम बैंकों में लोन के लिए आवेदन-पत्र देते हैं लेकिन नहीं लोन नहीं मिलता है। वे आवेदन पत्र को वापिस भेज देते हैं। एप्लाई बट नो रिप्लाई . . . . (**व्यवधान**) अनुसूचित जाति के लोग समुद्र के अंदर मछली मारने का काम करते थे लेकिन वह काम भी विदेशी कम्पनियों को दे दिया गया है, खासकर ताईवान वालों को। ताईवान वालें यहां से मछली मारकर ले जाते हैं।

सभापति महोदय, 7 वीं रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में इतने अत्याचार हुए कि मैं क्या बताऊं। सब सालों के तो नहीं बताता लेकिन 1985 में 750 अत्याचार के मामले हुए। 1985 में सारे देश की जो स्थिति थी, वह इस प्रकार है। उस वर्ष 489 खून हुए। 1357 हत्याएं हुई, बलात्कार के 674 व आगजनी के 972 आई.पी.सी. ओफन्स के 11525 मामले अनुसूचित जातियों पर हुए। इस देश में किसी को भी अत्याचार करने के लिए दो ही जातियां मिलती हैं - अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। सारे देश में टोटल गुनाहों की संख्या 15017 है। पंडित गोविन्द बल्लभ पंत अवार्ड के अन्तर्गत . . . . (**व्यवधान**) जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान हो रहा था तो श्री के.सी. पंत जी के शब्द में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि अटल जी ने उस वक्त भी बताया था कि जिनके दिल के अंदर छुआछूत और ऊंच नीच का भेद हो तो ऐसे व्यक्ति को क्लास वन, क्लास टू या आई.पी.एस., आई.ए.एस. नहीं बनाना चाहिए। जब इस तरह की बात होगी तो इन सबको न्याय मिलेगा।

सभापति जी, 15 अगस्त अभी गया है। आपको ताज्जुब होगा कि 15 अगस्त के दिन शाम को मेरे दोलका शहर में युवकों की छोटे से जुर्म के लिए खूब पिटाई की गई . . . उन्हें इलेक्ट्रानिक शोक दिया गया, पुलिस अधिकारी के द्वारा इतना ही नहीं। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में जो हत्याकांड हुआ . . . (**व्यवधान**) जेमलपुर, अहमदाबाद, काविता, धंधूका, साबंरडा, जामनगर आदि छोटे मोटे गांव में भी इस प्रकार से होता है। सारे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, कुम्हेर . . . (**व्यवधान**) चिंदूरका हत्याकांड आपको याद है जिसकी चर्चा 6 घंटे तक हुई थी . . . (**व्यवधान**)

मैं सुझाव केवल दे रहा हूं कि इन जातियों के लिए ईमानदारी पूर्वक पालिसी बनानी चाहिए और उसका सही रूप से पालन होना चाहिए। मोचियों के लिए जो एरिया रिस्ट्रक्शन था उसे पुनः स्थापित करने मंडल कमीशन में लेना चाहिए। रिजर्वेशन ग्रुप ए.बी. और सी में बैंक लॉग भरना चाहिए। स्पेशन रिक्यूटमेंट ड्राईव चलाना चाहिए। क्लास सी और डी के लिए जिला स्तर पर पापुलेशन को ध्यान में रखकर भर्ती करनी चाहिए। दूसरा एनुवल रिपोर्ट में रिक्मनडेशन नं. 432 से की गई है। लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। पंजाब की तरह उच्च न्यायालयों के आदेश उल्लंघन करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। सलेक्शन आन दी बेसिस ऑफ मैरिट होना चाहिए। मैरिट में आने वाले को जनरत में शामिल करना चाहिये। जाली क्रास्ट सर्टीफिकेट लाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए कानून बनाना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के लिए मकान आदि की सुविधा देनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : (श्री पी.सी. चाक्को) माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहता हूं कि यदि आप लोग इसी तरह से कार्य करते रहे तो मैं समझता हूं कि आप लोगों में से ज्यादातर सदस्य, जिनके नाम उनके सम्बद्ध पार्टियों द्वारा दी गई है, चर्चा में भाग नहीं ले पाएंगे। आज हमें इसे यहीं समाप्त करना होगा। यदि आप इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो सभी सदस्यों को इस चर्चा में भाग नहीं पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : इनटैगरेटेड चाईल्ड डेवलपमेट प्रोजैक्ट अनुसूचित जाति, जनजाति बस्तियों में खोलने चाहिए। एडल्ट एजूकेशन सैन्टर चलाने चाहिए। महिला समाज चलाने चाहिए, बालवाड़ी चलानी चाहिए। छुआछूत की ठीक से सुनवाई हो। गुनहगार को सजा हो, गवाह को संरक्षण मिले। कमेटी फौर प्रोटैक्शन आफ सिविल राइट्स ठीक से काम करे, इसे देखना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ ऐट्रासिटीज ठीक से होनी चाहिए। अत्याचार के भोगी को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाए। ठीक काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। केसेस को निपटाने के लिए मोबाइल स्पैशन कोर्ट स्थापित करने चाहिए। विजिलैंस कमेटी के कार्यों को देखना चाहिए। लघुतम वेतन बढ़ाना चाहिए। और फालतू जमीन का प्रत्यक्ष बटवारा किया जाए। शैडयूल कास्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन और बैंकों के कार्यों की जांच की जाएं। प्री-ऐग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग देनी चाहिए। शहरों में छात्रों के लिए छात्रावास बढ़ाने चाहिए। अगर इन युवकों की बात नहीं सुनी तो उन्हें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ेगा : -

मांगने से किसे मिला है, ताकत से खींच लाओ
आंखों के आंसू से न पत्थर पिघलने वाला है
तुम लोहा बन टकराओ और नवजागृत लाओ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री महोदय इसका कुछ इलाज करें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने सभी माननीय सदस्यों की बातें सुनी हैं। देश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति और आयुक्त का निर्माण किया गया था, उसका क्या नतीजा निकला।

5.07 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उन लोगों पर अत्याचार और जुर्म होते रहे लेकिन आयोग उसे रोक नहीं सका। 1990 में जब वी. पी. सिंह की सरकार बनी तो संविधान की धारा 338 में संशोधन किया गया जिसमें आयोग की जगह बहुसदस्यीय आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया। उनके बाद चन्द्र शेखर जी भी आकर चले गए और अब राव साहब आए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सरकार घड़ियाली आंसू बहाती है। सरकार की तरफ से लम्बे-लम्बे भाषण दिए जाते हैं कि हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा होता है तो आज 12 साल बाद भी इस पर बहस करने की जरूरत न पड़ती।

मैं पूर्व आयुक्त के साथ बिहार के कई गांवों में गया। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति की समस्याओं का काफी गहराई से अध्ययन किया । उनके रहने की व्यवस्था, पढ़ने-लिखने की व्यवस्था आदि के बन्दोबस्त के बारे में सोचा और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार यह जो कहती है कि हम इनको बराबरी का दर्जा देंगे तो बराबरी का दर्जा कैसे मिल सकता है। वह तभी मिलेगा, जब शिक्षा की तरफ आप ज्यादा जोर देंगे। इसके लिए शिक्षा दिलाने में ज्यादा खर्च करना होगा, तभी आप उनको बराबरी का दर्जा दिला सकते हैं।

शिक्षा में क्या हालत है कि जब पहली से पांचवी क्लास तक नामांकन होता है तो 50 से 60 प्रतिशत लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं। वह धनाभाव के कारण, गरीबी के कारण और खाने पीने का साधन नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद कक्षा 6 से ९ तक जाते-जाते बचे हुए लड़कों में से 20-30 प्रतिश पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उनको आप कैसे बराबरी में ला सकते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि अगर आप ईमानदारी के साथ उनको बराबरी में लाना चाहते हैं तो पहले तो आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा, जैसे अनैक्स्चर एक और अनैक्स्चर दो में अनुसूचित जातियों में ऐसी भी जातियां हैं जो आदमी की जिंदगी भी नहीं जी रही हैं, जैसे हमारे यहां मुसहर, गुलगुलिया, डोम आदि जातियों के लोग आदमी की जिंदगी भी नहीं जी रहे हैं। इनमें वर्गीकरण नहीं होगा तो यह जैसा चल रहा है, एक सर्किल की तरह से बन जाता है इसलिए इस पर भी आपको गौर करने की आवश्यक है।

आज इन जातियों के लिए जो आरक्षण का सवाल है, उसमें संविधान के अन्तर्गत इनको आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इतने वर्षों से आरक्षण मिलने के बाद भी बहुत से विभागों में स्थान खाली हैं, जहां पद नहीं भरे गये हैं और आरक्षण की कमी है। बाद में उसको जनरल में दे दिया जाता है। इसका साफ मतलब है कि शिक्षा में कमी है। यह सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं तो आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा खर्च की व्यवस्था आपको शिक्षा में करनी चाहिए। आप आवासीय विद्यालय खोलकर इनको पढ़ायें, तभी हम इनको बराबरी का दर्जा दिला सकते हैं।

जहां तक जमीन का सवाल है, हमें यह देखने को मिला है, मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा काम किया है, कि सरकारी जमीन भी इनको उपलब्ध नहीं हो रही है। इनकी फाइलें बहुत दिनों से चल रही हैं, 7-8 वर्ष तक जमीन की फाइल चलती हैं लेकिन फिर भी इनके कब्जें में जमीन नही दी जा रही है। मेरे क्षेत्र में बहुत से अनुसूचित जाति के लोग हैं जो जमीन पर कब्जा किये हुए हैं ओर उस जमीन पर अच्छी फसल उगा रहे हैं। हम कलैक्टर को रिपोर्ट देते रहते हैं, हाल ही में मुख्य मंत्री को भी हमने रिपोर्ट दी है लेकिन फिर भी इनके हाथ में कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है कि कोई न कोई जबरदस्त शक्ति अपने कब्जे में छीनकर ले लेगी तो जिस सरकार की ऐसी नियत है, वह सरकार यदि यह कहे कि हम इनको बराबरी पर ला देंगे तो मुझे इस पर विश्वास नहीं है। आपने भूमि हदबन्दी कानून क्यों लागू नहीं किया। भूमि हदबन्दी कानून आपको लागू करना चाहिए था लेकिन राज्यों में वह कानून ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसमें आप यह कहकर निकल जाते हैं कि यह राज्य सरकार का काम है। जब वहां पर संघर्ष होने लगता है और जब लोग हथियार उठाने लगते हैं तो आप कानून की दुहाई देकर वहां पहुंचते हैं लेकिन आपको इस विषय में पहले सोचना चाहिए। यह संघीय देश है, यह संघीय राज्य है इसलिए जहां इस तरह के हालात हों, वहां आपको राज्य सरकार पर कुछ न कुछ दबाव डालना चाहिए। जिससे भूमि हदबन्दी कानून लागू किया जा सके और वह जमीन गरीबों को मिल सके।

आरक्षण की जो स्थिति है, उसको बढ़ाया जाय। आप कक्षा एक से पांच तक 12 रुपये छात्रवृति देते हैं, उस कमेटी में मैं भी मैम्बर हूं, मैं भी उसमें बैठता हूं, उसमें दुर्भाग्य यह है कि सरकार की जो इस मामले में समझ बनी है, उसका नतीजा यह होता है कि वह 12 रुपया भी उनको समय पर नहीं मिलता है। यह बहुत कम रकम है पर यह बहुत कम रकम भी टाइम पर मिल जाय तो उससे एक दो किताबें खरीदी जा सकती हैं। जब साल भर की पढ़ाई खत्म होने लगती है तो वह राशि तब उनको मिलती है।

हमारी तरफ कुछ तो यह होता है कि विधि-व्यवस्था के नाम पर इनका पैसा तो उसी में खर्च कर लिया जाता है। . . . **(व्यवधान)** . . . तुम्हारा विधि-व्यवस्था गड़बड़ाया है, तो क्या अनुसूचित जाति, जनजाति के पैसे से तुम्हारा विधि-व्यवस्था बनेगा ? क्या यह सच्चाई है ? आप हमारे बिहार में चल कर देखिए कि वहां पैसा विधि-व्यवस्था में खर्च होता है या नहीं, सारा पैसा वहां विधि-व्यवस्था में खर्च हुआ है और इनको एक पैसा नहीं मिल पाता है। वहां लड़के लोग बहुत परेशान हैं। . . . **(व्यवधान)** . . .

महोदय, भ्रष्टाचार वहां इतना ज्यादा हो गया है अगर इसको आप कम नहीं करते हैं, खत्म नहीं करते हैं तब तक आप किसी देश का विकास नहीं कर सकते हैं। आप भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपमें इतनी शक्ति नहीं हैं। आप खुद भ्रष्टाचार में पले हैं। इसलिए आप भ्रष्टाचार को मिटा भी नहीं सकते हैं और इन गरीबों को आप बराबरी में ला भी नहीं सकते हैं, यही कह कर हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, सबसे पहले मैं आपको और सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी है। मैंने माननीय मंत्री महोदय श्री के.वी. तम्काबालू द्वारा पढ़े गए प्रतिवेदन और वक्तव्य का अध्ययन किया था। वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार ने प्रतिवेदन पर ध्यान दिया है और कुछ कार्यवाही भी की गई है। यह कहना कि प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, सत्य नहीं हैं, इसी सरकार ने अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की और उसे संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। यह कार्यवाही प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर की गई है जिस पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम और ट्राइफेड का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए इस सरकार द्वारा चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, जिन पर सरकार प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही कर रही है। इसलिए यह कहना कि कोई भी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है तथ्यपरक नहीं है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् विभिन्न सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार करने के प्रयास किये हैं। किंतु हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसके बावजूद उनके स्तर में हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप सुधार क्यों नहीं हुआ। अनुसूचित जातियां आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हैं, सामाजिक रूप से वे शोषित हैं। शैक्षिक रूप से वे पूर्ण रूप से पिछड़े हैं, अनुसूचित जातियों के लिए बनाई गई सभी परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वियन के बावजूद, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 47 वर्ष बाद भी हमारे समाज में सामाजिक असमानता में वृद्धि हो रही है, अनुसूचित जातियों के आर्थिक स्तर में गिरावट आई है।

पुनः, कमजोर वर्ग और उच्च वर्ग के बीच की खाई और चौड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त समाज विभिन्न वर्गों में बंट रहा है। वास्तव में हमारे स्वाधीनता आन्दोलन के दो पक्ष थे। पहला देश को विदेशी शिंकजें से मुक्त करना और दूसरा, इसके साथ-साथ हरिजनों और अन्य शोषित वर्गों के सुधार के लिए

कार्य करना, गांधी जी के नेतृत्व में आन्दोलन का यही सारतत्व था। आन्दोलन का मुख्य प्रायोजन इन पददलित अस्पृश्य लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना था जिससे भावनात्मक एकता के माध्यम से वास्तविक राष्ट्रीय अखण्डता कामय हो सके। यह गरीब लोगों को मात्र दान या खैरात देना ही नहीं है बल्कि उससे बढ़कर है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय समाज का सुगठित किया जाना अर्थात् एक ऐसे समाज की स्थापना किया जाना जो पूर्ण रूप से सशक्त और भावनात्मक रूप से अखण्ड हो, सुनिश्चित करना था।

दुर्भाग्यवश, यह नहीं हो पाया, इसके बजाय समाज विभिन्न वर्गों में बंट रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तथ्य की जांच करे कि स्वतन्त्र भारत में समाज ऐसे विभिन्न वर्गों में क्यों बंट रहा है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ? गरीबों और पददलितों की दशा में सुधार करना अलग बात है और पिछड़े लोगों के विकास के नाम पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच खाई उत्पन्न करना अलग बात है। महोदय, मुझे डर है कि पददलितों/शोषित वर्ग की दशा में सुधार करने के नाम पर भारतीय राजनीति के कुछ वर्ग कभी-कभी हमारे समाज की अखण्डता को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। वे भावनात्मक अखण्डता की जड़ों पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस बात पर ध्यान दे और समाज को अधिकाधिक एकता के सूत्र में बांधना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये। हमें इस समाज में ही वास्तविक भावनात्मक एकता सुनिश्चित करने के लिए तथा समाज का विखण्डन रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए।

मैं जानता हूँ कि मुझे सीमित समय दिया गया है किंतु यह कहने के बाद मैं एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना चाहता हूँ। मैं इसे कहे बिना नहीं रह सकता क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन लोगों में से हूँ जिनका विश्वास है कि इस देश में अभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव होता है। कृपया मुझे एक उदाहरण उद्धृत करने की अनुमति दें। मैं 1958 में एस.एस.एल.सी. परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। मुझे याद है मेरा एक सहपाठी जिसका नाम इज्जाक है जो एस.एस.एल.सी. तक मेरे साथ पढ़ता था, वह आज भी बेरोजगार है जबकि उसमें 1958 में एस.एस.एल.सी. पास कर लिया था वह स्थिति मेरे क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र में ही है, उसको रोजगार न मिलने का कारण उसका नाम है जो किसी विशेष धर्म का घोतक है, जबकि वास्तव में वह समाज के कमजोर वर्ग से है। उसके छोटे भाई ने अपना नाम परिवर्तन कर लिया और पुनः हिन्दू धर्म अपना लिया और रोजगार प्राप्त कर लिया। ऐसी अवस्था को कुछ भी नाम दे दिया जाय किंतु मुझे लगता है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव है। यदि यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है तो क्या है ? उसी परिवार के बड़े लड़के को इसलिए रोजगार नहीं मिलता कि उसका नाम इज्जाक है और अनुसूचित जाति का होने के बावजूद भी इसे अनुसूचित जातियों को मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जाता है। यही हमारे समाज में हो रहा है। महोदय मैं आपसे इस बारे में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन करता हूँ।

एक माननीय सदस्य : आपका दल ही वहां सत्ता में है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे विचार से यह धर्म के आधार पर भेदभाव है, आज देश में क्या स्थिति है ?

हमारे संविधान के संस्थापकों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान ठीक ही किया है। वे उसके पात्र भी हैं। उस समय निश्चित रूप से यह भावना थी कि एक निश्चित अवधि के दौरान उनकी स्थिति में सुधार हो जायेगा और कमोवेश वे समाज के अन्य वर्गों के समान हो जायेंगे। दुर्भाग्यवश यह नहीं हो पाया। ऐसी भावना थी कि जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है उनकी स्थिति बेहतर होगी। दुर्भाग्यवश यह भी नहीं हो पाया। आज इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों की दशा हिन्दू धर्म में उनके समान स्तर के लोगों से बदतर है, मुझे इन सामाजिक वास्तविकताओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे स्वतः स्पष्ट हैं इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। आजकल क्या होता है कि जिन लोगों ने कोई विशेष धर्म ग्रहण कर लिया है उन्हें लाभों को प्राप्त करने के लिए पुनः धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह मानव अधिकारों का भी हनन है, क्योंकि हरिजन कोई धर्म को अपनाने के लिए स्वतन्त्र नहीं है। कुछ समय पूर्व भारी संख्या में धर्म-परिवर्तन करने आदि के बारे में चर्चा हुई थी। मैं ऐसी किसी गतिविधि का विरोध करता हूँ। किंतु यदि हरिजन या अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज से किसी विशेष धर्म को अपनाना चाहता है और उसे अनुमति नहीं दी जाती है। निश्चय ही यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

महोदय, धर्म के आधार पर यह भेदभाव हमारे संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप के भी प्रतिकूल है क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, बराबर है। परंतु जहां तक अनुसूचित जातियों को दी जा रही सुविधाओं का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं समझा जा रहा है। इसलिये, यह हमारे संविधान के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि यह भेदभाव हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के प्रतिकूल है, मैं मंडल आयोग के मामले में दिए गए एक निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों में से आठ ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया : -

''उन्हें (अनुसूचित जातियों को), केवल इस कारण से कि उन्होंने अपनी निष्ठा अथवा धर्म परिवर्तन कर लिया है, आरक्षण की सांविधानिक सुरक्षा से वंचित करना हमारे धर्म निरपेक्ष स्वरूप के लिए खतरा है।''

मंडल आयोग मामले में उच्चतम न्यायालय के नौ से आठ न्यायधीशों ने यह विचार व्यक्त किए थे। इसलिए मैं इस पर अधिक खुलासा करने की आवश्यकता नहीं समझता। यह भेदभाव हमारे संविधान

के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विरुद्ध है। यह हिन्दुत्व के सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है जो 'सवधर्म समभाव' का पक्षधर है। इस भेदभाव को जारी रखने का कोई तर्काधार नहीं है।

हाल ही में, श्री नारायणसामी द्वारा राज्य सभा में पेश किए गए गैर-सरकारी विधेयक पर चर्चा हुई थी। मैं समझता हूँ कि 28 सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया तथा केवल एक को छोड़कर सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया तथा कहा कि इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। श्री वी.पी. सिंह के शासनकाल के दौरान नवबौद्धों को सुविधा प्रदान करने हेतु एक विधेयक इस सदन में लाया गया था। यदि ये सुविधाएं नवबौद्धों को प्रदान की जा सकती हैं तो अन्य लोगों को भी प्रदान की जा सकती हैं। पहले भी 1956 में यह सुविधा सिखों को भी प्रदान की गई थी। यदि यह सुविधा सिखों की प्रदान की जा सकती है।

महोदय, जब नवबौद्धों के संबंध में विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तब कांग्रेस विपक्ष में थी तथा मैं मुख्य सचेतक था। मुख्य सचेतक होने के नाते मैंने तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री तथा कल्याण मंत्री से भी विचार-विमर्श किया था तथा उन्होंने आश्वासन दिया था कि नवबौद्धों के साथ-साथ इस्लाम और ईसाई धर्मावलम्बियां के मामले भी इसके अंतर्गत लाए जाएंगे . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन स्वीकार कर रहे हैं कि वह विपक्ष में थे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, जब विधेयक लाया गया तो वे अपने वायदे से मुकर गए। उन्होंने अपना वायदा नहीं निभाया। जब यह विषय विचाराधीन था, जब नवबौद्धों के मामले पर चर्चा हो रही थी, उस समय अन्य मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिए था। यह पुनः एक और भेदभाव का उदाहरण है।

महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं इस सरकार से केवल अनुरोध कर रहा हूँ, कि इस विषय में एक विधेयक लाया जाए तथा इस भेदभाव को समाप्त किया जाए। मैं केवल सिद्धांत की बात कर रहा हूँ कि यह भेदभाव हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों से संगति नहीं रखता। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अनुसूचित जांति आदेश, 1950 के पैरा तीन में संशोधन करने हेतु एक विधेयक, 1950 के पैरा तीन में संशोधन करने हेतु एक विधेयक, यदि संभव हो तो, इसी सत्र में लाया जाए ताकि वे लोग, जिन्होंने धर्मपरिवर्तन कर लिया है, आरक्षण की सुविधा के पात्र बन सकें।

महोदय, क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : समय बहुत कम है क्योंकि अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मुझे केवल एक बात और कहनी है। अनुसूचित जातियों के साथ, उनके मूलधर्म की परवाह किए बिना, चाहे वे हिन्दू धर्म के हों अथवा इस्लाम धर्म के या ईसाई धर्म के, समाज में उनके प्रति बर्ताव एक समान ही रहा है।

उदाहरणार्थ, यदि आप पिछले पांच वर्षों के दौरान हरिजनों पर किए गए अत्याचारों को देखें तो आप पाएंगे कि कुछ क्षेत्रों में केवल दलित ईसाईयों पर ही अत्याचार किए गए हैं। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि हमारा समाज जातिवाद से ग्रसित हैं चाहे कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करे अथवा नहीं, उस पर वही कलंक लगा रहता है। धर्म परिवर्तन के बाद भी उसका रंग वही रहता है, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि वही रहती है, उसकी वित्तीय स्थिति वही रहती है, उसके बोलचाल का ढंग वही रहता है। किसी भी पहलू से कोई अंतर नहीं आता तथा समाज उसे उसी लांछित ढंग से देखता है तथा हरिजनों पर, उनके धर्म का ध्यान किए बिना, वही अत्याचार किए जाते हैं। इस पहलू को नोट किया जाना चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस पहलू पर एक अध्ययन कराया जाए।

दूसरे, यदि आप न केवल अनुसूचित जातियों अपितु सभी जातियों के हरिजनों हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करें तो आप देखेंगे कि उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

वास्तव में अनुसूचित जाति के लोग, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, एक संप्रदाय के रूप में रहते हैं। मैं केरल में एक परिवार को जानता हूँ जिसमें बड़ा भाई हिन्दू है तथा छोटा भाई ईसाई है। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि वे धर्म परिवर्तन करने के बावजूद एक ही जाति के हैं।

दक्षिण केरल में कुई ईसाईयों को नादार ईसाई कहा जाता है। वे एक ही परिवार में हिन्दू नागरों के साथ-साथ रहते हैं। हम भारतीय हैं और स्वाभाविक हैं कि किसी धर्म के होते हुए भी हम केवल भारतीय परम्पराओं एवं भारतीय रीति-रिवाजों का ही पालन करेंगे। चाहे जो भी कमी-वेशी हो, भारतीय समाज हमारे साथ रहेगा। इसलिए, यह कहना उचित नहीं होगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है उसका जाति का धब्बा स्वयं ही मिट जाता है तथा वह समाज के ऊँचे दर्जे में चला जाता है एवं जब वह पुनः धर्मपरितर्वन करता है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा।

यह विसंगति है तथा मैं सरकार से इसे ठीक करने का अनुरोध करता हूँ। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री श्री सीताराम केसरी ने सदन से बाहर यह घोषणा की थी कि वह इस सदन में इस विषय पर एक विधेयक लाने पर विचार करेंगे। परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री सीताराम केसरी यहां पर उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारे नौजवान और कर्मठ मंत्री यहां हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे यह विधेयक लाएं आर धर्म पर आधारित इस भेदभाव को समाप्त करें।

डा. बी.जी. जावाली (गुलबर्गा) : मैं, श्री कुरियन ने जो कुछ कहा है, उस पर कुछ स्पष्टीकरण करवाना चाहता हूँ। मैं केवल एक मिनट लूंगा।

जहां तक धर्म परिवर्तन का संबंध है, मैं श्री कुरियन की बात से सहमत हूँ, उनकी धारणा सही है।

परन्तु साथ ही साथ कई धर्म ऐसे हैं, जो कि लोगों के विभिन्न समूहों पर तरह-तरह के अत्याचार किए जाने के कारण बने हैं। उदाहरणार्थ, वीर सेवा समाज 800 वर्ष पूर्व गठित किया गया था तथा कोई नहीं जानता कि शायद गांधी और अम्बेडकर से पूर्व केवल यही एक ऐसा पथ-प्रदर्शक था, जिसने सभी समुदायों के विशेषकर दलितों के, लोगों को एक मंच पर इक्कट्ठा किया था। यह इतिहास की बात है। क्या माननीय सदस्य अथवा सरकार यह आश्वासन दे सकते हैं कि क्या उन लोगों को भी, जो विभिन्न धर्मों से आए थे तथा जिन्होंने वीर सेवाधर्म को समझा एवं अपनाया था, इस विधेयक के दायरे में लाने पर विचार किया जाएगा ? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुसलमान तथा समाज के प्रत्येक घटक के लोगों ने मिलकर वीर सेवा समाज का गठन किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वीर सेवा समाज को भी वही दर्जा दिया जाएगा। महोदय, मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : संभवतः श्री कुरियन को बासव दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता है। उन्हें कुछ समय दीजिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं अभी ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा। यदि धर्म परिवर्तन करने के उपरांत भी सामाजिक असमानता विद्यमान रहती है तो उन लोगों की सहायता की जानी चाहिए। यदि उस विशिष्ट धर्म में भी सामाजिक असमानता जारी रहती है तो उसे समाप्त किया जाना चाहिए। यही मूलाधार है।

* **श्री रूप चन्द मुरमु** (झाड़ग्राम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसचित जाति/अनुसूचित जन जाति प्रतिवेदन पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और चर्चा शुरू करता हूं। 1981 तथा 1992 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बढ़ गई है। इनकी जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन इन पिछड़े लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह सही है कि अनेक योजनाएं बनाई गई हैं और अनेक सिफारिशें भी की गई हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने इन योजनाओं को मूर्तरूप देने या इन सिफारिशों को पूरा करने का वायदा भी किया है। यह दुख की बात है कि इतनी सारी योजनाओं तथा सिफारिशों के बावजूद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की दयनीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इन आदिवासियों को योजनाओं तथा सिफारिशों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

हम जानते हैं कि वैदिक युग में आर्य यहां आए थे। उनमें से कुछ चालाक व्यक्तियों ने समाज को चार वर्गों अर्थात् ब्राह्मण, क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र में बांट दिया। ऐसा उन्होंने अधिक धन, सुविधाएं, दर्जा और शक्तियां प्राप्त करने के अपने निहित स्वार्थ के कारण किया था। यह तथाकथित उच्च जातियों का षडयंत्र था, निहित स्वार्थ था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अंतिम वर्ग अर्थात शूद्र में आते हैं।

* मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हजारो वर्षों में गुजर जाने के पश्चात् भी यह अभागे लोग अपनी दयनीय स्थिति को सुधारने में असमर्थ हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति में सुधार करने के प्रयास अधिक लम्बे समय से नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमें धैर्य तथा सहनशीलता से कार्य करना चाहिए। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। परन्तु इस धैर्य की आलोचना भी होगी।

हम सभी जानते हैं कि संविधान की अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1986-87 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करके उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह किया था। लेकिन सरकार का क्या कर्तव्य है ? मैं सरकार से पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। मैं प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर सात-आठ वर्षों के बाद 1994 में क्यों चर्चा कर रहे हैं ? क्या मंत्री महोदय, इस

असाधारण विलम्ब का कारण बतायेंगे ? क्या इससे समाज के शोषित वर्ग के प्रति केन्द्र तथा राज्य सरकारों के उदासीन रवैये का पता नहीं चलता है ? इससे अधिकारियों की लापरवाही तथा गैर-जिम्मेदाराना रवैये का भी पता चलता है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रियों तथा सत्ताधारी लोगों के पास समाज के अभावग्रस्त लोगों के बारे में सोचने की फुरस्त ही नहीं है। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वे सिर्फ अपनी स्थिति सुधारने तथा अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं। मुझे इन लोगों को अवसरवादी कहने में भी कोई झिझक नहीं है। मैं सत्ताधारी लोगों के स्वार्थपूर्ण रवैये की निन्दा करता हूं।

आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में अनेक सिफारिशें की हैं। समय के अभाव के कारण सभी के ऊपर चर्चा करना मुश्किल है। मैं कुछ ही सिफारिशों पर बोलना चाहता हूं।

एक सिफारिश यह भी है कि केन्द्र सरकार को उन सभी लोगों तथा संगठनों को दूर सम्भव सहायता देनी चाहिये जो समाज के इन कमजोर वर्गों के उत्थान में कार्यरत हैं तथा उनको संगठित करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान हो सके और उनकी मुश्किलों को दूर करने के उपाय किए जा सकें। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस सिफारिश पर अमल किया है। यदि अमल किया गया है तो इस सम्बंध में क्या कदम उठाये गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? मेरे विचार से अंधविश्वास और भेदभाव आर्थिक असमानता, अभाव तथा गरीबी का परिणाम है। समाज के स्वार्थी वर्ग सभी सुविधाओं, लाभों तथा अवसरों का फायदा उठाना चाहते हैं। यह लोग अपनी सभी इच्छाओं, खुशियों तथा लालसा की संतुष्टि के लिये सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उपेक्षित लोग अमानवीय श्रम से संसाधन पैदा करते हैं परन्तु इसका लाभ समाज के कुछ भाग्यशाली लोग ही उठाते हैं। मेहनतकश लोग संसाधन और संपदा उपलब्ध करने के लिए मशीन की तरह कार्य करते हैं। परन्तु फिर भी इन लोगों को उनकी कड़ी मेहनत न पीने का पानी, खाना, कपड़े तथा आवास हैं और न ही चिकित्सा

सुविधाएँ प्राप्त हैं। यह सब समाज के तथाकथित उच्च वर्गों, शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ लोगों के भेदभावपूर्ण रवैये का ही परिणाम है।

आयुक्त का सुझाव है कि आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों के लोगों को विशेषकर जो संसाधन पैदा करके संपदा बढ़ाते हैं बराबर मिलना चाहिए। उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेहनत कोई करें और उसका लाभ कोई और उठाए।

आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये समाज में आर्थिक वितरण व्यवस्था का पुनर्गठन आवश्यक है। हमें वर्तमान व्यवस्था को खत्म करना है और सम्पत्ति के बराबर वितरण की प्रक्रिया को अपनाना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र इस नीति को अपनाएगा ?

मुझे विश्वास है कि सरकार इस प्रक्रिया को नहीं अपनाएगी। यह सरकार तोड़ो और शासन करो तथा भेदभाव की नीति अपनानी है। अतः उनके लिए यह संभव नहीं है कि धन का समान वितरण संबंधी नीति को अपनाये। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि जब तक धन का सामान वितरण संबंधी नीति का अनुसरण नहीं किया जाता तब तक शोषित और अपेक्षित वर्ग के लोगों की दशा में सुधार नहीं हो सकता। मैं भूमि सुधार संबंधी आयुक्त की सिफारिशों पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के जीवन को उबारने के लिए भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण उपाय है। सम्पन्न वर्ग द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जिस भूमि को जबरन अथवा कुछ धन देकर अथवा बिना कोई धन दिए हथिया लिया गया है उस भूमि को सम्बद्ध व्यक्तियों को लौटाया जाये। केन्द्र इस दिशा में पहल कर राज्य सरकारों को भी इन सिफारिशों का अनुसरण करने के लिए आदेश दे सकती है। लेकिन केन्द्र ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है। किसान जो भूमि को जोतते हैं तथा जिन्हें उपज का आधा हिस्सा दिया जाता है उस संबंध में सिफारिश की गई थी कि उस भूमि का पंजियन कराके वह भूमि उन्हीं के नाम कर दिया जाए। यदि भूमि उनके नाम से पंजीकृत करा दी जाती है तो भू-स्वामी उन्हें गलत तरीक से हटा नहीं सकते। लेकिन पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल को छोड़कर इस सिफारिशों की पूर्णरूप से अवहेलना की गई है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक भूमि सुधार कानून का अनुशरण नहीं किया जाता तब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार नहीं हो सकता। लोगों की विचारधारा को बदलने के लिए शिक्षा और संस्कृति कुछ हद तक सहायक हो सकती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार के लिए आरक्षण में सहायक हो सकता है। लेकिन भूमि सुधार के बिना समग्र विकास संभव नहीं है।

अब जाति की राजनीति का बुरा प्रभाव पूरे देश पर फैल रहा है। इस जाति पर आधारित राजनीति के फलस्वरूप घृणा, दंगा और साम्प्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा मिला है। जाति पर आधारित राजनीति करने वालों से मेरा निवेदन है कि वे आर्थिक विकास को वरियता दें। ऐसा करने से ही मूलभूत समस्याओं

का समाधान किया जा सकता है। जीवन का चौमुखी विकास आर्थिक विकास के साथ सम्बद्ध है। निसन्देह, आर्थिक प्रणाली की पुनर्सरचना भविष्य में संभव है किंतु आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपेक्षित वर्ग का आर्थिक विकास, शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध कराना है। समाज का सदस्य होने का नाते उनके अधिकार को पंचायत प्रणाली के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए। इन लोगों को इनके आत्म सम्मान और अधिकारों से अवगत कराया जाना चाहिए। सही दिशा में सोचने वाले लोग, अपने देश से गहन प्यार करने वाले लोग तथा समाज की चिंता करने वाले लोगों को आगे आकर इस विशाल कार्य को पूरा करना चाहिए। इस विनम्र निवेदन के साथ ही मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दा पर बोलने का मौका दिया जाय तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम अनुसूचित जाति, जनजाति के पूर्व आयुक्त के अट्ठाइसवें एवं उनतीसवें तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के पांचवे, छटे, सातवें और आठवें प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट देखने से पता लगता है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का गठन भारतीय संविधान की धारा 338 के अन्तर्गत किया गया था और 1990 में जनता दल के शासन में धारा 338 में संशोधन करके उसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया था। और इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया था। संवैधानिक अधिकार के साथ बहुत पावर भी दी गई थी, शक्ति भी दी गई थी परन्तु सरकार की नीयत ठीक नहीं रहने के कारण इसमें टालमटोल होती गई। बड़े-बड़े भाषण दिये गये और प्रस्ताव पास किये गये, समाचार-पत्रों में आया, प्रैस क्रांफेस की गई मगर इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। जब अन्त में अनुसूचित जनजाति के आयुक्त श्री पी.जी. शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक हित का केस दायर किया तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इस बहुसदस्यीय आयोग को सरकार को बनाना पड़ा और रामधन जी को उसका चेयरमैन बनाया गया। इस आयोग को अधिकार तो दिये गये, मगर इसके काम के लिए जो 31 पदाधिकारी पूर्व से कार्यरत थे, उन पदाधिकारियों को उस कार्यालय से हटाकर कल्याण विभाग में ले आया गया। हम किसी आयोग को बहुत पावर तो दे दे, उसको बहुत अधिकार दे दे, मगर उनका बजट नहीं बनायें, उनको कर्मचारी नहीं दें, पदाधिकारी नहीं दें तो केवल अधिकार दे देने से ही काम नहीं चलेगा। उस स्थिति में उस अधिकार का पालन किस तरह से हो सकता है ?

इस आयोग के बहुत से अधिकार हैं, जिनमें से 3-4 अधिकार तो बहुत जबरदस्त हैं। आयोग को अधिकार है कि देश में किसी दलितों पर होने वाले बर्बर अत्याचारों को रोकने की दिशा में कदम उठाना, पीड़ितों को तुरन्त राहत दिलाना और दूसरे कार्य हैं। सरकारी सेवाओं में हर स्तर पर अनुसूचित जाति के लोगों की चाहे प्रोन्नति हो, चाहे किसी तरह से उन्हें मानसिक पीड़ा हो, उन पर किसी तरह का अत्याचार हो तो उसकी देखरेख करें। इसका अधिकार यह भी है कि राज्य सरकार द्वारा और केन्द्रीय सरकार द्वारा

लागू जो अनुसूचित जाति, जनजाति के सम्बन्ध में जो योजनाएं हैं, जो उनके लिए काम हो रहे हैं, उनकी देखरेख भी यह करे। इसका अधिकार यह भी है कि किसी कोर्ट से किसी तरह का कागज पर मंगवाकर वह देख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, उसकी इन्क्वायरी कर सकते हैं। इनको इतने बड़े अधिकार हैं लेकिन इनके लिए कोई स्वतंत्र बजट नहीं हैं, स्वतंत्र आफिसर्स नहीं हैं, जो इसकी देख-रेख कर सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इसके पास आफिसर्स नहीं रहेंगे, जब इसके पास कोई बजट नहीं रहेगा तो इसको कल्याण मंत्रालय पर निर्भर करना पड़ेगा। अगर किसी राज्य में कोई घटना होती है तो वहां जांच कराने के लिए वहां के कलैक्टर और एस.पी. पर निर्भर करना पड़ेगा। अगर कलैक्टर और एस. पी. उदासीन नहीं रहे होते, वह इन लोगों के लिए सही तरह से काम करते तो यह कमीशन बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी लेकिन इनके बारे में उन लोगों की उदासीनता रही और उन्होंने अपने काम को ठीक ढंग से नहीं किया तो इसके लिए आयोग का निर्माण हुआ।

यह बहुसदस्यीय आयोग है, मगर इसके पास आफिसर्स नहीं हैं, इसलिए इसको आफिसर्स देने चाहिए। यह आयोग बनाया गया, सारे काम किये गये मगर दलितों आदिवासियों पर अत्याचार होते रहते हैं। आज नक्सलाइट की बात चलती है। नक्सलाइट वही होते हैं, जिनको सही मजदूरी नहीं मिलती है, जिनसे पसीने की रोटी प्राप्त करने का अधिकार छीना जाता है, जिनकी मां बहनों पर अत्याचार होते रहते हैं, बलात्कार होते रहते हैं और वह आज भी होते हैं। वह जब इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं तो उनको नक्सलाइट बताया जाता है।

भूमि के विवाद में आज हजारों लाखों एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है। भूदान की जमीन, सरकारी जमीन परती पड़ी हुई हैं लेकिन इन लोगों को बांटी नहीं जा रही है। इसके अलावा बंजर जमीन भी पड़ी हुई है। सरकार को चाहिए कि एक भूमि सेना तैयार करके उन दखलों पर आवश्यक व्यवस्था करके इनको बसाना चाहिए। परती जमीन पर इनको कब्जा दिलाना चाहिए। लोग कहते हैं कि छात्रवृत्ति का इंतजाम कर दिया है लेकिन जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती जाती है और महंगाई घोड़े की दौड़ से बढ़ रही है लेकिन छात्रवृत्ति गधे की दौड़ से भी नहीं बढ़ाई जाती है मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इनको सरकारी नौकरी में लेना है तो इनके लिए स्पेशल कोचिंग का इंतजाम कराना चाहिए परंतु सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो जब आप समान अवसर नहीं देंगे तो वे किस तरह से कम्पीटिशन में बैठ सकते हैं।

महोदय, आज उनके लिए पीने के पानी का प्रबंध नहीं है। आप गांव में चले जाइए, आज पेप्सी और कैम्पा कोला हरेक गांव में पहुंच गया है पर इन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के घरों में पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं मिलता है। मैं बिहार से आता हूं वहां पाहाड़िया जाति है। यह जाति पहाड़ पर रहती है उनका शोषण होता है। उनकी आबादी खत्म होती चली जा रही है। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब जिस विभाग में आरक्षण है उस विभाग में उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बैकलॉग सब पड़ा हुआ है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है।

महोदय, सरकार आज पब्लिक सैक्टर को निजीकरण करने जा रही है, लेकिन निजीकरण होने से उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको नौकरी नहीं मिलने वाली है। इतना ही नहीं अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी हिन्दुस्तान में आ रही हैं उन पर आरक्षण लागू नहीं होगा। चाहे मंडल आयोग हो, एससी, एसटी के आरक्षण का सवाल हो, नौकरी कहां मिलेगी ? इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस पब्लिक सैक्टर का निजीकरण हो, चाहे जहां भी हो वहां भी आरक्षण लागू कराने का प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, मैं कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति-जनजातियों पर विगत वर्ष में हुए अत्याचारों का फीगर देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जो इन पर हमले हुए हैं, जो अत्याचारों का 154 है और महिलाओं पर बलात्कार का 435 है। उत्तर प्रदेश में 4804 अत्याचार के केस है, 284 हत्याएं हैं और 194 महिलाओं के साथ बलात्कार का है। राजस्थान में 3434 अत्याचार के केस हैं, इसमें 50 हत्याएं हैं और 132 महिलाओं पर बलात्कार का है। मैं बिहार से आता हूं वहां इससे कई गुना हैं जिसको मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं और वहां सामाजिक न्याय की सरकार है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं अगर देश को समृद्ध बनाना है, शोषण एवं दोहन से रहित समता एवं समृद्धि का समाज बनाना है, तो हमें अंग्रेजी राज के दौरान हुए तरानों : -

"इलाही दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे,

तो अपनी ही जमीं होगी और अपना आसमां होगा।" को चरितार्थ करना होगा।

पर एससी, एसटी के लोगों का न अपना देश है, न अपना घर है। हम हमेशा से नारा लगाते आ रहे थे, "मांग रहा है हिन्दुस्तान-रोटी, कपड़ा और मकान।" पर उनको आज मकान नहीं की आजादी के बाद जब देश की ऐसी दुर्गति है तो हमारे जो बहुसंख्यक अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, जिनके लिए हमको ख्याल करना चाहिए और यदि नहीं ख्याल करेंगे तो देश टूटेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

6.00 म.प.

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के वर्ष 1987 के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट बताया गया है कि 10 वर्षों के अन्तराल के बावजूद भी स्थिति बहुत निराशाजनक है। अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नवम्बर 1981 से फरवरी, 1986 तक आयुक्त का पद रिक्त होने पर भी . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : दत्तात्रेय जी कृपया एक मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब छह बजे हैं। क्या हम दस पंद्रह मिनट और बैठ जाएं ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, महोदय।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, हम दस मिनट के लिए बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम श्री दत्तात्रेय द्वारा अपना भाषण समाप्त किए जाने तक बैठ सकते हैं।

दत्तात्रेय जी, आप कितना समय लेंगे ? क्या आप दस मिनट में अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं ?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मैं पंद्रह से बीस मिनट में अपना भाषण पूरा कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दस मिनट से अधिक नहीं मिल सकते हैं। वास्तव में, जब हम घंटी बजाते हैं तो वह इसलिए नहीं बजाते हैं कि आपका भाषण सुंदर है और उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है यह घंटी आपका भाषण रोकने के लिए बजाई जाती है। अतः, कृपया पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लीजिए। बुद्धिमता कम से कम समय में बोलने में है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, हम कितनी देर बैठेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम दस से पंद्रह मिनट तक बैठेंगे।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, 28वें प्रतिवेदन में आयुक्त ने इस बात को रेखांकित किया है कि यदि हमारी उपलब्धियां ''संविधान निर्माताओं की महान अपेक्षाओं'' के अनुरूप नहीं है तो ऐसा उन व्यक्तियों की गलतियों, मतिभ्रम और चूकों के कारण हुआ है जिन्हें जन्म के आधार पर अवमानवीय जीवन जीने वाली देश की लगभग एक चौथाई जनसंख्या के उत्थान का कार्य सौंपा गया था। अतः, यह स्पष्टीकरण स्वयं प्रतिवेदन में दिया गया है। परन्तु तथ्य यह है कि आयोग द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन मुख्यतः एक निरर्थक कार्य बनकर रह गया है क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले हमारे लोगों के लिए संविधान में उल्लिखित सुरक्षापायों का बेरोक-टोक उल्लंघन जारी है। आयुक्त द्वारा उल्लिखित अनेक बातों में से एक बात यही है। उन्होंने स्वयं यह कहा है कि अनेक गलतियां कल्याण योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारण हुई हैं।

स्वयं आयुक्त द्वारा उल्लिखित दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज के अभावग्रस्त वर्गों के लिए बनी कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन प्रायः दोषपूर्ण और अपूर्ण रहा है। यह भी ज्ञात है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व ऐसे पुलिस और बेईमान अधिकारियों की सहायता से विद्यमान कानूनों की पकड़ से बच निकलते हैं जिनकी संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघनकताओं से मिलीभगत रहती है। कमजोर वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बने कार्यक्रमों का लाभ इस दलित वर्ग तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाया। इसके अतिरिक्त एक अतिमहत्वपूर्ण बात यह है कि असंख्य

सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिवेदनों में समय-समय पर यह इंगित किया गया है कि हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लोग अभी भी जाति प्रथा पर आधारित अस्पृश्यता और अन्य प्रकार के सामाजिक भेदभावों से पीड़ित हैं। इसका समाधान ढूंढा गया है और उसे लागू करने की विधियां बताई गई हें परन्तु दलितों पर अत्याचार नियमित रूप से हुए हैं और उन्हें रोकने के लिए कोई भी कानून कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 1990 से मार्च 1991 तक के बारह महीनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 650 व्यक्तियों की हत्या हुई और इन वर्गों की महिलाओं के साथ बलात्कार के 1000 मामले दर्ज किए गए। क्रमशः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक व्यक्तियों की हत्या हुई। ऐसे बहुत से मामले तो दर्ज ही नहीं हुए।

इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में पदरीकुप्पम घटना समाज की आंखें खोलने वाली सबसे बड़ी घटना थी। पदरीकुप्पम घटना के बाद भी करामचेडू घटना हुई और उसके बाद भी तसुंदुर घटना हुई। अनेक न्यायिक आयोग नियुक्त किए गए परन्तु इनकी किसी भी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी अपराधी को दंडित नहीं किया गया। यहां तक कि त्सुंदुर आयोग की रिपोर्ट भी व्यर्थ होकर रह गई। लोगों की ओर से आयोग के समकक्ष कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। अंततः, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा उठी है।

विकास योजनाओं का लाभ जब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय के लोगों तक नहीं पहुंचता तब तक वे अपने लोगों का उत्थान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए केन्द्रीय सरकार ने विशेष घटक योजना को अत्यधिक प्राथमिकता दी है यह योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जैसाकि हमारे एक सदस्य ने यहां कहा है, आदिवासी उप-योजना की तरह विशेष घटना योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है योजना यह है कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार धनराशि का आबंटन किया जाना चाहिए। परन्तु यह बात स्वयं विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों से ही झूठ सिद्ध हो जाती है। पांचवीं योजना में, देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16 है। परन्तु यहां तक कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल 2 प्रतिशत धनराशि ही आबंटित की गई। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में यह आबंटन मात्र छह प्रतिशत था। यदि आप छठी योजना अर्थात 1980-85 के ब्यौरे देखें तो पाएंगे कि कुल परिव्यय 3614 करोड़ रुपए था और औसत आबंटन 7.66 प्रतिशत रहा। परन्तु वास्तविक व्यय केवल 2,978 करोड़ रुपए हुआ अर्थात् गणना के अनुसार यह केवल 6.3 प्रतिशत बैठताहै। सातवीं योजना में भी विशेष घटक योजना के लिए परिव्यय 7,385 करोड़ रुपए था परन्तु वास्तविक व्यय 9,616 करोड़ रुपए हुआ। यदि आप 1990-91, 1991-92, 1992-93 या 1993-94 के आंकड़े लें तो पाएंगे कि ये आंकड़ों 10.4 प्रतिशत से अधिक नहीं बैठते हैं। विशेष घटक योजना अनुसूचित जातियों के लिए एक प्रमुख आर्थिक विकास योजनो है। कांग्रेस के कोई माननीय सदस्य आदिवासी उप-योजना के बारे में भी यही बात कह रहे थे। आदिवासी उप-योजना में भी आंकड़ों से स्थिति का स्पष्ट पता चलता हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल एक प्रतिशत विकास हुआ। दूसरी

योजना में केवल एक प्रतिशत विकास हुआ। दूसरी योजना में यह 0.9 प्रतिशत था और तीसरी योजना में 0.6 प्रतिशत। हाल ही में, सातवीं योजना में 6.25 प्रतिशत होने का अनुमान है। परन्तु जनसंख्या के अनुसार 7.5 प्रतिशत होना चाहिए।

जनसंख्या के अनुपात में विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना के लिये धन का आबंटन अवश्य किया जाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं हैं कि केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित प्राथमिक सुविधाओं को उन्हें उपलब्ध कराने के लिये उठाये गए कदमों की निगरानी क्यों नहीं करती है।

मैं एक अन्य अति महत्वपूर्ण विषय-भूमि सुधार के बारे में बोलना चाहता हूँ। आश्चर्यजनक बात यह है कि कई राज्यों में इससे सम्बन्धित काफी मामले अभी भी लम्बित हैं। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, वहाँ पिछले 25-30 वर्षों से हजारों मामले लम्बित हैं। भूमि का आबंटन 'दीप पट्टे' जारी करके किया जाता है लेकिन लोग उनका उपयोग करने में असमर्थ हैं मैं कहना चाहता हूँ कि भूमि सुधार संबंधी सभी उपाय निर्णायक है।

कुछ समय पहले माननीय प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और कहा था कि अगले दो वर्षों के दौरान हमको पता लगाना है कि राज्य-वार कितनी भूमि वितरित की जा सकती है। लेकिन, अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि संसद में इस संबंध में विधेयक लाया जाए ताकि भूमि सुधार को संविधान की नौवीं अनुसूचि में शामिल किया जा सके। जनता दल सरकार के समय में सभी दलों ने, यथा भा.ज.पा. तथा सी.पी.आई. (एम.) आदि ने इनको नौंवी अनुसूची में शामिल करने के लिये सहमति प्रकट की थी। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करता हूँ। भू-स्वामित्व की व्यवस्था पर ही जाति प्रथा और सामंतशाही प्रथा का अस्तित्व निर्भर हैं। मेरे विचार से यदि भूमि को छोटे लाभकर्ताओं में वितरित कर देने से जाति-व्यवस्था निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में कई बेनामी लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि न्यायालय इस संबंध में क्यों असमर्थ हैं न्यायालय भी उचित कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। गरीब तथा हरिजनों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। उन्हें सिर्फ पट्टे जारी किये जा रहे हैं और वे बेचारे चुप हैं। यह सब सिर्फ कागजों में ही किया जा रहा है। राजस्व विभाग में बहुत ज्यादा भ्रष्ट है।

एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दा भी है। कई लोगों ने आरक्षण नीति पर चर्चा की है। मैं आरक्षण नीति का विस्तार करने का पक्षधर नहीं हूँ। सरकार द्वारा जोर-शोर से मुद्दों को उठाए जाने के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों को पूरे फायदे नहीं मिल पा रहे हैं। हांलाकि उनके लिये 22 प्रतिशत का प्रावधान है फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में उनको 13 या 14 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नीति का फायदा नहीं

मिल पा रहा है। विशेषतः आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. में 7 या 8 प्रतिशत से अधिक लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है।

मेरा विचार है कि आरक्षण का फायदा पहुँचाने के लिये तथा योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा के स्तर को उठाना चाहिये। उनके शैक्षिक स्तर को उठाना चाहिये तभी वे लोग सफलतापूर्वक इन पदों के आसीन होने के लिए सक्षम हो सकेंगे तथा उनके लिए निर्धारित रिक्तियों पर इन्हीं की नियुक्ति हो सकेगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह उन अधिकारियों को दण्डित करें जो आरक्षण नीति को लागू नहीं कर रहे हैं। इसको अपराधिक दण्ड घोषित कर देना चाहिये। वरना वे तरह-तरह के बहाने बनाते रहेंगे। मेरे क्षेत्र में काफी रिक्त पद भरे नहीं जा रहे हैं। इस संबंध में तकनीकी आपत्तियां व्यक्त की जा रही हैं कि अभ्यार्थियों ने कोई न कोई परीक्षा पास नहीं है तथा इस कारण से ये पद भरे नहीं जा सकते हैं। वह यह पद गलत तरीकों से भर रहे हैं। इसीलिये लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं हो रहा है।

मैं कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। कल्याण समिति के सदस्यों के दलगत भावना से ऊपर उठकर माननीय मंत्री, श्री सीताराम केसरी से सिफारिश की है कि वह आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता दें क्योंकि आंध्रप्रदेश में आश्रम विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिणाम अच्छे रहे हैं। वहाँ कमजोर वर्गों के 95 प्रतिशत लड़कों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षाएँ पास की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण टिप्पणी है लेकिन इस तरह के कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। यह तो हद हो गई।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता का स्तर काफी कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अति प्रासंगिक मुद्दों को उठाया है तथा यह सिर्फ समय की बात है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। कल्याण विभाग ने कई योजनाओं की सिफारिश की है। लेकिन साधनों की कमी है। हाँलाकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम ने 125 करोड़ रुपये खर्च करने का सोचा है लेकिन सभी योजनाओं को लागू करने के लिये प्रस्तावित राशि अपर्याप्त है इस अल्प राशि से काफी बेरोजगार युवाओं को कोई लाभ नहीं होगा। मेरे क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों के 3,500 मामले लम्बित पड़े हुए हैं क्योंकि इस निगम के पास धन का अभाव है।

इसलिये मैं माननीय प्रधान मंत्री जी तथा माननीय मंत्री जी से कल्याण मंत्रालय के बजट को 5 गुना बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ। कई योजनाओं, जैसे जवाहर रोजगार योजना को लागू किया जाना है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संघ काफी महत्वपूर्ण है। इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ संबद्ध किया जाना चाहिये। अन्यथा बैंक उन्हें ऋण नहीं देगा।

मैं मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूँ कि वह सभी बैंकों को परिपत्र जारी करें। बैंक बेरोजगार युवकों विशेषतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऋण नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। कृपया अब समाप्त कीजिये।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : श्री सीताराम केसरी ने कहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में 200 अन्य जातियों को शामिल किया जा रहा है। यह खतरनाक प्रवृत्ति है। हैदराबाद के कुछ ब्राह्मणों ने सभा करके एक संकल्प पारित किया है कि उनको अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करना चाहिये क्योंकि वह भी गरीब हैं। इस तरह से शोषण हो रहा है मेरे दोस्त, श्री पी.जे.कुरियन ने कहा है कि राहत और भेदभाव अलग-अलग बातें हैं। इसको मैं समझता हूँ, लेकिन देश में सामाजिक भेदभाव अमानवीय है।

इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर कभी भी राजनीतिक कारणों से किसी समुदाय को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो यह सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिये। एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सरकार को असमानता के आधार पर ही किसी समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

डा. आर मल्लू (नगर कुरनूल) : आज बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं। यह प्रतिवेदन काफी लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया गया है। हम चर्चा में भाग लेंगे। प्रत्येक सदस्य को कम से कम पांच मिनट दिये जाने चाहिए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनकी सहमति चाहता हूँ। हम सभी वाद-विवाद में भाग लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल आप कुछ अन्य मामले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एन.डेनिस बोलेंगे। उससे पहले, ऐसा लगता है कि श्री राजरविवर्मा बोलना चाहते हैं क्योंकि वह कल उपलब्ध नहीं होंगे। वह कहते हैं कि उन्हें कोई आवश्यक कार्य है। अतः, यदि सदन सहमत हो तो वे पांच मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्री राजरविवर्मा अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री बी.राजरविवर्मा (पोल्लाची) : धन्यवाद, महोदय। मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

महोदय, मैं अन्ना द्रमुक पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदनों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन प्रतिवेदनों पर उनके प्रस्तुत किये जाने के अनेक वर्षों के बाद चर्चा की जा रही है। कारण जो कुछ भी हों किंतु इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करने में हुए अन्यन्त विलम्ब से इन आरोपों को बल मिलता है कि केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की दशा सुधारने के लिए गंभीर नहीं है। प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। किंतु मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि सरकार के वायदे किस प्रकार बिखर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में पीछे से चली आ रही आरक्षित रिक्तियों को विशेष भर्ती अभियानों द्वारा भरने का वायदा करती रही है। सरकार कई वर्षों से यह दोहराती रही है उक्त रिक्तियों को भरने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता रहा है। परन्तु आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार की सेवाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षित हजारों रिक्तियों को अभी तक नहीं भरा गया है।

महोदय, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि चयन बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं या कोई भी अभ्यर्थी पद के लिए योग्य नहीं है। इन उच्च अधिकारियों द्वारा यह कार्यप्रणाली पदों को न भरने और अन्ततः उन पदों को अनारक्षित करने के लिए अपनाई जाती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने आरक्षित पदों को अनारक्षित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। किंतु मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक ऐसा प्रावधान है जिसके अन्तर्गत यदि कोई पद लंबे समय तक नहीं भरा जाता है तो मंत्री से आदेश लेकर उसे अनारक्षित किया जा सकता है। इस प्रावधान को दुरुपयोग किया जाता है। और अपने लोगों की नियुक्ति करने के लिए कई उच्च्व पदों को अनारक्षित कर दिया जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि सरकार में मंत्रियों सहित किसी भी व्यक्ति को विवेकाधिकार नहीं दिया जाय और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाय। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन भी करता हूँ कि वे सदन को बतायें कि इन पदों को क्यों नहीं भरा जा सका है। प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि पीछे से चले आ रहे रिक्त पदों को जानबूझ कर नहीं भरने का प्रयास किया गया है। इसलिए, मंत्री महोदय को एक समयसीमा निश्चित करनी चाहिए जिसके अन्तर्गत इन रिक्तियों को भरा जाय और जो अधिकारी इन पदों को न भरने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। जब तक ऐसा नहीं किया जाता मैं नहीं समझता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सकेगा।

दूसरे, हमारे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक उपक्रम हैं। परन्तु वे आरक्षण नीति का पालन नहीं करते हैं। यहां तक कि जातिवादी के कारण अच्छे योग्य इंजीनियर और तकनीशियनों को भी गैर-सरकारी क्षेत्र में नियुक्त नहीं किया जाता है। सरकार कहती है कि गैर-सरकारी क्षेत्र पर उसका कोई नियंत्रण नहीं

है। यह मात्र टाल-मटोल वाला अन्तर है। गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी इकाइयां उद्योगों, और कारखानों, कम्पनियों की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार की दयादृष्टि पर निर्भर हैं और कच्चे माल के आयात तथा अपने उत्पादों के निर्यात के लिए उन्हें सरकार की ओर ताकना पड़ता है। गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयां सरकारी बैंकों से भारी ऋण भी लेती हैं। फिर भी सरकार कहती है कि गैर-सरकारी क्षेत्र पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह इस मामले को सरकार के समक्ष उठाये और कोई कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि गैर-सरकारी क्षेत्र को आरक्षण-नीति का पालन करना पड़े। इस सम्बंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की राय भी ली जा सकती है। केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का मुफ्त मकान देने के लिए इंदिरा आवास योजना नाम से एक योजना चलाई हैं मेरा कहना है कि इस योजना के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं क्योंकि मैदानों में प्रत्येक मकान के लिए निर्धारित की गई 8500 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 10500 रुपए की राशियां पर्याप्त नहीं हैं। देश के किसी भी भाग में धमराशि इतनी से धुंआरहित चूल्हा और प्रसाधन सुविधाओं सहित किसी मकान का निर्माण नहीं हो सकता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कुटीर ज्योति और जलधारा जैसी योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि भी उनकी जीवन दशा में सुधार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूँ और मैं जानता हूँ कि वे कितने कष्टों में रहते हैं। इसीलिए तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डा. पुरत्ची थलैवी ने इस वर्ष के बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक दस सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये रखे गए हैं। और कार्य प्रगति पर है।

चूंकि बच्चे देश का भविष्य हैं इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की है हमारे समाज में बालिकाएं उपेक्षित हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग धन की कमी के कारण पांचवी कक्षा के बाद अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसी बालिका को 100 रुपये दिये जाते हैं ताकि वह स्कूल जा सके। इसलिए बालिकाओं को शिक्षित करने से महिला मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने में काफी सहायता मिलेगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं प्रारंभ करें।

मुझे संविधान के निर्माण में अपने योगदान का संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर द्वारा उल्लेख करते

हुए कहे गए शब्दों का स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा था "मैं इस गरिमापूर्ण मंच पर पददलितों के उत्थान से महान किसी अन्य लक्ष्य के लिए नहीं आया हूँ।" मुझे विश्वास है कि यह सरकार जिसने उनकी शताब्दी मनाई है और अनेक वायदे किए हैं, केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की दशा में सुधार करने के लिए योजनाएं कार्यान्वित करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्मा जी आपकी सूचना के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि तैयार किए गए भाषण को सभा में पढ़ना अधिक स्वागत योग्य नहीं माना जाता है।

6.22 म.प.

कुछ व्यक्तियों द्वारा दर्शक दीर्घा से सदन की अवमानना के संबंध में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को जानकारी है, आज लगभग 11.06 बजे श्री प्रागदत्त के पुत्र मनमोहन सिंह तिवारी नामक व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाए। श्री हरगोविन्द के पुत्र मोहन पाठक नामक एक अन्य दर्शक, दर्शक दीर्घा से कूद पड़ा और उसने नारे भी लगाए। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। उन दर्शकों ने अपने बयान तो दिए हैं किन्तु अपने कृत्य पर उन्होंने बिल्कुल भी खेद प्रकट नहीं किया।

मैं इसे सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं ताकि समुचित कार्यवाही हो सके।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको मनमोहन सिंह तिवारी पुत्र श्री प्राग दत्त कहने वाले व्यक्ति, जिसने दर्शक-दीर्घा से नारे लगाये और मोहन पाठक पुत्र श्री हरगोविन्द पाठक, जो आज लगभग 11.06 बजे दर्शक-दीर्घा से कूद पड़ा और नारे भी लगाये तथा जिन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत हिरासत में ले लिया, ने गंभीर अपराध किया है और वे सभा की अवमानना के दोषी हैं।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उन्हें 26 अगस्त, 1994 के 6 म.प. तक कठोर कारावास की सजा दी जाये और उन्हें तिहाड़ जेल, दिल्ली भेज दिया जाए।"

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : महोदय, मेरा यह नम्र निवेदन है कि उन्हें तिहाड़ जेल न भेजा जाए। उन्हें यहीं पर हिरासत मे रखा जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये छात्र हैं और इन्होंने भावनाओं में बहकर गलत काम किया है। किन्तु, इससे इनके भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने गलती की है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''यह सभा संकल्प करती है कि अपने आपको मनमोहन सिंह तिवारी पुत्र श्री प्राग दत्त कहने वाले व्यक्ति, जिसने दर्शक-दीर्घा से नारे लगाये और मोहन पाठक पुत्र श्री हरगोविन्द पाठक, जो आज लगभग 11.06 बजे दर्शक-दीर्घा से कूद पड़ा और और नारे भी लगाये तथा जिन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत हिरासत में ले लिया, ने गंभीर अपराध किया है और वे सभा की अवमानना के दोषी हैं।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उन्हें 26 अगस्त, 1994 के 6 म.प. तक कठोर कारावास की सजा दी जाये और उन्हें तिहाड़ जेल, दिल्ली भेज दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा कल, 25 अगस्त के 11.00 म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

6.25 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा, गुरूवार, 25 अगस्त, 1994/3 भाद्र 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।